अष्टम माला, खण्ड 27, अंक 37

बुधवार, 22 अप्रैल, 1987
2 वैशाख, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 27, आठवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 37, बुधवार, 22 अप्रैल, 1987/2 वैशाख. 1909 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1-53
*तारांकित प्रश्न संख्या : 740,741,743, 746,747, 749,752,754 और 756		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	53-202
तारांकित प्रश्न संख्या : 742,744,745,750,751, 753,755 और 757 से 759		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7400 से 7450,7452 से 7534, 7536 से 7571 और 7573 से 7581		
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
चौंतीसवां प्रतिवेदन	...	205-207
लोक लेखा समिति		207
छिहत्तरवां, सतत्तरवां, बयासीवां और तिरासीवां प्रतिवेदन		
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
अध्ययन दलों के दौरों के प्रतिवेदन		208
रेल अभिसमय समिति (1985)		
आठवां प्रतिवेदन	...	208-209
देश में डिजिटल इलेक्ट्रानिक घड़ियों के निर्माण और विक्रय के लिए विद्यमान नीति में संशोधन करने के बारे में वक्तव्य	...	209-210
श्री के० आर० नारायणन	...	209

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

कार्य-मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन ... 210

नियम 377 के अधीन मामले

(एक)महाराष्ट्र के भंडारा जिले के लिए और अधिक रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ... 210-214

श्री केशवराव पारधी ... 210

(दो)केरल सरकार को राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजय राघवन ... 212

(तीन)उड़ीसा के कटक और कोरापुट जिलों में बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस शीघ्र जारी करने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण मलिक ... 212

(चार)बंगलौर शहर की बढ़ती हुई यातायात संबंधी मांग को पूरा करने के लिए महानगरीय रेल प्रणाली की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज ... 212

(पांच)उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में चीनी का एक बड़ा कारखाना लगाने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस ... 212

(छह)आंध्रप्रदेश में मेरीडिमली और येलूरम तालुकों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थोटा ... 213

(सात)कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए "टैक्सटाइल माडर्नाइजेशन फण्ड" पर निगरानी रखने की आवश्यकता

डा० दत्ता सामन्त ... 213

(आठ)उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास की प्रस्तावित योजनाओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री मदन पांडे ... 214

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88 ... 214-308

(एक)सूचना और प्रसारण मंत्रालय (जारी)

श्री ए० के० पांजा ... 214

दो (विदेश मंत्रालय) (जारी) ... 214

श्री ई० अय्यपु रेड्डी ... 355

श्री बिपिन पाल दास ... 584

श्री जैनुल बशर ... 631

श्री सैफुद्दीन चौधरी ... 642

प्रो० एन० जी० रंगा ... 666

श्री ब्रज मोहन महन्ती ... 655

श्री डी० पी० जदेजा ... 273

श्री सैयद शहाबुद्दीन ... 276

श्री टी० बशीर ... 280

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ... 283

श्री पी० सेलवेन्द्रन ... 285

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 289

श्री दिनेश गोस्वामी ... 295

श्री सी० पी० ठाकुर ... 298

श्रीमती ऊषा ठक्कर ... 300

श्री पीयूष तिरकी ... 301

श्री राम स्वरूप राम ... 303

श्री अमर राय प्रधान ... 305

लोक सभा

बुधवार, 22 अप्रैल, 1987 2 बैशाख, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप प्रश्न संख्या बताइए।

अध्यक्ष महोदय : उलझन में पड़ गए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रश्न संख्या 740

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

विदेश स्थित कम्पनियों के भारतीय निदेशक

***740 श्री एस० जयपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीयों के नाम क्या हैं, जिन्हें वर्ष 1974 और 1985 के बीच विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशक के रूप से नियुक्त किया गया;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीयों को विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति अपेक्षित है; और

(ग) उन भारतीयों के नाम क्या हैं, जिन्होंने विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशक बनने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सूचना सदन के सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने पूर्व अनुमति नहीं ली थी लेकिन जिन्होंने बाद में आवेदन किया था और जिन्हें 1974-1985 की अवधि के दौरान विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशकों के रूप में उनके संयोजन/लगातार संयोजन के लिए सरकारी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था, के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भाग (क) : विस्तृत सूचना विवरण के परिशिष्ट "क" में दी गई है।

भाग (ग) : ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने पूर्व अनुमति नहीं ली थी लेकिन जिन्होंने बाद में आवेदन किया था और उन्हें 1974-1985 की अवधि के दौरान विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशकों के रूप में उनके संयोजक लगातार, संयोजन के लिए सरकारी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था, के नाम विवरण के परिशिष्ट "ख" में दिए गए हैं।

परिशिष्ट-क

1974 से 1985 के बीच समुद्रपारीय कंपपियों के निदेशक के रूप में नियुक्त भारतीयों की सूची

1974

क्रम संख्या	नाम	समुद्रपारीय कम्पनी
1	2	3
1.	श्री हरिलाल मेहता	(i) टीटापुर जूट फैक्टरी कं० लि०, स्काटलैण्ड
2.	श्री ए० सी० वार्ड	(ii) समनुगुर जूट फैक्टरी स्काटलैण्ड
		(iii) विक्टोरिया जूट कम्मनी लि०, स्काटलैण्ड
3.	श्री जी० के० देवाराजुलु	चैम्पाका नैगरी लक्ष्मी टैक्सटाइल्स सनदेरियन
4.	श्री वी० जगन्नाथन	बरहाद, मलेशिया

1975

क्रम संख्या	नाम	समुद्रपारीय कम्पनी
1.	श्री एल० एन० भगवती	पी० टी० श्री रिकेन विगुना, इण्डोनेशिया
2.	श्री० आर० डी० पटेल	
3.	श्री डी० पी० मण्डेलिया	थाइ रेयोन कं० लि०, थाईलैण्ड
4.	श्री सादिक फूटेहाली	फुटेहाली लि०, ओसाका, जापान
5.	श्रीमती टी० आर० शेरवानी	गल्लेवन ट्रेडिंग कं० (इम्पोर्ट एक्सपोर्ट) लि०, मलकोल्म हाउस, लन्दन
6.	श्री जी० डी० कोठारी	जे० एच० स्लाडे लि०, लन्दन
7.	श्री एफ० ए० मेहता	(i) टाटा प्रैसिसन इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, सिंगापुर
		(ii) ताब होल्डिंग्स सेनेडोरियन बरहाद, क्वालालमपुर
8.	श्री डी० पी० गोयनका	(i) बाजालेनी होल्डिंग्स लि०, यू० के०
		(ii) दि बाजालोनी टी० के० लि०, यू० के०
		(iii) दि सोनामिल (आसाम) टी कं० लि०, यू०के०
		(iv) दि रामगाँव टी कं० लि०, यू० के०
9.	श्री के० के० कनोरिया	पी० टी० होरीजोन सइनटैक्स, सुरबाया, इंडोनेशिया

1	2	3
10.	श्री मानेक डी० डावर	आर० ई० डावर एण्ड कं० लि०, टोक्यो
11.	श्री प्रदीप हरीराज दास	पी० टी० होरिजोन स्इनटैक्स, इण्डोनेशिया
12.	श्री एम० एल० भक्ता	फोर्ट इन्वेस्टमेण्ट्स लि०, श्रीलंका
1976		
1.	श्री गोपालष्णा सिंघानिया	(i) दि रेमण्ड वूलन मिल्स (कैन्या) लि०, कैन्या (ii) रेमण्ड (मारीशस) लि० मारीशस (iii) पी० टी० जे० के० फाइल्स, इण्डोनेशिया
2.	श्री विजापत सिंघानिया	(i) रेमण्ड स्कूलन मिल्स (कैन्या) लि०, कैन्या
3.	श्री इरिक डे सौजा	(i) रेमण्ड (मारीशस) लि० मारीशस (ii) पी० पी० जे० के० फाइल्स, इण्डोनेशिया
4.	श्री जी० के० मल्होत्रा	पी० टी० जे० के० फाइल्स, इण्डोनेशिया
5.	श्री आई० के० घई	(i) जी० एज० रेस्टोरेन्ट्स लि०, लन्दन
6.	श्री पी० एल० लाम्बा	
7.	श्री एस० पी० गोदरेज	(i) गोदरेज (मलेशिया) सनदेरियन बरहाद क्वालालमपुर (ii) गोदरेज (सिंगापुर) प्रा० लि०, सिंगापुर
8.	श्री० जी० एन गोदरेज	
9	श्री वी० पी० गोदरेज	
10.	श्री के० एन० नौरोजी	
11.	श्री एन० पी० गोदरेज	
12.	श्री एन० वी० गोदरेज	
13.	श्री रामदास किलाचन्द	लोयड्स अण्डरराइटिंग सिण्डीकेट, यू० के०
14.	श्री एस० एन० सिंह	ऐसेनेस लि०, लन्दन, यू० के०
15.	श्री एस० पी० सिंघी	(i) पानाफ्रीकौन पेपर मिल्स (इ० ए०)लि०, कैन्या (ii) नाजेरियन पेपर मिल्स, नाइजेरिया
16.	श्री आर० आर०रूइया	रुकराय (ओवरसीज) लि०, यू० के०
17.	श्री डी० नाथ	
18.	श्री बी० एल० नैमानी	नाइजेरिया इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, नाइजेरिया
19.	श्री जी० डी० बिरानी	(i) पानाफ्रीकन पेपर मिल्स (इ० ए०) लि०, कैन्या (ii) पानाफ्रोकन कन्सलटेन्सी सर्विसेज, नाइजेरिया
20.	श्री जी० पी० बिरला	
21.	श्रीमती राजश्री बिरला	इण्डोफिल टेक्सटाइल मिल्स इन्क, फिलीपाइन्स
22.	श्री आर० एल० रत्नम	पेरी मूरे फूड्स (मलेशिया) सनदेरियन बरहाद (मलेशिया कम्पनी), मलेशिया
23.	श्रीमती उषा राय	रुखराय (ओवरसीज) लि०, यू० के०

1	2	3
24.	श्री एस० पी० आचार्या	(i) शा वेलेस एण्ड हैजेस लि०, श्रीलंका (ii) शा वैलेस ओवरसीज लि०, यू० के०
25.	श्री दिलीप डी० खटाऊ	रुखराय (ओवरसीज) लि०, यू० के०
26.	श्रीमती शान्ति दाय सी. खटाऊ	
27.	श्रीमती विजया राजे सिंधिया	फोर्ट इन्वेस्टमेंट्स लि०, कोलम्बो, श्रीलंका
28.	श्री वी० डी० चौत्रगुले	लायड्स अण्डरराईटिंग, लन्दन
29.	श्री एच० आर० प्रसाद	स्काविल श्रेडार फार ईस्ट लि०, हांगकांग
30.	श्री एन० जे० रूपारेल	औके सैण्थेटिक्स लि०, मारीशस
31.	श्री० श्रीकान्त जी० रूपारेल	
32.	श्री एच० एल मर्चेण्ट	
33.	श्री एस० एन० देसाई	
34.	श्री ए० एच० टोबाकोवाला	मैट्रोबोल लि०, शारशाह, यू० ए० ई०
35.	श्री जी० ए० आर० शेख	
36.	श्री एन० जे० जीजीभोई	
37.	श्री एस० एन० मल्होत्रा	बूसीबयूप (एस) प्रा० लि०, सिंगापुर
1977		
1.	श्री० एस० एन० देसाई	(i) राडले काटन मिल्स लि०, कनाडा (ii) विश्वा व्यापार प्रा० लि०, नेपाल (iii) नेपाल मार्लटिंग कम्पनी लि०, नेपाल (iv) चंचला इण्टरप्राइजेज लि०, नेपाल (v) फूड एण्ड वेवरेजेंस प्रा० लि०, नेपाल
2.	श्री के सी० मेत्रा	गेस्ट कीन एण्ड नेट्टलेफोल्ड्स लि० (ओवरसीज) लि०, यू० के०
3.	श्री एम० एस० थापर	थोनंबूरी टेक्सटाइल मिल्स लि० थाइलैण्ड
4.	श्री एल० एम० थापर	
5.	श्रीमती नीता थापर	
6.	श्री जी० एल० लाथ	पी० टी० होरोजौन सिनटैक्स, सुराबया (इण्डोनैशिया)
7	श्री टी० एन० सुब्बा राव	खान साहब गैगोन लि०, शारजाह, यू०ए०इ०
8.	श्री बलबीर सिंह	जे० एम० अहलूवालिया एण्ड सन्स लि०, लन्दन
9.	श्री अरुण संघी	ओटो एनसीलरी मैन्यूफैक्चर्स सनदेरियन बरहाद, क्वालालमपुर

1	2	3
10.	श्री के० एम० पटेल	लिब्र्टी केमिकल्स (मलेशिया) सनदेरियन बरहाद, मलेशिया
11.	श्री ए० के० पटेल	
12.	श्री पी० एस० मिस्त्री	(i) ओमन शापूरजी कन्स्ट्रक्शन कं० लि०, मशकट
13.	श्री पी० एन० मिस्त्री	(ii) अल अलवर कन्स्ट्रक्शन कं० लि०, दुबई, यू०ए०ई०
14.	श्री वृज मोहन खेतान	(i) विलियमसन टी होल्डिंग्स लि०, लन्दन (ii) मजुली टी कं० लि०, लन्दन
15.	श्री अरविन्द एन० किलाचन्द	फेमस फैब्रिक्स (इन्टरप्राइजेज) लि०, लन्दन
16.	श्री संजय सेन	ओरबिटल कामर्स एण्ड एजेन्सीज लि०, लन्दन
17.	श्री के० पी० जे० प्रभु	दि कामनवैल्थ ट्रस्ट लि०, लन्दन
18.	श्री के० पी० जे० प्रभु	दि कामनवैल्थ ट्रस्ट लि० लन्दन
19.	श्री एच० टी० पारेख	
20.	श्री वाई० एच० मालेगम	
21.	श्री के० एस० राज	
22.	श्री पी० एन० वागले	
23.	डा० एन० एस० चूलवीया	पोलयोलेफिन्स पाइप इण्डस्ट्रीज मलेशिया समदेरियन बरहाद (पी०पी०आई०,) क्वालालमपुर, मलेशिया
24.	श्री उषाकान्त एन० किलाचन्द	फेमस फेबरिक्स (इन्टरप्राइजेज), लन्दन
25.	श्री के० एन० हाडकेर	केनसस इण्टरनेशनल, लन्दन
26.	श्री अशोक बी० बिरला	पी० टी० दरलोन टेक्सटाइल मैन्यू, कारपोरेशन, जकारती, इण्डोनेशिया
27.	श्री जी० एल० लाथ	
28.	श्री विजयपत सिंघानिया	जयकयोगे एजी गारेटेंसट्रेस जुग, स्विटजरलैंड
29.	श्री के० एस० हिंगे	(i) यूनीटाटा सनदेरियन बरहाद, मलेशिया (ii) बेरटा सर्विसेज, सनदेरियन बरहाद,, मलेशिया
30.	श्री डी० एस० सेठ	(i) टाटा सुदामेरिका सेकिफ, अर्जेनटीना (ii) अलकालीन अर्जेनटीनोज सेम, अर्जेनटीना
31.	श्री विक्टोर अलबूकोरक्यू	हालको कन्सट्रक्शनस कम्पनी, बहरीन
32.	श्री नंदा सदरशिवा कोनटे	
33.	श्री डी० एस० सेठ	(i) टाटा इन्टरनेशनल एजी, जुग, स्विटजरलैंड (ii) टाटा ए० जी० जुग, स्विटजरलैंड (iii) टाटा लिमिटेड, लन्दन (iv) यूनीटाटा सनदेरियन बरहाद मलेशिया (v) टाटा इन्कारपोरेटिड, न्यूयार्क (vi) बरटा सर्विसेज, मलेशिया
34.	श्री ए० बी० बिल्लीमोरिया	(i) यूनीटाटा सनदेरियन बरहाद मलेशिया (ii) बरटा सर्विसेज सनदेरियन बरहाद, मलेशिया

1	2	3
1978		हिन्दी होटल्स इन्टरनेशनल प्रा० लि०, सिंगापुर
1.	श्री ललित भसीन	
2.	श्री० एल० एम० रजवार	
3.	श्री एस० एम० शुक्ला	
4.	श्री आर० के० एस० गांधी	आइरोनो-हिन्द शिपिंग कम्पनी, ईरान
5.	श्री आर० रामाकृष्णनन	
6.	श्री एस० एल० मेहता	दि बागनेगोरे जूट फैक्टरी कं० लि०, यू० के०
7.	श्री पी० बोस	
8.	श्री ए० के० चट्टोपाध्याय	
9.	श्री पी० एस० अमेरसी	ए० जे० मिलटन (श्रीलंका) लि०, कोलम्बो
10.	श्री एम० ए० देसाई	
11.	श्री सी० आर अमीन	अरब फार्मेस्युटिकल्स कं० लि०, यू० ए० ई० स्टेट आफ यमन
12.	श्री के० के० बिरला	ज्योति एस० ए० स्विटजरलैण्ड
13.	श्री० प्रताप सिंह एम० विशनजी	फ्लोर मिल्स फिजी लि०, फिजी
14.	श्री हेमन्त पी० विशनजी	
15.	श्री जेम्स बी० गिब्बन्स	
16.	श्री राम कपूर	(i) रैक्स होटल (ह्वाइटले बे) लि०, लन्दन (ii) वीरास्वामीज रेस्टोरेण्ड, लन्दन
17.	श्री बी० के० पोद्दार	
18.	श्री पी० के० पोद्दार	होप मिनरल्स प्रा० लि०, नैपाल
19.	श्री एस० के० पोद्दार	
20.	श्री एम० एम० लोयलका	पी० टी० बिरीन्दे फाइबर इण्डस्ट्री लि०, जकार्ता इण्डोनेशिया
21.	श्री० एम० सी० बगरोदिया	औलसाहर आयल फिलीपीन्स इन्क, फिलीपीन्स
22.	श्री आदित्य वी० बिरला	
23.	श्री अश्वीन सी० चोकसी	एशियन पेन्ट्स (साउथ पैसिफिक) लि०, फिजी
24.	श्री अश्वीन एस० दानी	
25.	श्री चम्पक लाल एच० चोकस	
26.	श्री जी० खण्डवाला	(i) फोर्बेस मर्चेंट्स सिंगापुर प्रा० लि०, सिंगापुर (ii) फोर्बेस मरकंटर लि०, हांगकांग
27.	श्री के० पी० भार्गवा	प्राइस वाटरहाउस एशोसिएट्स (इन्टरनेशनल) लि०, लन्दन

1	2	3
28.	श्री ए० सिवाशैलम	वैलेस कार्ट, राइट एण्ड कं० लि०, लन्दन
29.	श्री ए० कृष्णा मूर्ति	
30.	श्री व० पी० मल्होत्रा	नाइजेरियन मेटलिक इण्डस्ट्रीज लि०, लागोस (नाइजेरिया)
31.	श्री एस० एन० मल्होत्रा	
32.	श्री आर० के० मल्होत्रा	
33.	श्री के० के० दुबे	(i) दि जेरेहाउट टी लि०, लन्दन (ii) अमगूरी टी इस्टेट्स लि०, लन्दन
34.	श्री जी० पी० बिरला	(i) पान अफ्रीकन पेपर मिल्स (इए) लि०, नौरोबी (ii) नाइजेरिया इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, नाइजेरिया (iii) पान अफ्रीकन कन्सलटैंसी सर्विसेज लि०, नाइजेरिया (iv) ग्लेनो एस्स्बेटोज लि० यू० के० (v) नाइजेरिया पेपर मिल्स लि०, नाइजेरिया
35.	श्री एल० एम० थापर	ऐली डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, शैसल्स
36.	श्रीमती निरमला देवी बिरला	नाइजेरिया इन्जीनियरिंग वर्क्स लि०, नाइजेरिया
37.	श्री वी० एन० कोहली	
38.	श्री आदित्या वी० बिरला	थाइ रेयन कं० लि०, थाइलैण्ड
39.	श्री एम०आर० मेनन	डेवी एशिया लि०, बुनिया (साउथ ईस्ट एशिया)
40.	डा० चरत राम	उषा इण्डस्ट्रीज लि०, श्रीलंका
41.	श्री वाई० डी०गुनदैविया	
42.	श्री बी० सहाय	
43.	श्री बी० एल० नेमानी	वैनगार्ड इन्डस्ट्रीज लि०, आफ नाइजेरिया कनस्ट्रक्शन एण्ड फर्नीचरस कम्पनी लि०, नाइजेरिया
44.	श्री सी० के० बिदला	
45.	श्री अशोक वी० बिरला	एवरटैक्स इण्डस्ट्रीज इन्क, फिलीपीन्स
1979		
1.	श्री रवि घई	मालभरनिगम लि,० लन्दन
2.	श्रीमती सोनूबाई कृष्णाराव काबूर	काबूर एण्ड कम्पनी लि०, मैनचेस्टर, यू० के०
3.	श्री अशोक वी०बिरला	(i) पी०टी० होराइजन सोनटैक्स, इण्डोनेशिया (ii) फिलाप्रो एडिबल आयल इन्क, फिलीपीन्स

1	2	3
4.	श्री पी० मरुथाई पिल्लै	गीता आयल इण्डस्ट्रीज, क्वालालमपुर
5.	श्री एम० जयराम मिपल्लै	
6.	श्री सी० यू० शाह	
7.	श्री जी० वेंकटेश्वरन	
8.	श्री सुरेश आर० नानावती	राना इंकारपोरेटिड, इन्क, यू० एस० ए०
9.	श्रीमती राज श्री बिरला	(i) इण्डो-फिल टैक्सटाइल मिल्स इंक, फिलीपीन्स (ii) पी०टी० ऐली गैन्ट टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज, इन्डोनेशिया (iii) इण्ड़ो-थाई सिन्थेटिक्स कम्पनी लि०, बैंकाक
10.	-सदैव-	
11.	श्री बी० एल० शाह	(i) सेन्चुवरी टैक्सटाइल कम्पनी लि०, थाइलैण्ड (ii) इन्डो-थाई सैंथेटिक्स कम्पनी लि०, थाइलैण्ड
12.	श्री ए० शिवासैलम	मलेशिया पिस्टन्स सनदेरियन बरहाद, मलेशिया
13.	श्री ए० के० शिवारामाकृष्णन	
14.	श्री एन० वेंकटारामानी	
15.	श्री० ए० के० कादरकुट्टी	थाई इंडिया स्टील कम्पनी लि०, थाइलैण्ड
16.	श्री जे० एम० पटेल	
17.	श्री एस० ए० जीफी	
18.	श्री सी.एम. जादवेट	
19.	श्री जी० वी०कपाडिया	केनिनडिया एश्यूरेन्स कम्पनी लि०, नौरोबी
20.	श्री०वी० सी० वैद्य	
21.	श्री एम०एम० राव	
22.	श्री जे० माथन	
23.	श्री आर० ए० मस्कटी	फोर्बेस मचन्ट्स सिंगापुर प्रा० लि०, सिंगापुर
24.	श्री सदन चन्द्रा दत्त	ए० एम० डी०सी० इन्कौरपोरेशन, न्यूयार्क
25.	श्री अशोक कुमार भट्टाचार्या	
26.	डा० असीम कुमार मुखर्जी	
27.	श्री एस० सी० दत्त	कुलजियन कारपोरेशन, फिलाडेलफिया
28.	श्री बीरेन जे० शाह	आयरन एण्ड स्टील लि०, मारीशस
29.	श्री निरंजन जे० शाह	
30.	श्री जयन्त नरमैम पारेख	

1	2	3
31.	श्री ए० एम०एम० अरुणाचलम	अम्वादी इंजिनियरिंग बरहाद, मलेशिया
32.	श्री एम०वी० अरुणाचलम	
33.	श्री जी० पी० मो-न	शा वैलेस एण्ड हैलेस लि० श्रीलंका
34.	श्री टी० एस० वेंक्टेशन	
35.	श्री जी० खाण्डवाला	फार्बेस मर्चेन्ट्स ए जी, जुग, स्विटजरलैण्ड
36.	श्री ए० एस० वारडाकर	अरेबियन इरेक्टोर्स सऊदी अरबिया
37.	श्री पी० डी० राजे	
38.	श्री एम० आर० जोयलेकर	
39.	श्री एम० के० आम्मन	
40.	श्री वी०वी० पई	
41.	श्री ए० वी० गोदरेज	रफीना आयल प्रोडक्ट्स सनदेरिया बरहाद मलेशिया
42.	श्री एन० वी० गोदरेज	
43.	श्री एस० डी० दण्डेकर	कामलिन एन० एस० सनदेरियन बरहाद मलेशिया
44.	श्री एम० सी० दण्डेकर	
45.	श्री एम० एल० आपटे	स्यारीक्ट गुला एन० एस० (सनदेरियन) बरहाद मलेशिया
46.	श्री ए० एल० आपटे	
47.	श्री. अशोक वी० बिरला	पी०टी० इलाइड पैसीफिक डे-केम, जकार्ता, इण्डोनेशिया
48.	श्री जे० एच० दोषी	
49.	श्री एच० जे० दोषी	
50.	श्री नुस्ली एन० वाडिया	पी० टी० फाइव स्टार इण्डस्ट्रीज, इण्डोनेशिया
51.	श्री जाल ई० कोवासजी	
52.	श्री बी०डी० गरवारे	वाल इण्डस्ट्रीज, इंक, यू० एस० ए०
53.	श्री कमलजीत सिंह	सकान्सी ट्रेडिंग कम्पनी लि०, श्रीलंका
54.	श्री बी० एम० शाह	इटलैव (जापान) लि०, जापान
55	श्री एच०एल० मेहता	(i) टीटागढ़ जूट फैक्टरी कम्पनी लि० (इनकोरपोरेटिड इन स्काटलेण्ड) (ii) ए० एण्ड एस०हेनरी एण्ड कम्परी लि० स्काटलैण्ड (iii) हार्डी एण्ड स्मिथ लि०, स्काटलैण्ड (iv) दूनदे बाटीस क्लाथ एण्ड वाटरप्रूफिंग कम्पनी लि०, स्काटलैण्ड
56.	श्री जे० एस० दोषी	अमटेर लि०, लन्दन
57.	श्री एच० जे० दोषी	
58.	श्री आर० ए० दोषी	

1	2	3
59.	श्री एम०आर० शेरवानी	(i) फैसीटकेस लि०, लन्दन (ii) स्लोप सिर्ट (यू० के०) लि० लन्दन
60.	श्री बी० आई० मोइजुद्दीन	ओरोले अलटरासोनिक सनदेरियन बरहाद क्वालालमपुर
61.	श्री साद अली	
62.	श्री सी० के० बिरला	नाइजेरियन एस्बेस्टोज इण्डस्ट्रीज लि०, नाइजेरिया
63.	श्री. आर० एन० जालान	
64.	श्री एम० सिंह	
65.	श्री के० वी० राघवन	
66.	श्री डा० इशो जौन	पेरी मुरे एण्ड कम्पनी लि० लन्दन
67.	श्री. ए० वैल्यायन	
68.	श्री एम० वी० सुबैया	
69.	श्री के० पी० भार्गव	प्राइस वाटरहाउस (इन्डरनेशनल), न्यूयार्क एण्ड लंदन
70.	डा० एन० एल० हिंगोरानी	सिलोंग मेटल इण्डस्ट्रीज, श्रीलंका
71.	श्री सी०ब्रह्मी	मोरन टी कम्पनी लि०, लन्दन
72.	श्री एस०बी०मजूमदार	(i) रसीद ओवरसीज कौरपोरेशन, यू०एस०ए० (ii) पी०टी० एलेजेंन्ट टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज, इण्डोनेशिया
73.	श्री एस० पी० गोदरेज	पी०टी० गोदरेज; इण्डोनेशिया
74.	श्री एन० पी० गोदरेज	
75.	श्री जामसैद एन० गोदरेज	
76.	श्री कैखुसुरु एन० नौरोजी	
77.	श्री ऋषब कुमार	स्वीटोइल एण्ड केमिकल्स सनदेरियन बरड्राद क्वालालमपुर
78.	श्री अजय हरी डालमिया	मनेक्स मारबले एण्ड ग्रेनाइट कम्पनी लि०, यू०के०
79.	श्रीमती अमा डालमिया	
80.	श्रीमती पद्मा डालमिया	
81.	श्री ए० बी पारेख	
82.	श्री के० आर० वी० सुब्रामणियन	हैकालर लि०, श्रीलंका
83.	श्री के० बी० कृष्णनन	
84.	श्री पी० वी० सुब्रामणियम	
85.	श्री घनश्यामदास थिरानी	नैपाल मैटल कम्पनी लि०, नैपाल

1	2	3
86.	श्री० आर० एम० गोकुलदास	फालकन केमिकल्स लि० यू०ए० इ० (दुबई)
87.	श्री एम० डी० गोकुलदास	
88.	श्री एल० एन० गोकुलदास	
89.	श्री आर०आर० गोकुलदास	
90.	श्री आर० एम० गोकुलदास	सा३लिंगैस कम्पनी लि०, दुबई, यू०ए०ई०
91.	श्री० एम० डी० गोकुलदास	
92.	श्री एल० एन० गोकुलदास	
93.	श्री अनिल कुमार सूद	इ०एम०आई० (पाकिस्तान) लि० आफ कराची पाकिस्तान
94.	श्री डी० जे० मदान	पी०टी०गोकक, इण्डोनेशिया
95.	श्री रोहित सी० मेहता	मैकगा-रवीन्द्रा (मलेशिया)
96.	श्री. रविन्द्रा सी० मेहता	
97.	श्री अरविन्द सी० मेहता	
98.	श्री पी० वी० आर० एन० अय्यर	
99.	श्री वी० के० बाहरे	आई०सी०आई० एक्सप्लोसिव इन्टरनेशनल प्रा० लि०, सिंगापुर
100.	श्री आर०एस० वैद्य	आई०सी०आई० एक्सप्लोसिव इन्टरनेशनल प्रा० लि०, सिंगापुर
101.	श्री एस० एस० बैजल	
102.	श्री० सुरेन्द्र लाल	ऐले डेबलपमेंन्ट कारपोरेशन लि०, शेसल्ज
103	श्री एल० एम० थापर	
104.	श्री एस० एस० लाल	पी०टी०सरस्वती भक्ति कोटिड पेपर, इण्डोनेशिया
105.	श्री एम० सी० मक्कड़	
106.	श्री आर० देलुर	
107	श्री करतार चन्द नन्दा	
108.	श्री डी० के० प्रहलाद राव	इन्डो-मलेशिया इंजीनियरिंग कम्पनी क्वाललुमपुर
109.	श्री डी० एल० मीरचन्दानी	
110.	श्री पी० डी० गुने	हाइड्रो-डाइने लि०; मारीशस
111.	श्री सी० एस० किलोस्कर	
112.	श्री सी० टी० शिन्दे	
113.	श्री एन० ए० पालखीवाला	(i) टाटा लि०, लन्दन, यू०के०
114.	श्री एन० ए० पलखीवाला	(ii) टाटा इन्क, न्यूयार्क, यू०एस०ए० (iii) टाटा इन्टरनेशनल एजी, स्विटजरलैण्ड

1	2	3
115.	श्री एफ०खिलो	इटालेव जापान लि०, टोक्यो
1980		
1.	श्री जी० मोमिन	केरो होप एण्ड सन्स लि०, लन्दन
2.	श्री एस० पी० सिन्हा	सी०एस०एस०आफ ओकमिल्ले, लि० कनाडा
3.	श्री टी० एस० वैन्कटेशन	(i) बोनाबैन्वर टैक्सटाइल्स (लंका) लि० श्रीलंका (ii) अशोक गारमेन्ट इण्डस्ट्रीज लि०, श्रीलंका
4.	श्री ए० के० पारस	शैल कम्पनी आफ इंडिया लि०, लन्दन
5.	श्री ज्ञान चन्द जैन	एशिया लि०, श्रीलंका
6.	श्री. जी० एम० अग्रवाल	
7.	श्री अशोक वी० बिरला	
8.	श्री पी० आर० चेलाराम	(i) सिल्वर ओक लि०, हांगकांग (ii) सनजीत लि०, हांगकांग
9.	श्री डी०पी० मण्डैला	थाई रेयन कम्पनी लि०, बैंकाक
10.	श्री जी०ए०आर० शैल	सऊदी इन्सास कम्पनी लि०, जैदाह, सऊदी अरबिया
11.	जी खाण्डवाला	सीमको फोर्बेस लि०, हांगकांग
12.	श्री मोइज शैकादम वासी	
13.	श्री मोहसिन शेकादम वासी	ए०के०एच० बासी एण्ड कम्पनी लि०, बैंकाक
14.	श्री जागैर मोइज वासी	
15.	श्री जुजेर मोहसिन वसी	
16.	श्री मोइज शेखदम वासी	
17.	श्री मोहसिन शेखदम वासी	ए०के० एच० वासी एण्ड कम्पनी (यमन) लि०, (यमन अरब गणतंत्र)
18.	श्री जागैर मोइज वासी	
19.	श्री जुजैर मोहसिन वासी	
20.	श्री शैकदम वासी	
21.	श्री के०के० बिरला	हाईसी स्ट्रीमशिप प्रा० लि०, सिंगापुर
22.	श्री जे० सी० आनन्द	
23.	श्री एन० एम० देसाई	लारसेन एण्ड टोब्रो (सिंगापुर) प्रा० लि०, सिंगापुर
24.	श्री यू० वी० राव	
25.	श्री एम० एच० फैरवानी	
26.	श्री बी० जे० मदान	सेमकोटैक्स लि०, हांगकांग

1	2	3
27.	श्री अकबर हैदरी	
28.	श्री केसुव महिन्द्रा	
29.	फील्ड मार्शल क्षेम एच०एफ०जे० मानेकशाह, एम० सी०	नार्थ फोनेओ टिम्बर बरहाद, क्वालालमपुर (मलेशिया)
30	श्री. रमेश एस० गांधी	
31.	श्री जी० एल० लाथ	इम्पीरियल इण्डस्ट्रियल केमिकल्स (थाईलैण्ड) कम्पनी लि०, बैंकाक
32.	श्री कृष्ण के० अरोड़ा	
33.	श्री बी० के० प्रसाद	स्मिथ कवलाइन एण्ड फैंच इंडिया लि०, यू० के०
34.	श्री विजयपति सिंहानिया	(i) जे०के० (इंग्लैण्ड) लि०, लन्दन (ii) जे०के० योग ए०जी० जुग स्विटजरलैंड (iii) रैमण्ड वुलन मिल्स (केन्या) लि०, केन्या (iv) पी०टी० जे०के० फाल्स इन्डोनेशीया रैमण्डवुलन मिल्स (केन्या) लि०, केन्या
35.	श्री बी० के० केडिया	(i) रैमण्ड (मारिशस) लि०, मारिशस
36.	श्री जे० के० मल्होत्रा	(ii) जे०के० थाइलैंड लि०, बैंकाक (i) जेकेरिंग ए०जी० जुग, स्विट्जरलैंड
37.	श्री इरिक डे० सूजा	(ii) जे०के० थाईलैंड लि०, बैंकाक ब्रुक एण्ड टेलर लि०, न्यूय-कं, यू०एस०ए०
38.	श्री प्रेम बिहारी वैद्य	
39.	श्री जे०टी० डोलवानी	कूलिंग सिस्टम एण्ड फ्लैक्सिबल्स प्रा०, लि०, सिंगापुर
40.	श्री डी०टी० डोलवानी	
41.	श्री वी०टी० डोलवानी	
42.	श्री विजयपति सिंहानिया	रैमाड (मोरिशस) लि०, मारीशस
43.	श्री जे०एस० दोषी	मल्टीबिज (सिंगापुर) प्रा०लि०, सिंगापुर
44.	श्री आर० एल० बथवाल	पैन-सेन्चुरी एडिबल आयल्स एसन बड, मलेशिया
45.	श्री आदित्य बी० बिड़ला	
46.	श्री बसन्त कुमार बिड़ला	
47.	श्री डी० एम० देही	प्रबालाजी इंटर प्राइजेज (मालदीव) लि०, मालदीव
48.	श्री जी० बी० भट्ट	टाटा जाम्बिया लि०, लुसाका, जाम्बिया
49.	श्री डी० डी० चोपड़ा	वानरे हडनट (लंका) लि०, श्रीलंका
50.	श्री के० एम० चिनप्पा	गेलार्ड रेस्टोरेंट (मिडलैंड्स) लि०, नार्थम्पटन, यू०के० (ii) गेलार्ड केटरर्स लि०, नार्थम्पटन, यू०के०

1	2	3
51.	श्री अशोक कुमार भट्टाचार्य	ए०डी०एम०सी० इनकारपोरेटेड, न्यूयार्क, यू.एस.ए.
52.	डा० असीम कुमार मुखर्जी	
53.	श्री आई०के० घई	(i) गेलार्ड रेस्टोरेंट (मिडलैंड) लि०. नार्थेम्पटन, यू०के०
54.	श्री पी०एल० लाम्बा	*(ii) गेलार्डकेटरर्स लि०, नार्थम्पटन, यू०के०*
55.	श्री बी० एल० शाह	थाई कार्बन ब्लैक कं० लि०, बेंकाक, थाइलैंड
56.	श्री एम० सी० बारीदिया	
57.	श्री आदित्य बी० बिड़ला	
58.	श्री एल० एम० थापर	जे जी कन्टेनर्स (एम) एस०डी०एन०, बी०एच०डी० मलेशिया
59.	श्री एस० एस० लाल	
60.	श्री एन० आर० गिडवानी	
61,	श्री आर०एस० ग्रोवर	
62.	श्री ए० डी० पारपिया	धर्मसी पारसिया (ओवरसीज) लि०, इंग्लैंड
63.	श्री एम०एच० पारपिया	
64.	श्री एम०ढ़ी० पोद्दार	भारत ओवरसीज कारपोरेशन, न्यूयार्क
65.	श्री विजयपति सिंहानिया	रिजेंसी टेलरिंग (यू०के०) लि०, लन्दन
66.	श्री प्रेम बिहार वैद्य	
67.	श्री बी०आर० वडेरा	ईस्टर्न आपरेशन्स आफ इंटर स्टेट इक्विपट्मेंट्स कारपोरेशन, यू. एस. ए.
68.	श्री डी० रथा	ज्वाइंट वेन्चर मार्केटिंग कं०, यू०के०
69.	श्री बी०एल० शाह	बी०टी० इंडोभारत रेयन,इंडोनेशिया
70.	आदित्य बी० बिड़ला	
71.	श्री बी० जी० झवेरी	इक्सेल एलूग्राफिक्स एस०डी० एन० नी० एच० डी०, कुआलालमपुर (मलेशिया)
72.	श्री पी०एन० देसाई	
73.	श्री एच०पी० देसाई	
74.	श्री जी०एस० अग्रवाल	एबिट ओवरसीज कोरपोरेशन, यू० एस० ए०
75.	श्री ए०बी० बिड़ला	पी० टी० एलीगेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडोनेशिया
76.	श्री भारत बी० खीमजी	उसाहा महोर इंजीनियरिंग, एस० डी० एन०, बी० एच० डी० कुआलालमपुर (मलेशिया)
77.	श्री जगजीत सिंह	सिलोक मैच कंपनी लि०, श्रीलका
78.	श्री कमल जीत सिंह	एल्बी कियोरात ए० बी, स्वीडन

1	2	3
79.	श्री विनोद के० खन्ना	एस० एंड आर० इंटरनेशनल (मारीशस) लि० मारीशस
80.	श्री के०के० अरोड़ा	
81.	श्री बी०के० प्रसाद	एस्के लैब बंगलादेश लि०, ढाका बंगलादेश
82.	श्री पी०के० मोहता	थाई रेयन कंपनी लि०, बैंकाक (थाइलैंड)
83.	श्री आदित्य वी० बिड़ला	
84.	श्री ए०सी० मुथिया	एनेमेल्ड वायर एंड केबल (सिंगापुर) प्रा० लि० सिंगापुर
85.	श्री सोहन आर० मोदी	ब्रेसे सोल्डिंग लि०, हांगकांग
86.	श्री ए०वी० बिड़ला	(i) इंडो थाई सिन्थेटिक्स कंपनी लि०, बैंकाक, थाइलैंड (ii)सेन्चुरी टैक्सटाइल्स कं० लि०, बैंकाक (थाइलैंड)
87.	श्री जयंत शिवलाल दलाल	
88.	श्री जगमोहनदास भगवानदास बोडा	जे० बी० बोडा एंड कंपनी (फारईस्ट) लि० हांगकांग
89.	श्री धीरजलाल भगवानदास बोडा	
90.	श्री भारत कुमार जगमोहनदास बोडा	
91.	श्री चंद्रकांत वल्लभदास रोठ	
92.	श्री जगमोहनदास भगवानदास बोडा	
93.	श्री धीरजलाल भगवानदास बोडा	
94.	श्री भरत कुमार जगमोहनदास बोडा	मुइर बेद्दल बोडा एण्ड कं०लि०, लंदन
95.	श्री जयंत ए० गांधी	जेरिंद ओवरसीज इनकारपोरेटेड, कुवैत
96.	श्री रमेश सी० बंसल	
97.	श्री जी०डी० माथुर	डेल्टन प्रापर्टी कं०लि०, यू०के०
98.	श्री बी० नेहरू	(i) टाइनेप टेक्सटाइल्स जाम्बिया लि०, जाम्बिया (ii) टाटा ओवरसीज डेवलपमेंट कं० लि०, हांगकांग
99.	श्री एस० मुलगांवकर	
100.	श्री एन०ए० पालकीवाला	टाटा ओवरसीज डेवलपमेंट कं० लि०, हांगकांग
101.	श्री एम०एच० डालमिया	ग्लोबल डाल्टन्द ट्रेडिंग कं० लि०, यू०के०
102.	श्री ए०एच० डालमिया	डाल्टन प्रापर्टी कंम्पनी लि०, यू०के०
103.	श्री राजेश जयकृष्ण	
104.	श्री सी०आर० शाह	थाई अंबिका केमिकल्स लि०, थाइलैंड
105.	श्री के०आर० नाटू	चैनेल ऑफशोर सर्विसिज लि०, यू० के०
106.	श्री के०आर० नाटू	
107.	श्री जगदीश चंद्रशेखर अगोश	डीमेक कंट्रैक्टर्स लि०, यू० के०
108.	श्री बंशीधर सून्दरलाल मेहता	

1	2	3
109.	श्री जी० पी० बिड़ला	(i) नाइजीरिया इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, नाइजीरिया (ii) पैन अफ्रीकन पेपर मिल्स (ई० ए०) लि० नैरोबी (iii) ग्लेनो एस्बेस्टोस लि०, यू०के० (iv) नाइजीरियन पेपर मिल लि०, नाइजीरिया (v) पेनअफ्रीकन कन्सल्टैंसी सर्विसेज, नाइजीरिया (vi) ग्लेनो इंडस्ट्रीज लि०, यू०के०
110.	श्री एच० के० शाह	(i) सी० रमन इन्कारपोरेटेड, न्यूयार्क यू०एस०ए० (ii) एल्वी इंटरनेशनल इन्कारपोरेटेड, यू० एस० ए० (iii) एल्वी इंटरनेशनल (जर्सी) इन्कारपोरेटेड, पनामा
111.	श्री विक्रम तन्नान	कैपसुलेशन सिंगापुर प्रा०लि०, सिंगापुर
112.	श्री एम० के० कुमार	शा वैलेस एण्ड हैजेस लि०, कोलम्बो
113.	श्री ललित भसीन	हिन्द होटल्स इंटरनेशनल प्रा०लि०, सिंगापुर
114.	श्री राजकुमार जैन	पी० एण्ड जे० प्रभु टैक्सटाइल्स कं०लि०, बैंकाक, थाइलैंड
115.	श्री रमेश चन्द जैन	
116.	श्री जे० ई० तालेलिकुर	तातब इंडस्ट्रीज एस० डी० एन०, बी०एच० डी० मलेशिया
117.	श्री एस० वाई० जगतदार	
118	श्री ए० एल० मेरा	
119	श्री अर्जुन बुलचंदानी	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी दुबई
120.	श्री भगवान बुलचंदानी	
121.	श्री आर० एस० हिंगोरानी	
122.	श्रीमती सरला देवी बिड़ला	थाई रेयन कंपनी लि०, बैंकाक, थाइलैंड
123.	श्री एम० सी० बगरोडिया	
124.	श्री आर० वी० करवड़े	इंडियन ह्यूमपाइप कं० (कोलम्बो) लि०,
125.	श्री रवि घई	माल्वरनिग्मा लि०, लंदन
126.	श्री जी० एस० अग्रवाल	माट्केल डग्ण्ड गिनॉन गिनान कं० लि०, हांगकांग
127.	श्री जी० एस० रथ	पी०टी० विट्रेटेक्स इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, जकार्ता (इंडोनेशिया)
128.	श्री एम० एस० मलाते	वल्कन इंटरनेशनल इन्कार्पोरेटेड नार्थ कैरोलिना, यू० एस० ए०
129.	श्री शामदास उधाराम	

1	2	3
130.	श्री बद्री प्रसाद पोददार	कलकत्ता ट्रांस वेज कंपनी लि०, लंदन (यू०के०)
131.	श्री गोकुल बिनानी	डिस्ट्रीब्यूटर्स (यू० के०) लि०, लंदन
132.	श्री एस० एन० देसाई	ट्रेड विंग्स कारपोरेशन- यू० एस० ए०
133.	श्री एन० आर० रुईया	रूखराई (ओवरसीज) लि०, यू० के०
134.	श्री डी० एस० सेठ	ट्राईटी इन्कारपोरेटेड, एन० जे०, यू० एस० ए०
135.	श्री एन० एल० किर्लोस्कर	(i) एस० पी० पी० इंटरनेशनल, यू० के० (ii) एस० पी० पी० इन्कारपोरेटेड, यू० एस० ए०
136.	श्री सी० एस० किर्लोस्कर	
137.	श्री पी० डी० गुने	
138.	श्री सी० एस० किर्लोस्कर	सेइथल लिमिटेड, यू० के०
139.	श्री पी० डी० गुने	
140.	श्री संजय सी० किर्लोस्कर	
141.	श्री रवि एल० किर्लोस्कर	किर्लोस्कर (मलेशिया) सोडिरियन बरहाद, मलेशिया
142.	श्री सी० एस० किर्लोस्कर	
143.	श्री एस० एल० किर्लोस्कर	
144.	श्री विजय आर० किर्लोस्कर	किर्लोस्कर (मलेशिया) एस० डी० एन० कुआला-लम्पुर, मलेशिया
145.	श्री रवि एल० किर्लोस्कर	किर्लोस्कर केन्या लि०, केन्या
146.	श्री सी० एस० किर्लोस्कर	
147.	श्री ए० बी० पंत	
148.	श्री पी० डी० गुने	
149.	श्री के० एम० नामजोशी	
150.	श्री संजय सी० किर्लोस्कर	
151.	श्री विजय आर० किर्लोस्कर	
152.	श्री एन० ए० पालकीवाला	(i) टाटा लिमिटेड, लंदन (ii) टाटा इन्कारपोरेटेड, यू० एस० ए० (iii) टाटा इंटरनेशनल ए० जी० स्विटजरलैंड
153.	श्री एन० बी० दारूवाला	ताज लंका होटल्स लिमिटेड, श्री लंका
154.	श्री शंकर मेनन	
155.	श्री मोईज पखरुद्दीन पंचा	

1 2	3
156. श्री जे० आर० गगरत	टी० सी० आई होटल्स (लंका) लिमिटेड, श्रीलंका
157. श्री ए० जे० कटगड़ा	
158. श्री एस० एफ० इंजीनियर	
159. श्री पी० आर० मोदी	
160. श्री के० एम० मिस्त्री	
161. श्री आर० बी० जे० पटेल	
162. श्री के० आर० छाबरिया	
1981	
1. श्री पी०सी० अग्रवाल	नाइजीरिया इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, नाइजीरिया
2. श्रीमती सुनन्दा बिड़ला	इम्पीरियल इंडस्ट्रियल केमिकल्स (थाइलैंड) कं० लि०, थाइलैंड
3. श्री अशोक वी० बिड़ला	(i) एविट ओवरसीज कारपोरेशन, यू० एस० ए० (ii) पी० टी० होराइजन सिन्टेक्स, इंडोनेशिया (iii) एवरटेक्स इंडस्ट्रीज इन्कारपोरेटेड फिलीपीन
4. श्री एम०एच० डालमिया	ग्रेनाइट इंटरनेशनल लि०, डबलिन
5. श्री जी० आर० हाडा	
6. श्री अनिल हाडा	
7. श्री एम०एल० खेमका	सियाम इंडो टूल्स लि०, बेंकाक, थाइलैंड
8. श्री ए० बी शास्त्री	
9. श्री वंसत जे० सेठ	क्राफोर्ड ऐनर्जी इन्कारपोरेटेड, यू० एस० एस०
10. श्री राजन नंदा	टाउली पार्ट्स कं० लि० तेहरान (ईरान)
11. श्री पी० एस० मिस्त्री	टाटा ओवरसीज डेवलपमेंट कं० लि०, हांगकांग
12. श्री योगिन्द्रा एन० मफतलाल	मांटगी डाईस्टफ इंडस्ट्रीज लि०, थाइलैंड
13. श्री जयंत जी० पटेल	
14. श्री बी० के० पटेल	
15. श्री अतुल्य वाई० मफतलाल	
16. श्री आर० बी० देसाई	
17. डा० चरत राम	ऊषा इंडस्ट्रीज लि०, श्रीलंका
18. श्री वाई० डी० गुनदेविया	
19. श्री बी० सहाय	
20. श्री एन० पी० एस० सिंह	

1	2	3
21.	श्री एल० एम० थापर	
22.	श्री एस०एस० लाल	
23.	श्री आर० एस० ग्रोवर	
24.	एम० के० रैना	पी० टी० सरस्वती भक्ति कोटेड पेपर, इंडोनेशिया
25.	श्री जी० एस० ग्रेवाल	
26.	श्री आर० एस० ग्रोवर	
27.	श्री एस० सी० मक्कड़	
28.	श्री सुरेन्द्र लाल	
29.	श्री अशोक कृष्णदास	
30.	श्रीमती हेमन्त ए० कृष्णदास	मैसर्स फूलेक्सिकन मलेशिया ए० डी० एन०. बी०
31.	श्री विवेक शाह	एच० डी, मलेशिया
32.	श्री आर० एस० गोयल	
33.	श्री एम० सिंह	नाइजीरिया एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज लि०, नाइजीरिया
34.	श्री आर० एन० जालान	
35.	श्री के० एच० गंगवाल	
36.	श्री सी० के० बिडला	
37.	श्री आर० खेमका	
38.	श्री एल० एम० थापर	फोयनिक्स पल्प एण्ड पेपर कं० लि०, थाइलैंड
39.	श्री एच० जी० अडवानी	के० चेलाराम एण्ड सन्स (लंदन) लि०, लंदन
40.	श्री दिनेश एस० पटेल	ख्वाजा फार्मास्युटिकल सप्लाईज तंजानिया
41.	श्री जनक आर० शाह	
42.	श्री बी० के० बिड़ला	बिड़ला ए० जी० स्विटजरलैंड
43.	श्री अशोक वी० बिड़ला	पी० टी० साउथ पेसिफिक विस्कोस, इंडोनेशिया
44.	श्री जे० सी० अग्रवाल	एविट एशिया लि०, हांगकांग
45.	श्री एस० एन० बहेती	
46.	श्री ब्रज बिनानी	मेटल डिस्ट्रीब्यूटर्स (यू० के०) लि०, लंदन
47.	श्री जी० टी० डेंबला	
48.	श्री यू० के० बजाज	प्रिसीजन बेक्को इन्कारपोरेटेड, यू० एस० ए०
49.	श्री आई० डी० ठक्कर	

1	2	3
50.	श्री शैलेश गोर्धनदास कपाड़िया	मीडिया इंटरनेशनल लि०, लंदन
51.	श्री एस० आर० नानावती	राणा इन्कारपोरेटेड, यू० ए० ए०
52.	श्री सलीम इकबाल शेरवानी	स्लॉप शर्टस (यू० के०) लि०, लंदन
53.	श्री अशेर निसार शेरवानी	फेसिटोरेस्ट लि० इंगलैंड
54.	श्री आर० एन० टाटा	(i) एलेक्सी इंटरनेशनल, केलियुफोर्निया (ii) टाटा-एलेक्सी (प्रा०) लि०, सिंगापुर (iii) फलेनटेक इंटरनेशनल (प्रा०) लि०, सिंगापुर
55.	श्री डी० एन० देसाई	इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एण्ड टेक्सटाइल सर्विसेज प्रा० लि०, सिंगापुर
56.	श्री पी० एस० मिस्त्री	(i) टाट एलेक्सी (प्रा०) लि०, सिंगापुर (ii) एलेक्सी इंटरनेशनल सनीवेल, केलिफ़ोर्निया
57.	श्री वी० जे० एच० क्रैस्टो	पी० टी० मर्क, इंडोनेसिया
58.	श्री एन० के० वागले	नार्थ बोर्निया टिम्वर्स, बरहद, मलेशिया
59.	श्री टी० एन० सुब्बाराव	गेमन मिडेस्ट लि०, शारजाह
60.	श्री धर्मवीर	
61.	श्री एस० एन० भलोदिया	ए० एण्ड एस हेनरी एण्ड कंपनी (डूंडी) लि०,
62.	श्री सी० सी० मनियार	यू० के०
63.	श्री रेशेस एन० मफतलाल	पी० टी० दि स्टैंडर्ड मिल्स इंडस्ट्रीज, इंडोनेसिया
64.	श्री वाई० टी० मानिकलाल	
65.	श्री जगमोहनदास बी० बोडा	जे० बी० बोडा एण्ड एशोसिएटस (सिंगापुर) ब्रे लिमिटेड, सिंगापुर
66.	श्री धीरजलाल बी० बोडा	
67.	श्री भरत कुमार जे० बोडा	
68.	श्री चंद्रकांत बी० सेठ	
69.	श्री एन० एन० रुईया	रूखराय ओवरसीज लि०, यू० के०
70.	श्री जे० ई० तालोलिकर	टाट प्रिसीजन इंस्ट्रीज प्रा० लि०, सिंगापुर
71.	श्री एस० वाई० जगतदार	
72.	श्री एस० के० पोद्दार	एलाइड रेजिन्स (सिंगापुर) प्रा० लि०, सिंगापुर
73.	श्री बी० के० पोद्दार	
74.	श्री एन० सी० श्रीनिवास	बर्नामोरे जूट फैक्टरी कंपनी लि०, लंदन (यू०के०)
75.	श्री एस० राहा	
76.	श्री जे० सेनगुप्ता	क्लोरिड इंटरनेशनल लि०, यू० के०

1	2	3
77.	श्री आनन्द कुमार जैन	
78.	श्री प्रमोद कुमार जैन	एक्सपोर्टस (मारीशस प्राइवेट लि०) मारीशस
79.	श्री विनोद कुमार	
80.	श्री अरुण कुमार जैन	
81.	श्री दीपक कुमार जैन	
82.	श्री एन०एस०एल० नरसिंह	ग्लैक्सो सिलोन लि०, कोलम्बो
83.	श्री जी०डी० थिरानी	नेपाल मेटल कंपनी लि०, नेपाल
84.	श्री एल० आर० समतानी	
85.	श्री मुनीलाल तलक चन्द सेठ	(i) कोटू टेक्सटाइल लि०, लंदन (ii) इंटेस्टिोफिल लि०, लंदन (iii) अरूणोदय टेक्सटाइल्स लि०, लंदन
86.	श्री पी० मरुथई पिल्ले	गीता ऑयल इंडस्ट्रीज एस० डी० एन०, बी० डी० एच०, मलेशिया
87.	श्री० सी० के० बिड़ला	बिड़ला एसोशियेट्स कंपनी लि०, बैंकाक (थाइलैंड)
88.	श्री एच० पी० सिंघी	
89	श्री रमेश चन्द जैन	ट्रांसवर्ल्ड एसोशियेट्स कंपनी लि० बैंकाक, (थाइलैंड)
7C.	श्री पी० जे० सेठ	
91.	श्री सुभाष चन्द जैन	
92.	श्री बी० के० गोस्वामी	ट्वेंटिएथसेन्यूरी बिवेरज प्रा० लि०, सिंगापुर
93.	श्री पी० के० दासगुप्ता	
94.	श्री बी० एल० शाह	
95.	श्री एम० सी० बगरोडिया	थाई पोली फॉस्फेट एण्ड केमिकल्स कंपनी लि०,
96.	श्री आदित्य बी० बिड़ला	बैंकाक (थाइलैंड)
97.	श्री सी० एस० पूनावला	
98.	श्री जेड़० एस० पूनावाला	दुबई ब्लड स्टॉक कंम्पनी लि०, डबलिन
99.	श्री एस० मुलगांवकर	टाटा जाम्बिया लि०, जाम्बिया
100.	श्री एच० के० आडवणी	अल-वेफ इंजीनियर्स लि०, शारजाह, यू० ए० ई०
101.	श्री के० ए० विचारे	
102.	श्री अर्जुन बुलचन्दानी	
103.	श्री एस० एस० बैजल	आई०सी०सी०आई० एक्सप्लोसिव्स इंटरनेशनल
104.	डा० एस० वर्मा	प्रा० लि०, सिंगापुर

1	2	3
105.	श्री एस० मुरूगपु	बेसलिक (सिंगापुर) प्रा० लि०, सिंगापुर
106.	श्री टी. एस. वेंकटेशन	शा बेलेस एण्ड हेजेस लि०, श्रीलंका
107.	श्री टी. रंगनाथन	(i) फोर्ब्स मर्चेंट्स सिंगापुर प्रा०, लि०, सिंगापुर (ii) फोर्ब्स मर्चेंट्स ए० जी० जुग, स्विटजरलैंड
108.	श्री० डी० जे० मदान	(i) पी० टी० गोकक, इंडोनेशिया (ii) फोर्ब्स मर्चेन्ट्स ए० जी० जुग, स्विटजरलैंड
109.	श्री एन० ए० पालकीवाला	टाटा जाम्बिया लि०, जाम्बिया
110.	श्री बसंत कुमार झावर	(i) उषा सियाम स्टील इंडस्ट्रीज लि०, थाइलैंड (ii) यूनिस उषा स्टील रोप्स फैक्टरी, यूगोस्लाविया
111.	श्री बृजकिशोर झावर	उषा सियाम स्टील इंडस्ट्रीज, थाइलैंड
112.	श्री प्रकाश दरयानी	उषा सियाम स्टील इंडस्ट्रीज, थाइलैंड
113.	ओ० पी० कपिला	
114.	श्री बी. पी. टेकरीवाल	(i) उषा सियाम स्टील इंडस्ट्रीज लि०, थाइलैंड
115.	ओ० राना प्रताप	(ii) यूनिस उषा स्टील रोप्स फैक्टरी, यूगोस्लाविया
116.	श्री बसन्त कुमार	मार्टिन ब्लैक लिमिटेड, स्कॉटलैंड, यू० के०
117.	श्री एच० एल० सोमानी	उषा सियाम स्टील इंडस्ट्री लि०, बैंकाक
1982		
1.	श्री एम० जी० जानी	(i) केमरून इलेक्ट्रिक केबल्स, एस० ए० केमरून (ii) दि मेहता पोटर्स लि०, लन्दन (iii) दि मेहता डेवलपमेंट कं० लि०, लंदन
2.	श्री एच० डी० वाही	(i) असम इन्वेस्टमेंट लि०, यू० के० (i) डंकन मेकनिल एण्ड कंपनी लि०, यू० के०
3.	श्री पी० एम० विसानजी	एक्सपोर्ट सर्विसेज (सिंगापुर) प्रा० लि०, सिंगापूर
4.	श्री आर० एम० गोकुलदास	
5.	डी. एम. खटाऊ	किमुसु कॉटन मिल्स लि०, किमुसु केन्या (ईस्ट अफ्रीका)
6.	श्री एम० डी० गोकुलदास	
7.	श्री के० डी० खटाऊ	
8.	श्री डी० डी० खटाऊ	
9.	श्री ए० एन० हक्सर	एल्फिटकार्प इण्टरनेशनल प्रा० लि०, दुबई, यू० ए० ई०
10.	श्री जे० एन० सप्रू	
11.	श्री आर० के० लक्ष्मण	
12.	श्री एस० बी० एबारा	

1	2	3
13.	श्री के० राजगोपालचारी	एशियन पेंट्स (टोंगा) लि० बड एलोफा, टोंगा
14.	श्री कैलाश सी० गुप्ता	सुमंगलम इम्पेक्स प्रा० लि०, सिंगापुर
15.	श्री सत्देव पी० सिन्हा	सी० एम० एस० आफ ओकविले लि०, कनाडा
16.	श्री एन० एम० देसाई	लारसन एण्ड टोबरो (सिंगापुर) प्रा० लि०, सिंगापुर
17.	श्री यू० वी० राव	
18.	श्री एम० एच० फरंवानी	
19.	श्री डी० वी तनेजा	ओवेना बैंक (नाइजीरिया) लि०, नाइजीरिया
20.	श्री रामेश्वर राव	संगम बुक्स लि०, यू० के०
21.	श्री ई० राघवन	
22.	श्री राहुल बजाज	बजाज अमेरिका इन्कारपोरेटिड, यू० एस० ए०
23.	श्री डी० एस० मेहता	
24.	श्री टी० एस० वेंकटेशन	शा वैलेस ओवरसीज लि०, यू० के०
25.	श्री जे० भार्गव	
26.	श्री जी० पी० ओमान	
27.	श्री आर० एच० डालमिया	1. ग्लोवल डाल्टन ट्रेडिंग कं० लि०, यू० के० 2. डंड्रम ग्रेनाइट इण्टरनेशनल लि०, डबलिन (रिपब्लिक आफ आयरलैण्ड)
28.	श्री पी० एस० मिस्त्री	ऐस्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी, दोहा कातार
29.	श्री पी० एन० मिस्त्री	
30.	श्री एस० चरणजीत सिंह	कैम्पा इण्टरनेशनल लिमिटेड
31.	श्री एस० दलजीत सिंह	हांगकांग
32.	श्री एस० चरणजीत सिंह	हिलटोप टोटलिंग कम्पनी लिमिटेड, जोस, नाइजिरिया
33.	श्री गोविन्द हिन्सरे	जेट इम्पो एण्ड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
34.	श्री पी० एन० अमेरसी	ए० जे० मिलट न (लंका) प्राईवेट, कोलम्बो, श्रीलंका
35.	श्री एन० ए० देसाई	
36	श्री के० के० अरोडा	मैसर्स स्मिथ क्लीन एण्ड फ्रेंच (इण्डिया)
37.	श्री बी० के० प्रसाद	लिमिटेड, वैलवाइन, गार्डन सिटी, यू० के०
38.	श्री के० के० अरोड़ा	एस्केलैब लिमिटेड, लन्दन, यू०के०
39.	श्री ए० एच० तोबाकोवला	इन्सास (प्राइवेट) लिमिटेड, सिंगापुर

1	2	3
40.	श्री नानी जेम्सहेदजी जीजीवोहे	लालबका इरिगेशन एण्ड वेल ड्रिलिंग कम्पनी एल० एल० सी०) मरूपत
41.	श्री सुन्दर कांसिंग रामचन्दानी	
42.	श्री ए० एच० तोबाकोवाला	वार्क्स पाईलिंग लिमिटेड, कोलम्बो,
43.	श्री एन० जे० जीजीबोडे	श्रीलंका
44.	श्री जी० ए० आर० शेख	
45.	श्री जी० ए० आर० शेख	लालबकेस इरिगेशन एण्ड बैल ड्रिलिंग कंपनी (एल० एल० सी०), मुसकेट
46.	जमशेद एन० गोदरेज	गोदरेज (सिंगापुर) प्राईवेट, लिमिटेड,
47.	श्री केकहुसरू एन० नौरोजी	सिंगापुर
48.	श्री हरीश आई० बुवा	दर्शन ओवर सिंस प्राइवेट, लिमिटेड, सिंगापुर
49.	श्रीमती कुमुद एन० बुवा	
50.	श्री प्रफुल्ल आई० बुवा	
51.	श्री चन्दरकान्त आई० बुवा	
52.	श्री डी० एस० एस० रेड्डी	प्राबालाजी इन्टरप्राईज मालदीव लिमिटेड, मालदीव इण्डस्ट्रियल
53.	श्री अशीश पी० कमानी	बिलादेन के० एम० ए० इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
54.	श्री बुपेन सी० दलाल	जेद्दा सऊदी अरदिया
55.	श्री आर० एन० टाटा	1. टाटा इन्टरनेशनल ए० सी० स्विटरलैण्ड 2 टाटा लिमिटेड, लन्दन
56.	श्री आदि जे० कटगरा	ट्रेवेंडिया इन्कारपोरोटेड एंजल्स केली फोर्निया
57.	श्री नारीमैन जे० कटरा	
58	श्री अरविंद एन० पारिख	
59.	श्री भगवान जे० कोटक	
60.	नरेश जे० कोटक	
61.	डा० जगदीश एन० पारिख	
62.	श्री आर० जे० शहानी	मैसर्स लिलैंड ग्रुप लि०, यू० के०
63.	श्री एन०एन० अटल	1. मेकलो रसल पी०एल०सी०इन्कोरपोटेड इन यू०के 2. असम ट्रेडिंग (होल्डिंग्स) प्रा०, यू० के० 3. आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लि०, यू० के० 4. ईस्टर्न हाईलैन्ड टी इस्टेट्स (प्रा०) जिम्बाबवे 5. बारैन एलांटेशन प्राइवेट लि०, न्यू गयाना
64.	श्री जे० ए० ताक्तावाला	बलभ ग्लास सिंगापुर प्रा० लि०, सिंगापुर

1	2	3
65.	श्री सी० ए० ताक्तावाला	
66.	श्री ए० एस० वारडेकर	
67.	श्री पी० डी० राजे	अरेबियन इरेक्टर्स रियाद सऊदी अरेबिया
68.	श्री एम० आर० जुगलंकर	
69.	श्री जी० डी० वारडेकर	
70.	श्री प्रेमनाथ नन्दा	नीता साइकिल लि०, कोलम्बो, श्रीलंका
71.	श्री आर० के० सेठी	इण्डिया मलेशिया टैक्सटाइल्स, बरहाद, मलेशिया
72.	श्री के० के० बिरला	
73.	श्री शैलेन्द्र मित्तल	हिन्द होटल्स इन्टरनेशनल लि०, सिंगापुर
74.	श्री राजन संघी	आटो एन्सिलियरी मैन्युफैक्चरिंग लि०, बरहाद, क्वालालमपुर, अलेशिया
75.	श्री एस० के० खधारी	(i) काक्स एण्ड किंग्स लि० लन्दन, यू० के० (ii) काक्स एन्ड किंग्स ट्रैवल लि०, लन्दन, यू० के०
76.	श्री कौलाडी गोपाल बलराम	मल्टी एक्सिम लि०, जर्सी आइलैण्ड, यू० के०
77.	श्री शंकर रामकृष्णन बस्तीकर	
78.	श्री रासुनी कुनीशंकर मेनन	
79.	श्री एन० के० गोयनका	मैसर्स ईस्ट अफ्रीका हैवी केमिकल्स लि०, केन्या
80.	श्री आर. ए० गोयनका	
81.	श्री डी० एन० सरकार	गैस्टैटनर बंगलादेश लि०, ढाका
82.	श्री एस० आर० नानावती	1. मास्कट इन्क इन्कोरपोरेटेड इन केलीफोर्निया एस० ऐ० टपमोन इन्कोरिपोरेटेड, यू० एस० ए०
83.	श्री हरी शंकर सिंघानिया	
84.	श्री विजयपत सिंघानिया	जेकायोर्ग (हांगकांग) लि०, हांगकांग
85.	श्री सूर हरी सिंघानिया	
86.	श्री जी० एल० लथ	कोमट्रेड (एशिया) प्रा० लि०, सिंगापुर
87.	श्री देवराजुलू जयवारथानावली	एन्सास प्रा० लि०, सियापुर
88.	श्री सी० यू० शाह	मारिकन एण्ड सन्स (मलेशिया) सिंगापुर
89.	श्री नरेश गोयल	बोन्टी फुल एस० ए० बुसेल्स बेल्जियम
90.	श्री सुरेन्द्र गोयल	
91.	श्री प्रवेश चन्द जैन	पी० एस० जे० प्रभु टैक्सटाइल्स कंपनी लि०, बैंकाक
92.	श्री चन्द्रकान्त वल्लभदास सेठ	थाइलैण्ड

1	2	3
93.	श्री जगमोहनदास बोडा	
94.	श्री डी०बी० बोडा	जे० बी० एण्ड कम्पनी (सिंगापुर) प्रा०लि०, सिंगापुर
95.	श्री बी० जे० बोडा	
96.	श्री बोनी स्कूवाल्ड	ग्लोबल कटलूक, ओटावा, कनाडा
97.	श्री एस० मोलगोकर	टाटा ओवरसीज डेवलपमैंट कंपनी (यू० के०) लि० लन्दन
98.	श्री जे० ई० तालीलीकर	टाटा एलेक्सी (प्राइवेट) लिमिटेड, सिंगापुर
99.	श्री जी० बी० भट्ट	
100.	श्री एम० एस० कापर	घराका नगरी लक्ष्मी टेक्सटाइल्स
101.	श्री बी० के० बाल्का	(सी० एन० एल० टी०) मलेशिया
102.	श्री डी० एस० सेठ	(i) ट्राइटी इन्क एन० जे० यू० एस० ए० (ii) अंगेलिया आयल लिमिटेड, लंदन, यू० के०
103.	श्री एन० शंकर	
104.	श्री एन० कुमार	ड्यूरा मेटालिक एशिया प्राईवेट लिमिटेड,
105	श्री आर० रामचन्द्रन	सिंगापुर
106	श्री बी० सी० दलाल	सिफको (यू०के) लिमिटेड, लन्दन, यू० के०
107	श्री के० आर० संपत	
108.	श्री पालेन्जी एस० मित्री	टाटा ओवरसीज डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, लंदन, यू० के०
109.	श्री ए० के० हिरजी	(i) बोम्बे तंजानिया टी कंपनी लिमिटेड, तंजानिया (ii) एम० बी० दी इन्डो जावा रबर प्लानटिंग एण्ड ट्रेडिंग कंपनी, जकार्ता, इन्डोनेशिया (iii) दी नार्थ बोर्नो टिम्बर बरहाद, मलेशिया (लीला लैण्ड ऐडेरियन बरहाद, मलेशिया
110.	श्री बी० के० केडिया	(i) जयकायोगं ए० जी० जुग, स्विटजरलैण्ड (ii) दी रेमोन्ड बूल्लन मिल्स लिमिटेड, केनिया (iii) पी० टी० जेके, फाइल्स इन्डोनेशिया
111.	श्री प्रेम विहारी वेद	(i) बरूक एण्ड टाइलोर लिमिटेड, यू० एस० ए० (ii) जे० के० इग्लैण्ड लिमिटेड
112.	श्री आर० पी० चौधरी	पी० टी० जयकी फिल्स इंडोनेशिया
113.	श्री अजेयपत सिगांनिया	पी० टी० जयकी फिल्स, इन्डोनेशिया
114.	श्री के० बी० अम्बर	

1	2	3
115.	श्री एच० के० केडिया	मैसर्स रेमन्ड ल बूलन मिल्स लिमिटेड, केन्या
116.	श्री कमलजीत सिंह	सीलोन मैच कंपनी लिमिटेड, श्रीलंका
117.	श्री बी० सी० दलाल	मरकेन्टाइल फानानशिल बरोकरस लिमिटेड श्रीलंका
118.	श्री के० आर० सम्पत	मरकेन्टाइल स्टोक ब्रोकर्स लिमिटेड, श्रीलंका
1980		
1.	श्री हर नाथ कपूर	टेकनिकल एण्ड सिस्टम कन्सलटेन्टस लिमिटेड,
2.	श्री आर० बी० बहेतो	स्टील टयूब आफ सिंगापुर प्राईवेट लिमिटेड,
3.	श्री के० एन० गर्ग	सिंगापुर
4.	श्री एन० आर०	
5.	श्री गुरुस्वरूप गुरुस्वामाराव	
6.	श्री राजन ए० किलाचन्द	डोडसल जी० एम० बी० एच०, वैस्ट जर्मनी
7.	श्री टी० एस० कृष्णन	लंका अशोक लेलैण्ड लिमिटेड श्रीलंका
8.	श्री आर०, घोसासई	
9.	श्री रौनक सिंह	पी० टी० नूसनतारा सुप्रा कैमिकल्स
10.	श्री वी० के० हजेला	इन्डस्ट्री जकार्ता, इन्डोनेशिया
11.	श्री० ए० पी० भल्ला	बाल्मेर लाडरी (यू० ए० ई०) लिमिटेड, दुबाई
12.	श्री एस० एस० खन्ना	
13.	श्री एस० के० सिंहा	
14.	श्री विक्रम तन्नान	मेडीकेप लिमिटेड, बैंकाक, थाईलैण्ड
15.	श्री जे० एम० मोदी	यूनिक-वेसिटी नाइजीरिया लिमिटेड, नाइजीरिया
16.	डी० बी० मोदी	
17.	श्री एस० बी० मोदी	
18.	श्री के० एस० राममूर्ति	जनरल पैकिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट, लिमिटेड,
19.	श्रीमती मालती राममूर्ति	बोत्स वाना
20.	श्री जे० आर० जगरात	डिजाइन एनलिसिस एण्ड सोफ्टवेयर इन्जीनियरिंग इंक, यू० एस० ए०
21.	श्री रौनक सिंह	पावरकम प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
22.	श्री वी० के० हजेला	
23.	श्री वी० के० कुरीयन	मोनार्क ट्रैडिंग कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड,
24.	श्री सीताराम सिंघानिया	जापान

1	2	3
25.	श्री सोहनलाल सिंगानिया	अफ्रीका सिन्थेटिक फाइबर्स लिमिटेड
26.	श्री डा० गौर हरी सिंगानिया	नैरोबी केनिया
27.	श्री गोपाल कृष्ण सिंह	
28.	श्री ए० के० सिंगानिया	
29.	श्री बी० के० श्रीया	
30.	श्री एफ० सी० रस्तोगी	
31.	श्री सी० आर० रामकृष्णन	इन्जीनियरिंग कंसट्रक्शन एण्ड सर्विसेज
32.	श्री एच० जे० अमिन	इन्टरनेशनल, बैहरीन
33.	श्री आर० के० सचदेव	डाटा मनेजमैंट सर्विसज (बैहरीन) लिमिटेड बैहरीन
34.	श्री एच० एस० सोनावाला	हिन्दट्रान इण्टर इन्कारपोरेटेड यू० एस० ए०
35.	श्री जी० एस० अग्रवाल	इम्पीरियल इन्डस्ट्रीयल कैमिकल्स (थाईलैण्ड) कम्पनी लिमिटेड, थाईलैण्ड
36.	श्री डी० डी० साठे	एत्रीट (यूरोप) लिमिटेड लन्दन
37.	श्री स्यामल गुप्ता	(i) टाटा जाम्बिया लिमिटेड, जाम्बिया (ii) मुकुम्बी एग्रीकल्चर एण्ड टेकनिकल सर्विसेज कम्पनी लिमिटेड, जाम्बिया
38.	श्री एस० के० बसाके	
39.	श्री अमरजीत सिंह	जोनसन एण्ड निकोल्सन (नेपाल)
40.	श्री एस० सुब्रवाल	प्राईवेट लिमिटेड, नेपाल
41.	श्री पी० एस० चावला	
42.	श्री संजय सेन	जनरल रबर प्राडक्ट्स (पी)
43.	श्री इन्द्राणी बिशवास	लिमिटेड, कोलम्बो
44.	श्री मन्नू पटेल	
45.	श्री एफ० ए० मेहता	पी० टी० जोकाक, इन्डोनेशिया
46.	श्री चरणजीत सिंह	सी० जे० सोफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड, यू० के०
47.	श्री एम० के० झावर	डेबेनहाल्ट लिमिटेड, यू० के०
48.	श्री महेश खेमका	एमियनटीट रबर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,
49.	श्री ओमप्रकाश जलान	सऊदी अरबिया
50.	श्री एस० के० घोष	(i) भारत ओवसीज कारपोरेशन, न्यूयार्क यू० एस० ए० (ii) यूगांडा बैग्स एण्ड हेसीन मिल्स लिमिटेड, टोकोरो, यूगांडा

1	2	3
51.	श्री बी० जी० बिड़ला	इन्टस्ट्रीयल इन्टरप्राईज (यू० के०) लिमिटे, यू० के०
52.	श्री टी० विजयाराघवन	यूनाइटेड कम्पयूटरर्स एण्ड मनेजमैंट कन्सलटेन्ट लिमिटेड, दुबाई
53.	श्री एस० सी० कोली	
54.	श्री यश पी० सावित्री	
55.	श्री एन० बी० दारूवाला	(i) व्हाइटलाईन लिमिटेड, लन्दन (ii) जाना कारपोरेशन न्यूयार्क, यू० एस० ए० (iii) लेक्स ताज कारपोरेशन एन० बी० न्यूयार्क
1984		
1.	श्री जयंत बी० मांडलिक	टेक्नोक्रेट्स इन्कारपोरेटेड, शिकागों यू० एस० ए०
2.	श्री बी० आर० शुले	
3.	श्री बी० डी० सूजा	मागुब्रद हेलास एस० ए० ग्रीस
4.	श्री जी० एन० कक्कड़	
5.	श्री के० के० बसर	
6.	श्री विजय अयंगर	
7.	श्री असिम डे	प्राइस वाटरहाऊस लंका (प्राइवेट) लिमिटेड, श्रीलंका
8.	श्री पेसी कुशरु चौकसी	
9.	श्री दिली डी० खटाऊ	(i) युका इंटरनेशनल ए० जी० लेश्टेंस्टीन (ii) अफ्रीकोसेन ए० जो० स्विटजर लैंड (iii) अफ्रोकोसेन लि०, चैनल आइलैंड (iv) आटो एनसिलियरी मैन्युफैक्चर्स, सोडिरियन बरहाद लंदन (v) रूखराय (ओवरसीज) लि०, लंदन (vi) टेक्नोकंसल्ट लि०, चेनल आइलैंड (vii) किसुमु कॉटन मिल्स लि०, केन्या रोटरी स्क्रीन्स आफ एशिया प्रा० लि०, सिंगापुर
10.	डा० आर० के० माकर	मेकर्स इंटनेशनल लिमिटेड, यू० के०
11.	मिसेज एन० आर० गुप्ता	सूयाटोबेको कंपनी (प्रा०) लि० काठमांडू नेपाल
12.	श्री ए० एन० हक्सर	(i) टाय प्रिसीजन इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, सिंगापुर (ii) टाटा इंजीनियरिंग सर्विस (प्रा०,) लिमिटेड, सिंगापुर
13.	श्री एस० कृष्णामूर्ति	
14.	श्री एस० पी० भूपाल	भारंगी टी कंपनी लिमिटेड, यू० के०

1	2	3
15.	श्री नंदकिशोर कासलीवाल	प्रेसेल इंटरनेशनल इंगलैंण्ड (यू० के०)
16.	श्री बी० एस० नारायण	इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी एक्सपोर्ट कारपोरेशन, अल्बर्टा, कनाडा
17.	श्री बृज मोहन खैताना	विलियमसन टी होल्डिंग्स लि०, लंदन (यू० के०)
18.	श्री पी० आर० गुप्ता	(i) एजरोब लिमिटेड, लंदन (ii) पोशबोर्न लिमिटेड, लंदन
19.	श्री अशोक कुमार मोदी	केरल जेसेलशाफट सर्विसज इन्कारपोरेटेड, यू० एस० ए०
20.	श्री एस० एफ़० सय्यद युसूफ	ओबीडन लिमिटेड लंदन (यू० के०)
21.	श्री आर० एच० डालमिया	दि० डाल्टन प्रापर्टी कंपनी लिमिटेड, यू० के०
22.	श्री मंगल सिंह	(i) ईस्ट अफ्रीकन सुगर इंडस्ट्रील लिमिटेड, केन्या (ii) साऊथ न्याजा सुगर कं० लि०, (iii) एग्रो केमिकल एण्ड फूड क० लि०, केन्या
23.	श्री वी० रामकृष्णन	स्वेन्सर इंटरनेशनल, यू० एस० ए०
24,	श्री राजपाल सिंह चौधरी	एशियन रिकार्डेड लि०, लंदन (यू० के०)
25.	श्री ए० एस० पोपलई	
26.	श्री अंबालय नारायण	
27.	श्री जगदीश नारायण सप्रू	
28.	श्री आर० [illegible]	
29.	श्री एन० के० [illegible]	
30.	श्री जगमोहन खन्ना	
31.	श्री जगदीश नारायण सप्रू	
32.	श्री समीर घोष	सूर्या टोबेको कंपनी प्रा० लि०, नेपाल
33.	श्री शिव कुमार लाढ़ा	
34.	श्री शिव कुमार लाढा	एडवांस बियरिंग सर्विसेज इन्कारपोरेड, यू० एस० ए०
35.	श्री आर० एन० टाटा	टाटा इन्कारपोरेटेड, न्यूयार्क यू० एस० ए०
36.	श्री जे० आर० डी० टाटा	(i) टाटा लि०, लंदन (ii) टाटा इंकारपोरेटेड, न्यूयार्क, यू० एस० ए० (iii) टाटा इंटरनेशनल ए० जी० जुग, स्विटजरलैंड

1	2	3
	1985	
1.	श्री आर० पी० अय्यर	बम्बई सबबंन सऊदी अरबिया कंपनी
2.	श्री के० वी० चौधल	लि०, सऊदी अरबिया
3.	श्री के० रविन्द्र	इलेक्ट्रोनिक रिसर्च एनालिसीज इन्वारपीरीटेड ए० यू० एस० ए०
4.	कु० सी० पंजाबी	ताज इंटरनेशनल होटल्स इन्कारपोरेटेड न्यूयार्क, यू० एस० ए०
5.	श्री एस० पी० चिबनिस	टांटियाना लाहन्स प्राइवेट लि०,
6.	श्री के० पदमनाभ राव	सिंगापुर
7.	श्री टी० टी० जगन्नाथन	
8.	श्री टी० टी० रघुनाथन	टी० टी० एण्ड डी० डी० हो जियर्स लिमिटेड,
9.	श्री जे० श्रीनिवासन	मारीशस
10.	श्री एम० सी० रामकृष्ण	
11.	श्री ए० आर० कृष्णा	
12.	श्री सय्यद मीरा	शमीरा रियल्टी प्रा० लि०, सिंगापुर
13.	श्री एस० बीरेन्द्र	मेहुल ट्रेडिंग लि० यू० के०
14.	श्री अजिम हशाम प्रेमजी	एक्सीटान इन्वारपोरेटेड, केलिफोर्निया,
15.	श्री अशोक नरसिंहन	यू० एस० ए०
16.	श्री एस० के० भसीन	जेंटिना वेली टी कंपनी लि०, यू० के०
17.	श्री रवि डाबर	एकोरडिया लिमिटेड, लंदन, यू० के०
18.	श्री एम० एम० तोशनीवाल	यू० सी० आई० एल० जाबिया फार्मास्यूटिकल
19.	श्री आर० बी० पटेल	लि० लागो नाइजीरिया
20.	श्री एस० के० बिड़ला	नेलफिको प्रीमियर आयल सोडिरियन बरहाद, मलेशिया
21.	श्री ए० हफीजुर रहमान	अल-हदीद इंटरनेशनल ट्रेडिंग लि०, सिंगापुर
22.	श्री श्यामल गुप्ता	
23.	श्री ए० बी० केरकर	टाटा इन्कारपोरेटेड, न्यूयार्क
24.	श्री आदित्य कश्यप	यू० एस० ए०
25.	श्री जे० ई० ताल मुलिकर	तदैव
26.	श्री डी० खैतान	माजुली टी होल्डिंग्स लि० यू० के०
27.	श्री एच० एल० कोठारी	टेक्सटाइल स्पेशियलिटीज (नाइजीरिया) लि०, लागोस, नाइजीरिया
28.	श्री के० राज गोपालचारी	एशियन पेंट्स (एस आई) लि० सोलोमन, आइलैंड, साउथ पेसिफिक

परिशिष्ट-ख

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूर्व अनुमति नहीं ली थी लेकिन जिन्होंने बाद में आवेदन किया था और उन्हें 1974-1985 की अवधि के दौरान विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशकों के रूप में उनके संयोजन-लगातार संयोजन के लिये सरकारी अनुमोदन दे दिया गया था, के नामों को सूचित करने वाला विवरण

क्रम सं०	नाम	विदेश स्थित कम्पनी
1.	श्री जे०एच० दोषी	मल्टीबिस (सिंगापुर) प्रा० लि०, सिंगापुर
2.	श्री एम० डी० पोडार	भारत ओवरसीज कारपोरेशन, यू० एस० ए०
3.	श्री बी० आर० बडेरा	इस्टरन आपरेशनस आफ इन्टर-स्टेट इक्विपमेंट कारपोरेशन, यू० एस० ए०
4.	श्री डी० राधा	ज्वाइंट वेंचर मार्किटिंग कम्पनी, यू० के०
5.	श्री विनोद के० खन्ना	एस० एण्ड आर० इन्टरनेशनल (मारीशस) लि०
6.	श्री ए० एच० डालमिया	ग्लोबल डल्टन ट्रेडिंग कम्पनी लि०, यू० के०
7.	श्री एन० आर० रूइया	रूखराय (ओवरसीज) लि०, यू० के०
8.	जे० ई० तालूलिकार	टेटब इन्डस्ट्रीज स्डेन लि०, मलेशिया
9.	एस० वाई० जस्तदार	
10.	श्री आर० वी० करकोर	इण्डियन ह्यूम पाइप कं० (कोलम्बो) लि०
11	सादिक फुटहैली	एन० फुटहैली लि०, ओसाका जापान
12.	अमिल डाडा	सिया इण्डो टूल्स लि० बेंकाक, थाइलैंड
13.	श्री एम० एल० खेमका	
14.	श्री ए० बी शास्त्री	
15.	श्री वी० जे० कास्टो	पी० टी० मेरक, इण्डोनेशिया
16.	श्री टी० एन० सुब्बा राव	गमोन मिडेस्ट लि०, शारजाह
17.	श्री धर्मवीर	
18.	श्री ए० एन० रूइया	रूखराय ओवरसीज लि०, यू० के०
19.	श्री रंजन सांघी	मै० आटो एनसिलरी मैन्युफैक्चरर्स स्डेन मड, कुलाल्यूमोर; मलेशिया
20.	श्री के० के० बिरला	इण्डिया मलेशिया टेक्सटाइलस बेरहड, मलेशिया
21.	श्री एस० के० कंधारी	(i) मै० काक्स एण्ड किंग्स ट्रेवल लि, लन्दन (यू०के०) (ii) मै० काक्स एण्ड किंग्स लि०, लन्दन (यू० के०)
22.	डा० आर० बी० बहेती	मै० स्टील ट्यूब्स आफ सिंगापुर प्रा० लि०, सिंगापुर
32.	श्री के० एन० गर्ग	
24.	श्री एम० आर० श्राफ	

1	2	3
25.	श्री टी० एस० कण्णन	मैं० लंका अशोक लेलैंड लि०, श्रीलंका
26.	श्री सीताराम सिंघानिया	अफ्रीका सिन्थेटिक फाइबर्स लि०, केन्या
27.	श्री सोहनलाल सिंघानिया	
28.	डा० गौर हरी सिंघानिया	
29.	श्री ए० के० सिंघानिया	
30.	श्री बी० के० श्रीया	
31.	श्री एफ० सी० एस्तोगी	

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं यह जरूर कहूंगा कि उत्तर तो विस्तृत है परन्तु उतना ही अर्थहीन है।

अध्यक्ष महोदय : आज आप कवि की तरह बोल रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : भाग (क) में मैंने उन भारतीयों के नाम पूछे हैं जो वर्ष 1974 और 1985 के बीच विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये थे। उन्होंने अपने उत्तर (ग) में उन भारतीयों के नाम दिए हैं जिन्हें विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति भी मिल गई। उन लोगों के नामों की सूची नहीं दी गई है। जो विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशक नियुक्त किए गए लेकिन जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति नहीं मिली। एक तो यह बात है।

दूसरी बात है : विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना विदेश स्थित कम्पनी का निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी हालत में किस प्रकार सैकड़ों प्रतिष्ठित भारतीय व्यक्ति पहले विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशक नियुक्त किए गए और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने में भी सफल रहे। आप के अनुसार ये लोग देश में सबसे ऊंचे तबके के व्यक्ति हैं।

श्री ब्रह्म दत्त : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में कि उन व्यक्तियों के नाम नहीं दिए गए हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया था या अनुमति नहीं दी गई थी। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के तीन या चार मामले हैं। एक तो हैं श्री बीं० के० बिरला, दूसरे श्री ललित थापर और शायद दो मामले किर्लोस्कर के हैं। विदेशीं मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 27 के तहत केन्द्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है न कि भारतीय रिजर्व बैंक की। इस निदेशक के पद के लिए काफी विवाद है। हम निदेशक के पद को एक तरह की 'एसोसिएशन' मानते रहे हैं जबकि पूर्व में या अब जिन व्यक्तियों को निदेशक नियुक्त किया गया है वे लोग कहते हैं कि निदेशक का पद 'एसोसिएशन' नहीं है और इस मामले पर अब किसी भी अदालत द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है।

अतः हम बहुत ही उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं यदि किसी व्यक्ति ने फेरा या अन्य किसी विनियम का उल्लंघन न किया हो तो हम उस आमतौर पर इजाजत दे देते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारी समाजवादी सरकार इस तरह के मामलों में बहुत ही उदार है। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भारतीयों को विदेश स्थित कम्पनियों में निदेशक के पद पर नियुक्त करना 'फेरा' के तहत अपराध है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ विवादों के कारण सरकार उदार दृष्टिकोण अपना रही है। जब तक अदालत इस विवाद को सुलझा नहीं देती सरकार को अपनी बात पर अटल रहना

चाहिए। इस समय सरकार की स्थिति यह है कि किसी भी भारतीय को जैसा भी स्थिति हो रिजर्व बैंक या सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेश स्थित कम्पनी का निदेशक नियुक्त नहीं किया जायेगा। प्रश्न यह है : सरकार अपनी बात पर स्थिर क्यों नहीं रही। क्यों नहीं सरकार अपने नियमों पर अड़ी रही। यह अलग बात है या इस प्रावधान को अदालत में सफलतापूर्वक चुनौती दी जाती ।

महोदय, एक और प्रश्न के बारे में, उन्होंने सिर्फ चार भारतीयों के नाम बताये हैं जिन्हें कि उनके अनुसार, रिजर्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के विदेश स्थित कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें भारत सरकार की अनुमति भी नहीं मिल सकी। परन्तु महोदय, उन्होंने एक नाम नहीं बताया है। वह नाम सूची में नहीं है—श्री माधव राव सिंधिया का नाम। वे पश्चिम जर्मनी की मैसर्स एफ० एच० शुले कम्पनी तथा कनाडा की मैसर्स रेडले कोटन मिल्स के निदेशक थे। उन्होंने रिजर्व बैंक की अनुमति नहीं ली क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, माननीय सदस्य ने जो श्री माधव राव सिंधिया के नाम का उल्लेख किया है मैं उस बारे में स्थिति स्पष्ट करूंगा। हमने रिजर्व बैंक तथा अपने प्रवर्त्तन निदेशालय से जांच पड़ताल की है। हमने लोक सभा सचिवालय को सूचना दे दी है या देने जा रहे हैं कि श्री सिंधिया ने जून, 1975 में सरकार को सूचना दे दी थी कि वे तीन कम्पनियों के निदेशक हैं जो कि 'फेरा' के पूर्व से विद्यमान हैं। पहली थी मैसर्स एफ० एच० शुले, जी० एम० बी० एच०, पश्चिम जर्मनी, दूसरी मैसर्स रेडले कोटन मिल्स, कनाडा तथा तीसरी मैसर्स फोर्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, श्रीलंका। 1975 में उन्होंने इनके निदेशक बने रहने की अनुमति मांगी थी। बाद में श्री सिंधिया ने रिजर्व बैंक को सूचना दी कि उन्होंने एफ० एच० शुले, जी० एम० बी० एच० पश्चिम जर्मनी के निदेशक पद को 1979 में छोड़ दिया है तथा मंत्री बनने पर 1984 में उन्होंने अन्य कम्पनियों के निदेशक के पद से भी त्यागपत्र दे दिया। हमने रिज़र्व बैंक से पूछ ताछ की है और उन्होंने इसकी पुष्टि की। इसलिए किसी भी तरह उल्लंघन की बात नहीं पायी गयी क्योंकि ये 'फेरा' के लागू होने से पहले की थी तथा साथ ही साथ ये उनको विरासत में भी मिली थी। ...(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उत्तर सही नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तीसरा नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कृपया मेरी बात सुनिए। 'फेरा' 1953 में लागू किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : 'फेरा' जिस वर्ष में लागू हुआ; उन्हें हमें बताने दीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : फेरा 1953 में लागू किया गया था। 1973 में इसमें संशोधन किया गया था। वह 1975 में निदेशक बने। वह ऐसा किस तरह से कह रहे हैं कि फेरा के लागू होने से पूर्व ही वे निदेशक के पद पर थे? (व्यवधान)

मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कर बैठ जाईये उन्हें जबाब देने दीजिए।

श्री ब्रह्म दत्त : विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 में बना है वह 1953 में कैसे लागू हो सकता है? (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, श्री मुरली देवरा हमें बता सकते हैं; वे इस विषय में दक्ष हैं। महोदय, यह सांविधि किताब में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से चला आ रहा है। महोदय मैं सदन का संरक्षण चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखने दीजिए। आप बार-बार बीच में मत टोकिए। माननीय मंत्री जी, क्या आप स्पष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : निदेशक के पद को धारा 27 के अधीन नियंत्रित किया जाता है। ऐसा पुराने अधिनियम में नहीं था। यह 1973 के अधिनियम में शामिल किया गया था तथा 1 अप्रैल, 1974 से लागू किया गया था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उनके अपने कथन के अनुसार वे 1975 में निदेशक बने तथा एफ० एच० शुले के सन् 1979 तक निदेशक रहे। फोर्ट इन्वेस्टमेंट तथा रेडले कोटन मिल्स के निदेशक 1984 तक रहे। 'फेरा' प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इन तीन विदेश स्थित कम्पनियों के निदेशक रहे। ···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, सिर्फ एक व्यक्ति को ही उत्तर देना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि जब यह धारा 26 लागू की गई थी तो क्या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। निदेशक बने रहने के लिए क्या अनुमति लेना आवश्य नहीं है ?

श्री ब्रह्म दत्त : जी हाँ, श्री सिंधिया ने 1975 में आवेदन किया था।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या उन्हें अनुमति मिली ? ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री ब्रह्म दत्त : जब आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जा रही थी तो उन्होंने हमें सूचना दी कि वो अब निदेशक नहीं हैं। मैंने आपको ब्यौरा दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : कितने समय से उस पर कार्यवाही की जा रही थी ? ···(**व्यवधान**)

श्री ब्रह्म दत्त : यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरे ब्यौरे दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने शुरू में नहीं दिए। सदन को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें क्यों नहीं बोलने देते ? बीच में मत बोलिए। अब उन्हें उत्तर देने दीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। उन्हें बोलने दीजिए।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बीच में बोल रहे है, बैठ जाइए। बीच में बोलने की आदत कब से पड़ गई है। आप तो भले आदमी थे। नई आदत कहाँ से ले आए।

···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री ब्रह्म दत्त : मैंने पूरे तथ्य बता दिये हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा। श्री माधवराव सिंधिया ने जून 1979 में सरकार को सूचित किया था। ···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक बात सुन लेने दीजिए, बीच में क्या टोकते हो। श्रीमान जी, बात तो खत्म होने दीजिए। ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जयपाल रेड्डी : उन्होंने उत्तर में ऐसा नहीं कहा है।

श्री ब्रह्म दत्त : तीन कम्पनीयों में निदेशक होने की बात उन्होंने 1975 में सरकार को बताई थी। 1979 में उन्होंने रिजर्व बैंक को सूचना दी कि वे एफ. एच. थुले, जी. एम. बी. एच० के निदेशक नहीं हैं और 1984 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

प्रारम्भ में मैंने कहा था कि विदेशों में संयुक्त उद्यमों, छोटी कम्पनियाँ तथा भारतीय व्यापार को बढ़ाने के लिए निदेशक के पद के संबंध में हम काफी उदार हैं। इसमें किसी तरह का उल्लंन नहीं हुआ है। परन्तु हम काफी उदार दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या ? (व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त : विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा भारतीय उद्यमों का संवर्द्धन करने के लिए हम निदेशकों को नियुक्ति के बारे में उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं ···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : उनका यही विचार है।

श्री ब्रह्म दत्त : हम विदेशों में भारतीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमें इस संबंध में विदेश जा रहे हैं भारतीयों के मामले में उदार होना होगा। यह हमारे देश के लिए बड़ा लाभकारी है और हम किसी एक व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जानना चाहती हूँ, कि यदि सरकार

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ही प्रश्न पूछिए; क, ख, नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आपने ध्यान दिया होगा कि इन दिनों में बहुत से प्रश्न नहीं पूछती।

श्री बसुदेव आचार्य : आप भी कृपया उदार दृष्टिकोण अपनाइए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत उदार हूँ, इसीलिए मैंने इतने अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय उदारता बरतें।

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत उदार रहा हूँ। इससे अधिक उदार नहीं हो सकता।

प्रो० मधु दंडवते : क, ख भाग मत पूछिए, मिला जुला कर एक ही प्रश्न पूछिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं अपने प्रख्यात वरिष्ठ सदस्यों की सलाह मानती हूँ।

सरकार का कहना है कि वह उदार दृष्टिकोण अपना रही है। साथ ही कुछ मानदंड भी निर्धा-किये हुए हैं। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहती हूँ, कि क्या आपने पहले ही से रखे गए मानदंडों को बदला है। यदि हाँ, तो इसे लिखित में क्यों नहीं बताया गया ? दूसरे, ऐसे आवेदनों की समीक्षा करने और

उत्तर देने में सामान्यत: कितना समय लगता है ? श्री माधवराव सिंधिया के मामले में कितना समय लगा था ?

श्री ब्रह्म दत्त : मानदंड नहीं बदले गए हैं किन्तु हम विदेशों में अपने वित्तीय हितों को बचाने के लिए उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त : मैंने आपको कई नाम दिए है, किसी विशेष व्यक्ति का जिक्र मत कीजिए। आप मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह बुरी बात है, आप बोलने दो उनको, क्यों झगड़ा करते हो, पूरी बात तो कहने दो।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्म दत्त : मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पता नही कहाँ से आदत आ गयी है बीच में बोलने की।

[अनुवाद]

यह बहुत खराब बात है।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त : आवेदनों पर सामान्यत: समय पर कार्यवाही की जाती है। वह वहां निदेशक नहीं रहे और इसीलिए यह असंबद्ध हो गया है ···(व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने कहा कि देश के नियमों और कानूनों के अनुसार तकनीकी रूप से यह गलत है किन्तु विदेशों में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए हम उदार होना चाहते हैं क्या भारत सरकार के नियमानुसार सही है ?

श्री ब्रह्म दत्त : तकनीकी रूप से इसके लिए अनुमति चाहिए किन्तु हम उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह जो उत्तर दे सकते थे, उन्होंने दिया।

श्री ब्रह्म दत्त : इस कानून के बजाए सबसे पहले हमें विदेशों में अपने पूंजी निवेश को बचाना है। दूसरे विदेशों में संयुक्त उद्यमों और सहायक उद्यमों को बढ़ावा देना है। अंततः मैं मानता हूं कि निदेशक नियुक्ति के बारे में विवाद है। निदेशकों का कहना है कि यह एक संस्था है और वह धारा 27 के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है किन्तु हम मानते हैं कि वह उसके क्षेत्राधिकार में हैं। अभी तक किसी न्यायालय ने इस पर निर्णय नहीं लिया है किन्तु हमारी यह नीति रही है कि निदेशक नियुक्ति के बारे में उदारता बरती जाए।

बजट प्रणाली

*741 **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की बजट प्रणाली मैक्रो-इकानामिक पालिसी एन्वायरनमेंट पर आधारित हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) संघ सरकार का बजट विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों, आर्थिक नीतियों के उद्देश्यों के और उनकी आगामी वर्ष के लिए निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के आधार तैयार किया जाता है। आर्थिक स्थिति की मुख्य विशेषताओं को जिन्हें बजट तैयार करते समय सामान्यत: ध्यान में रखा जाता है, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली बजट-पूर्व की आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया जाता है, और जिसमें मैक्रो इकानामिक पालिसी एनवायरमें: की स्थिति दर्शाई जाती है।

श्री हुसैन दलवाई : महोदय नवें दशक में देश की विकास दर 5% थी। 1985 में यह बढ़कर 22% हो गई है। क्या यह सरकार द्वारा अपनाई गई अच्छी नीति के कारण, संभव हुआ ? यदि हाँ तो इस बढ़िया उपलब्धि को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधार किये गए हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय सदस्य का संकेत जिस ओर है हमारी दीर्घावधि वित्तीय नीति और इस बजट को उसी के अनुरूप बनाया गया है। इस बजट के द्वारा हम बचत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं; हम आवास के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं;हम पूंजीगत माल उद्योगों के विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि अधिक उत्पादन हो सके; तथा हम अपनी जनता, जो कि मूल आधार है का स्तर सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति बना रहे हैं। साथ ही श्रमिकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। ये कुछ सामाजिक उद्देश्य है जिससे विकास अधिक होने के साथ साथ विकास दर को बनाए रखा जाएगा।

श्री आनन्द गजपति राजू : माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में केवल व्यापक आर्थिक परिणामों का जिक्र किया गया है, सूक्ष्म आर्थिक परिणामों का नहीं। इस संबंध में मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या बैंको में ब्याज की दर कुछ कम की गई है और बैंकों में जमा राशि की अवधि कम की जा रही है जिससे सरकार के गैर-योजना व्यय के लिए पैसा मिल सके। जो बिल बाजार तथा अन्य संस्थाएं एव दिपत्र शुरू किए गए हैं उनका मुख्य कारण सरकार के लिए राजस्व लेखे के अतिरिक्त पैसा जुटाना भी है। अत: क्या जो खर्च उन्हें राजस्व लेखे से करना चाहिए उसे वह पूंजी लेखे से कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त : जी नहीं महोदय ब्याज दर में परिवर्तन की घोषणा करते समय मैंने अपने उद्देश्यों का जिक्र किया है। मुख्य उद्देश्य यह है कि पैसा लम्बे समय तक रोका नही जाना चाहिए और वह धन औद्योगिक तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों को कम दर पर उपलब्ध होना चाहिए। हम राजस्व व्यय के लिए उस पूंजीगत धनराशि को उपयोग में नहीं ला रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय मैं आपके माध्यम में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बजट में बताई गई काफी धनराशी या बड़ी मात्रा में अवंटित राशि को खर्च नही किया जाता। क्योंकि जब तक बजट पारित होता है और विभिन्न औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं तथा विकास कार्य के लिए क्षेत्र विशेष को धन प्राप्त होता है, मानसून आ जाता है और वास्तव में जो कार्यावधि होती है। वह वर्ष में 6-7 महीने तक कम हो जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बजट वित्तीय वर्ष को कृषि वर्ष या शिक्षा वर्ष अर्थात जुलाई जून में बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ब्रह्म दत्त : बजट वर्ष को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन निश्चय ही माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि कुछ राशि नहीं खर्च की गई रहती है इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यन्वय कार्यान्यिन मंत्रालय बनाया और यह सख्ती से निगरानी रख रहा है ताकि सारा धन खर्च किया जाए और उसे अन्य कार्यों में न लगाया जाए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, एल०के० झा समिती ने भी वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के पक्ष में कहा है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरा प्रश्न मत पूछिए।

श्री पी० कुलनदईवेलु : महोदय, नीति प्रख्यापित करने और कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के बीच बहुत अंतराल रहता है। अपनी बजट प्रणाली के संबंध में मैं एक बहुत संगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक वर्ष के बजट में जो धन आवंटित किया जाता है, हम उसे खर्च नहीं कर पाते क्योंकि हमें धन खर्च करने के लिए केवल 4-5 महीने मिलते हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें पूरा धन खर्च नहीं कर पाती। अतः धन सरकार को वापिस दे रहे हैं। अब यह प्रणाली अपनाई जा रही है। यहां तक कि अर्थशास्त्रियों और विधिवेत्ताओं ने भी हाल ही में सरकार को यह सुझाव दिया है कि एक वर्ष के बजट की बजाय हम दो वर्षीय बजट तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए दो वर्षीय बजट की अनुमति दी जाती है अथवा आप ऐसा करने जा रहे हो—तो सांसदों की अवधि भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की जा सकती है। अर्थशास्त्रियों और विधिवेत्ताओं ने यह सुझाव दिया है। (**व्यवधान**) क्या दो वर्षीय बजट प्रणाली बनाने और सांसदों की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ब्रह्मदत्त : माननीय सदस्य ने बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा है······

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका अनुमोदन करते हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह और भी अच्छी बात है क्योंकि यह आल इण्डिया अन्ना डी० एम० के. के सदस्य ने कही।

श्री ब्रह्म दत्त : यह बड़ा दिलचस्प प्रश्न है। हम पहले ही पंचवर्षीय योजना के रूप में संकेतात्मक बजट बनाते हैं।

जहाँ तक व्यय क्षमता का संबंध है, मुझे 5 वर्ष तक सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश का वित्त मंत्री रहने का गौरव प्राप्त हुआ था और मुझे 'धन खर्च करने में कोई कठिनाई नहीं हुई···(**व्यवधान**) एक मिनट रुकिए मैं किसी ऐसे राज्य विशेष का अनुकरण नहीं कर रहा हूं जहां घाटे की वित्त व्यवस्था थी और धन को इन कार्यक्रमों पर खर्च नही किया गया था। हमने सारा धन खर्च किया बल्कि योजना व्यय से अधिक खर्च किया और हमारी घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं रही। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके राज्यों में किस तरह के वित्त मंत्री हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आपने जिस नयी संस्था के बारे में बताया, कहा कि नयी मिनिस्ट्री माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्थापित की है मानिटरिंग के लिए जिस को इम्पलीमेंटेशन प्रोग्राम की मिनिस्ट्री कहते हैं, जब से यह स्थापित हुई है क्या आप बता सकते हैं बजट के बारे में जो माननीय सदस्य ने दूसरे लोगों ने भी कहा कि बजट पर तीन चार महीने बाद काम होता है, इस से पैसा लैप्स हो जाता है तो यह इम्पलीमेंटेशने प्रोग्राम की जो मिनिस्ट्री है उसने इसके लैप्स होने के बारे में कोई कदम उठाया है ? आप को कुछ

कहा है इस के बारे में ? इम्पलीमेंटेशन ठीक प्रकार से हो सके उस के लिए कोई रेकमेंडेशन दी है कि अमुक अमुक चीजों में जल्दी जल्दी करना चाहिए ताकि इम्पलीमेंटशन ठीक प्रकार से हो सके, इस प्रकार की क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट आप को दी है ?

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय सदस्य तो अवगत हैं कि अभी साल भर से यह मंत्रालय बना है लेकिन नियमित रूप से काम कर रहा है और बहुत बहुमूल्य सुझाव उन्होंने दिए हैं। लेकिन जब कभी भी कोई नयी आर्थिक नीति या नयी आर्थिक प्रणाली अख्तियार करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। मगर इसका प्रभाव अवश्य हुआ है। खास तौर से जो हमारी बड़ी बडी योजनाएँ हैं उनके बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट आती है और हम उन विभागों से पूछते हैं, पैसा देते समय भी पूछते हैं कि आपने पिछला पैसा खर्च किया या नहीं किया ? ...(व्यवधान)...

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप के पास उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दी है क्या ?

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

बहुधात्विक पिंडिकाओं से धातुओं का निष्कर्षण करने के लिये प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का विकास

*743 **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुद्रतल में पाई जाने वाली बहुधात्विक पिंडिकाओं से बचतपूर्ण तरीके से धातुओं के निष्कर्षण के लिए कोई प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या पिंडिकाओं के खनन, तटदूर क्षेत्र में प्लेटफार्म बनाने और समुद्र में पाइपलाइन बिछाने के क्षेत्र में देश में "कवर डिजाइनिंग" इन्जीनिरिंग और परामर्श सेवाओं के लिये अपेक्षिता संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक उपलब्ध हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रयोजन के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाये गये है; और

(च) क्या उपर्युक्त क्षेत्र में विदेशी कार्मिक कार्य कर रहे हैं, और यदि हां, तो उनकी संख्या और राष्ट्रीयता क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। बहुधात्विक पिंडिकाओं से धातुओं के निष्कर्षण के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। यह कार्य भारत में चार प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। उन्होंने ग्यारह प्रक्रम मार्ग विकसित हैं, जिनमें से चार को बारीकी से मूल्यांकनक रने के बाद व्यवहार्य पाया गया है। इन्हें बढ़ाकर पूर्वारंभिक परियोजना स्तर तक किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां, श्रीमान ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) जी नहीं, श्रीमान । भारत में किसी भी बहुधात्विक पिंडिकाओं के कार्यक्रम में कोई विदेशी कार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं ।

श्री ब्रजमोहन महंती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चार प्रक्रम मार्गों को व्यवहार्य पाया गया और क्या वे उन्नत देशों में विकसित किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं तथा हम स्वयं संचालन शुरू करते हैं तो क्या ये हमारी मांग को पूरा करने में समर्थ हैं ।

श्री के० आर० नारायणन : मैं समझता हूं कि चार मार्गों में से वे अंतत: अपकर्षण के लिए एक या दो मार्गों तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन हामारे देश में ऐसे काफी अनुभवी वैज्ञानिक हैं जो आकर्षण की इस प्रक्रिया को समय में पूरा करने में समर्थ हैं । इस स्थिति में, यह केवल प्रयोगशाला स्तर पर ही किया जाता है ।

श्री ब्रजमोहन महंती : हमने जो तकनोकी प्रक्रिया विकसित की है क्या वह हमारी आवश्यकताओ को पूरा कर पाएगी और क्या वह विश्व में उन्नत देशों के अंतर्राष्ट्रीय मानक की हैं ? क्या आप कृपया इस पर प्रकाश डालेंगे कि पिंडिकाओं के खनन, तटदूर क्षेत्र में प्लेटफार्म बनाने और समुद्र में पाइपलाइन बिछाने के क्षेत्र में कवर डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और परामर्श सेवाओं के लिए पृथक-पृथक कितने कार्मिक लगे हैं ? मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा हैं क्योंकि आपके वार्षिक प्रतिवेदन में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है ?

श्री के० आर० नारायणन : जहां तक प्रौद्योगिकी का संबंध है, यह विश्व में पूरी तरह कहीं भी विकसित नहीं की गई है । इसे विकसित किया जा रहा है । हमें आशा है कि वर्ष 1990 तक हम एक वृहद्ध संयंत्र की स्थापना कर पायेंगे किंतु अपकर्षण संभवत : वर्ष 2000 या 2010 में ही किया जा सकेगा । जहां तक प्रत्येक श्रेणी में लगे कार्मिकों की संख्या का संबंध है मैं समझता हूं मुझे इस बारे में आंकड़े एकत्र करने होंगे और फिर मैं वे आंकड़े आपके पास भेजूंगा ।

श्री सतीश चन्द सिन्हा : क्या भारत ने अभी तक बहुधात्विक पिंडिकाओं के उत्खनन और उपयोग के लिए लाइसेंस ले लिया है या अनुमति ले ली है, अगर नहीं तो कब तक इसके मिल जाने की सम्भावना है ?

श्री के० आर० नारायणन : खनिज पिंडिकाओं के खनन के लाइसेंस के लिए हम इस वर्ष आवेदन करेंगे । राष्ट्र संघ प्रणाली द्वारा इसकी छान-बीन की जायेगी । इस प्रणाली को प्रीप्रेटरी आयोग या अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण कहते हैं । मैं नहीं कह सकता कि कितने समय पश्चात् मंजूरी मिल जायेगी ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित तकनीकी प्रणालियां

***746. डा० टी० कल्पना देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिके अनुसंधान परिषद् ने वर्ष 1984 से 1986 तक कौन-कौन सी प्रमुख तकनीकी प्रणालियां विकसित की हैं; और

(ख) विभिन्न उद्योगों में इन प्रणालियों का कितना वास्तविक उपयोग हुआ है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरीक्ष विभागों में राज्य मंत्री श्री के० आर० नारायणन (क) और (ख) विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1984 से 1986 के मध्य सी० एस० आई० आर० द्वारा विकसित प्रमुख तकनीकी प्रक्रम:

रसायन

क्रोम लिग्नाइट
बुटाक्लोर
जल अवशोषी पॉलिमर
जाइलीन आइसोमरीकरण हेतु जियोलाइट उत्प्रेरक

औषध और भेषज

गुगलिपिड
सेंटव्यूटिडीन
सेंटव्यूटिडोल
रोग प्रतिरक्षा नैदादिक किट

सामग्री

चावल भूसी राख से रोधी ईंटे
कांच प्रबलित जिप्सम कम्पोजिट बोर्ड
ग्रेफाइट एलुमीनियम कम्पोजिट्स

धातु की

विद्युत अपघटनी तांवा चूर्ण
उच्च घनत्व डोलोमाइट सिटरें

मशीनरी

पांच धागे, तीन स्टिच वाली निरापद औद्योगिक सिलाई मशीन
स्वचालित कपड़ा कटाई मशीन
स्वचालित ईट पथाई मशीन
द्रवचालित क्वायल इक्सपेंडिग और स्प्रेडिंग मशीन

इलेक्ट्रानिकी

माइक्रोप्रोसेसर आधारित PH मान नियन्त्रण प्रणाली
माइन वाइंडर हेतु मॉनिटरन प्रणाली

(ख) उपरोक्त में से निम्नांकित प्रक्रम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है :—

1. जियोलाइट उत्प्रेरक, 2. रोग प्रतिरक्षा नैदानिक किट, 3. पांच धागे, तीन स्टिच वाली निरापद औद्योगिक सिलाई मशीन, 4. स्वचालित कपड़ा कटाई मशीन,

5. स्वचालित ईंट पथाई मशीन, 6. द्रवचालित वत्रायल इक्सपेंडिग और स्प्रेडिंग मशीन, 7. चीनी उद्योग हेतु माइक्रोप्रोसेसर आधारित PH नियन्त्रण प्रणाली उद्योगों को लाइसेंसीकृत शेष प्रक्रम अनुप्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

डा० टी कल्पना देवी : मैं यह जानना चाहती हूँ कि विद्यमान दो मुख्य तकनीकी प्रणालियों के अलावा क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास और सूखा पीड़ित क्षेत्रों और देश के ऐसे जोन जिनमें पीने को पानी नहीं है, में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए कोई प्रणाली विकसित की है? मगर हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना और रायलसीमा जिलों के पिछड़े और सूखा पीड़ित क्षेत्रों में इन विकसित प्रक्रियाओं को लागू करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री के० आर० नारायणन : माननीय महिला सदस्य जिन प्रक्रियाओं को जिक्र कर रही हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है।

डा० टी० कल्पना देवी : मैं ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास, सूखा प्रभावित और ऐसे क्षेत्र जहां बार-बार सूखा पड़ता है और हमारे देश के पानी रहित क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधाएँ प्रदान करने के बारे में बोल रही थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा जिलों के पिछड़े और सूखा पीड़ित क्षेत्रों में पीने के पानी को उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव है।

श्री एस० रघुमा रेड्डी : वह सी० एस० आई० आर० द्वारा विकसित की गई नवीनतम प्रणालियों के बारे में पूछ रही हैं।

श्री के० आर० नारायणन : पीने के पानी से संबंधित एक तकनीकी मिशन है, जिसमें सी० एस० आई० आर० भी शामिल हैं। इस मिशन पर विस्तार से कार्य हो रहा है है। पिछड़े क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और अभी इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से कार्य नहीं हुआ है। इसे पिछड़े क्षेत्रों पर भी लागू किया जायेगा। लेकिन लागू करने के लिए अभी इस पर पूरी तरह से कार्य नहीं हुआ है।

डा० टी० कल्पना देवी : मैं जानना चाहती हूँ कि कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ विकसित की गई हैं।

श्री के० आर० नारायणन : ये कई हैं। एक प्रक्रिया द्वारा समुद्र में पानी को साफ किया जाता है और उसे पीने के लायक बनाया जाता है। यह कई प्रक्रियाओं में से एक है।

श्री एस० रघुमा रेड्डी : अन्वेषणात्मक प्रक्रियाएँ कौन-कौन सी हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि सी० एस० आई० आर० द्वारा आर०एण्ड०डी० संगठन और उद्योगों के बीच बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री के० आर० नारायणन : सी० एस० आई० आर० पहले ही लिंक स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। वास्तव में हमारे कुछ उद्योगों द्वारा सहयोग या प्रयोजित परियोजनाओं के रूप में सी० एस० आई० आर० द्वारा विकसित प्रक्रियाओं को प्रयोग किया जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सी० एस० आई० आर० द्वारा विकसित प्रक्रियाओं का उत्पादन और सहयोग में प्रयोग हो रहा है। अगर आप अनुमति दें, तो मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर, रसायन क्षेत्र। सी० एस० आई० आर० ने क्रोम लिग्नाइट ड्रिलिंग के लिए और तेल कुओं के लिए 'मड ऐडिटिव' प्रक्रियाएँ विकसित

की है। इसका लाइसेंस बालमेर लारे एण्ड कं०, मद्रास को दिया गया है, जो इसको आगे विकसित कर रहे हैं। उक अन्य प्रक्रिया, जिसे जलशक्ति कहा जाता है, वह पानी सोखने की प्रोलिसर प्रणाली इंण्डियन ओरगेनिक केमीकल्स कम्पनी इस प्रक्रिया का उत्पादन कर रही है। इसी प्रकार के अन्य कई उदाहारणों के ब्योरे को मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा : उन्हें प्राप्त कर मुझे खुशी होगी।

श्री सी० पी० ठाकुर : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि एक समाचार के अनुसार तकनीक आयात करने, देशी तकनीक और घरेलू क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सी०एस० आई० आर० प्रमुख केन्द्रीय एजेंन्सी के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा सी०एस०आई०आर० के कार्यकरण के बारे में आबिद हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के पश्चात् सी० एस० आई० आर० के बारे में सरकार को क्या राय है ?

श्री के० आर० नारायणन : सरकार को आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई है और सरकार इस पर विचार कर रही है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट बिल्कुल प्रतिकूल रिपर्ट नहीं है। सी० एस० आई० आर० के कार्यकरण की कुछ आलोचना की गई है, इसके साथ ही जैसे सी० एस० आई० आर० कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा की गई है। एक विशेषज्ञ दल और वैज्ञानिक इस रिर्पोट की जांच कर रहे हैं और बाद में सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

सभी वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए केवल सी० एस० आई० आर० ही एकमात्र प्रमुख केन्द्रीय एजेंसी नहीं है। लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकास के लिए यह एक प्रधान एजेंसी है। तकनीक आयात करने के लिए कुछ हद तक उसकी राय चलती है। लेकिन सभी प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए केन्द्रीय एजेंसी नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती उषा ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्मम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सौराष्ट्र और कच्छ में समुद्र का लम्बा किनारा है, वहाँ समुद्र के खारी पानी को आधुनिक तकनीक से भी मीठा पानी बनाने के सम्बन्ध में कुछ सोचा गया है ? यदि सोचा गया है तो कब तक उसको कार्यान्वित किया जायेगा और कहाँ-कहाँ पर कार्यन्वित किया जायेग ।यह माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

[अनुवाद]

श्री के० आर० नारायणन : इस उद्देश्य हेतु पहले ही गुजरात-तट पर समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए एक प्लांट लगा हुआ है।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह आम शिकायत की जा रही है कि सी० एस०आई० आर० के अन्य घटक जैसे एन०सी०एल,०एन०पी०एल० आदि द्वारा विकसित कई प्रक्रियाएँ केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहती हैं। इन प्रक्रियाओं की जाँच करने के लिए पाइलट प्लांट स्थापित करने के लिए उनके पास आवश्यक धनराशियां नहीं हैं। अतः जब इन प्रक्रियाओं को व्यापारिक स्तर पर प्रयोग के लिए उद्योगपतियों को दी जाती हैं, तब ये कार्य नहीं करती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जिसके बहुत इन प्रक्रियाओं को सी० एस० आई० आर० पहले 'पाइलट प्लांट' द्वारा जाँच करे और बाद में सीधे या एन० आर० डी० सी० द्वारा इन्हें जारी करें ?

श्री के०आर० नारायणन : मैं समझता हूं कि मुझे यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि सी. एस. आई. आर. कैसे प्रक्रियाओं को विकसित करती है और फिर इन्हें उद्योगों को सप्लाई करती है ।

जहाँ तक धनराशि का प्रश्न है, कई सहयोगकर्त्ता परियोजनाओं में संबंधित उद्योग तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से भागीदार होते हैं । वे परियोजनाओं को प्रायोजित करते हैं···

श्री सी. माधव रेड्डी : मैं प्रायोजित परियोजनाओं के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । मुझे प्रायोजित परियोजना की जानकारी है । मैं उन प्रक्रियाओं के बारे में पूछ रहा हूं जोकि आम प्रयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हैं ।

श्री के.आर नारायणन : जिन प्रक्रियाओं को खुद सी.एस. आई. आर. विकसित करती हैं । उन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से उद्योगों को दिया जाता है ।

हमने अपनी प्रयोगशालाओं को पर्याप्त धन दे रखा है । इनमें से कई प्रक्रियाओं को वास्तव में उद्योगों को विकास के लिए दिया गया है और इनमें से तो कुछ पहले ही बाजार में कार्यशील है ।

ब्रिटेन में भारतीय निवेश निधि की स्थापना

*747. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के किसी बैंक ने विदेशों में अनिवासी भारतीयों और अन्य निवेशकर्ताओं से धन एकत्र करने की दृष्टि से ब्रिटेन में एक भारतीय निवेश निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भारत के बैंकिंग इतिहास में ऐसा पहला उद्यम है; और

(ग) उक्त निधि के क्या उद्देश्त हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं । किसी भारतीय बैंक ने ब्रिटेन में भारतीय निवेश निधि स्थापना नहीं की है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री एच०एन० नन्जे गौडा : क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारत में कार्यरत तक प्रमुख विदेशी बैंक ने ब्रिटेन में एक भारतीय निवेश निधि स्थापित की है, मगर हाँ, तो इस विदेशी बैंक द्वारा निवेश निधि स्थापित करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : किसी भी भारतीय बैंक ने ब्रिटेन में निवेश निधि स्थापित नहीं की है । जहाँ तक विदेशी बैंकों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार का इन विदेशी बैंकों दारा विदेशों में निवेश निधि स्थापित किये जाने पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : जब एक विदेशी बैंक इतना निवेश एकत्र कर सकता है और अनिवासी भारतीयों को आकर्षित कर सकता है—अनिवासी भारतीयों की जमापूंजी के निवेश के लिए—तब भारत सरकार अपने किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक को वहां इस प्रकार के निवेश जमा की अनुमति क्यों नहीं देती और किसी अनिवासी भारतीय निदेशक को वहां निवेश एकत्र करने के लिए नियुक्त क्यों नहीं करती ?

श्री जनार्दन पुजारी : हालांकि प्रश्न इस मामले से सीधे संबंधित नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यू.टी.आई. ने ऐसी एक निधि स्थापित की है और 75 मिलि-

यन जमा करने में कामयाब भी हुई है और इस राशि का प्रयोग भारत में शेयर और डिबेंचर खरीदने में कर रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि आदिवासी भारतीयों को भारत में पूंजी निवेश के लिए कुछ सुविधाएं तथा रियायतें दी जाती हैं, ताकि वे भारत में निवेश कर सकें। विदेशों में कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जो अपने तुलन-पत्र में लाभ-हानि कुछ नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी वे भारतीय कम्पनियों में निवेश करने के लिए अनुमती की मांग करती हैं। अगर हां, तो क्या इससे यह अभिप्राय: नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ से काला धन विदेशों में भेजकर उसे श्वेत धन में परिवर्तित किया जा रहा है? अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो ऐसे समाज विरोधी तत्वों को ये सुविधाएं और रियायतें न मिल पायें, इस हेतु सरकार क्या कारवाई करने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा किया जा सकता है?

श्री जनार्दन पुजारी : जब कभी ऐसे मामलों की सूचना हमारी जानकारी में लाई जाती है और इस हेतु कुछ लक्ष्य प्रमाण, उपलब्ध कराये जाते हैं, तो हम उन पर कार्यवाही करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई इस प्रकार की कार्यवाही कर सकता है?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, जब इन नकली कम्पनियों के तुलन-पत्रों का उल्लेख किया गया तो सभा में इस पर चर्चा की गई थी। श्रीमन् अगर सरकार, इसे भूल गई है तो क्या किया जा सकता है? पहले ही इस पर चर्चा की जा चुकी है। सभा में इन तुलन-पत्रों को पढ़ा गया था, और कुछ कम्पनियों के नाम दिये गए थे।

श्री जनार्दन पुजारी : जब कभी साक्ष्य देकर ऐसे मामलों की जानकारी हमें दी जाती है और साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यक्षतः मामला बनता है कि इन लाभों का दुरुपयोग किया गया है, हम निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वे देश में पैसे कैसे ला सकते हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : कम्पनियों के नाम और उनके तुलन-पत्रों के नामों की यहां चर्चा की गई थी। सब कुछ कहा गया था। उन्हें पुराना कार्यवाही वृतांत देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है।

केरल में पर्वतीय विकास कार्यक्रम :

*749. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की वर्ष 1987-88 की पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना लक्ष्य रखा गया है और कितनी राशि का नियतन किया गया है;

(ख) क्या केरल में इस कार्यक्रम के कार्यान्वन के लिए कोई जिला-वार निकाय स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केरल के पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना 1987-88 हेतु कुल अनुमोदित परिव्यय 5.63 करोड़ रुपए का है। इस धन-

राशि का क्षेत्रकीय ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है। जैसा कि राज्य सरकार से प्राप्त कार्य-योजना में बताया गया है, वर्ष 1987-88 के लिए भौतिक लक्ष्य अनुलग्न- 2 में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विवरण-1

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम—केरल

वार्षिक योजना—1987-88 क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय

(लाख रु० में)

क्र० सं०	क्षेत्रक/उप क्षेत्रक/स्कीम	1987-88 के लिए अनुमोदित परिव्यय
1.	कृषि और संबद्ध सेवाएं	
	(i) कृषि (ii) भू और जल संरक्षण	145.72
	(iii) पशु पालन (iv) डेरी विकास	43.65
	(v) मत्स्य पालन	3.05
	(vi) वानिकी और वन्य जीवन	157.81
	(vii) बागवानी-रबड़ बागानों सहित	65.00
2	सिंचाई	
	(i) लघु सिंचाई	56.65
3.	जल पूर्ति (ग्रामीण क्षेत्र)	4.50
4.	परिवहन	
	(i) सड़कें/पैदल चलने के लिए पुल	19.50
5.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	
	(i) पश्चिमी घाट एकक	5.00
	(ii) सर्वेक्षण और अध्ययन-मूल्यांकन मानीटरिंग	8.75
	(iii) पर्यावरणिक-प्रणाली अनुसंधान दल	3.00
	जोड़:—	512.00

टिप्पणी :—क्योंकि नवम्बर, 1986 में वार्षिक योजना के अनुमोदन के बाद, 1987-88 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 563 लाख रुपए की आवंटित की गई, इसीलिए 51 लाख रु० के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण-2

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

वार्षिक योजना 1987-88

1987-88 के लिए वास्तविक लक्ष्य

क्र सं०	मदें	इकाई	1987-88 के लिए लक्ष्य
1:	कृषि		
	(i) भू-संरक्षण	हैक्टेयर	1060
2.	पशुपालन और डेरी विकास		
	(i) चरागाहों का विकास	हैक्टेयर	834
	(ii) चारे की खेती	हैक्टेयर	500
	(iii) पशुओं के लिए छप्परों का निर्माण	संख्या	250
3:	लघु सिंचाई		
	(i) सिंचाई किये जाने वाला संभावित क्षेत्र	हैक्टेयर	820
	(ii) रोक बांधों का निर्माण	संख्या	14
	(iii) फार्म तालाबों का निमाण	संख्या	3
	(iv) कूएं	संख्या	20
4.	वन		
	(i) स्तूपों का निर्माण	संख्या	520
	(ii) बांस के बागान	हैक्टेयर	888
	(iii) सीतल के बागान	हैक्टेयर	500
	(iv) वनरोपण	हैक्टेयर	275
5.	जल पूर्ति	गांवों की संख्या	3
6.	पैदल चलने के पुलों का निर्माण	संख्या	100

स्रोत :—1987-88 से 1989-90 तक की वार्षिक कार्य योजना, योजना और आर्थिक कार्य विभाग, केरल सरकार।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम बेशक सराहनीय है परन्तु पर्यावरण इत्यादि की दृष्टि से यह योजना अनर्थकारी है। इस योजना के पर्यावरण सम्बन्धी हानिकारक प्रभाव हैं जिनसे बाढ़ तथा सूखे की स्थिति पैदा हो जायेगी इससे पानी की कमी तथा काफी मात्रा में वन क्षेत्र इत्यादि-इत्यादि में भी कमी आयेगी। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या योजना बनाने वालों ने योजना बनाते समय योजनाओं के आधारभूत उद्देश्यों तथा विशेष परियोजनाओं के बीच इन असंगतियों पर ध्यान नहीं दिया ?

श्री सुखराम : महोदय, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में की गई थी और पाँचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्य कुल मिलाकर विकासीय तथा लाभमूलक थे। परन्तु सातवीं योजना में सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण परिरक्षण पर अधिक बल दिया गया है तथा इन सभी पहलुओं के लिए, जिनको इन उद्देश्यों के अंतर्गत लाया गया है, धनराशियां दी जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के लिए, एक निश्चित सूत्र के अन्तर्गत पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अधीन सभी चार राज्यों को धन राशियां आबंटित की गई हैं, यानि 75% महत्त्व क्षेत्र को दिया गया है और 25% महत्त्व जनसंख्या को दिया गया है और केरल के लिए भी यही अनुपात कायम रखा गया है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र गोवा के साथ-साथ हैं। पश्चिमी घाट का 42% भाग केरल पर्वतीय क्षेत्र, में है। 1905 में केरल के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 44% क्षेत्र में वन थे। यह चौंका देने वाली सूचना है कि यह वन क्षेत्र एकदम से कम होकर 1984 में केवल 9% रह गया है। इन परिस्थितियों में क्या मैं यह मन्त्री महोदय से जान सकता हूं? पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए इस योजना को लागू करते समय बड़ी मात्रा में वन क्षेत्रों का सफाया किया जा रहा है। क्या मंत्रालय इस चौंका देने वाली सूचना पर गहराई से ध्यान देगा और क्या मंत्रालय पर्यावरण और वन मंत्रालय को बहुत ठोस उपाय करने की सलाह देगा ताकि कम से कम केरल राज्य में पेड़ों की कटाई बहुत समय तक स्थगित करदी जाये जहां पिछले कई वर्षों से बड़ी मात्रा में वनों का सफाया किया जा रहा है ?

श्री सुखराम : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि प्रत्येक राज्य को धन का आबंटन एक निश्चित सूत्र के अनुसार किया जाता है जो मैंने अभी बताया है और एक राज्य विशेष का जो भी हिस्सा बनता है, उसे दिया जाता है। तथा राज्य सरकार धनराशि निर्धारण के लिए जितने भी हिस्से के लिए कहती है, उस पर योजना आयोग में कार्य दल स्तर पर चर्चा की जाती है और उसके अनुसार धनराशि आबंटित की जाती है।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने यह देखने के लिए, कि क्या कोई ऐसी मांग की गई थी कि कुछ तालुकों को जोड़ा जाये अथवा कुछ तालुकों को निकाला जाये एक समिति बनाई थी। एक समिति ने कुछ तालुकों को शामिल करने तथा कुछ तालुकों को निकालने की सिफारिश की थी। जहां तक केरल का सम्बन्ध है फिर एक अन्य समिति नियुक्त की गई थी जिसने यह सिफारिश की थी कि किसी भी तालुक को निकाला नहीं जाये। जहां तक महाराष्ट्र और कर्नाटक का सम्बन्ध है, कुछ तालुकों को शामिल किया गया है, परन्तु केरल के मामले में किसी भी तालुक को शामिल नहीं किया गया। यही कारण है कि अनुपात वही बना हुआ है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग है। वे कुछ ऐसे तालुकों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या योजना आयोग और मन्त्रालय वनों की कटाई की ओर ध्यान देंगे अर्थात् पेड़ों को काटने की ओर, जो पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषतौर पर पश्चिमी घाट, के विकास हेतु कार्यक्रम बनाते समय केरल में काटे जा रहे हैं।

श्री सुखराम : मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, सातवीं योजना में मुख्य रूप से पर्यावरण विकास, पर्यावरण परिरक्षण पर जोर दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए भू संरक्षण तथा वृक्षारोपण को अधिक महत्त्व दिया गया है और इन कार्यों के लिए अधिक मात्रा में धनराशि आबंटित की गई है। अनुक्रमणिका में भी मैंने आपको बताया है कि राज्य सरकार ने जितना भी धन मांगा है हमने दिया है। यह धनराशि हमने सूत्र के अनुसार अन्तिम सीमा कितनी है इसको देखकर दी है। हम उस सीमा को पार नहीं कर सकते हैं।

श्री टी० बशीर : महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है। मेरी जानकारी में पर्वतीय क्षेत्रों के संस्थानात्मक विकास के लिए देशभर में, हिमालय से लेकर पश्चिमी घाटों तक, एक समान मान-दण्ड हैं। परन्तु महोदय, एक राज्य से दूसरे राज्य यहां तक कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवश्यकता भिन्न होती है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास राज्यों की परिस्थितियों के अनुकूल, जो हर राज्य में भिन्न भिन्न हैं, मानदण्डों के पुनः सूत्रीकरण या वर्तमान मानदण्डों में छूट देने का प्रस्ताव है।

श्री सुखराम : इस बात को ध्यान में रख कर एक मानदण्ड पर पुनः विचार किया जा सकता है—जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब पर्यावरण विकास तथा पर्यावरण परिरक्षण परत पर अधिक बल दिया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए इन पश्चिमी घाट के पर्वतों की समस्यायें कुल मिलाकर वही हैं। परन्तु जब आप इन समस्याओं की तुलना हिमालय क्षेत्रों से करते हैं, उनकी समस्यायें अधिक विकट हैं। यह कारण है कि उन पर अलग से विचार किया जा रहा है। परन्तु जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है, यदि वे वृक्षारोपण के लिए, भू-संरक्षण के लिए अधिक धनराशि का आबंटन चाहते हैं तो हम राज्य सरकार के अनुरोध पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। इस सीमा में हम उन उद्देश्यों के लिए अधिक धनराशि निर्धारित करेंगे।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मेरे सहयोगी श्री रामचन्द्रन के प्रश्न में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है।

महोदय, पर्वतीय क्षेत्र के विकास के नाम पर व्यापक पैमाने पर वनों की कटाई होती है। मैं पर्वतीय क्षेत्र विकास के विरुद्ध नहीं हूं, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे और इस सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्रालय के साथ किसी तरह का भी सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा।

श्री सुखराम : ये सभी निर्णय पर्यावरण मंत्रालय के साथ परामर्श से ही लिये जाते हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट से धन वापस निकालना

*752. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ महीनों के दौरान गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से भारी पैमाने पर धनराशि निकाले जाने के परिणामस्वरूप इसके संसाधनों पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) कितना धन निकाला गया है और धन निकाले जाने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले कुछ महीनों में प्राइवेट निगमित क्षेत्र द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से बड़े पैमाने पर कोई निकासी नहीं की गई है।

(ख) ट्रस्ट के चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान यानी जुलाई 1986 से मार्च, 1987 तक प्राइवेट निगमित क्षेत्र द्वारा पुन: खरीद के मध्यम से निधियों की निकासी यूनिट योजना, 1964 के संबंध में, जो कि ट्रस्ट की मुख्य योजना है 3,65 करोड़ रुपए तक की थी। इस स्कीम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यूनिटधारकों द्वारा वर्ष में किसी भी समय, केवल जून के महीने को छोड़कर जबकि ट्रस्ट की पुस्तकें बन्द कर दी जाती हैं, पुनः खरीद के माध्यम से यूनिटों को सुनाने की सुविधा है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि ट्रस्ट के चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान यानि जुलाई, 1986 से मार्च, 1987 तक प्राइवेट निगमित क्षेत्र द्वारा पून: खरीद के माध्यम से निधियों की निकासी यूनिट योजना 1964 के संबंध में, जोकि ट्रस्ट की मुख्य योजना है, 3.65 करोड़ रुपये थी।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि 1964 की यूनिट योजना क्या है?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय मैंने पहले वाली योजना के बारे में आंकड़े दिये हैं। परन्तु यूनिट योजना 1964 में व्यक्तिगत निवेश 84.98 करोड रुपये हैं और पुन: खरीद केवल 17.91 करोड़ रुपये तक थी। अन्य यह प्रश्न प्राईवेट निगमित क्षेत्र से संबंधित उन्होंने 45.15 करोड़ रुपये की खरीद की तथा पुन: खरीद केवल-3.65 करोड़ रुपये थी। ट्रस्ट तथा निकाय निगमों ने 1.96 करोड़ रुपये की खरीद की और पुन: खरीद केवल 0.35 करोड़ की थी। इन यूनिटों की कुल बिक्री 132.09 करोड़ रुपये थी और पुन: खरीद 21.91 करोड़ रुपये थी।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि एक सीमित क्षेत्र में कुछ एक गैर सरकारी संस्थायें इन यूनिटों का लाभ उठा रही हैं और यदि हां तो यह देखने के लिए, कि इस यूनिट योजना से अधिकाधिक प्राईवेट निगमित संस्थाओं को लाभ मिल सके, सरकार के पास क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

श्री ब्रह्म दत्त : यूनिट का आशय यही था यानि पुनः खरोद की सुविधा दी गई थी। परन्तु विपरीत प्रभाव नहीं देखा गया है। यदि कोई विपरीत प्रभाव है तो हम इसके बारे में सोचेंगे।

पोर्टफोलियो निवेश के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

*754. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्टफोलियो निवेश योजना लागू किये जाने के बाद से इस योजना के अन्तर्गत और इस योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में अनिवासी भारतीयों द्वारा किये गये पूंजी निवेश का ब्योरा क्या है;

(ख) भारत में उन कम्पनियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने कुल पूंजी के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अनिवासी भारतीयों को पोर्टफोलियो पूंजी निवेश की ओर आकर्षित किया; और

(ग) उनके नाम क्या हैं, कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है और अनिवासी भारतीयों का पूंजी निवेश कितना है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा (वित्त मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विभिन्न योजनाओं के अन्तंगत योजनाओं के शुरू होने के बाद से अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा किये गए निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए) 31-12-1986 को
1. प्रत्यक्ष निवेश (अनुमोदित प्रस्ताव)	941.72
2. पोर्टफोलियो निवेश (शेयरों/ ऋण पत्रों की वास्तविक खरीद)	58.32 (अ)
3. बैंक निक्षेप (एन. आर. ई./ एफ.सी.एन. आर. खातों में बकाया)	7, 466.43

(अ) : अनन्तिम ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : मान्यवर, प्रश्न के भाग बी और सी के बारे में बताया गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जाएगी ? आपने 31-12-86 तक का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि 31-3-87 तक कितना इन्वेस्टमेंट हुआ ?

श्री ब्रह्म दत्त : 31-3-87 के आंकड़े जब आ जाएंगे तो माननीय सदस्य को अवगत करा दिये जाएंगे। प्रश्न के भाग बी, सी के बारे में सूचना कई जगह से आती है। यह कब तक आ जायेगी, यह कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन यथासंभव शीघ्र ही यह कार्य किया जाएगा।

[अनुवाद]

बैंक ऋणों को बट्टे खाते डालना

*756. **श्री एस० एम० गुरड्डी**
श्री विजय कुमार यादव } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने पांच लाख और उससे अधिक रुपयों के ऋणों को बट्टे खाते डाले जाने की जांच किए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

5 लाख रुपये और उससे अधिक के ऋणों को बट्टे खाते डाले जाने की जांच कराने के वास्ते कुछ बैंक कर्मचारी संघों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

बैंक अपनी अतिदेय राशियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और वसूली के सभी मार्गों के बंद हो जाने के पश्चात् ही रकमें बट्टे खाते डालते हैं। अतः ऋणों के बट्टे खाते डाले जाने की सामान्य जांच जरूरी नहीं समझी गयी है। जब कभी कोई विशिष्ट आरोप प्राप्त होते हैं, तब सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी जांच की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के सेफ वाल्ट में नकदी रखे जाने की सीमा निर्धारित करना

*724. श्री ए० जयमोहन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रोजमर्रा के काम के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के सेफ वाल्ट में नकदी रखे जाने की सीमा को घटाने का विचार है, ताकि डाका पड़ने की स्थिति में हानि कम हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का नकदी को भारतीय रिजर्व बैंक के स्ट्रांग रूम में रखने का विचार है ताकि प्रत्येक बैंक शाखा आवश्यकता पड़ने पर वहां से नकदी निकाल सकें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) बैंक शाखाओं में नकदी रखने की सीमा संबद्ध बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। नकदी रखने की सीमा निर्धारित करते समय शाखा के आकार और स्थान, कारबार की मात्रा, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से चलाए जा रहे करेंसी चेस्टों तक पहुंच, सुरक्षा वातावरण आदि जैसी कई बातों ध्यान में रखा जाता है। बैंक आवश्यकताओं की समय-समय पर समीक्षा करते हैं और इन सीमाओं को न्यूनतम आवश्यकता तक रखने की कोशिश करते हैं।

बचत दर

*744. श्री सी० जंगा रेड्डी }
डा० ए० के० पटेल } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में "सकल बचत दर" तथा "सीमान्त बचत दर" कितनी थी और चालू वर्ष में अनुमानित बचत दर कितनी है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) लक्ष्य और वास्तविक प्राप्ति के अन्तर का योजना पर क्या प्रभाव पड़ा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित नवीनतम राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 1984-85 के लिए सकल बचत दर 22.9 प्रतिशत और 1985-86 के लिए 22.8 प्रतिशत है; तत्संबंधी सीमान्तर दर क्रमशः 29·6 प्रतिशत और 21.7 प्रतिशत है। वर्ष 1986-87 और 1687-88 के लिए इसी प्रकार के अनुमान क्रमशः जनवरी, 1988 तथा जनवरी, 1989 में उपलब्ध होंगे।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 1989-90 में सकल बचत दर 24.5 प्रतिशत होने का अनुमान है जिसमें 28·4 प्रतिशत की सीमान्त बचत दर अन्तर्निहित है।

(ग) चूंकि बचत दर योजना में केवल प्रथम वर्ष के लिए उपलब्ध है अतः इस संबंध में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अनुसुचित जनजातियाँ

*745. **श्री हरिश रावत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 2,32,705 है।

(ख) उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों का पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

भेड़ और बकरियों के लिए कृषि ऋण

*750 **श्री शिवेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों ने भेड़ और बकरियाँ पालने के लिए कृषि ऋण देना बंद कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड योजना

*751. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र बैंक ने एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की है,

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य कौन से हैं; और

(ग) क्या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी इस प्रकार की योजना आरंभ करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आन्ध्रा बैंक ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 25 मार्च 1987 से अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। ये कोई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित निबंध विनिमय परमिट धारकों को जारी किए जा सकते हैं। इस योजना से बैंक के ग्राहकों को नयी सुविधा उपलब्ध होगी और उससे बैंक परिचालनों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि वह भी शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट योजना शुरू करेगा।

काले धन के निवेश को प्रेरित करने के लिए पैकेज योजना

*753. **श्री जी०एस०बसवराजू:**
डा० कृपासिन्धु भोई : } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काले धन को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में निवेश किए जाने को प्रेरित करने के लिए एक पैकेज योजना तैयार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार का निवेश सम्बन्धी ऐसी कोई योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं है जो ईमानदार कर-दाता की तुलना में किसी बेईमान कर-दाता को लाभदायक स्थिति में रख दे।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में दिए गए ऋण

*755. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 और 1987 के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में अब तक कितनी राशि जमा करायी गयी है तथा क्रमशः इन राज्यों के लोगों को ऋण के रूप में कितने प्रतिशत राशि दी गयी है; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से किसी एक समय विशेष पर कुल जमाराशियों के आकड़े प्राप्त होते हैं। फलत. भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि किसी वर्ष विशेष या अवधि के दौरान जमा कराई गयी राशियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाराशियों के राज्य-बार आंकड़े सितम्बर, 1986 तक के हैं। दिसम्बर, 1985 और सितम्बर, 1986 के अन्त में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की कुल जमाराशियाँ और इन राज्यों में ऋण जमा अनुपात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(राशि करोड़ रुपये)

राज्य	दिसम्बर, 1985		सितम्बर, 1986	
	जमाराशि	ऋण जमा अनुपात	जमाराशि	ऋण जमा अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्तर प्रदेश	7831	45.0	8772	41.5
राजस्थान	1878	66.1	2100	62.3
गुजरात	5280	54.3	5793	55.1

आंकड़े अनन्तिम

बैंकों की जमा-ऋण एवं नकदी अनुपात और लाभ की स्थिति

*757. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए उनकी जमा-ऋण एवं नकदी अनुपात और लाभ की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में 1985-86 (मार्च के अन्तिम शुक्रवार तक) के दौरान हुई 13,160 करोड़ रुपये (18.2 प्रतिशत) की वृद्धि के मुकाबले 1986-87) मार्च के अन्तिम शुक्रवार तक) के दौरान 16,723 करोड़ रुपये (19·6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मत है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नकदी स्थिति कुल मिला कर संतोषजनक है।

सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से 27 बैंकों ने वर्ष 1986 के अपने खातों को अन्तिम रूप दे दिया है। सरकारी क्षेत्र के इन 27 बैंकों के प्रकाशित लाभों में वर्ष 1985 के मुकाबले 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कम्प्यूटर साफटवेयर और हार्डवेयर के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

*758. डा० वी० वेंकटेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु उपयोग के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर तैयार करने हेतु कर्नाटक में एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा आदिमजाति उप-योजना और विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि

*759. श्री मनकू राम सोडी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदिम जाति उप-योजना और विशेष संघटक

योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष आवंटित धनराशि और विभिन्न राज्यों द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

(ख) आदिम जाति उप-योजना और विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) पूर्ववर्ती वर्षों और वर्ष 1987-88 में मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित की गई सभी धनराशि क्रमश: आदिवासी उपयोजना/विशेष संघटक योजना में दर्शाई जाती है। इस प्रकार छटी योजना में और सातवीं योजना के पहले दो वर्षों में आदिवासी उपयोजना और विशेष संघटक योजना के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आबंटिन को शामिल करते हुए जो धनराशि आबंटित की गई थी और जो व्यय किया गया था वह निम्न प्रकार था:—

(रुपये करोड़ में)

	विशेष केन्द्रीय सहायता		आदिवासी उप-योजना	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
छठी योजना	4214.66	3560.28	3968.46	3968.46
1985-86	1175.27	1071.75	1081.58	1096.07
1986-87	1365.67	1365.67 (अनुमानित)	1344.71	1344.71 (अनुमानित)

(ख) 1987-88 के दौरान आदिवासी उपयोजना के लिए आवंटित कुल विशेष केन्द्रीय सहायता 168.50 करोड़ रुपये हैं और विशेष संघटक योजना के लिए 175.00 करोड़ रुपये है।

(ग) वर्ष 1980-81 से 1986-87 के दौरान आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में मध्य प्रदेश का हिस्सा 221.42 करोड़ रुपये था और विशेष संघटक योजना के लिए 378.83 करोड़ रुपये था। वर्ष 1987-88 के दौरान आदिवासी उपयोजना के लिए मध्य प्रदेश की विशेष केन्द्रीय सहायता का अनन्तिम आबंटन 44.00 करोड़ रुपये और विशेष संघटक योजना के लिए 87.03 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

आर्थिक अपराधों का पता लगाने के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों को नियुक्त किया जाना

7400. **श्री अजीत सिंह बाम्बी**
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि
श्री सनत कुमार मंडल : } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जांच और आसूचना एजेंसियों ने आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए गैर-सरकारी लिमिटेड सलाहकार और जासूसी एजेंसियों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है;

(ग) क्या किए गए व्यय के अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार की एजेंसियों की नियुक्ति देश के वित्तीय और आर्थिक कानूनों के प्रावधानों के विरुद्ध है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) : संयुक्त राज्य अमेरिका की फेयरफैक्स ग्रुप इंक० का प्रयोग किए जाने का प्रश्न बहस का विषय रहा है। मामले के सार्वजनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दिनांक 6 अप्रैल, 1987 को एक जांच आयोग नियुक्त कर दिया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रस्तुत नई योजना

7401. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले अनिवासी भारतीयों ने प्रतिभा, युवाशक्ति और उच्च प्रौद्योगिकी को लेकर कोई नई योजना बनाई है, जिसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना का ब्योरा क्या है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों का धोखाधड़ी के मामलों में निलंबन

7402. **चौधरी रहीम खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 जून, 1986 को "इकनामिक टाइम्स" में "इलाहाबाद बैंक सस्पेंड्स टू अफिशियल्स फार फ्राड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या संसद मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित इस बैंक के विशाल भवन के रख-रखाव में धोखाधड़ी के मामले में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि उसने स्वतः ही यह मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी जांचकर्ता को सौंप दिया था जिसने बैंक के संसद मार्ग, नई दिल्ली भवन में

वातानुकूलन संयत्र के रख-रखाव, साफ-सफाई आदि के लिए ठेका देने में की गई अनियमितताओं की पूरी-पूरी जांच की थी। बैंक ने आगे चलकर यह भी बताया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर दो दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी जिन्हें निलम्बित भी कर दिया गया था।

"हैवी वाटर प्लांट" तूतिकोरिन में 40 सूत्री और 100 सूत्री रोस्टर

7403. **श्री एम० महालिंगम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तूतीकोरिन स्थित "हैवी वाटर प्लांट" में श्रेणी I से IV तक के पदों में आदेश जारी किये जाने की तिथि से ही 40 सूत्री और 100 सूत्री रोस्टर का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछला बकाया कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्योरा इकट्ठा किया जा रहा है।

बैंक के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विदेशों में स्थित बैंक शाखाओं का दौरा

7404. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्टीयकृत बैंकों की देश से बाहर कुल कितनी शाखाएँ हैं;

(ख) संबंधित बैंकों के उच्च अधिकारियों ने कितनी बार विदेशों में स्थित अपनी शाखाओं का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कार्यकारी अधिकारियों को दौरों के लिये कोई अनुमति लेनी होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गई और संबंधित शाखाओं द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन उच्च कार्यकारी अधिकारियों के आतिथ्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1986 को 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 11 बैंकों की विदेशों में 110 शाखाएं थीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यपालक और उच्च कार्यपालक विदेशी शाखाओं के कार्यचालनों का परिचय प्राप्त करने और उनके परिचालनों की समीक्षा करने तथा अपनी शाखाओं का निरीक्षण करने के प्रयोजन से विदेशी शाखाओं का दौरा करते हैं। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के मुख्य

कार्यपालक अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक के ऐसे दौरों के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। अन्य उच्च अधिकारियों अर्थात् उप महाप्रबन्धक और महाप्रबन्धक के दौरों का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक या कार्यपालक निदेशक द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ङ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों, महाप्रबन्धकों और उप महाप्रबन्धकों द्वारा किए गए दौरों और उनके व्यय के संबंध में विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रथमा बैंक में महाप्रबन्धक की नियुक्ति

7505. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में महाप्रबन्धक का एक पद स्वीकृत किया है;

(ख) क्या प्रथमा बैंक में महाप्रबन्धक के दो पद बनाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) महाप्रबन्धक के दो पद सृजन करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) वर्ष 1986 तक इस बैंक में वर्ष-वार सुरक्षा संबंधी लागत, विज्ञापन की लागत और प्रचार लागत कितनी थी ; और

(च) बैंक ने आयकर देने वाले लोगों को कितनी राशि के ऋण प्रदान किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) 50 से अधिक शाखाओं और 3 करोड़ रुपये से अधिक कारबार वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पूर्वानुमोदन से महा प्रबंधक का एक पद बनाया जा सकता है।

(ख) से (घ) प्रथमा बैंक के प्रयोजक बैंक सिंडिकेट बैंक द्वारा यह बताया गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता के कारण महाप्रबंधक के दूसरे पद की जरूरत थी क्योंकि एक प्रबंधक के खिलाफ जिसने वर्तमान महाप्रबंधक के खिलाफ भी आरोप लगाए थे और उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की थी, जल्दी जांच करनी थी। यद्यपि मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है लेकिन दूसरा पद समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) और (च) यह भी बताया गया है कि प्रथमा बैंक ने उन व्यक्तियों को ऋण नहीं दिए हैं जो आयकर अदा करते हैं। प्रथमा बैंक द्वारा विज्ञापन/प्रचार और सुरक्षा लागत पर किए गए खर्च के बारे में सूचना निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

(हजार रुपये)

वर्ष	विज्ञान/प्रचार लागत	सुरक्षा लागत
1980	2·33	...
1981	13.92	...
1982	13 73	...
1983	55.15	...
1984	53 00	26.62
1985	15.25	35.89

सरकारी फ्लैटों को पर्यावरणीय स्वीकृति

7406. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैटों के डिजायनों और निर्माण-नक्शों की पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृति की आवश्यकता है;

(ख) यदि नहीं, तो उनके मंत्रालय से इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किए जाने को अनिवार्य बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर सरकारी फ्लैटों की पर्यावरणीय उपयुक्तता और निवासियों की समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) यदि अभी तक इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है तो क्या सरकार का विचार यह अध्ययन शुरू करने का है और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप पहले ही निर्मित किए जा चुके फ्लैटों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले फ्लटों में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को कोई मार्ग निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैटों के डिजायनों और निर्माण-नक्शों का इस मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन नहीं किया जाता । इस प्रकार की परियोजनाओं के पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं की कुछ हद तक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है ।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है । शहरी विकास मंत्रालय ने देश में उन सार्वजनिक भवनों के डिजायन और निर्माण के लिए मानदण्ड, मार्गदर्शी सिद्धान्त और मानक प्रतिपादित कर लिए हैं जिनमें भू-दृश्य और पर्यावरणीय पहलू शामिल हैं ।

[हिन्दी]

दिल्ली में तिहाड़ गांव में अनुसूचित जाति के परिवारों को भू-खंडों का आबंटन

7407. **श्री भरत सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कल्याण विभाग ने 1971 में पश्चिमी दिल्ली में तिहाड़ गांव के अनुसूचित जाति के परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए भू-खण्ड आवंटित करने की घोषणा की थी और इस संबंध में उन्हें आबंटन पत्र भी दिए गए थे ; और

(ख) क्या अनुसूचित जाति के इन परिवारों को भू-खंडों का कब्जा दे दिया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) केन्द्र शाशित प्रदेश दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 40 अनुसूचित जाति के परिवारों को गृह स्थलों के लिए आबंटन पत्र दिए गये थे । बाद में भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "हरी पट्टी" में शामिल कर दिया गया और इस प्रकार उन्हें कब्जा नहीं दिया जा सका । इसके अतिरिक्त, आगे जाँच करने पर यह पता चला कि ये व्यक्ति ग्रह स्थलों के आबंटन के लिए पात्र नहीं थे ।

(अनुवाद)

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा महाजनों से अपने शेयर आदि की धनराशि का जुटाया जाना

7408. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पूंजी बाजार में गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र के शेयरों आदि के मामले में स्पष्ट मंदी आने के कारण कई कम्पनियाँ अपने शेयर आदि की खरीद के लिए अब महाजनों का सहारा ले रही है;

(ख) क्या स्टाक एक्सचेंजों के कुछ बड़े दलालों द्वारा कमीशन लेकर सामान्यतया इस प्रकार धन दिलाया जाता है;

(ग) क्या यह निवेश बिल्कुल पूर्णतः बेनामी होता है और धन जुटाने वाले की यह स्पष्ट शर्त होती है कि वह शेयर को बाद में पुनः खरीद लेगा जिसके परिणामस्वरूप 10 रुपए का शेयर 13 रुपये में पुनः खरीद लिया जाता है जिससे निवेशकर्त्ता को 30 प्रतिशत का शुद्ध लाभ होता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रकार के कदाचार को जिसका उद्देश्य काले धन को कानूनी रूप से अर्जित धन में परिवर्तित करना है, रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) सरकार को इस किस्म के किसी निवेश की जानकारी नहीं है।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कस्बों और शहरों में समाज के कमजोर वर्गों को ऋण

7409. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्बों और शहरों में विशेष संघटन योजना के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों से कहा गया है कि विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों सहित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अधीन कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों की बकाया रकम कुल बकाया अग्रिमों का कम से कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए। सितम्बर, 1986 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कमजोर वर्गों के नाम बकाया अग्रिमों की राशि 5470 करोड़ रुपये थी जो उनके कुल अग्रिमों का 10.8 प्रतिशत बैठती है।

परती भूमि का पता लगाना

7410. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार ऐसी कितने क्षेत्र भूमि का पता लगाया गया है जो (एक) कृषि की आधुनिक पद्धतियों द्वारा खेती योग्य है (दो) चारागाहों के लिए उपयुक्त है (तीन) वन लगाने के लिए उपयुक्त है (चार) अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त है ?

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक मामले में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) प्रत्येक के लिए चालू वर्ष के दौरान कितने लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने अनुमान लगाया कि लगभग 175 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र अवक्रमित है जिसमें से 150 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल और वायु-क्षारण के कारण और 25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र खास समस्याओं के कारण अवक्रमित है । विवरण 1 में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश-वार परती भूमि के अनुमान हेक्टेयर में दर्शाए गए हैं । इनमें से कुछ क्षेत्र वनरोपण के लिए उपयुक्त होंगे ।

(ख) और (ग) 1985-86 के दौरान वनरोपण में हुई प्रगति **विवरण 2** में और 1986-87 के दौरान हुई प्रगति 1987-88 के लिए लक्ष्यों के साथ **विवरण-3** में दर्शाई गई हैं ।

विवरण-1

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल समस्याग्रस्त क्षेत्र		
		मृदा क्षरण के कारण	भूमि आक्रमण	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	115·02	7·29	122·31
2.	असम	22·17	7·82	29·99
3.	बिहार	42·60	22·92	65·52
4.	गुजरात	99·46	26·40	125·86
5.	हरियाणा	15·91	25·71	41·62
6.	हिमाचल प्रदेश	19·14	—	19·14
7.	जम्मू और कश्मीर	8·83	0·10	8·23
8.	कर्नाटक	109·89	4·14	114·03
9.	केरल	17·57	1·78	19·35
10	मध्य प्रदेश	196·90	11·07	207·17
11.	महाराष्ट्र	191·81	6·65	198·46
12.	मणिपुर	3·74	3·60	7·34
13.	मेघालय	8·37	2·65	11·02
14.	नागालैण्ड	4·05	0·77	4·82
15.	उड़ीसा	45·78	32-25	78·02
16.	पंजाब	10·07	22·23	32·30

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	199·02	174·92	373·94
18.	सिक्किम	3·03	—	3·03
19.	तमिलनाडु	36·40	1·82	38·22
20.	त्रिपुरा	1·67	1·12	2·79
21.	उत्तर प्रदेश	71·10	60·05	131·15
22.	पश्चिम बंगाल	10·33	32·70	43·03
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2·59	—	2·59
24.	अरुणाचल प्रदेश	24·44	2·10	26·54
25.	चण्डीगढ़	0·01	—	0·01
26.	दादर और नगर हवेली	0·12	—	0·12
27.	दिल्ली	0·74	0·01	0·75
28.	गोवा, दमन और दीव	2·00	—	2·00
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	4·21	1·89	6·10
31.	पाण्डिचेरी	0·03	—	0·03
	कुल	1,266·20	449·99	1,716·19
			14·65	14·65
		1,266·20	464·16	1,730·84

स्रोत : डेवलपिंग इंडियाज, वेस्टेड, लैंड्स, ए ब्रीफिंग पेपर, सेण्टर फार साइंस एंड एनवायरनमेण्ट, 1986

विवरण-2

1985-86 के लिए वन रोपण के तहत लक्ष्य और उपलब्धियां

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	
	(पौधे लाखों में)	(पौधे लाखों में)	क्षेत्र हे० में
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	2600	3156	157800
2. असम	400	396	19800
3. बिहार	1500	1523	76150
4. गुजरात	2550	2497	124850
5. हरियाणा	950	937	46850

1	2	3	4
6. हिमाचल प्रदेश	550	672	33600
7. जम्मू और कश्मीर	350	467	23350
8. कर्नाटक	2500	2546	127300
9. केरल	600	1166	58300
10. मध्य प्रदेश	3500	3501	175050
11. महाराष्ट्र	2000	2165	108250
12. मणिपुर	120	125	6250
13. मेघालय	130	111	6550
14. नागालैण्ड	180	269	13450
15. उड़ीसा	2142	1930	96500
16. पंजाब	527	590	29500
17. राजस्थान	820	958	47900
18. सिक्किम	82	82	4100
19. तमिलनाडु	1100	1215	60750
20. त्रिपुरा	150	200	10000
21. उत्तर प्रदेश	3250	3548	177400
22. पश्चिम बंगाल	1100	1115	557500
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	95	95	47500
24. अरुणाचल प्रदेश	100	103	51500
25. चण्डीगढ़	2.9	1.52	76
26. दादर और नगर हवेली	30	31	1550
27. दिल्ली	25	25	1250
28. गोआ, दमन द्वीप	32	45	2250
29. लक्षद्वीप	0.04	0.25	12.5
30. मिजोरम	700	700	35000
31. पाण्डिचेरी	10	11	550
कुल	28095.14	30200.77 1.51 मिलियन हेक्टेयर	1514538.5 1.51 मिलियन हेक्टेयर

नोट : उपलब्धियां कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सूचित की गई हैं।

विवरण-3

1986-87 के लक्ष्य व उपलब्धियाँ

1987-88 के लिए वनरोपण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य

	पौधे लाखों में			1987-88 में वनरोपण के लक्ष्य		
क्र०सं०	राज्य	लक्ष्य 1986-87	उपलब्धियां जनवरी, 1987 तक	फार्म वानिकी (पौधे लाखों में)	ब्लाक पौध रोपण (हे० में)	कुल वन रोपण (पौधे-लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	3000	2747	2520	54000	3600
2.	असम	400	625	490	10500	700
3.	बिहार	2600	2711	2450	52500	3500
4.	गुजरात	1631	2271	1750	37500	2500
5.	हरियाणा	725	644	507	10900	725
6.	हिमाचल प्रदेश	625	567	630	13500	900
7.	जम्मू व कश्मीर	522	244	490	10500	700
8.	कर्नाटक	2500	2297	2240	48000	3200
9.	केरल	1200	1519	1260	27000	1800
10.	मध्य प्रदेश	3700	3920	3500	75000	5000
11.	महाराष्ट्र	2400	2352	2240	48000	3200
12.	मणिपुर	160	144	140	3000	200
13.	मेघालय	150	158	140	3000	200
14.	नागालैण्ड	350	403	420	9000	600
15.	उड़ीसा	2400	2161	2240	48000	3200
16.	पंजाब	550	502	525	11250	750
17.	राजस्थान	1100	1315	1120	24000	1600
18.	सिक्किम	110	114	105	2250	150
19.	तमिलनाडु	2400	1711	2240	48000	3200
20.	त्रिपुरा	320	268	280	6000	400
21.	उत्तर प्रदेश	4500	4865	4200	9000	6000
22.	पश्चिम बंगाल	1400	1365	1260	27000	1800

1	2	3	4	5	6	7
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	120	116	91	1950	130
24.	अरुणाचल प्रदेश	125	26	87·5	1875	125
25.	चण्डीगढ़	3·40	3·6	3·5	75	5
26.	दिल्ली	50	44	44·8	960	64
27.	दादर और नगर हवेली	30	31	28	600	40
28.	गोवा, दमन, द्वीव	75	68	70	1500	100
29.	लक्षद्वीप	0·12	0·27	0·21	4·5	0·30
30.	मिजोरम	1128	1284	1120	24000	1600
31.	पाण्डिचेरी	10	8·93	7·49	160·5	10·70
	योग	34284·52	34460·80	32199·5	690025	46000

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के रूप में पूरा वेतन

7411. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसी योजना तैयार करने का है जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी पेंशन के रूप में पूरा वेतन पा सकेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी नहीं। फिर भी एक ऐसी अंशदायी पेंशन निधि योजना की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है जिसके अधीन पेंशन के रूप में अन्तिम रूप से लिए गए वेतन की अदायगी की जा सकेगी। अतः इस स्थिति में कोई भी ब्यौरे बताना समयपूर्व होगा।

पंजाब नेशनल बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

7412. **श्री अनादिचरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक के प्रत्येक क्षेत्र/जोन/राज्य में एम० एम० जी० वेतनमान II के पदों पर 1984 से वर्ष-वार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति/पदोन्नति की गई है इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हैं,

(ख) पंजाब नेशनल बैंक के प्रत्येक सेल/जोन/राज्य के रोस्टर के अनुसार 1984 से आज तक वर्ष-वार कितने पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा पदों के रूप में रखा गया था।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति के पिछले बकाया मामलों को निपटाने के लिए बैंक ने 1979 से आज तक कौन से प्रयास किए हैं; और

(घ) क्या सम्पूर्ण भारत में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत और 7-1/2 प्रतिशत के आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि बैंक एम० एम० जी० स्केल-II के अधिकारियों की भर्ती केवल विशेष संवर्ग के पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर करता है। 1984-86 की अवधि के दौरान बैंक ने कुल ऐसे 6 अधिकारियों की भर्ती की थी जो सबके सब सामान्य श्रेणी के थे, यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक-एक पद आरक्षित रखा गया था। बैंक ने आगे चलकर बताया है कि एम. एम. जी. स्केल-II में पदोन्नतियां अखिल भारतीय आधार पर चयन प्रक्रिया द्वारा की जाती हैं और ऐसी स्थिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं होता। वर्ष 1984, 1985 और 1986 में जे. एम. जी. स्केल-I से एम. एम. जी. स्केल-II में की गई कुल पदोन्नतियों और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या का ब्यौरा, जैसा कि बैंक द्वारा सूचित किया गया है, नीचे दिया गया है :—

वर्ष	कुल पदोन्नतियां	इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1984	650	12	1
1985	712	36	2
1986	403	35	9

चूंकि जे. एम. जी. स्केल-I से एम. एम. जी. स्केल-II में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आधार नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई बकाया रिक्तियां नहीं हैं। लेकिन बैंक ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र उमीदवारों को पदोन्नति पूर्व प्रक्षित प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है ताकि पदोन्नतियों में उनके आधारों में सुधार हो सके।

(घ) बैंक ने आगे उपाय रखा है कि राष्ट्रीयकरण की तारीख अर्थात् 19 जुलाई, 1959 से बैंक ने सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। यद्यपि बैंक अनुसूचित जातियों के काफी संख्या में उम्मीदवार भर्ती करने में सफल हो सका है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के मामले में खाली स्थान बकाया है क्योंकि इस वर्ष के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

मछली पालन हेतु वित्तीय सहायता

7413. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध वित्तीय सहायता के संबंध में मछली पालन को कृषि संबंधी क्रियाकलापों के रूप में माना गया है ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मछली पालन के लिए किस रियायती दर पर ब्याज वसूल किया जाता है;

(ग) क्या मछली पालन के लिए ब्याज की दर निश्चित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश मौजूद हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में सहायता बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मछली पालन को कृषि से सम्बद्ध गतिविधि के रूप में माना जाता है और इस काम के लिए वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार मछली पालन के विकास के लिए वाणिज्यिक बैंकों से निवेश ऋणों के रूप में निम्नलिखित रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

			प्रतिशत वार्षिक
(1) छोटे किसान	......	......	10.0
(2) अन्य किसान		......	12.5

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने मछली पालन सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के बारे में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम सामान्य निर्देश जारी किये हैं। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार मछली पकड़ने, मछलियों के निर्यात, नहरें समुन्द्र में मछली पकड़ने के लिए उपकरणों के वास्ते आवश्यक वित्त तालाबों के पुनरुद्धार(ताजे पानी में मछली पालन) या मत्स्य प्रजनन आदि जैसे मछली पालन कार्यों के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों को कृषि से सम्बद्ध कार्यों के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया गया है। कृषि से संबद्ध कार्यों के लिए ब्याज की दर, मार्जिन, प्रतिभूति मानकों आदि में जो रियायतें लागू हैं वे मछली पालन योज-नाओं के अंतर्गत ऋणकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध हैं। वाणिज्यक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मछली पालन के लिए योजनागत ऋणों के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से पुर्नवित्त के पात्र हैं। उन परम्परागत मछुओं के लिए, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा, योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

कर्नाटक में औद्योगिक एककों को रियायतें

7414. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंकों ने कर्नाटक में बैंकों को यह निदेश दिए हैं कि वे राज्य में व्याप्त सूखे की स्थिति को देखते हुए औद्योगिक एककों को रियायती दरों पर ऋण दें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जारी किये गये निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सूखा बाढ़, बवंडर जैसी प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुन-र्वास सहायता देने के वास्ते उसने दिनांक 2 अगस्त, 1984 को मार्गनिर्देश जारी कर दिए थे। इन मार्गनिर्देशों में वर्तमान ऋणों को रूपांतरित करने और ऋण परिशोधन के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण

करने, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की सुविधा देने, मार्जिन की कमियों को माफ करने या हटाने और भावी नकद प्राप्तियों से मार्जिन की व्यवस्था करने के लिए ऋणकर्ताओं को समय देने, प्रतिभूति मानदण्ड में ढील देने आदि की परिकल्पना की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सूखे से प्रभावित औद्योगिक एककों को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते उसने कर्नाटक राज्य के बैंकों को अन्य कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

भारत के कुछ भागों को उत्पादन शुल्क अदायगी से छूट

7415. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोइ ऐसा भाग था। है जिसे उत्पाद-शुल्क या अन्य करों की अदायगी से छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह छूट कितनी अवधि के लिए दी गई थी और इसका औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : सूचना यथा-संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

7416. **श्री नन्द लाल चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान और चालू वर्ष 1987-88 में अब तक मध्य प्रदेश में बीड़ियों में प्रयुक्त तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में बीड़ियों में प्रयुक्त तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क की कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 1 मार्च, 1979 से अनिर्मित तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया था। अत: 1986-87 अथवा 1987-88 के दौरान बीड़ियों में प्रयुक्त तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एकत्र करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) 1-3-1979 से पूर्व से सम्बन्धित अवधि के लिए मध्य प्रदेश में अनिर्मित तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया राशि 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार 24 लाख रु० है।

[अनुवाद]

नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत

7417. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं की तस्करी पर संयुक्त रूप से रोक लगाने के संबंध में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग)सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी को किस सीमा तक रोका गया है और उस पर नियंत्रण किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) दिसम्बर, 1986 में भारत और पाकिस्तान के बीच उचित स्तर पर हुए विचार विमर्शों में नशीले औषध द्रव्यों के गैर कानूनी व्यापार एवं तस्करी को रोकने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन किए जाने का निर्णय किया गया था। इस निर्णय के अनुसार गठित समिति की पहली बैठक 26-27 मार्च, 1987 को नई दिल्ली में हुई थी। विचार-विमर्श में दोनों ही देशों में मॉडल एजेंसियों का पता लगाने, जिनके माध्यम में सूचना का आदान प्रदान किया जाएगा, औषध द्रव्यों का गैर-कानूनी व्यापार करने वालों और तस्करों की गतिविधियों को प्रभावहीन करने के लिए किए जाने वाले उपायों, तस्करी तथा नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार में प्रयोग किए गए नए तरीकों अथवा पद्धतियों तथा ऐसी ही गतिविधियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान किए जाने सहित विभिन्न व्यापक विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ था। दोनों ही पक्षों ने नशीले औषध द्रव्य संबंधी खतरे को रोकने के लिए प्रयास तेज किए जाने संबंधी अपने दृढ़ निश्चित को भी दोहराया।

(ग) स्वापक औषध द्रव्य तथा : मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को लागू करने और देश में विशेषकर सीमा क्षेत्रों में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आरम्भ किए गए जोरदार अभियान के परिणामस्वरूप नशीले औषध-द्रव्यों को बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है।

किसानों को ट्रैक्टर, पम्प सेटों आदि की खरीद के लिए ऋण देना

7418. **श्री मोहन भाई पटेल** . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को ट्रैक्टरों और पम्प सैटों आदि की खरीद करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत बैंकों ने गुजरात राज्य के किसानों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का ऋण दिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने किसानों को बैंकों की इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है,

(घ) क्या इस योजना में मध्यम वर्ग; के और निर्धन किसानों को भी ऋण देने की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक क्रमश. कृषि मशीनीकरण और लघु सिंचाई के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर और पम्प सैट खरीदने के लिए ऋण प्रदान करते हैं।

(ख) और (ग): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से ट्रैक्टरो या पम्प सेटों की खरीद के लिए बैंक अग्रिमों की राशि से संबंधित अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलवत्ता, वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान, कृषि मशीनीकरण योजना और लघु सिंचाई योजना के अन्तंगत बैंकों द्वारा गुजरात में सवितरित राशि और खातों की संख्या नीचे दी गई है :

(लाख रुपए)

जून को समाप्त वर्ष	कृषि मशीनीकरण योजना		लघु सिंचाई योजना	
	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि
1983	5199	1697	9916	674
1984	7018	2838	17133	1099
1985	7316	3680	17787	1451

(घ) और (ङ) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि मशीनीकरण योजना और लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ऋण प्रस्ताव अर्थक्षम हैं, वित्तीय सहायता देने वाले बैंकों ने भूमि की न्यूनतम जोत के कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं। अलबत्ता, छोटे और अन्य किसान, जिनके पास अलग-अलग रूप में निर्धारित न्यूनतम भूमि नहीं है, कृषि मशीनीकरण/लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते ऐसे किसान सामूहिक रूप से निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हों। अलबत्त, वर्तमान आंकडा सूचना प्रणाली से फार्म मशीनीकरण/लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत अलग-अलग जोत के आधार पर सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती।

"पेड़ों को काटने से रोकने के लिए जारी किये गये मार्गनिर्देश"

7419. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण में पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए जारी किये गये मार्ग निर्देशों का मूल उद्देश्य चारकोल के उत्पादन के लिये पेड़ों को काटे जाने को रोकना था ;

(ख) क्या तदनुसार चारकोल का उत्पादन बंद हो गया था;

(ग) क्या उपर्युक्त गतिविधियां पुन: प्रारम्भ हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र के पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) से (घ) वनों की कटाई से सुरक्षा और समग्र सुरक्षा की जरूरत वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने के लिए राज्यों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र को कवर किया गया है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों में क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकना शामिल था न कि चारकोल के उत्पादन जैसे किसी खास उपयोग को रोकना।

इस क्षेत्र के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अन्य सामान्य उपायों के अलावा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम प्रतिपादित किया गया है।

फलों के रस से बनाये गये पेय पदार्थों पर उत्पादन शुल्क

7420. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसिका, फ्रूटी, फनडे, माजा आदि जैसे फलों के रस से बनाये गये तैयार पेय-पदार्थों पर किस दर से उत्पादन शुल्क लगाया जाता है ;

(ख) फलों से बनाये जाने वाले पेय पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये करों में क्या रियायत देने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार फलों के रस बनाये जाने वाले पेय -पदार्थों के मामले में उनकी "पैकेजिंग" के मूल्य को उत्पाद शुल्क से छूट देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यूनिट आधानों में रखे हुए और साधारणतः बिक्री हेतु आशयित फलों के रस पर मूल्यानुसार 10% की दर से उत्पादन शुल्क प्रभार्य होता है।

(ख) 1987 के बजट में माडवैट सुविधा, अन्तिम उत्पाद पर शुल्क दर बढ़ाए बगैर फलों के रस पर भी लागू की गई थी। इसके अलावा, खाद्य पैकेजिंग मशीनरी तथा अपूतिक पैकेजिंग की विनिर्दिष्ट मदों पर आयात शुल्क घटा कर 50% तक कर दिया गया था।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

बैंक खाते खोलना

7421. **श्री आर० एम० भोये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनेक शाखायें खाते खोलने वाले व्यक्तियों की समुचित जांच किए बिना उन्हें खाते खोलने की अनुमति देती है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश खाते बेनामी खाते हैं जिनका प्रयोग काला धन वाले व्यक्ति करते हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो यदि कोई धोखाधड़ी के मामले पकड़े गए हैं तो उसका अब तक का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि वे नए खाते खोलने के मामले में प्रक्रियाएँ निर्धारित करें ताकि खाताधारियों की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित हो सके जिससे बेनामी खाते न खोले जा सकें। जब कभी नए खाते खोलने के समय उचित परिचय प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने के उदाहरण बैंकों के ध्यान में आते हैं, तब मामले की जांच की जाती है और संबद्ध बैंक अधिकारियों के खिलाफ उनकी त्रुटियों के लिए उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई सामान्य जांच नहीं की गई है।

बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली

7422. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1987 के "ट्रिब्यून" में "बैंक मैनेजर्स इन डायलेमा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) ऋणों की वसूली के संबंध में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में बैंक प्रबंधकों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : जी हां, । बैंक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को अधिक ऋण देने के लिए शुरू किए गए अपने समग्र उपायों के लिए एक अंग के रूप में इन ऋण शिविरों का आयोजन करते हैं।

(ग) ऋण शिविरों में वितरित किए गए ऋणों सहित सभी ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वसूल किए जाने होते हैं। अलबत्ता, वसूली की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम नियंत्रक कार्यालयों और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, योजनागत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने तथा ऋण देने के पश्चात् नजर रखने और राज्य सरकार की सहायता से वसूली अभियान शुरू करने जैसे कारगर उपाय करने के वास्ते विभिन्न मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

बिहार के आदिवासियों को मातृ भाषा में शिक्षा देने के लिए मांग

7423. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति के लोग उन्हें उनकी मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा दिए जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें उनकी मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस दिशा में राज्य सरकारों को भेजे गये केन्द्रीय दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर आदिवासी बोलियों में शिक्षा देने की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई है। यह समझा जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संथाली भाषा के लिए "ओलचिकी,, लिपि को मान्यता दी हुई है और अध्यापकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं कि वे उस लिपि के माध्यम से संथाली विद्यार्थियों को पढ़ाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से संबंधित कार्य योजना में कक्षा 1 और 2 के लिए आदिवासी बोलियों में प्रवेशिकाएं तैयार करने की व्यवस्था की गई है जिनके लिए सातवीं योजना के अन्त तक एक लाख से अधिक स्वीकर होंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ने राज्य सरकारों को लिखा है।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को ऋणों की उपलब्धता पर निगरानी रखने के लिए पृथक सैल

7424. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋणों की उपलब्धता पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालयों और क्षेत्रीय/जोनल/मंडलीय कार्यालयों में कोई पृथक सैल स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सैलों के कृत्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों को दिए जाने वाले ऋणों पर नजर रखने के लिए अपने-अपने प्रधान कार्यालयों में विशेष कक्ष स्थापित करके आवश्यक प्रबंध किए हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिये जाने वाले ऋणों पर नजर रखने के अलावा इन कक्षों के अन्य कार्यों में शाखाओं से सांख्यिकी विवरणियां एकत्र करना तथा उनका संकलन करके उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना और यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय से संबंधित जारी किए गए मार्गनिर्देशों पर अमल किया जाये।

नए उर्वरक संयंत्रों के लिए ऋण इक्विटी अनुपात

7425. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नए उर्वकों संयंत्रों के लिए ऋण इक्विटी के अधिक अनुपात के सम्बन्ध में विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उर्वरक संयंत्रो के लिए ऋण-इक्विटी के उच्च अनुपात से उर्वकों के लिए दी जाने वाली राज सहायता में कटौती करने में सहायता मिलेगी;

(ग) क्या सरकार उद्योग की ऋण देयता घटाने के लिए दूसरे उद्योगों में भी ऋण-इक्विटी के अधिक अनुपात के सम्बन्ध में विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ऋण इक्विटी के अधिक अनुपात वाले उद्योगों में निवेशकर्त्ताओं को आयकर के मामले में छूट और अन्य प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) मौजूदा नीति के अन्तर्गत उर्वरकों सहित कतिपय वर्गों की पूंजी प्रधान परियोजनाओं के लिए 2:1 के मानकित अनुपात की अपेक्षा और ज्यादा ऋण इक्विटी अनुपात की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

"भारत में सफेद बाघों की संख्या"

7326. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिड़ियाघरों और जंगलों दोनों में सफेद बाघों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारत में सफेद बाघों की संख्या कम हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस दुर्लभ जाति को बचाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में 34 सफेद बाघ हैं। इस समय वनों में कोई सफेद बाघ नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोलाघाट ताप बिजली परियोजना

7527. **श्री सतन कुमार मन्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कोलाघाट ताप बिजली परियोजना को इसके दूसरे चरण के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये का ऋण देने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में गठित बैंकों के एक संघ को अनुमति देना अस्वीकार कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो कोलाघाट ताप बिजली परियोजना के दूसरे चरण के निर्माण के लिए 70 रुपये रुपये का ऋण देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में गठित संघ के दृष्टिकोण के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक को क्या आपत्ति है; और

(ग) कोलाघाट ताप बिजली परियोजना के दूसरे चरण के निर्माण हेतु धन-राशि प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सामान्यतः बैंक बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्त व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। फिर भी, एक विशेष मामले के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोलाघाट ताप बिजली परियोजना चरण-2 की परियोजना लागत के एक भाग को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में गठित बैंकों के एक संघ द्वारा 25 करोड़ रुपये का सावधि ऋण देने की अनुमति दी है। इस राशि को प्राधिकृत करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया है कि 45 करोड़ रुपये का अन्तर सावधि ऋणदात्री संस्थाओं अथवा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरा किया जाए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाओं ने 45 करोड़ रुपये के इस अन्तर को पूरा करने के लिए ऋण सहायता की मंजूरी दे दी है।

पंजाब नेशनल बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर

7528. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली जोन में वर्ष 1984 से 1986 तक की अवधि में नियुक्त किए गए असिस्टेंट जनरल मैनेजरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें से कितने सहायक महा-प्रबंधक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दी गयी सूचना नीचे दी गयी है :—

क्रम सं०	अवधि	नाम	पदनाम	नियुक्ति
1.	7.12.81 से 31.8.84 तक	श्री एस. ए. पुरी	सहा०महाप्रबन्धक	आंचलिक प्रबंधक
2.	9.8.84 से 1-1.85 तक	श्री एच. सी. जैन	सहा०महाप्रबन्धक	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, नई दिल्ली
3.	2:1:1985 से अब तक	श्री एच. सी. जैन	सहा० महा प्रबन्धक	आंचलिक प्रबन्धक

(ख) कोई नहीं ।

बजट में रसायनों पर लगे सीमा शुल्कों में परिवर्तन किए जाने के कारण राजस्व की हानि

7429. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 के बजट में कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों पर लगने वाले सीमा-शुल्क की दरों में विभिन्न परिवर्तन किए जाने के कारण कुल कितने राजस्व की हानि होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष 1987-88 के बजट में कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों पर सीमा शुल्क की दरों में किए गए विभिन्न संशोधनों के कारण राजस्व पर अनुमानित निवल प्रभाव के परिणामतः राजस्व में निवल लाभ हुआ है :

तमिलनाडु में पट्टुक्कोट्टै कस्बे का वर्गीकरण

7430. **श्री एस० सिंगारावडी वेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में पट्टुक्कोट्टै कस्बे में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा उस कस्बे को इस आधार पर कि वहाँ की जनसंख्या 50,000 से अधिक है वर्ग "ग" के शहर के रूप में वर्गीकृत किये जाने का अनुरोध यह कह कर रद्द कर दिया गया है कि वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार उस कस्बे की जनसंख्या केवल 49,484 थी और मध्यावधि जनगणना को इस प्रयोजन के लिये आधार नहीं माना जा सकता है;

(ख) क्या वर्ष 1982 की जनगणना के अनुसार पट्टुक्कोट्टै कस्बे की जनसंख्या 50, 000 से अधिक हो गई है और वह 51,100 थी ।

(ग) क्या तमिलनाडु में चिदम्बारम, कोविलपट्टी, मेट्टुपालयम, पारामाकुड्डी, शिवकाशी और विंडीवणम कस्बों को वर्ष 1979 में मध्यावधि जनगणना के अनुसार ही वर्ग "ग" के शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया था ; और

(घ) क्या सरकार पट्टुकोट्टै, कस्बे को उपर्युक्त आधार पर वर्ग "ग" के शहर के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की मंजूरी के प्रयोजन के लिए विभिन्न नगरों/कस्बों का वर्गीकरण दस-वर्षीय जनसंख्या जनगणना के आधार पर किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए मध्यावधि वृद्धि पर विचार नहीं किया जाता है। 1981 में पिछली जनगणना के अनुसार पटुक्कोट्टै की जनसंख्या 49,484 थी। इस आधार पर पटुक्कोट्टै "ग" श्रेणी नगर के रूप में वर्गीकरण योग्य नहीं था जिसके लिए कम से कम 50,000 से अधिक की जनसंख्या अपेक्षित है।

(ग) और (घ) विगत समय में कुछ नगरों/कस्बों के वर्गीकरण के मामलों पर राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करके मध्यावधि जनसंख्या अनुमानों के आधार पर विचार किया गया था। कुछ मामलों में इस आधार पर तद्नुसार वर्गीकरण किया गया था।

तथापि, सरकार ने ऐसे नगरों/कस्बों के वर्गीकरण का दर्जा बढ़ाये जाने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया है जिनकी जनसंख्या पिछली दस-वर्षीय जनगणना के आधार पर कुछ कम पड़ती है।

केरल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन

7431. **श्री टी० बशीर** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए वर्ष (1987-88) के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हाँ। केरल राज्य के पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के कल्याण के अन्तर्गत वार्षिक योजना 1987-88 के लिए अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजना आयोग द्वारा 475.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केरल सरकार ने भी राज्य योजना 1987-88 से विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप योजना के लिए क्रमशः 4054.00 लाख रु० तथा 806.85 लाख रु० की धनराशि निर्धारित की है।

इसके अतिरिक्त, 1987-88 के दौरान विशेष संघटक योजना एवं आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में क्रमशः 400.04 लाख रु० 80.00 लाख रु० की अन्तिम व्यवस्था की गई है।

विवरण

केरल राज्य के पिछड़े वर्गों के क्षेत्रों के कल्याण के लिए 1987-88 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय के ब्यौरे

(रु० लाखों में)

कार्यक्रम/उपशीर्ष	1987-88 का परिव्यय
1	2
1. निर्देशन और प्रशासन	
2. अनसूचित जातियाँ :	
(क) शिक्षा	65.00

1	2
(ख) आर्शिक बिकास	35.00
(ग) स्वास्थ्य, आउस इत्यादि तथा अन्य	103.00
कुल	103.00
3. अनुसूचित जन जाति	
(क) शिक्षा	32.50
(ख) आर्थिक बिकास	35.25
(ग) स्वास्थ्य, आवास इत्यादि तथा अन्य	52.25
कुल	120.00
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	
(क) शिक्षा	6.00
(ख) आर्थिक विकास	14.00
(ग) स्वास्थ्य, आवास इत्यादि	—
कुल	20.00
5. केन्द्रीय प्रायोजित योजना (राज्य अंसदान) :	
1. मेडिकल और इन्जीनियरिंग के लिए बुक बैंक	5.00
2. लड़कियों के लिए होस्टल	35.00
3. कोचिंग तथा सहबद्ध योजना	4.00
4. अनुसंधान और प्रशिक्षण	10.00
5. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन	3.00
6. अनुसूचित जाति विकास निगम	75.00
कुल	132.00
कुल जोड़	475.00

केन्द्रीय अनुदान का सदृश्य अंशदान भी प्रदान किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना

7432. श्री सी० सम्बु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानो, वन्य जीव अभयारण्ये और पक्षी बिहारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सातवीं योजना के दौरान राज्य में इस प्रकार के किसी उद्यान की स्थापना के लिए सहायता मांगी है : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) आन्ध्र प्रदेश में वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत 15 वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किए गए हैं। इस समय आन्ध्र प्रदेश में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है और न ही पक्षियों के लिए कोई विशेष अभयारण्य अधिसूचित हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के स्थापित हो जाने के बाद उनके बेहतर संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता देती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति के लोगों को भूखंड

7433. श्री शांति धारीवाल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में अनुसूचित जाति के लोगों को मकान बनाने के लिए भूखंड आवंटित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की यह नीति है कि समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उन्हें छोटे-छोटे भूखंड आवंटित किए जाएं;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति के लोगों और भूमिहीन व्यक्तियों को ऐसे और अधिक भूखंड आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह भूखंड कब तक आवंटित किये जायेंगे और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन दिल्ली का एक ऐसा ही निर्णय है और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) में अनुसूचित जातियों को ऐसे और अधिक भूखंड आबंटित करने का इसका विचार है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पुन: नियोजित करना

7434 डा० गौरीशंकर राजहंस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पुनः नियोजित करने और सेवानिवृत्त की आयु पूरी होने पर सेवा को बढ़ाने के बारे में क्या मार्ग निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के सरकारी सेवा या सरकारी उपक्रमों में पुनः नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि बढ़ाने/अधिवर्षिता के बाद पुर्नानियुक्ति की मंजूरी अत्यन्त विरल और आपवादिक परिस्थितियों में विशेषकर लोकहित में दी जाती है जबकि या तो कोई अन्य अधिकारी इस पद का कार्यभार सम्भालने के लिए पूरी तरह परिपक्व न हो अथवा सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी असाधारण रूप से योग्य हो ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जबकि कार्य की अत्यावश्यकता के कारण सरकार के लिए असाधारण योग्यता वाले किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना लोकहित में आवश्यक हो जाता है। भाग (ख) में जिस प्रतिबन्ध की परिकल्पना की गई है उससे ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में प्रशासनिक कठिनाई तथा असुविधा पैदा हो जाएगी ।

बैंक शाखाएं खोलना

7435. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री बैंक शाखायें खोलने के बारे में 1 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5097 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक द्वारा खोली गई 128 नई शाखाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और क्या ये प्रमुख जिलों में खोली गई हैं अथवा किन्हीं अन्य स्थानों में भी खोली गई है ?

(ख) बिहार में खोली गई 14 शाखायें किन-किन बैंकों की हैं और ये किन स्थानों पर खोली गई हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1985 में कुल कितने अधिकारियों, लिपिकों, कार्मिक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती को गई है और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों का अलग-अलग प्रतिशत कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1986 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा खोली गयी 128 शाखाओं में से बैंकों ने 26 शाखाएं उन केन्द्रों में खोली हैं जो उनके अग्रणी जिलों के अंतर्गत आते हैं और 102 शाखाएं अपने अग्रणी जिलों से बाहर के केन्द्रों में खोली गयी हैं ।

(ख) वर्ष 1986 के दौरान बिहार में खोली गयी 14 शाखाओं के स्थानों और सम्बद्ध बैंकों के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) वर्ष 1985 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भर्ती किये गये अधिकारियों लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

श्रेणी	कुल भर्ती	कुल भर्ती में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	कुल भर्ती में अनुसूचित जन जातियों का प्रतिशत
अधिकारी	4235	14.82	5.24
लिपिक	29228	17.10	5.93
अधीनस्थ कर्मचारी	11499	24.89	4.73

विवरण

वर्ष 1986 के दौरान बिहार में खोली गयी शाखाओं के स्थान और सम्बद्ध बैंकों के नामों का विवरण

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	जिले का नाम	बैंक का नाम
1.	बनमंखी	पूर्णिया	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
2.	फतेपुर	वैशाली	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
3.	कोरकाघाट	गोड्डा	भारतीय स्टेट बैंक
4.	भेलाटोंड	धनबाद	भारतीय स्टेट बैंक
5.	बसंतीमाता कोलियरी	धनबाद	भारतीय स्टेट बैंक
6.	निर्शा	धनबाद	भारतीय स्टेट बैंक
7.	रघिया	पूर्वी चम्पारन	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
8.	कृष्णनगर	पूर्वी चम्पारन	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
9.	अंदौली	सहरसा	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
10.	गिसारा	सीतामढ़ी	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
11.	कवाचक जादव दा अदूरपुर चिकनौता	वैशाली	सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
12.	अम्बातारी	गया	पंजाब नेशनल बैंक
13.	भण्डार	पूर्वी चम्पारन	पंजाब नेशनल बैंक
14.	पंडोल	सीतामढ़ी	पंजाब नेशनल बैंक

धोखाधड़ी के मामलों की फाइलें गायब होना

7436. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में तीन करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी जिसमें जनवरी 1986 में देश-व्यापी छापों में पकड़े गए कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे से

संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फाइलें और कागजात गायब हैं और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गायब फाइलों को ढूढ़ने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि कुछ फाइलें, जिनमें इस मामले से संबद्ध दस्तावेजों की प्रतियां थी। खो गई बताई गई हैं और उनका उसकी लघु उद्योग शाखा में कोई पता चल रहा है। बैंक ने आगे चलकर बताया है कि उसने फाइलों का पता लगाने के लिए उपाय किए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) और 5 (1) (घ) के साथ पठित भारतीय दंड सहिता की धारा 120 (ख), 420, 467, 471, 477 के अधीन मैसर्स मेघदूत डाइंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स लि० नवसारी और मैसर्स गीता फब्रिक्स (प्रा०) लि० के प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों तथा भारतीय स्टेट बैंक के दो अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी कर लेने के बाद ही बैंक द्वारा उचित कारंवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ का कार्यकरण

7437. **श्री के० एस० राव**
श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ में घाटे के बारे में 5 दिसम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4934 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त मामले में जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकले और यदि नहीं तो जांच को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ की प्रबंध व्यवस्था बोर्ड में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये और यदि नहीं, तो अपेक्षित परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार संबंधित लीड बैंक द्वारा कितनी धनराशि के ऋण अग्रिम राशि दी गयी; और उस पर कितनी धनराशि का ब्याज प्राप्त हुआ तथा अब तक कितनी वसूली की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ के कार्य की समय पर समीक्षा की है और इसके प्रबंधन को अपने कारवार की गतिविधियों को बढ़ाने और उनका विविधीकरण करने, ऊपरी खर्च में कटौती करने बकाया देय राशियों की वसूली में तेजी लाकर अपनी नकदी संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए जोर दिया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन और इसे पेश आने वाली समस्याओं को देखते हुए, सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने संघ को अपने निदेशक मंडल को

निरस्त करने के वास्ते कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ के निदेशक मण्डल के दो सदस्यों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी जो खारिज कर दी गयी है। सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने मामले में अब आगे कार्रवाई शुरु कर दी है।

जहां तक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कथित अनियमितताओं और कदाचारों की शिकायत का संबंध है, इन अनियमितताओं में अंतर्गस्त व्यक्तियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी गयी है। कुछ अनियमितताएं संघ के कुछ अधिकारियों द्वारा की गयी बताई जाती हैं जिनमें नियंत्रित कपड़े को अनधिकृत माध्यमों के हाथ बेचना शामिल है। ये मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिये गये हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों और बैंकरों में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार किसी बैंक के किसी ग्राहक के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सहायता

7438. श्री चौधरी अख्तर हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान कर रही हैं।

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार सहायता के रूप में कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है; और

(ग) मुजफ्फर नगर और बिजनौर में कृषि कार्यों में लघु उद्योगों में तथा लघु उद्योगों में लगे कितने व्यक्तियों को बैंक द्वारा ऋण दिए गए और इस प्रकार दिए गए ऋणों की राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) 30 जून 1985 की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन 11.91 लाख ऋण खातों के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की राशि 1004 करोड़ रुपए थी।

(ग) दिसम्बर, 1986 के अन्त में मुजफ्फर नगर तथा बिजनौर जिलो में सेवाओं सहित कृषि तथा लघु उद्योगों के नाम भारतीय स्टेट बैंक के बकाया अग्रिमों की राशि क्रमशः 5.01 करोड़ रुपए तथा 4.17 करोड़ रुपये थी।

[अनुवाद]

कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक निगम को केन्द्रीय अनुदान

7439. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक निगम ने वर्ष 1985-86 और 86-87 के दौरान कितनी राशि के केन्द्रीय अनुदान की मांग की है; और

(ख) वर्ष 1985-86 और 86-87 के दौरान कितनी राशि के अनुदान की मंजूरी दी गई ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इस समय किसी भी राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय आयोग को केन्द्रीय अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पत्रकारों का बीमा

7440. **श्री तेजा सिंह दर्दी**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के पत्रकार संघ द्वारा की गई इस मांग की जानकारी है कि बीमा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पत्रकार का एक लाख रुपए का बीमा किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि उनके पास पंजाब की पत्रकार फेडरेशन की ओर से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है जिसमें पत्रकारों के लिए एक बीमा योजना शुरू करने की मांग की गयी हो।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नही उठते।

[अनुवाद]

"चिट फंड्स' बैंक खाते

7441. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "चिट फंड्स" अथवा निजी चिट कम्पनियों के नाम से बैंक खाते खोलने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में चिट कम्पनियों के वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते हैं और सारे देश में लाखों रुपये का लेन-देन होता है; और

(ग) यदि हां, तो इन लेन-देनों को समाप्त करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चिट फंड कम्पनियां/फर्में बचत बैंक खातों के अलावा बैंक खाते खोल और चला सकती हैं।

आंकड़ा सूचना प्रणाली से राष्ट्रीयकृत बैंकों में चिट फंड कम्पनियों के खातों की संख्या और उन खातों में लेन-देन की राशि के बारे में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

जब तक ये खाते अथवा उनके अन्तर्गत लेन-देन विशेष रूप से गैर-कानूनी नहीं दिखाए जाते तब इन खातों के परिचालनों को बंद करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की राष्ट्रीय कपड़ा निगम में प्रतिनियुक्ति

7442. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा**
डा० वी० वेंकटेश } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियों में मुख्य प्रशासकों (चीफ एक्जीक्यूटिव्स) के रूप में नियुक्ति संबन्धी नियमों को अपवाद के रूप में मानने को सहमत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित नियमों में इस अपवाद में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृहमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) विद्यमान कार्य-विधि के अध्यधीन राष्ट्रीय वस्त्र निगम में मुख्य प्रशासकों के पदों को भरने में काफी कठिनाई होती रही है। अतः राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मुख्य प्रशासकों को "तत्काल संविलियन" की शर्त से छूट देने का निर्णय किया गया है। तदनुसार संगठित सेवाओं के अधिकारियों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम में तीन से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाजों/पनडुब्बियों में रेडियो धर्मिता निरोधक सुविधाएं

7443. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर और भारतीय पत्तनों का दौरा करने वाले परमाणु ऊर्जा चालित जहाज और पनडुब्बियां बिजली में गड़बड़ी होने की स्थिति में रेडियो धर्मी सामग्री से बचाव के लिए उपकरणों से पूर्ण सज्जित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) ; (क) तथा (ख) परमाणु बिजली से चलने वाले कोई भी विदेशी जहाज या पनडुब्बियां भारतीय बन्दरगाहों पर नहीं आए है। सरकार यह कह सकने की स्थिति में नहीं है कि क्या भारतीय समुद्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं में से गुजरने वाले ऐसे विदेशी जहाज जो परमाणु बिजली से चलते हैं, इतने सुसज्जित रहते हैं कि किसी गड़बड़ी की स्थिति में उनसे रेडियोएक्टिव सामग्री को बाहर जाने से रोका जा सके।

महानगरों में मनुष्य के मल से स्वास्थ्य को खतरा

7444. **श्री कादम्बुर जनार्दनन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनुष्य के खुले में शौच करने, विशेषकर महानगरों में मनुष्य के मल से होने वाले प्रदूषण के खतरों की जानकारी है; और

(ख) महानगरों में इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पोर फ्लश शौचालय और समुदायिक शौचालय जैसी कम लागत वाली सफाई सुविधाओं की व्यवस्था :

2. शहरी क्षेत्रों में जल-मल सुविधाओं का विस्तार और सुधार; और

3. जन-जागरूकता के लिए अभियान।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चौथे वेतन आयोग की शिफारिशें

7445. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव
श्री प्रकाश चन्द्र
: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में चौथे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये प्रस्तावित वेतन-मानों को राज्य सरकारों को भेज दिया है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के प्रस्तावित वेतनमानों के संबंध में राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) जी, हां। राज्य सरकारों ने तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की है। भातीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के बीच असमानता को कम करने और तीनों अखिल भारतीयों सेवाओं के लिए प्रस्तावित वेतनमानों में संशोधन करने के लिए सुझाव भी दिए गए थे।

किसानों को ऋण

7446. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे संस्थान कोन से हैं जो किसानों को ऋण देते हैं तथा इनमें से प्रत्येक संस्थान को पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से प्राप्त हुए ऋण का ब्योरा क्या है;

(ख) इन संस्थानों ने भारतीय एवं अन्य विदेशी स्रोतों से पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना ऋण लिया है; और

(ग) इन संस्थानों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को कितना तथा किस ब्याज दर पर ऋण दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) किसानों को वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक/सहकारी समितियां कृषि ऋण देती हैं। किसानों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने वाली इन संस्थाओं को विश्व बैंक अथवा अन्य किसी द्विपक्षीय दाता देशों से कोई प्रत्यक्ष ऋण नहीं मिलता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों के बन्द पड़े बचत खाते

7447. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के बैंकों में बन्द पड़े हुए जमा खातों में पड़ी हुई धनराशि का प्रत्येक सर्किल के वार्षिक आंकड़ों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जमा खातों से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी औसत आय होती है और इस जमा राशि का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है अथवा इसे किस खाते में डाला जाता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान धोखाधड़ी से रकम निकालने के कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) बन्द पड़े हुए जमा खातों से धोखाधड़ी से रकम निकालने पर रोक लगाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 में दी गयी परिभाषा के अनुसार बैंकों के पास (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) अदावी जमाराशियो की 31 दिसम्बर, 1983 को 2305·66 लाख रुपए, 31 दिसम्बर, 1984 को 2623·61 लाख रुपए और 31 दिसम्बर, 1985 को 3157-39 लाख रुपए की रकमें थीं आंकड़ा सूचना प्रणाली से मंडल-वार ता अंचल-वार सूचमा प्राप्त नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ये रकमें बैंक की समूची धनराशियों का अंग होती हैं और इनका अलग से निवेश नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) : वर्तमान सूचना प्रणाली से प्रश्न में मांगे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। निष्क्रिय खातों के परिचालन के सम्बन्ध में कुछ मार्गनिर्देश हैं ताकि धोखे से रकमें निकलने से बचा जा सके।

दक्षिण भारत से आंग्ल-भारतीय का संसद के लिए नामांकन

7448. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के नामांकित आंग्ल-भारतीय विधायकों ने केन्द्रीय सरकार से आंग्ल-भारतीयों को संसद और राज्य विधान सभाओं में नामांकित किए जाने की अवधि को 25 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाये जाने और यह सुनिश्चित करने का भी कि संसद के लिए नामांकन दक्षिण भारत में आंग्ल भारतीय समाज से ही किये जाने का आग्रह किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेप रिकार्डरों के निर्माण के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस

7449. **श्री राम भगत पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेप रिकार्डरों के निर्माण के लिए किन-किन बड़े औद्योगिक गृहों को लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) क्या मध्यम और लघु एककों को भी ये लाइसेंस जारी किये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) टेपरिकार्डरो तथा इसके संघटक-पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए संगठित क्षेत्र में जिन इकाइयों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) लघु उद्योग क्षेत्र में टेपरिकार्ड का विनिर्माण प्रतिवर्ष 25000 तक की उत्पादन-क्षमता तक करने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समीति/उद्योग-निदेशक द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अनुमोदित इकाइयों की संख्या काफी बड़ी होंने की संभावना है। यदि किसी विशेष राज्य के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट जानकारी अपेक्षित हों, तो उसे एकत्रित करके उपलब्ध कराया जा सकता है।

विवरण

टेपरिकार्डरों तथा उनके संयोजनों का विनर्मिाण करने के लिए जिन इकाइयों को संगठित क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, उनके नाम

क्र०सं०	पार्टी	वस्तु का नाम	आशय-पत्र (एल आई/औद्योगिक लाइसेंस (आईएल)/ तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत
1	2	3	4
1.	डालमिया इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन, बल्लमगढ़	टेप रिकार्डर्स	औद्योगिक लाइसेंस
2.	जुपीटर रेडियो (रजि०), नई दिल्ली	आडियो टेप रिकार्डर्स	औद्योगिक लाइसेंस
3.	पुणे स्थित पोको इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि०, बम्बई	टेप रिकार्डर्स	औद्योगिक लाइसेंस

1	2	3	4
4.	साल्ट लेक तथा पुणे स्थित पीको इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि०, बम्बई	रेडियो/टेप रिकार्डर्स कोम्बीनेशन सेट	औद्योगिक लाइसेंस
5.	बीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, साहिबाबाद	(i) टेप रिकार्डर (ii) (टु-इन-वन) रेडियो तथा कैसेट अथवा क्लॉक)	आशय-पत्र
6.	इलेक्ट्रोविजन (इंडिया) गोरखपुर	टेपरिकार्डर्स, स्टेरो/मोनो	आशय-पत्र
7.	जी०एस० ठकराल, बम्बई	(i) टेपरिकार्डर्स (ii) टू-इन-वन	आशय-पत्र
8.	कल्यानी टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, पुणे	रेडियो-व-कैसेट रिकार्डर्स	आशय-पत्र
9.	बी०पी०एल० सिस्टम एण्ड प्रोजेक्ट्स लि०, पालघाट	टेप रिकार्डर्स	तकनीकी विकास महा-निदेशालय द्वारा पंजीकृत
10.	बुश इंडिया लि०, बम्बई	टे। रिकार्डर्स	तकनीकी विकास महा-निदेशालय द्वारा पंजीकृत
11.	मरफी इंडिया लि० ठाणे	टेप रिकार्डर्स	तकनीकी विकास महा-निदेशालय द्वारा पंजीकृत
12.	नेशनल रेडियो एण्ड अलेक्ट्रॉनिक्स कं० लि०, बम्बई	टेपरिकार्डर संयोजन	तकनीकी विकास महा-निदेशालय द्वारा पंजीकृत
13.	एनफील्ड इंडिया लि०, मद्रास	मोनो/स्टेरो/रेडियो-व-कैसेट प्लेयर्स	औद्योगिक लाइसेंस
14.	यूनाइटिड डायमंड लि०, गाजियाबाद	रेडियो कैसेट रिकार्डर्स कार स्टेरो	औद्योगिक लाइसेंस
15.	वेस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली	(i) टू-इन-वन (ii) टेपरिकार्डर/कार स्टेरो	औद्योगिक लाइसेंस
16.	कॉन्टिनेंटल डेवाइस इंडिया लि०, नई दिल्ली	कार स्टेरो तथा रेडियो कैसेट प्लेयर्स	औद्योगिक लाइसेंस
17.	ओलम्पिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, गुड़गाँव,	रेडियो डबल कैसेट रिकार्डर्स	औद्योगिक लाइसन्स

1	2	3	4
18.	टेलीविजन एण्ड कम्पोनेंटस प्रा० लि०, नरोदा	टेप रिकार्डर्स टू-इन-वन	औद्योगिक लाइसन्स
19.	डायनाविजन लि०, मद्रास	रेडियो-कैसेट रिकार्डर्स	आशय-पत्र
20.	इलेक्ट्रॉनिक्स लि० फरीदाबाद	टेप रिकार्डर्स	औद्योगिक लाइसेन्स
21.	इण्डो-नेशनल लि०, नेल्लौर	टेप रिकार्डर्स	औद्योगिक लाइसेन्स

वाणिज्यिक बैंक को हो रही धन सम्बंधी कठिनाइयां

7450. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वाणिज्यिक बैंक को धन संबन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) धन संबन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) से (ग) अलग-अलग बैंकों को किन्हीं परिस्थितियों में धन संबन्धी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन ऐसे उदाहरण पूरी बैंकिंग प्रणाली के द्योतक नहीं है और कुल मिलाकर बैंकों की नकदी संबन्धी स्थिति काफी अच्छी है। चालू वित्तीय वर्ष में 13 मार्च, 1987 तक पेट्रोलियम ऋणो को छोड़कर, खाद्य भिन्न ऋणों में 6762 करोड़ रुपये (13.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5733 करोड़ रुपए (13.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा का अवैध लेन-देन

7452. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ असमाजिक तत्व विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में इस लेन-देन में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि इस संबन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1984 से 1986 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (फेरा) ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के संदिग्ध उल्लंघनों का पता लगाए जाने के सिलसिले में 11266 तलाशियां ली थीं। इन तलाशियों के परिणामस्वरूप, अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों को पकड़े जाने के अलावा, 987.70 लाख रु० की भारतीय मुद्रा तथा 563.98 लाख रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी। इस संबन्ध में 741 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेन्स

7453. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का आन्ध्र प्रदेश में स्वीकृत की गई नई इलेक्ट्रॉनिक परियोजनायें स्थापित करने के लिए राज्य को कितनी अनुमानित सहायता देने का विचार है; और

(ख) आवश्यक धनराशि कब तक उपलब्ध की जायेगी और ये कारखाने कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारत सरकार की यह नीति है कि देश में सभी राज्यों की सहायता करके इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादनों को बढ़ाया जाए। इलेक्ट्रॉनिकी इकाइयों की स्थापना करने तथा उनको सुविधाएं प्रदान करने के मामले में सरकार की नीति सभी राज्यों के लिए समान है, जिनमें आन्ध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है। सामान्य नीति के अनुसार, राज्य सरकारें उद्योगों की स्थापना करने में अनुकूल वातावरण का निर्माण करती हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

किन्तु, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि० (ई०सी०आई०एल०) में कुल 35·68 करोड़ रु० की परियोजनागत लागत से एक मेनफ्रेम कम्प्यूटर का विनिर्माण करने वाली सुविधा की स्थापना कर रहा है। इसने इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों के लिए हैदराबाद में एक इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ई०टी०डी०सी०) की भी स्थापना की है।

(ख) भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लि० (ई०सी०आई०एल०) को मेनफ्रेम कम्प्यूटर परियोजना के लिए, मार्च 1987 में पहले ही 5 करोड़ रु० की धनराशि की प्रथम किश्त पदान की गई है। वर्ष 1987-88 के लिए 10.00 करोड़ रु० की राशि की मांग की गई है। इस राशि को चरण बद्ध कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध कराया आएगा जो परियोजना की प्रगति पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

7454. **श्री सरफराज अहमद**
चौधरी राम प्रकाश } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर क्या थी और वर्ष 1987-88 के लिए उसका क्या लक्ष्य है; और

(ख) राष्ट्रीय आय दर में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) नवीनतम आर्थिक संर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1986-87 के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4·5 और 5·0 प्रतिशत के बीच होने की आशा है। राष्ट्रीय आय के संबंध में वृद्धि दर के वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) 1985-86 में सातवीं पंचवर्षीय आरम्भ करने के साथ राष्ट्रीय आय दर में वृद्धि करने, विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने, गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने तथा राजकोषीय नीति को नई दिशा देने के लिए कुछ मुख्य नीति अभिक्रम किए गए थे। विभिन्न क्षेत्रों में इन नीति अभिक्रमों और विकास कार्यक्रमों के प्रबल कार्यान्वयन से सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित 5 प्रतिशत वार्षिक की लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने में सहायता मिलने की आशा है।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र से करों की वसूली में कमी

7455. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली में अप्रैल से दिसम्बर 1986 तक भारी वृद्धि हुई है जबकि तेल क्षेत्र से करों की वसूली में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) तेल क्षेत्र से करों की वसूली में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं: और

(घ) ये उपाय कहाँ तक प्रभावी रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ। अप्रैल, 1986 से दिसम्बर, 1986 की अवधि में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दोनों ही करों की वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तेल क्षेत्र से प्राप्त होने वाले सकल करों में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी के उपयोग पर करों में मूल्य ह्रास भत्ता दिया जाना

7456. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली तथा भारतीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली कम्पनियों को दिए जाने वाले मूल्यह्रास भत्ते में अन्तर है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए करों में प्रोत्साहन देने हेतु कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में दुसाध (पासवान) समुदाय के व्यक्तियों को सुविधाएं

7457. श्री कुंवर राम : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) क्या दुसाध (पासवान) समुदाय के व्यक्तियों को बिहार के संबंधित जिला-अधिकारियों द्वारा उन्हें जारी किए गए अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्रों के आधार पर दिल्ली की शैक्षिक संस्थाओं में उक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में बसे अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र धारी व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों के लोगों को नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध सभी लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को अनुदेश जारी किए हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बिहार राज्य में "दुसाध" समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में है । बिहार में जो व्यक्ति दुसाध समुदाय का है, वह केन्द्र शासित प्रदेश, दिल्ली की शैक्षिक संस्थाओं में केन्द्र शासित प्रदेश, दिल्ली की शैक्षिक संस्थाओं में केन्द्र शासित प्रदेश, दिल्ली में उल्लिखित अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले लाभ प्राप्त करने का हकदार नही है । ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और स्थानों के आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने का हकदार है ।

(घ) जी, नहीं ।

[अनुवाद]

योजना भिन्न व्यय

7458. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार का योजना भिन्न व्यय कितना था; और

(ख) सरकार का योजना भिन्न व्यय में वृद्धि को रोकने के लिए कौन से उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इससे सम्बन्धित जानकारी दिनांक 28 फरवरी 1987 को संसद सदस्यों, के बीच परिचालित केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1987-88 के व्यय बजट, खण्ड-1 नामक दस्तावेज की अनुसूची 3 में दी गई है । इसी दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 7 से लेकर 15 पर आयोजना-भिन्न व्यय की प्रकृति और मुख्य घटकों की व्याख्या की गई है । अनुत्पादक व्यय को रोकने के उपायो की चर्चा प्रधान मंत्री के बजट भाषण में की गई है ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अधिकारी संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

7459. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अधिकारी संघ ने पर्याप्त वैज्ञानिक कार्य न होने और 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

7460. श्री शांता राम नायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1947 के अन्तर्गत लगाए गए आरोपों की पिछले तीन वर्षों के दौरान जाँच की गई;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को अभियोग-पत्र (चार्ज-शीट) दिये गये हैं; और

(ग) कितने कर्मचारी अपराधी पाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सैंतीस।

(ख) दस।

(ग) तीन।

संयुक्त परामर्श दात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के पास लम्बित मामले

7461. श्री सोमजी भाई डामर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त परामर्श दात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के पास केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है और यह कब से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले पर कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनिवार्य विवाचन की राष्ट्रीय परिषद के पास लम्बित मदों की सूची जिसमें इन मदों के लम्बित रहने की तारीख दी गई है, एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) ये मदें बातचीत तथा विचारण के विभिन्न स्तरों पर हैं तथा यद्यपि इन्हें शीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु अन्तिम निर्णय लिए जाने की कोई निश्चित तारीख निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं हैं।

विवरण

1.2. 1987 को हुई राष्ट्रीय परिषद को अन्तिम बैठक में उठाए गए लम्बित मदों की सूचि।

क्रम सं	राष्ट्रीय परिषदों में लम्बित मदों का सार	कब से लम्बित हैं
1	2	3
1.	1981 की जनगणना पर आधारित मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान।	

1	2	3
	2. महंगाई भत्ते तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ते को आयकर की गणना के प्रयोजन से वेतन के रूप में नहीं माना जाना है—आयकर अपीलीय सहायक आयुक्त मद्रास द्वारा दिया गया निर्णय।	
	3. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 1986 का नियम 7—पुराने वेतनमान में वैयक्तिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के साथ गैर-इंसाफी। अधिसूचना संख्या 15 (i)—आई० सी०/86, दिनांक 13.9.1986।	फरवरी, 1987 की राष्ट्रीय परिषद्।
	4. जिन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक अपील नियम (डी० ए० आर०) मामले हैं उनकी पदोन्नति। कर्मचारियो की पदोन्नति में आड़े आने वाले अनुशासनिक मामले।	
	5. मस्टर रोल आकस्मिक निधि से संदत्त देनिक मजदूर के रूप में की गई सेवा की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए गणना।	
	6. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों की आवधिक पुनरीक्षा के लिए तंत्र।	
	7. मंहगाई भत्ता सूत्र।	
	8. जोखिमों का सामना करने वाले कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए जोखिम भत्ता।	
	9. चयन ग्रेड।	
	10. विवाचन बोर्ड के निर्णयों को लागू करने की तारीख	
	11. प्रसूति छुट्टी।	
	12. पदोन्नति (स्टेपिंग अप) संबंधी योजना का उदारीकरण।	
	13. भवन निर्माण अग्रिम।	
	14. औद्योगिक कर्मचारियों के लिए छुट्टी की हकदारी तथा उसका उदारीकरण।	जुलाई, 1986 की राष्ट्रीय परिषद्
	15. रोकड़ियों से प्रतिभुति लेना बंद करना तथा मार्ग में होने वाली क्षतियों के लिए उनका बीमा करना।	
	16. मनोरंजन क्लबों के लिए सहायता अनुदान।	
	17. उच्च पदों पर सीधी भर्ती के लिए नर्सिंग स्टाफ के लिए आयु में छूट।	

1	2	3
18.	प्रशासनिक अधिकरण संशोधन ।	
19.	1983 के अनिवार्य विवाचन संदर्भ सरकार में विवाचन बोर्ड के अधिनिर्णय का अनुचित कार्यान्वयन. रेलवे से इतर केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के मध्य अर्ध-वेतन अवकाश के मामले में समानता ।	
20.	रक्षा मंत्रालय में पांच अधिनिर्णयों को कार्यान्वित न करना ।	
21.	वरिष्ठ अन्वेषकों की पदोन्नति की संभावनाएं ।	
22.	जिन दो अधिनिर्णयों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा संशोधन अस्वीकृति मांगी गई थी उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने की पद्धति ।	
23.	सरकारी कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनों के लिए भूमि का आबंटन ।	
24.	स्टाफ की मंजूरी के लिए कार्य घंटे ।	
25.	जनजातीय क्षेत्रों में (मध्य प्रदेश) में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति जनजातीय क्षेत्र भत्ता ।	
26.	बच्चे के जन्म के बाद लम्बी छुट्टी ।	जनवरी, 1986 की राष्ट्रीय परिषद्
27.	(1) अन्तरिक क्षेत्रों में कार्यरत स्टाफ के लिए लिए चिकित्सा भत्ता । (2) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अधीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों की स्थापना करना ।	
28.	सुल्तानपुर (यू० पी०) में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान किराए भत्ते का भुगतान ।	
29.	ऐसे विभागों के लिए बोनस फार्मूला जहां ऐसे फार्मूलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।	
	राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में लम्बित पड़े मुद्दे	
30.	कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वर्दियों की आपूर्ति ।	जुलाई, 1986
31.	ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को परिवार पेंशन मंजूर करना जिन्हें स्थायी रूप से स्वायत्त निकायों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संविलयित कर दिया गया है ।	जुलाई, 1986

1	2	3
32.	(i) 10 घंटे—5 दिवसीय सप्ताह (ii) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और परिचालन स्टाफ के लिए एक हफ्ते में 40 घंटे।	जनवरी, 1986 की राष्ट्रीय परिषद
33.	गैर-सम्मिलित सामान्य श्रेणियों के लिए कार्य-घन्टे, समय परिभत्ता, सप्ताह में छुट्टी, अवकाश	
34.	समयोपरि भत्ते की दरें।	
35.	कल्याणकारी उपाय।	
36.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था।	
37.	सेवा-निवृत्त तथा सेवा-निवृत्त होने वाले ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करना जिनके पास दिल्ली/नई दिल्ली में कोई अपना मकान नहीं है।	
38.	श्रम कानून।	
39.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए भत्ते इत्यादि।	मई, 1982
40.	मान्यता देने संबंधी नियम	अप्रैल, 1979
41.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाकर उनके द्वारा प्राप्त अन्तिम वेतन के बराबर किए जाने के लिए स्व-वित्तपोषण योजना।	जनवरी, 1977

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों पर निगरानी

7462. **श्री दौलत सिंह जी० जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, उद्योगपतियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं पर निगरानी रख रही है;

(ख) क्या बैंक कम्पनियों के ब्याज की उदार शर्तों पर ऋण देने तथा उनके पुनः निर्धारण संबंधी अनुरोध के प्रति कोई अधिक उत्साह नहीं दिखा रहे हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नौवहन उद्योग को कोई सुविधाएं दी जाती हैं; और

(घ) क्या नौवहन उद्योग और गुजरात तट से रवाना होने वाले जहाजों के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश विद्यमान हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह काम वाणिज्यक बैंकों का है कि वे औद्योगिक एककों को दी गयी ऋण सुविधाओं पर नजर रखें।

(ख) विभिन्न अग्रिमों की ब्याज दरों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेश बैंक के लिए बन्धनकारी हैं। अलबता, रुग्ण एककों के मामले i बैंक भारतीय

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वर्तमान ऋण सुविधाओं पर कम दर पर ब्याज ले सकते हैं। प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर बैंक ऐसे मामलों में पूर्व देय राशियों के सम्बन्ध में ऋण परिशोधन का पुनर्निर्धारण कर सकते है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नौवहन उद्योग या गुजरात तट से रवाना होने वाले जहाजों के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर करने के वास्ते कोई विशेष सुविधाएं या मार्ग निर्देश नहीं हैं।

सालबन, पश्चिम बंगाल में टकसाल की स्थापना

7463. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सालबनी, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में एक टकसाल की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को वहां प्रस्तावित टकसाल की स्थापना के लिए योजना आयोग से मंजूरी मिल गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात तट से सोना पकड़ा जाना

7464. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान गुजरात के पश्चिम तट पर सोने की तस्करी के कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया;

(ग) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में गुजरात तट पर सोने की तस्करी के मामलों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गुजरात के पश्चिम तट पर तस्करी निवारक एजेंसी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1986 के दौरान सीमा शुल्क (निवारक) समाहर्तालय, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में सोने की तस्करी के 19 मामलों का पता लगाया था। इसके परिणाम स्वरूप, 58.34 लाख रुपये मूल्य के 28.1 किलोग्राम सोने को, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किया गया था।

(ग) और (घ) : चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है इसलिए देश में तस्करी द्वारा लाये गये सोने की मात्रा का यथोचित अनुमान लगाना संभव नहीं है। अतः पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तस्करी हुई इसकी तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ङ) सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें गुजरात का क्षेत्र भी शामिल है। तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय करने के लिये इस क्षेत्र में कार्य कर रही केन्द्रीय और राज्य सरकार की सम्बन्धित प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

[हिन्दी]

राज्यों को विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत धनराशि

7465. श्री राम प्यारे सुमन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत देश में प्रत्येक राज्य ने कितनी धनराशि की मांग की थी और प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जातियों के परिवारों की राज्यवार संख्या क्या है।

(ग) क्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी राज्यों ने उनके लिए नियत की गई धनराशि का उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ग) राज्यों 'केन्द्र शासित प्रदेशों की विशेष संघटक योजना में केवल अनुसूचित जातियों के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं हेतु कुल राज्य योजना में से निहित की गई धनराशि शामिल होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई धनराशि और तत्सम्बन्धी खर्च सलंग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) विवरण-2 संलग्न है।

(घ) कुछ राज्य सरकारें केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन कुछ समस्याओं तथा कठिनाईयों के कारण विशेष कंपोनेंट योजना धनराशि की पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सके जैसे, इस क्षेत्र में एजेंसियो की गतिशीलता में कमी, लाभ प्राप्तकर्त्ताओं का अनुचित चयन तथा अनुचित योजनाएं तैयार करना, प्रबोधन में कमी और अनुसूचित जाति विकास निगमों का असंतोषजनक कार्य।

विवरण-1

(रु० करोड़ों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1984-85		1985-86		1986-87	
		विशेष केन्द्रीय सहायता परि-व्यय	विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय	विशेष केन्द्रीय सहायता परि-व्यय	विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय	विशेष केन्द्रीय सहायता परि-व्यय	विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	127.51	102.47	120.64	105.65	142.04	154.39
2.	असम	7.12	7.75	10.44	3.86	13.95	14.95
3.	बिहार	76.77	45.94	67.27	56.21	84.25	96.05
4.	गुजरात	26.90	26.90	25.87	24.92	29.82	29.19
5.	हरियाणा	31.07	22.18	30.33	29.11*	32.33	32.33†
6.	हिमाचल प्रदेश	15.75	15.75	19.49	19.49*	22.55	22.56†
7.	जम्मू और कश्मीर	9.50	9.25	9.56	9.56*	10.90	10.90
8.	कर्नाटक	70.20	70.07	67.93	67.17	104.14	103.24
9.	केरल	28.74	20.74	29.58	28.85	35.81	35.01
10.	मध्य प्रदेश	59.10	60.04	63.32	63.40*	76.66	75.59

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	43.91	43.91	42.87	62.32	57.38	57.92†
12.	मणिपुर	8.12	1.00	1.42	1.42	1.89	1.09†
13.	उड़ीसा	31.81	31.58	26.51	38.85*	47.09	44.92†
14.	पंजाब	23.33	23.33	21.87	27.76	24.79	24.79
15.	राजस्थान	53.62	48.54	67.47	66.47*	69.29	69.29
16.	सिक्किम	0.74	0.05	0.46	0.46*	0.42	0.42†
17.	त्रिपुरा	8.04	8.11	7.55	6.86	10.71	10.84
18.	तमिलनाडु	123.01	उपलब्ध नहीं है	126.16	126.16	128.05	123.84
19.	उत्तर प्रदेश	135.90	162.99	172.67	175.82*	199.44	205.41†
20.	पश्चिम बंगाल	57.00	57.06	65.42	65.41*	71.92	71.15
21.	दिल्ली	21.35	21.35	16.43	15.83	18.50	21.16
22.	चंडीगढ़ प्रशासन	1.54	1.55	1.98	1.68*	1.83	1.86
23.	पांडिचेरी	4.82	4.04	5.20	4.78	6.09	6.25
24.	गोआ, दमन, दीव	7.67	0.83	0.43	0.63	0.82	0.67

*आंकड़े अनन्तिम हैं

†योजना आयोग

विवरण-2

राज्यों को विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत धनराशि के सम्बन्ध में श्री राम प्यारे सुमन द्वारा *पूछे गए दिनांक 22-4-87 के अतारांकित प्रश्न सं० 7465 के भाग (ख) में दिए गए उत्तर में निर्दिष्ट* विवरण ।

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 1984-85	1985-86	1986-87 (फरवरी 1987 तक)	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	259631	288242	234745	(पी०)
2.	असम	32437	13604	8893	
3.	बिहार	320483	258549	203937	(पी०)
4.	हरियाणा	52824	46054	38239	(पी०)
5.	गुजरात	70328	51550	37535	
6.	हिमाचल प्रदेश	34606	27042	28703	(पी०)
7.	जम्मू और कश्मीर	3814	4297	1687	
8.	कर्नाटक	157817	102960	83619	(जून०)
9.	केरल	63836	57741	57063	
10.	मध्य प्रदेश	193392	187203	1411071	(पी०)
11.	महाराष्ट्र	106440	111058	84435	
12.	मणिपुर	1409	300	233	(सित०)
13.	उड़ीसा	102624	78658	62533	
14.	पंजाब	85083	61044	45107	
15.	राजस्थान	122802	120607	82601	
16.	सिक्किम	1131	1168	719	
17.	तमिलनाडू	219913	208206	193186	
18.	त्रिपुरा	7588	4367	4489	
19.	उत्तर प्रदेश	479635	379639	314770	

1	2	3	4	5	
20.	पश्चिम बंगाल	290017	273854	199485	
21.	चंडीगढ़	617	480	515	
22.	दिल्ली	9192	7346	5900	
23.	गोआ, दमन, दीव	2123	1409	996	(जून०)
24.	पांडिचेरी	4661	2344	1965	
	ह० योग :	2622383	2272930	1832416	

(पी०) : अनन्तिम आंकड़े

[अनुवाद]

जनता से प्राप्त पत्रों का शीघ्र निपटान

7466. **श्री आर० एस० माने :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता से प्राप्त होने वाले पत्रों के उनके प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के अन्दर उत्तर देने के लिए सभी विभागों को मार्ग निदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बी० एस० एँग्ती) : (क) और (ख) मंत्रालयों/विभागों से यह आग्रह किया गया है कि वे जनता से प्राप्त होने वाले पत्रों पर तुरन्त कार्रवाई करें और जहाँ तक संभव हो, उनका उत्तर 15 दिन की अवधि के भीतर ही दे दें। यद्यपि इस संबंध में व्यापक मूल्यांकन जैसा कुछ नहीं किया गया है फिर भी पर्यवेक्षण अधिकारियों को ये निदेश दिए गए हैं कि वे बकाया के विवरणों पर नियमित रूप से निगाह रखें और ऐसे पत्रों का तुरन्त निपटान सुनिश्चित करें।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में तकनीकी योग्यताओं वाले अभ्यर्थी

7467. **डा० पी० बल्लाल पेरुमान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा परीक्षाओं में इंजीनियरी, मेडिकल और पी० एच० डी० डिग्रीधारी और अन्य व्यवसायों में योग्यता प्राप्त प्रत्याशी बड़ी संख्या में सफल हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योग्यताधारी सफल प्रत्याशियों का विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार का तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता प्राप्त प्रत्याशियों की गैर-तकनीकी क्षेत्रों, विशेष रूप से सिविल सेवाओं में जाने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान ऐसे सफल उम्मीदवारों की संख्या जो सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में तकनीकी अर्हताओं के साथ बैठे वे निम्न प्रकार है—

सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा

डिग्री	1983		1974		1985	
	उम्मीदवारों की संख्या	प्रतिशतता	उम्मीदवारों की संख्या	प्रतिशतता	उम्मीदवारों की संख्या	प्रतिशतता
बी० ई०/बी० एस० सी० (इंजी०) बी० ई० (आनर्स) एम० ई०/एम० टेक०	113	13.37	134	16.46	128	16.20
एम० बी० बी० एस०/बी० डी० एस०/बी० वी० एस०/ए० एच०/एम० डी०/एम० डी० एस०/एम० वी० एस० सी०	21	2.48	28	3.43	44	5.56
पी० एच० डी०	5	0.59	10	1.22	7	0.88
बी० एस० सी० (कृषि) एम० एस० सी० (कृषि)	19	2.24	19	2.33	12	1.51

(ग) से (ङ) : सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वृद्धावस्था गृह

7468. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वृद्धावस्था गृह (ओल्ड एज होम्स) की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कितने वृद्धावस्था गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) सातवीं योजना में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वृद्धावस्था गृहों की राज्यवार संख्या बताने वाला एक **विवरण** संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत सातवीं योजना में वृद्धावस्था गृहों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

(घ) यद्यपि संगठित क्षेत्र में वृद्ध व्यक्तियों को प्रशासनिक एवं विधायी उपायों के माध्यम से प्रदान किया जाता है फिर भी असंगठित क्षेत्र में पात्र नियन्त्रित वृद्ध और अपास्त व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा गैर-अशंदाई नकद सहायता दी जाती है।

विवरण

देश में राज्यवार वृद्ध व्यक्तियों के लिए गृहों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	वृद्ध व्यक्तियों के लिए गृहों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	9
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	12
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	19
9.	केरल	53
10.	मध्य प्रदेश	21
11.	महाराष्ट्र	25
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	1
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	3

1	2	3
16.	पंजाब	6
17.	राजस्थान	2
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडू	40
20.	त्रिपुरा	1
21.	उत्तर प्रदेश	8
22.	पश्चिम बंगाल	9
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चंडीगढ़	1
26.	दादर और नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	6
28.	गोवा दमन और दीव	11
29.	लक्षदीप	—
30.	मिजोरम	—
31.	पांडिचेरी	3

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जितलाभ

7469. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1986-87 के दौरान लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान न्यू बैंक आफ इण्डिया द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से 27 बैंकों (यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को छोड़कर) ने वर्ष 1986 के अपने खातों को अंतिम रूप दे दिया है। इन 27 बैंकों के तुलन पत्रों और लाभ हानि खातों से पता चलता है कि उनमें से सभी बैंकों ने लाभ अर्जित किया है। इन 27 बैंकों के कुल प्रकाशित लाभों की राशि 92 करोड़ रुपए बैठती है।

(ग) और (घ) : वर्ष 1986 के वास्ते न्यू बैंक आफ इंडिया का प्रकाशित लाभ 1,41,45,896.60 रुपए का था।

जनजातीय उप-योजना/विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि का नियतन

6470. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 के दौरान जनजातीय उप-योजना/विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो : वर्ष 1987-88 के दौरान आदिवासी उपयोजना/विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए नियत की गई अनन्तिम धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	विशेष केन्द्रीय सहायता 1987-88	
		आदिवासी योजना अनन्तिम	विशेष केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	821 11	1250.60
2.	असम	712.08	201.60
3.	बिहार	2085.92	1752.80
4.	गुजरात	1250.00	365.74
5.	हरियाणा	—	358.76
6.	हिमाचल प्रदेश	230.00	164.84
7.	जम्मू और कश्मीर	—	78.06
8.	कर्नाटक	122.06	882.00
9.	केरल	8436	400.04
10.	मध्य प्रदेश	4400.00	1220.10
11.	महाराष्ट्र	1155.68	1255.80
12.	मणिपुर	282.00	3.50
13.	उड़ीसा	2125.00	633.14
14.	पंजाब	—	637.70

1	2	3	4
15.	राजस्थान	1054.12	952.34
16.	सिक्किम	39.92	3.16
17.	तमिलनाडु	179.86	1407.00
18.	त्रिपुरा	260.00	49.00
19.	उत्तर प्रदेश	35.08	3860.84
20.	पश्चिम बंगाल	755.81	1837.86
21.	अंडेमान और निकोबार	50.00	—
22.	दिल्ली	—	158.90
23.	चण्डीगढ़	—	19.10
24.	पांडिचेरी	—	14.00
25.	गोवा दमन और द्वीव	7.00	3.16
	विशेष योजनाओं के लिए आरक्षित	1200.00	शून्य
	जोड़	16850.00	17500.00

बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड द्वारा अनियमितताएं

7471. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखरमूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में बम्बई सबअर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड, द्वारा बहुत बड़ी धनराशि के सम्बन्ध में बरती गई अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) क्या साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे वित्तीय संस्थाएं मैसर्स बम्बई सबअर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड बम्बई के प्रमुख शेयरधारी हैं; और

(ग) नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी फर्म के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं की जानकारी में ऐसी कोई अनियमितताएं नहीं आई हैं।

(ख) बम्बई सब-अर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई लि० के 66 प्रतिशत शेयर जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास हैं।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि संस्थाओं को कम्पनी के किसी अधिकारी द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

बैंक आफ बड़ौदा की शाखाएं खोलना

7472. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बैंक आफ बडौदा की राज्यवार शाखाएं कितनी हैं;

(ख) क्या वर्ष 1987-88 में बैंक आफ बड़ौदा की और शाखाएँ खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान इस बैंक की कितनी नई शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि मार्च 1787 के अन्त में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उसकी 1911 शाखाएं कार्य कर रही थी जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		शाखाओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	......	46
असम	......	8
बिहार	......	61
गुजरात	......	600
हरियाणा	......	12
हिमाचल प्रदेश	......	5
जम्मू और कश्मीर	......	4
कर्नाटक	......	30
केरल	......	28
मध्य प्रदेश	......	58
महाराष्ट्र	......	237
मणिपुर	......	1
मेघालय	......	2
नागालैण्ड	......	4
उड़ीसा	......	8
पंजाब	......	32
राजस्थान	......	238
तमिलनाडु	......	74

1		3
त्रिपुरा	......	1
उत्तर प्रदेश	......	326
पश्चिम बंगाल	......	72
चण्डीगढ़	......	3
दिल्ली	......	34
गोवा दमन और द्वीव	......	26
पांडिचेरी	......	1
	जोड़	1211

(ख) और (ग) : 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत शाखाएँ खोलने के वास्ते राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूचियों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने, नीति की शेष अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विभिन्न चरणों में शाखाएँ खोलने के लिए, बैंक आफ बड़ोदा को 111 पात्र केन्द्र अवंटित किए हैं।

परती भूमि का विकास

7473. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलावार कुल कितनी परती भूमि का पता लगाया गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में परती भूमि के विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) महाराष्ट्र में परती भूमि का अनुमानित क्षेत्र 198·46 लाख हेक्टेयर है। परती भूमि अभिनिर्धारित परियोजना के तहत अहमदनगर, नासिक, रत्नागिरि, सतारा, पुणे, सांगली, थाणे, कोल्हापुर, जलगढ़ और धुले के सम्बन्ध में परती भूमि का अभिनिर्धारण किया जा रहा है और उसके 31 दिसम्बर, 1987 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) समग्र वनरोपण 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत किया जाता है जिसमें राज्य स्कीमों के अलावा, वानिकी और ग्रामीण विकास क्षेत्र की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत भी वन रोपण किया जाता है। महाराष्ट्र में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हासिल की गई प्राप्तियाँ इस प्रकार हैं :—

1985-86 2165 लाख पौधे।
1.08 लाख हेक्टेयर के बराबर
1986-87 2353 लाख पौधे (फरवरी, 1987 तक)
1.18 लाख हेक्टेयर के बराबर

(घ) महाराष्ट्र में वानिकी और ग्रामीण विकास वनरोपण स्कीमों के तहत 1986-87 के लिए 3698 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पुनर्वास केन्द्र

7474. डा० टी० कल्पना देवी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान देश में और आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने जिला पुनर्वास केन्द्र खोले गये और प्रत्येक केन्द्र को कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) इन केन्द्रों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है; और

(ग) वर्ष 1986-87 में ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अन्तर्गत कितने विकलांग व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों को व्यापक पुनर्वास प्रदान करने के लिए 10 जिला पुनर्वास केन्द्रों की प्रायोगिक आधार पर स्थापना की गई है। इन केन्द्रों का स्थान निम्न प्रकार है :—

1. विरार, जिला थाना (महाराष्ट्र)
2. भुवनेश्वर, जिला पुरी (उड़ीसा)
3. खड़गपुर, जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)
4. सीतापुर, जिला सीतापुर (उत्तर प्रदेश)
5. चिंगलपेट, जिला चिंगलपेट (तमिलनाडु)
6. मैसूर, जिला मैसूर (कर्नाटक)
7. कोटा, जिला कोटा (राजस्थान)
8. भिवानी, जिला भिवानी (हरियाणा)
9. बिलासपुर, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)
10. विजय वाड़ा, जिला कृष्णा (आन्ध्र प्रदेश)

चूंकि योजना प्रायोगिक आधार पर है, 1986-87 के दौरान कोई नए केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गए।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता का शीघ्र पता लगाने और उन्हें आर्थिक पुनर्वास प्रदान करने हेतु प्रायोगिक आधार पर 10 जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों की स्थापना दो चरणों में की गई है, पहले चरण में निम्न स्थान कर 6 केन्द्र स्थापित किये गए थे जिन्होंने अपने क्षेत्र के विलकांग व्यकियों को सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर दिया है। ये केन्द्र निम्न प्रकार हैं :—

1. जिला पुनर्वास केन्द्र, विरार, जिला सीतापुर थाने महाराष्ट्र
2. जिला पुनर्वास केन्द्र, सीतापुर, उत्तर प्रदेश
3. जिला पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर, जिला पुरी उड़ीसा
4. जिला पुनर्वास केन्द्र, खड़कपुर, जिला मिदना पुर, पश्चिम बंगाल
5. जिला पुनर्वास केन्द्र, चलेगपड्डु जिला चलेगपड्डू, तमिलनाडु
6. जिला पुनर्वास केन्द्र, मैसूर, कर्नाटक

दूसरे चरण में जो चार जिला केन्द्र स्वीकृत किये गए हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

1. जिला पुनर्वास केन्द्र, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश
2. जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा, जिला कोटा राजस्थान
3. जिला पुनर्वास केन्द्र, भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा
4. जिला पुरर्वास केन्द्र विजयबाड़ा, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश

इन चार केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र को 15.60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जो कि वर्ष 1986-87 के दौरान केन्द्रों के अधिकार में दे दी गई थी। 110 लाख रुपये की धनराशि भवन निर्माण के लिए है। प्रत्येक जिला पुनर्वास केन्द्र में जो जिला हस्पतालों के साथ सम्बद्ध हैं, दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की जाती है। पहले चरण में स्थापित जिला पुनर्वास केन्द्रों में, विकलांगों को घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है। नियमित मूल्यांकन के आधार पर विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ सेवाओं के क्षेत्रों में अर्थात शल्य सुधार, सहायक यंत्र और उपकरण लगाने, फिजियोथ्रेपी और व्यवसायिक थ्रेपी में व्यापक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वयं रोजगार हेतु सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। परियोजना में समुदाय चेतना कार्यक्रमों का प्रबन्ध और माता-पिता तथा परिवार के सदस्यों को क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा परामर्श देकर समुदाय की भागीदारी व्यवस्था है। जिला पुनर्वास केन्द्रों से सम्बद्ध कार्यकर्ताओं को क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है जो क्रमशः मद्रास, बम्बई, कटक और लखनऊ में स्थित है।

दूसरे चरण में स्थापित जिला पुनर्वास केन्द्रों में जिला स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्रामीण स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारियों की भर्ती का काम लगभग पूरा हो गया है तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और अप्रैल, 1987 के अन्तिम

सप्ताह में आरम्भ होने की सम्भावना है। जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होगा, ये जिला पुनर्वास केन्द्र सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर देंगे।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-86 तक इस योजना के अन्तर्गत 4720 विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए।

उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनायें

7475. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता प्राप्त कितनी योजनाएँ आरम्भ की गई हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) : उड़ीसा में 1984 85 से 1986-87 तक पिछले तीन वर्षों में शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की सूची, एक विवरण के रूप में उन पर होने वाले व्यय/आवंटन सहित संलग्न है।

विवरण

उड़िसा में 1984-85 से 1986-87 तक पिछले तीन वर्षों में शुरू की गई केन्द्र सहायता प्राप्त (प्रायोजित स्कीम)

व्यय/आवंटन लाख रु०)

क्र० सं०	स्कीम का नाम	वित्त पोषण का पैटर्न प्रतिशत भाग		व्यय/आवंटन में केन्द्र का भाग		
				1984-85	1985-86	1987-88
		केन्द्र	राज्य	व्यय	व्यय	आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	विकेन्द्रित नर्सरी	100	—	—	—	60.00
2.	सिलवी-चरागाह फार्म	50	50	—	—	7.88
3.	समन्वित ग्रामीण आयोजना ऊर्जा कार्यक्रम	100	—	—	—	1.26
4.	बचत निधि स्कीम (हथकरघा)	50	50	—	1.00	8.00
5.	वर्कशैड निधि स्कीम (हथकरघा)	50	50	—	0.50	7.50

1	2	3	4	5	6	7
6.	राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना					
	(क) 1984-85 और 1985-86	100	—	25.76	142·45	44.00
	(ख) 1986-87	50	50			
7.	विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम	50	50	28.90	90.59	140.00
8.	वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम	50	50	—	—	3.17
9.	तापीय विद्युत केन्द्रों (तलचर) का नवींकरण और आधुनिकीकरण	67.8	32.2	—	238·77	650.00
10.	कम लागत पर ग्रामीण सफाई	100	—	—	—	37.00
11.	राज्यों/सं० रा० क्षेत्रों में भूमि जल और भूपृष्ठ जल संगठनों का सुदृढ़ करना	50	50	—	—	24.25
12.	उड़ीसा के कोरापुट जिले में गमुपुर पाटलेखासमुंडी-के समीप वंसदरा नदी पर पुल का निर्माण	100	—	108.00		
13.	ढेकानाल-यमाख्यानगर सड़क के दोनों ओर सम्पर्क मार्ग सहित ब्रह्माणी नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	50	50	150.00	130.00	100.00
14.	बालासौर-जलेश्वर सड़क का सुधार (उड़ीसा में दूरी का कुछ भाग)	100	—	199.97		
15.	गेहूं पर आधारित पूरक पोषाहार	*	*	—	49.94	471.50
16.	शहरी मूल सेवाएं (यूनिसेफ द्वारा 40 प्रतिशत)	20	40	—	—	7·00
17.	प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन (मशीनों को बदलना)	50	50	—	—	2·00
18.	स्वरोजगार संवर्धन के लिए रोजगार कार्यालयों/यू० आई० जी० बी० को सुदृढ़ करने की स्कीम (प्रत्येक जिले के लिए) प्रति वर्ष अतिरिक्त स्टाफ के वेतनों पर 60,000 रु० तक का व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाना है।	—	—	0·60	0·60	0·60

1	2		3		4	
19.	खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में न्यूनतम वेतन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना	100	5	—	—	9.67
20.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जोखिम वाले रासायनिक उद्योगों में पर्यावरण से सम्बन्धित प्रबोधन कार्य के लिए सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ाना (1986-87 में शुरू की गई, जिसके लिए इस वर्ष में उड़ीसा सहित 18 राज्यों/सं० रा० क्षेत्रों में 11'90 लाख रु० खर्च किये जाने थे। राज्य-वार आँकड़े उपलब्ध नहीं है)	100	—	—	—	उ० न०
21.	ग्रामीण मजदूरों को संगठित करना	100	—	—	—	2.67
22.	बंधुआ मजदूरों का पुर्न-स्थापन (राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है)	50	50	302.44	70.03	66.98
23.	कम्प्यूट्रीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली (पहले दो वर्षों में केन्द्र द्वारा शतप्रतिशत— वित्त पोषण उसके बाद 50:50 आधार पर वित्त पोषण)		—	—	शून्य	1·50

* 50 पैसे प्रतिदिन लाभग्राही व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाना है और शेष राज्यों द्वारा

परम शून्य (एब्सोल्यूट वैक्यूम) से विद्युत' उत्पादन करने वाली मशीन

7476. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के एक इन्जीनियर ने परम शून्य (एब्सोल्यूट वैक्यूम) से विद्युत-उत्पादन करने वाली एक मशीन बनाई है जिसे पश्चिम जर्मनी में प्रदर्शन के लिये भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) : हमने यह समाचार देखा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के एक इन्जीनियर श्री परमहंस तिवारी ने पश्चिमी जर्मनी में आयोजित एक संगोष्ठी में एक ऐसी मशीन प्रदर्शित की है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वह रिक्त समष्टि (एंम्प्टी स्पेस) से बिजली पैदा कर सकती है। यद्यपि यह सिद्धांत

भौतिकी के वर्तमान स्थापित नियमों से मेल नहीं खाता तथापि, विश्व में इस समय गैर-परस्परागत धारणाओं के आधर पर कुछ परीक्षण किए जा रहे हैं।

मात्स्यिकी के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

7477. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्तीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केरल में मात्स्यिकी विकास के लिए 1986 के दौरान दी गयी कुल वित्तीय सहायता राशि का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने केरल में मात्स्यिकी के विकास के लिए 1987 में अग्रिम ऋण के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1986 के दौरान केरल राज्य में मात्स्यिकी विकास के लिए 66.792 लाख रुपए की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की थी। राष्ट्रीय बैंक ने आगे चलकर बताया है कि केरल में मात्स्यिकी विकास के लिए अग्रिमों के वास्ते 1986-87 (जुलाई-जून) में 40.00 लाख रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

केरल से सीमा शुल्क की वसूली

7478. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान केरल में सीमाशुल्क की कुल कितनी धन-राशि वसूल की गई;

(ख) यह राशि सीमा-शुल्क के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुपात में कितनी है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान किस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सीमाशुल्क की अधिकतम धन-राशि वशूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1986-87 के दौरान केरल राज्य में अनन्तिम रूप से 206.37 करोड़ रुपये का कुल सीमा शुल्क एकत्र किया गया।

(ख) 1986-87 के दौरान केरल राज्य से एकत्र किया गया सीमा शुल्क पूरे भारत में एकत्र किए गए सीमा शुल्क का 1.80% है।

(ग) महाराष्ट्र।

महासागर विज्ञान के लिए अनुसंधान पोत

7479. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधान और विकास के लिए महासागर विज्ञान प्रोद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो यह संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए अनुसंधान पोत का निर्माण स्वदेश में ही किया जाएगा या इसे किसी अन्य देश से खरीदा जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसंधान और विकास के लिए समुद्र विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मादक पेयों के आदी व्यक्ति

7480. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मादक पेयों का सेवन करने वालों की संख्या, इसकी लत से होने वाली मौतों और इसके कारण बर्बाद हुए परिवारों के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का आकलन पिछली बार कब किया गया था, यह सर्वेक्षण किस अवधि के लिए किया गया था, और इसके क्या परिणाम निकले ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

कम्प्यूटर की सहायता से तैयार किये गए डिजाइनों और उपकरणों का आयात

7481. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटर की सहायता से तैयार किये डिजाइनों और निर्माण उपकरणों तथा सिस्टम (रक्षा क्षेत्र के अलावा) के आयात के लिए इस समय लम्बित/विचाराधीन आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्गत है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) कम्प्यूटर पर आधारित डिजाइन तथा कम्प्यूटर की सहायता से विनिर्माणकारी उपस्करों तथा प्रणालियों का आयात करने के लिए, इस समय इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास कोई आवदन-पत्र नहीं पड़ा है/विचाराधीन नहीं है। किन्तु इलेक्ट्रानिकी विभाग ने दो कम्पनियों को कम्प्यूटर पर आधारित डिजाइन-उपस्करों का आयात करने के लिए विश्वव्यापी आधार पर टेंडर आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। पता चला है कि उन कम्पनियों द्वारा टेंडरों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त दो मामलों में अन्तर्ग्रस्त अनुमानित राशि क्रमशः 3000 लाख रुपये तथा 590 लाख रुपये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अन्तरिक्ष समिति की बैठक

7482. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व-अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए हाल में वाशिंगटन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतरिक्ष समिति की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में विशेष आहरण अधिकार की राशि का नियतन, ऋण नीति तथा विकासशील देशों में विकास के प्रश्न जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दो मुख्य सलाहकार दलों का क्या दृष्टिकोण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की अन्तरिम समिति ने 9-10 अप्रैल 1987 को वाशिंगटन डी० सी० में हुई अपनी बैठक में विश्व की आर्थिक परिप्रेक्ष्य, एस० डी० आर० के आबंटन के प्रश्न, निधि की निगरानी तथा ऋण नीति पर विचार विमर्श किया है।

इस बैठक में हुए विचार विमर्श और निष्कर्षों का सारांश एक प्रैस विज्ञप्ति के रूप में संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की अन्तरिम समिति की विज्ञप्ति

प्रेस रिलीज दिनांक 10 अप्रैल, 1987

संख्या 87/5

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के व गवर्नरों के बोर्ड की अन्तरिम समिति ने नीदरलैंड के वित्त मंत्री श्री एच० ओनो रूडिंग की अध्यक्षता में 9-10 अप्रैल, 1987 को वाशिंगटन डी० सी० में अपनी 28 वीं बैठक का आयोजन किया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक श्री मिशेल कामडेसस ने बैठक में भाग लिया तथा इस बैठक में बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय में संगठनों और स्विटजरलैंड के प्रेक्षक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने प्रबन्ध निदेशक के रूप में पहली बैठक में भाग ले रहे श्री कामडेसस का हार्दिक स्वागत किया तथा आने वाले वर्षों में उनको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए शुभ कामनाएं दीं।

समिति के सदस्यों ने यह नोट किया कि विश्व की अर्थव्यवस्था का हाल ही का निष्पादन मिश्रित रहा है। औद्योगिक देशों में आर्थिक गतिविधियां लगातार चौथे वर्ष में भी साधारण रूप से ही बढ़ी है तथा मुद्रा स्फीति में कमी आती रही है लेकिन बहुत से विकासशील देशों, विशेषकर तेल तथा अन्य मूल उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों, को व्यापार संबंधी अपनी शर्तों में फिर से काफी

कमजोरी का अनुभव हुआ। इसके अतिरिक्त विनिमय बाजार में काफी अनिश्चितता रही, भुगतान असंतुलन बड़ी मात्रा में रहा तथा औद्योगिक देशों में बेरोजगारी को घटाने में केवल थोड़ी सी प्रगति हुई। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया गया कि 1987 में उत्पादन के विस्तार की गति लगभग उतनी ही रहेगी जितनी कि 1986 में थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुकाबले यूरोप और जापान में आन्तरिक मांग सम्भवत: अधिक बढ़ेगी इस प्रकार इससे भुगतान संतुलन की पद्धति में सुधार होगा। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका का चालू खाता घाटा और जापान के तथा कुछ कम मात्रा में जर्मनी और कुछ अन्य देशों के अधिशेष, अभी इस समय असहनीय रूप से बड़ी मात्रा में हैं।

हाल ही की परिस्थितियों को देखते हुए, सदस्यों में विश्व अर्थव्यवस्था में गैर-स्फीतिकारी विकास में सहायक होने वाली नीतियों, स्थिर विनिमय बाजारों तथा सर्वाधिक बड़े औद्योगिक देशों में भुगतान असंतुलन को धीरे-धीरे घटाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संदर्भ में, सदस्यों ने मुख्य औद्योगिक देशों के बीच हाल ही में हुए लोवरे समझौते तथा ग्रुप आफ सेवन द्वारा विनिमय दरों की स्थिरता को बनाए रखने से संबंधित अपनी वचनबद्धता की, इस सप्ताह में पुष्टि करने का स्वागत किया। सदस्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोषीय घाटे तथा बड़ी मात्रा के अधिशेषों वाले अन्य औद्योगिक देशों के लिए सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे आन्तरिक मांग के विकास की पर्याप्त दर को सुनिश्चित किया जा सके। इस संदर्भ में उन्होंने नोट किया कि आयात की तेज विकास दर को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कुछ अन्य औद्योगिक देशों तथा कुछ नये उद्योगीकृत देशों द्वारा अपनी आर्थिक नीतियां में कुछ प्रयत्न करने की गुंजाइश है। समिति ने सभी सदस्यों से इस बात की आवश्यकता पर भी बल दिया कि ऐसे संरचनात्मक उपायों का अनुसरण किया जाये जिससे बाजार की कठोरताओं को दूर किया जा सके तथा इस प्रकार आर्थिक कार्यकुशलता में सुधार हो तथा संरक्षणवाद का निवारण करने को प्रोत्साहन मिले।

समिति ने विकासशील देशों की व्यापार की शर्तों में तेजी से गिरावट आने के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली स्थिति की जांच की जिसके अन्तर्गत लगभग 100 अरब डालर के संसोधन विकसित देशों में स्थानान्तरित हो गये है और समिति ने यह भी नोट किया कि उनमें से कई देशों ने, विशेष रूप से निर्यात की मात्रा को बढ़ाने के लिए, अपनी नीतियों में समायोजन किया। इसके परिणाम स्वरूप, एक समूह के रूप में विकासशील देशों में उत्पादन की गति बढ़कर लगभग 3½ प्रतिशत हो गई जब कि ईंधन का निर्यात करने वाले देशों को गतिहीनता अथवा गिरते हुए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का सामना करना पड़ा, अन्य विकासशील देशों में उत्पादन की वृद्धि बढ़कर लगभग 5½ प्रतिशत हो गई। समिति के सदस्यों ने नोट किया कि भारी रूप से कर्ज में दबे कई विकासशील देशों की स्थिति काफी दुसाध्य रही। पिछले वर्ष, निजी साधनों से धन का प्रवाह और भी कम हो गया तथा निर्यात की कम आय के कारण ब्याज की दरों को घटाये जाने के बावजूद निर्यात सम्बन्धी कर्ज-अदायगियों के अनुपात में सामान्य रूप से कमी आई। अनुमान है कि एक समूह के रूप में विकासशील देशों में उत्पादन के विकास में कुछ कमी आयेगी।

समिति ने, विशेष रूप से मुख्य देशों में, आर्थिक नीतियों के अन्तर्राष्ट्रीय समन्वयन में हाल ही में सुधारों का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने उन उपायों के बारे में विचार विमर्श किया जिससे आर्थिक सूचकों के प्रयोग का और अधिक विकास करके नीति समन्वयन की प्रक्रिया तथा बहुपक्षीय निगरानी को मजबूत बनाया जा सके। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की पारस्परिक कार्रवाईयों का स्पष्टीकरण करने के लिए विश्व की आर्थिक सम्भावनाओं संबंधी कोष के पुनरीक्षण में सूचकों के

अनुप्रयोग को बहुत ही लाभदायक माना गया। समिति के सदस्यों ने विचार किया कि वास्तविक नीतियों को वांछनीय और सहनीय समझी जाने वाली आर्थिक अस्थिरताओं के मुकाबले में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कार्यकारी बोर्ड को उन उपायों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये जिससे कोष की निगरानी हेतु मौजूद सिद्धान्तों और पद्धतियों में सूचकों का प्रयोग शामिल करके उन्हें आधुनिकतम बनाया जा सके; सूचकों के अधिक मात्रा में प्रयोग संबंधी अन्वेषण कार्य करना तथा समिति को इसकी अगली बैठक में एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इस कार्य के अनुसरण में, कार्यकारी बोर्ड को मुख्य सूचकों के एक सीमित सेट पर एकाग्रता रखने तथा वैकल्पिक मध्यावधिक दृश्य-विधानों के प्रकाश में आन्तरिक नीतियों और निष्पादनों के अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक कार्रवाईयों का मूल्यांकन करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। विश्व की आर्थिक गतिविधियों के मूल्यांकन, जिसमें औद्योगिक देशों की नीतियों का विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव भी सम्मिलित है, तथा नियमित अनुच्छेद VIV परामर्शों के सदर्भ में कोष के निरन्तर विश्लेषण तथा नीति संबन्धी परामर्श के लिये भी सूचकों को तैयार किया जायेगा।

समिति ने संरक्षणवादी कार्रवाईयों में हो रही बढ़ोतरी पर अपनी चिन्ता प्रकट की तथा इसका मुकाबला करने तथा विश्व की आर्थिक प्रगति की सुरक्षा तथा ऋण सम्बन्धी स्थिति की प्रबन्ध व्यवस्था के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में मुक्त व्यापार पद्धति को न बनाये रखने पर बल दिया। समिति का विश्वास था कि प्रतिबन्धों को कम करने के लिए एक तत्काल तथा विशेष कार्रवाई की आवश्यकता है जिससे समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया को सहायता मिले। समिति ने इस बात की आवश्यकता पर भी बल दिया कि औद्योगिक देश विकासशील देशों ने आने वाले निर्यात को बेहतर रास्ता प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, समिति का यह भी विचार था कि वर्तमान आर्थिक वातावरण में, सभी देशों को ऐसी कार्यवाई करने से बचना चाहिए जिससे व्यापार संबन्धी तनाव बढ़े तथा व्यापार उदारीकरण सम्बन्धी प्रगति प्राप्त करने मे कठिनाई हो। इस सम्बन्ध में समिति ने व्यापार संबन्धी बातचीत के उरूगुए राउन्ड के लिए जी० ए० टी० टी० में बातचीत संबंधी ढांचे की स्थापना का स्वागत किया। जिससे व्यापार प्रणाली को मजबूत और उदार बनाने संबन्धी अन्तर सरकारी विचार विमर्श के लिये मार्ग खुलेगा।

समिति ने यह महसूस किया कि उधारकर्ताओं और ऋणकर्ताओं तथा बहुउद्देशीय सस्थानों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के फलस्वरूप ऋण नीति अपने उद्देश्य प्राप्त करने में अधिकतर सफल रही है। तथापि, समिति ने यह माना कि कई जटिल समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं। कमजोर वस्तु कीमतों और अन्य मन्द विश्व आर्थिक प्रगति के कारण कई ऋणकर्ता देशों की वित्तीय कठिनाईयों में बढ़ोतरी हुई है। समय जिन देशों ने ऋण परिशोधन सम्बन्धी कठिनाइयों को महसूस किया है, उन्हें सामान्य बाजार की प्राप्ति में जितने समय की आवश्यकता है वह आशा के अनुसार ही है तथा निजी ऋणदाता, उन मामलों में भी, जहां कि उपयुक्त नीतियां लागू हैं, धनराशि देने में अधिकतर झिझकते हैं। इस संबंध में समिति के सदस्यों ने इस बात को दोहराया कि भिन्न-भिन्न मामलों के आधार पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि उन्मुख समायोजित कार्यक्रमों का भी अभिकल्प तैयार करने के लिए, और बाह्य वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी लाने के प्रयोजन से देशों की मदद करने में निधि का विशेष महत्व है। उन्होंने ऋण नीति में अन्य साझीदारों द्वारा समर्थित की जाने वाले निधि के निवेश की सतत आवश्यकता को भी ध्यान में रखा।

समिति ने ऋण परिशोधन की कठिनाईयों के नियोजन के लिए आवश्यक आधार तैयार करने हेतु और ऋण दाता और ऋणकर्ता के धीरे-धीरे सामान्य संबन्ध स्थापित करने के लिए तीन बातो पर बल दिया। यह बातें हैं अनुकूल विश्व आर्थिक वातावरण, जिसके साथ स्थिर वित्तीय परिस्थितियां हैं और निर्यात बाजार में विस्तार करने के लिए ऋणकर्ता देशों की पहुंचे हो। ऋणकर्ता देशों में आवश्यक आर्थिक सुधार का दृढ़ संकल्प, और इन सुधारों को आलम्ब देने के लिए उचित शर्तों पर पर्याप्त वित्तपोषण के सामयिक प्रावधान। इस संबन्ध में एक मुश्त वित्तीय पैकेज के वाणिज्यक बैंकों के द्वारा एसम्बलिंग और कार्यान्वयन में बिलम्ब पर समिति ने चिन्ता व्यक्त की। समिति ने वाणिज्कि बैंक ऋणकर्ताओं द्वारा वित्तीय तकनीकी और कई प्रक्रियों की छानबीन को उचित ठहराया, जैसे उधार इक्वटी स्वैप, एग्जिट बांड, और अधिक छानबीन ताकि ऋणग्रस्त देशों के लिए वित्तीय सहायता संघटित की जा सके।

समिति ने कम आय वाले देशों की दुर्दशा पर विशेष चिंता व्यक्त की। समिति ने इस बात पर बल दिया कि इन देशों के लिए यह बात निर्णायक है कि बड़े सुधारों का कार्यान्वयन किया जाए, जो पूर्ण रूप से प्रभावी हों, इसके साथ रियायती शर्तों पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए। इस संबन्ध में निधि की संरचनात्मक समायोजन सुविधा के अधीन प्रचालनों की प्रगति का स्वागत किया गया। समिति के सदस्यों ने संरचनात्मक समायोजन सुविधा के कार्यकारी बोर्ड द्वारा किए जाने वाले आगामी पुनरीक्षण को ध्यान में रखा उन्होंने आशा व्यक्त की कि सुविधा के अधीन की गई व्यवस्था से द्विपक्षीय ऋणदाताओं से आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकेगी। इन सामान्य संदर्भ में वरियता के आधार पर ऋणकर्ता सरकारों से आग्रह किया कि वे सरकारी ऋणों के संदर्भ में विशेष वित्तीय सहायता देने के साधनों पर विचार करें, जिसमें विशेष रूप से सब सहारन अफ्रीका शामिल है, जहां उच्च ऋण ग्रस्त कम आय वाले देशों में दूरगामी आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए और आलम्ब देने के लिए ऐसी सहायरा आवश्यक है।

निधि और विश्व बैंक के मध्य निकट के सहयोग का स्वागत किया गया। समिति के सदस्यों ने नोट किया कि बहुपक्षीय विकास बैंकों से अधिक उधार से ऋणकर्ता देशों को वित्तपोषण को महत्वपूर्ण अंशदान प्राप्त हुआ है। प्रत्येक देश के हालातों के अनुरूप करारों को फिर से व्यवस्थित करने में पेरिस क्लब के नए स्वतः प्रेरणों और सतत प्रयासों को सहर्ष नोट किया और निर्यात ऋण अभिकरणों की ओर से जो देश विस्तृत समायोजन कार्यक्रम लागू कर रहे हैं उन्हें फिर से अधिक सहायता प्रदान करने अथवा उसमें सहायता वृद्धि करने में आवश्यक लचीलापन लाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

समिति ने पांची बेसिक अवधि अर्थात् चालू अवधि में एस० डी०आर० के आबंटन के प्रश्न पर विचार किया। समिति के सदस्यों ने इस बात को दोहराया कि वर्तमान आरक्षित परिसम्पत्तियों को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन विश्वस्तरीय आवश्यकता है और कई देशों को आरक्षित सहायता की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय उधार बाजारों या चालू लेखागत अभिशेषों के द्वारा उधार के माध्यम से आरक्षित होल्डिंगस बनाने की अन्तर्राष्टीय मुद्रा प्रणाली के प्रभावी कार्य निष्पादन के जोखिमों और सदस्यों पर पड़ने वाली लागत पर जोर दिया। तथापि, समिति के कुछ अन्य सदस्य इस बात पर विश्वास करते रहे कि एस० डी० आर० आबंटन की स्थिति अर्थात दीर्घकालीन विश्व स्तरीय आवश्यकता की मौजूदगी, का प्रदर्शन नहीं किया गया है। समिति ने कार्यकारी बोर्ड से कहा कि एस०

डी० आर० के भी आबंटन के प्रश्न की जाँच जारी रखी जाए और उसने एस०डी० आर० से सम्बन्धित कार्य की जाँच जारी रखने के बोर्ड के संकल्प का स्वागत किया ताकि आरक्षित परिसम्पति के रूप में इसके आकर्षण को बढावा दिया जा सके ।

समिति ने नोट किया कि इसकी पिछली विज्ञप्ति में कार्यकारी बोर्ड से आशा की गई थी कि दस के समूह और चौबीस के समूह की रिपोर्टों में संदर्भित निधि की भूमिका की तत्परता से जांच की जाए । कार्यकारी बोर्ड द्वारा कई मसलों पर हाल ही में की गई गहन चर्चा का स्वागत किया गया, जिसमें प्रतिपूरक वित्तीय सहायता संबन्धी सुविधा का सतत पुनरीक्षण शामिल है । समिति ने अनुरोध किया कि चोबीस के समूह को आगामी रिपोर्ट में शामिल निधि की भूमिका पर किसी प्रकार के अतिरिक्त सुझावों पर तथा दस और चौबीस के दोनों समूहों की पहली रिपोर्टों में से उठाए गए किसी भी लम्बित पड़े मामले पर विचार विमर्श किया जाए ।

समिति ने सतत वृद्धि के लिए स्थापना संबंधी हालातों पर समायोजन कार्यक्रमों पर दिए जा रहे बल का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि समायोजन का इस प्रकार कार्यान्वयन करना जटिल होगा जिससे बचत, निवेश और संसाधन उपयोग में कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हो सके । समिति ने यह भी कहा कि व्यापक प्रगति उन्मुख समायोजन कार्यक्रम के लिए दृढ़ राजनैतिक वचनबद्धता उनकी सफलता के लिए अनिवार्य है और इस बात को नोट किया कि प्राइवेट तथा सरकारी ऋण-कर्ताओं और बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा उचित शर्तों पर संबंधा वितीय सह सहायता से है ऐसे समायोजन को सहायता मिलेगी । समिति ने इस बात पर बल दिया कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह सब बातें आवश्यक हैं कि निधि संसाधनों तक सदस्यों की पहुंच, उनके शामिल होने की प्रकृति और सहायता देने वाले सदस्यों को अपनी राय और वित्त से बनाए रखने के लिए संस्थान की योग्यता में ताल मेल हो । समिति ने अपनी आगामी विचार विमर्श में कार्यकारी बोर्ड को समायोजन कार्यक्रमों का और उनके सहायक निधि कार्यक्रमों का पूर्ण पुनरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह व्यवस्था सदस्य देशों के सम्मुख वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं ।

समिति ने कोटा के नवें सामान्य पुनरीक्षण पर कार्य करने के लिए कार्यकारी बोर्ड द्वारा पूर्ण समिति बनाए जाने की बात को ध्यान में रखा ।

समिति अपनी आगामी बैठक वाशिंगटन डी० सी० में तारीख 27 सितम्बर, 1987 में करने के लिए रजामन्द थी

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों को बट्टे खाते डालना

7483. डा० बी०एल० शौलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा एक निश्चित धनराशि के बाद ऋणों को बट्टे खाते डालने पर कोई निगरानी रखने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने अशोध्य माने जाने वाले ऋणों को एक समय के बाद बट्टे खाते डालने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है ।

हाल में, भारतीय रिर्जव बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से यह कहा है कि 50,हजार रुपये तक के अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और छोटी रकमों के प्रस्ताव अन्य उच्च कार्य-पालकों की समिति द्वारा निपटाये जाएं 150 हजार रुपये से अधिक के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए निदेशक बोर्डों के सम्मुख रखे जाएं । भारतीय रिर्जव बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के उचित मूल्यांकन के बाद और उस समय विचार किया जाना चाहिए जब बसूली के सभी उपाय कर लिए गये हों । बैंकों से समय की पाबन्दी के कड़े अनु-शासन की प्रक्रिया तैयार करने के लिए भी कहा गया है ताकि अनियमित और ऋण खातों का पहले ही पता चल जाए और जहां तक संभव हो सके, बट्टे खाते डालने की जरूरत से बचा जा सके ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संचित घाटे की रकम का पूंजीकरण

7484. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के संचित घाटें की रकम के पूंजीकरण के लिए कोई मान-दण्ड अथवा मार्गनिर्देश निर्धारित किये गये हैं; यदि हां, तो वे क्या हैं;

(ख) किन-किन उपक्रमों को अपने संचित घाटे के 50 प्रतिशत से अधिक को पूंजीकरण करने की अनुमति दी गई है, और

(ग) यह पद्धति अंततः इन उपक्रमों को भविष्य में अपनी कार्य कुशता बढ़ाने और उन्हें अर्थक्षम बनाने में किस प्रकार सहायक होगी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के संचित घाटे के पूंजीकरण पर, विगत में उसके कार्य-निष्पादन, भविष्य के लिए प्रायोजनाओं, ब्याज और ऋणों के संबन्ध में देनदारियों को पूरा करने के लिए उसकी क्षमता, उसके साधारण हिस्सों (इक्विटी) का आधार और निश्चित परिसंपत्ति आदि के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) संचित घाटे का पूंजीकरण, उपक्रम को उसकी नकदी स्थिति में सुधार लाने और ब्याज प्रभारों की अदायगी तथा ऋण प्रदान करने में राहत की व्यवस्था करने में सहायता करता है ।

विदेशी यात्रियों से पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुएं

7485. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों के कितने मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर भारतीय यात्रियों से कितने मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई हैं;

(ग) गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों का ब्योरा क्या है;

(घ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ) यात्रियों को परेशान किये बिना कड़ी जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : हवाई अड्डों पर भारतीय और विदेशी नागरिकों से जब्त किये गये निषिद्ध माल के मूल्य से सम्बन्धित आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 1986 के दौरान निम्नलिखित हवाई अड्डों पर विदेशी नागरिकों सहित यात्रियों से पकड़े गये निषिद्ध माल का कुल मूल्य तथा तस्करी की गतिविधियों के संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

हवाई अड्डे का नाम	पकड़े गये माल का मूल्य	हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	
	(करोड़ रुपयों में)	भारतीय	विदेशी
बम्बई	20.21	381	128
कलकत्ता	1.72	53	21
दिल्ली	5.75	82	35
मद्रास	4.72	249	52

(घ) हवाई अड्डों पर तस्करी में ग्रस्त लोगों के विरुद्ध विभागीय तौर पर और न्यायालय में मुकदमा चला कर सख्त कार्यवाही की जाती है निषिद्ध माल की जब्ती और अर्थ दण्ड लगाने के अलावा, उपयुक्त मामलों में, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (कोफे पोसा) अधिनियम के तहत निवारक नजरबन्दी की जाती है। वर्ष 1986 के दौरान निम्नलिखित हवाई अड्डों पर तस्करी की गतिविधियों के संबन्ध में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (कोफे पोसा) अधिनियम के तहत जिन व्यक्तियों की विरुद्ध किया गया था उनकी सख्या निम्न अनुसार है:—

हवाई अड्डों का नाम	विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा निवारण (कोफे पोसा) के तहत विरुद्ध किये गये व्यक्तियों की संख्या
बम्बई	122
कलकत्ता	1
दिल्ली	30
मद्रास	50

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। यात्रियों और उनके असबाब के ले जाने पर सतर्कता पूर्वक नजर रखने के लिए हवाई अड्डों पर वायु आसूचना अधिकारियों के एक अलग समूह को तैनात किया जाता है। इसके अलावा अपने शरीर में, असबाब में तथा सामान (कार्गो) में छिपा कर लाए गए निषिद्ध माल का पता लगाने के लिये मैटल डिटेक्टर और एक्स रे- बैगेज स्कैनर्ज जैसे तस्करीरोधी उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाता है

आदिवासियों को ऋण

7486. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातियों को बैंकों से ऋण देकर उन्हें महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या इस संबन्ध में बैंकों को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने का विचार है और;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को हिदायतें जारी कर दी हैं कि उनके कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत हिस्सा कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिये जिनमें अन्य लोगों के लोग भी आ जाते हैं।

(ग) और(घ) 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेन्सिंग नीति का लक्ष्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की आबादी के पीछे तथा प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर कम से कम बैंक कार्यालय खोलने का है।

अनाथ बच्चों को गोद लेने के संबंध में कदाचार

7487. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समृद्ध परिवारों द्वारा अनाथ बच्चों को गोद लिये जाने के मामलों में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न कथित कदाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां तो, इस प्रकार के मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह पता चला है कि सरकार द्वारा इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं या संगठनों को सरकार को दी जाने वाली झूठी जानकारी के आधार पर अनुदान भी दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) और (ख) : सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है।

(ग) भारत सरकार द्वारा किसी सामाजिक कार्यकर्त्ता अथवा संगठन को दत्तक-ग्रहण कार्य के लिए कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अवार्ड स्टाफ कर्मचारियों द्वारा धरना

7488. डा० वेंकटेश वया : वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक के अवार्ड स्टाफ कर्मचारी दिल्ली, मद्रास तथा अन्य बड़े शहरों में 11 दिसम्बर, 1986 को काम पर नहीं आए;

(ख) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ कर्मचारियों ने बैंकिंग डिवीजन के कार्यालय के बाहर दिन भर धरना दिया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और सरकार ने इस मामले पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां, ।

(ग) यह आन्दोलन कुछ शरारती तत्वों द्वारा उत्कोट्टई शाखा के प्रबंधक तथा लिपीकीय स्टाफ की हत्या के विरोध में किया गया था। मृतक कर्मचारियों के परिवारों को सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार एक-एक लाख रुपया दे दिया गया है। बैंक ने सूचित किया है कि बताया जाता है कि पुलिस ने इस संबन्ध में 3 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

भारतीय रॉक फास्फेट की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भारतीय और अमरीका कम्पनियों के बीच समझौते

7489. श्री जी० एस० बसवराजू
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रॉक भास्फेट की गुणवता में सुधार करने, कम्प्रेस्ड एअर ड्रायरों के निर्माण और भारतीय कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए भारतीय और अमरीकी कम्पनियों के बीच हाल ही में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) यदि हां, तो इन समझौतों की मुख्य बाते क्या हैं;

(ग) इन समझौतों के अन्तर्गत कम्प्यूटर टेप, फ्लापी डिस्क और वीडियो आडियो टेप, का कितना उत्पादन किया गया था; और

(घ) क्या फरवरी में हुए समझौतों का कार्यान्वियन किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

बिहार का पिछड़ापन

7490. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए विशेष सहायता के रूप में और अधिक धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) (क) जी, नही

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी समाचार का लीक होना ।

7491. श्री राजकुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपरिवर्तनीय बांडों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने पर प्रतिबन्ध लगाने के समाचार के लीक होने के स्रोत का पता लगा लिया है;

(ख) समाचार लीक करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही करने का प्रस्ताव हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सरकार को अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों को सामान्य शेयरों में परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया पर लगी पाबन्दी के गुप्त समाचार के रहस्य के खुल जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) वह और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

1462. श्री हुसैन दलवाई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विकास के विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को प्रत्येक वर्ष अनुदान स्वीकृत करती है;

(ख) क्या इस बात पर निगरानी रखने के लिए कोई निगरानी एजेंसी हैं कि इस प्रकार स्वीकृत किए गए अनुदान इसी प्रयोजन पर व्यय किए गए हैं; और

(ग) क्या यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वह इस अनुदान का उपयोग ऐसे क्षेत्रों में करे जो पर्वतीय और दुर्गम नहीं हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) तथा (ख) : पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विशिष्ट विकास हेतु राज्यों को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही ।

परन्तु, देश में निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की गति तेज करने की दृष्टि से, सम्बन्धित राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता मुहैया की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रकों के मध्य, जिनमें परिवहन और संचार क्षेत्रक भी आते हैं, इस विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्रकीय आबंटनों में किसी प्रकार के समायोजन के लिए योजना आयोग का विशेष अनुमोदन आवश्यक होता है।

(ग) जी, नहीं।

भारत में टेलीविजन सैट

7493. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने टेलीविजन सेट हैं;

(ख) उदमें से कितने 'ब्लैक एण्ड व्हाइट, हैं और कितने रंगीन हैं; और

(ग) इन टेलीविजन सैटों के माध्यम से अनुमानतः कितने प्रतिशत जनसंख्या टेलीविजन कार्यक्रमों को देख सकती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारत में जिन दूरदर्शन सेटों का प्रयोग हो रहा है, उनकी कुल संख्या अनुमानतः 100 लाख है।

(ख) इन सेटों में 80 प्रतिशत श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेट हैं तथा शेष 20 प्रतिशत रंगीन दूरदर्शन सेट हैं।

(ग) इन दूरदर्शन सेटों का लाभ अनुमानतः कुल जनसंख्या के 6.6 प्रतिशत को पहुंचता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में इलैक्ट्रनिक टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन

7494. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों और इलैक्ट्रानिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंजों की कुल मांग कितनी है; और

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितने इलेक्ट्रानिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंजों का निर्माण किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों की वर्तमान वार्षिक मांग लगभग 10 लाख है तथा वर्ष 1989-90 के दौरान यह मांग लगभग 30 लाख तक पहुंच जाने की संभावना है। इलेक्ट्रानिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ई० पी० ए० बी० एक्स) की वर्तमान वार्षिक मांग अनुमानतः 50,000 लाइनों की है तथा वर्ष 1989-90 के दौरान यह मांग अनुमानतः 100,000 लाइनों तक पहुंच जाने की संभावना है।

(ख) दिसम्बर, 1986 तक निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंजों (ई० पी० बी० एक्स) की लगभग 2000 लाइनों का विनिर्माण किया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए अधिकारियों के नाम

7495. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत वर्ष 1986 के दौरान कुल कितने अपराधियों के नाम दर्ज किये गए है;

(ख) उनमें से कितने आयकर विभाग से संबंधित है; और

(ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1986 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध मामने दर्ज किये गए थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1986 के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों में 1140 व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे।

(ख) इनमें से 39 व्यक्ति आयकर विभाग से सम्बन्धित थे।

(ग) वर्ष 1986 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए।

इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्री द्वारा बाण्ड जारी करना

7496. श्री यशवंत रावगडाख पाटिल
श्री जी०एस० बसवराजू
श्री एच० एन० नन्जे गोडा
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री लिमिटेड द्वारा जारी किये बाण्ड के लिये मांगी गई धनराशि से अधिक धनराशि प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कंपनी को यह अतिरिक्त धनराशि अपने पास रखने की अनुमति दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) : इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० को 14 प्रतिशत/10 प्रतिशत ब्याज वाली योजनाओं के अन्तर्गत अपरिवर्तनीय बांड जारी करने की अनुमति दे दी गई थी। इस निर्गम के प्रति 305.08 करोड़ रुपये का अधि-अभिदान प्राप्त हुआ जिसमें से 10 प्रतिशत ब्याज वाले बांडों के लिए 165.34 करोड़ रुपए और 14 प्रतिशत ब्याज वाले बांडों के लिए 139.74 करोड़ रुपए का अभिदान प्राप्त हुआ।

(ग) जी हां।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण

7497. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की एक प्रति इसकी प्रमुख विशेषताओं के साथ सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(ग) केन्द्री सरकार द्वारा राज्यों के लिए इस प्रयोजना हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : लघु उद्योगों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को रोकने के लिए कोई विशेष स्कीम प्रतिपादित नहीं की गई है । उद्योगों को अपने प्रतिष्ठानों में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने होते हैं । तथापि, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए कर में छूट और उदार शर्तों पर ऋण के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं । लघु उद्योग धन्धों के समूह वाले क्षेत्रों में सामूहिक बहिस्राव, संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है । केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों के लिए कोई आबंटन निर्धारित नहीं किया है ।

बंदरलीमा-स्वाकोट मोटर मार्ग को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति दिया जाना

7498. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को बन्दरलीमा-स्वाकोट मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिथौरागढ़ जिले में आलू विकास केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करना

7499. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में गंभीरगांव चम्पावत आलू विकास केन्द्र को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवश्यक मंजूरी प्रदान करने के संबंध में हाल में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्टेट बैंक आफ़ पटियाला की वालीनगर स्थित शाखा के परिसर के किराये में वृद्धि

7500. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ पटियाला की बालीनगर (दिल्ली स्थित शाखा के परिसर का किराया बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) स्टेट बैंक आफ पटियाला ने सूचित किया है कि 30 जून, 1985 को पट्टे के पूर्व करार की अवधि समाप्त हो जाने के बाद 1 जुलाई, 1985 से बैंक ने 24,500 रुपए प्रति मास के किराये पर एक नया पट्टा किया था । पूर्व पट्टे के अनुसार बैंक 2500 रुपये प्रति मास किराया दे रहा था ।

(ग) और (घ) बैंक ने सूचित किया है कि उक्त किराये पर नया पट्टा करार करने का निर्णय इस मामले पर सभी दृष्टियों से विचार करने के बाद लिया गया था । ऐसा करते समय उस इलाके में प्रचलित किराए की दरों और इन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुपालन को ध्यान में रखा गया था ।

अल्मोड़ा-नैनीताल और पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल

7501. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा नैनीताल और पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल का कार्यकाल कितनी अवधि का है और यह कब समाप्त होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 10 के संदर्भ में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल में अध्यक्ष के अलावा किसी निदेशक की नियुक्ति, उसके कार्य भार संभालने की तारीख से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाती है । उक्त अवधि की समाप्ति पर वह अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक अपने पद पर बना रहता है । उसे पुनः नामांकित भी किया जा सकता है । कोई कार्यकाल किसी निदेशक के कार्यकाल का द्योतक होता है न कि इकाई के रूप में निदेशक मंडल के कार्यकाल का ।

[अनुवाद]

केरल में आदिवासी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम

7502. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के लिए केरल राज्य में आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) क्या केरल में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर कोई निकाय स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांग) : (क) 1987-88 के लिए 4380 आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। वर्ष के दौरान राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता से आदिवासी उपयोजना के लिये अनुमानित धनराशि क्रमशः 806 15 लाख रुपये और 84.00 लाख रुपये है।

(ख) और (ग) : आदिवासी विकास कार्यक्रमों को 5 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं अर्थात् पुनलुर, डूकी, निलमबूर मनान थोड़ी और एटापेडी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

7503. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ख) बैंक अधिकारियों द्वारा वर्ष 1985 और 1986 के दौरान धोखाधड़ी के अलग-अलग कितने मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जानकारी में लाये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1984,1985 और 1986 के संबंध में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार, इन बैंकों में हुई धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि, घटना की तारीख चाहे कोई भी रही हो, नीचे दी गई है:—

वर्ष	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए)
1984	2410	45.18
1985	2157	53.48
1986	1822	44.42
	(आंकड़े अनन्तिम)	

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि आयोग द्वारा उसको जानकारी में लाए गए बैंक अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना नहीं रखी जाती। अलबत्ता, आयोग ने वर्ष 1985 और 1986 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र से संबंध क्रमशः 140 और 156 मामलों में मुकदमा चलाने/बड़ा दण्ड देने का परामर्श दिया था। आयोग ने आगे सूचित किया है कि चूंकि धोखाधड़ी के मामलों की अलग से कोई श्रेणी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि ये 140 और 156 मामले धोखाधड़ी के उन मामलों में शामिल हों जिनकी सूचना आयोग को दी गई थी क्योंकि धोखाधड़ियों के मामले में प्रायः बड़ा दण्ड देने/मुकदमा चलाने के लिए कहा जाता है।

डाकघरों में इंदिरा विकास पत्रों की कमी

7504. **श्री यशवंतराय गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में डाकघरों में इंदिरा विकास पत्रों की कमी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु कौन से उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिल्ली में शुरू में इंदिरा विकास पत्रों की कुछ कमी थी। अब पर्याप्त भण्डार उपलब्ध है।

परियोजना संबंधी आयात पर सीमा शुल्क के लिए वैकल्पिक ऋण योजना

7505. **श्री यशवंत राय गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परियोजना संबंधी आयात पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क की अदायगी के लिए वैकल्पिक ऋण योजना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना का उद्देश्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : अखिल भारतीय सावधि ऋण द्वारा संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने केन्द्रीय सरकार के 1987-88 के बजट में प्रस्तावित परियोजना आयतों पर बढ़ाई गयी सीमा शुल्क की रकम अदा करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते एक योजना तैयार की है। यह योजना उन परियोजनाओं के लिए भी उपलब्ध होगी, जो उपर्युक्त ऋण दाता संस्थाओं द्वारा 1 मार्च, 1987 से पूर्व ऋण सहायता के लिए मंजूर की गयी थी और जिनके मामले में उक्त तारीख से पहले सीमा शुल्क विभाग द्वारा पूंजीगत सामान/उपकरण जारी नहीं किये गये थे। यह सहायता प्राय: 1987-88 के बजट में की गयी वृद्धि के कारण देय अतिरिक्त सीमा शुल्क के 90 प्रतिशत तक के लिए उपलब्ध होगी। यह सहायता स्वत: आधार पर होगी और इसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए होगी। बड़ी परियोजनाओं के आयतों के लिए अग्रणी संस्था प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय लेगी। इस आपाती ऋण के ब्याज की दर और अन्य शर्तें परियोजना के लिए दी गई रुपया ऋण सहायता पर लागू शर्तों के समान होगी। इस सहायता पर वचनबद्धता प्रभार नहीं लगाया जाएगा और आपाती ऋण की वापसी अदायगी की अवधि आम तौर पर परियोजना के लिए मंजूर किए गए रुपया ऋण के लिए निर्दिष्ट वापसी अदायगी के समकालिक होगी।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं की कार्यकारी समितियों की बैठकें

7506. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विभिन्न प्रयोगशालाओं की कार्यकारी समितियों की वर्ष 1986 के दौरान कितनी बैठकें हुई;

(ख) इन बैठकों में कितनी अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और कितनी परियोजनाओं को रद्द किया गया;

(ग) जिन प्रयोगशालाओं की कार्यकारी समितियों की नियमों के अनुसार नियमित अंतराल पर बैठकें नहीं हुई है उसके नाम क्या हैं; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायनन) : (क) प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा की गई कार्यकारिणी समिति/प्रबन्ध समिति की बैठकों की संख्या विवरण 1 में दी गई है।

(ख) वर्ष 1986 के दौरान इन बैठकों में अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या 870 थी और 108 परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं दी गई।

(ग) सी० एस० आई० आर० के उपनियम में प्रतिवर्ष कम से कम चार बैठकों के आयोजन का प्रावधान है। वर्ष 1986 के दौरान जिन प्रयोगशालाओं/संस्थानों में चार से कम बैठकें की गई उनकी सूची विवरण-2 में दी गई है।

(घ) प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में निश्चित संख्या में बैठकों के आयोजन की कमी का कारण अपर्याप्त कार्य सूची मदों का होना बताया गया है। प्रयोगशालाओं को अनुदेश दिए जा चुके हैं कि वह निश्चित करें कि उपनियम की धाराओं का कड़ाई से पालन किया जाये।

विवरण-1

सी० एस० आई० आर० की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों की कार्यकारिणी समिति के बैठकों का ब्यौरा

सी० एस० आई० आर० के तत्वावधान में 40 प्रयोगशालाएं/संस्थान कार्यरत हैं। इनमें से 37 प्रयोगशालाओं में कार्यकारिणी समिति है शेष 3 में प्रबन्ध-समिति है। वर्ष 1986 के दौरान—

1. 14 प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में कार्यकारिणी समिति की चार बैठकें की गई;
2. 2 प्रयोगशालाओं/संस्थानों में कार्यकारिणी समिति की चार से अधिक बैठकें की गई।
3. 9 प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में कार्यकारिणी समिति की तीन बैठकें की गई।
4. 15 प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में कार्यकारिणी समिति की दो बैठकें की गई।

विवरण-2

1986 के दौरान सी० एस० आई० आर० नियम में प्रदत्त नियमित अन्तराल के अनुसार जिन प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में बैठक आयोजित नहीं की गई थी का विस्तृत विवरण।

क्रम सं०	प्रयोगशाला/संस्थान का नाम	1986 के दौरान कार्यकारिणी समिति के बैठकों की संख्या
1	2	3
1.	कोशिकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद	3
2.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	3
3.	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	3

1	2	3
4.	राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलूर	3
5.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम	3
6.	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुडकी	3
7.	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	3
8.	औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ	3
9.	केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान कोरेकड़ी	3
10.	सी० एस० आई आर० जैवरसायन केन्द्र, दिल्ली	2 प्रबन्ध-समिति
11.	सूक्ष्मजैविक प्रोद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़	2 प्रबन्ध-समिति
12.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू	2
13.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	2
14.	भारयीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून	2
15.	क्षेत्रीय अमुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	2
16.	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास	2
17.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	2
18.	भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, नई दिल्ली	2
19.	प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, नई दिल्ली	2
20.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ	2
21.	भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कलकत्ता	2
22.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	2
23.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल	2
24.	सी० एस० आई० आर संकुल, पालमपुर, (हि० प्र०)	2 प्रबन्ध-समिति

साफ्टवेयर के निर्यात में गिरावट

7505. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान साफ्टवेयर के निर्यात में कितनी गिरावट आई है; और

(ख) वर्ष 1987 में इस संबंध में स्थिति कैसी लाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1985 की तुलना में वर्ष 1986 के दौरान साफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1986 की तुलना से वर्ष 1987 के दौरान कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में 60 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना है।

फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ चर्चा

7508. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1987 के दौरान फ्रांस से विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था और दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों के बारे में चर्चा की थी;

(ख) क्या उन परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी जिनके लिए फ्रांस सहायता और सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए फ्रांस द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी और इन परियोजनाओं के लिए फ्रांस किस सीमा तक वित्त पोषण करने के लिए सहमत हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) फ्रांसीसी विदेश मन्त्री श्री जीन बर्नार्ड रेमण्ड ने मार्च 1987 में भारत की यात्रा की और भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की।

(ख) विदेश मन्त्री श्री रेमण्ड के साथ जो बातचीत हुई, वह सामान्य किस्म की बातचीत थी और उसके दौरान किसी विनिर्दिष्ट परियोजना अथवा उसकी वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में सानवा बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय खोला जाना

7509. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एस० एम० गुरड्डी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के पांचवें सबसे बड़े बैंक सानवा बैंक ने भारत में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सानवा बैंक के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत में कार्य करने वाला जापान का यह तीसरा बैंक होगा;

(घ) क्या यह बैंक भारत सरकार को ऋण भी देगा; और

(ङ) इस बैंक का अन्य कौन-कौन से संगठनों को और किन-किन शर्तों पर ऋण देने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सानवा बैंक लि० ने जो जापानी बैंक है, दिनांक 27 मार्च, 1987 को नई दिल्ली में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला है, सानवा बैंक लि० चौथा जापानी बैंक है जिसकी भारत में शाखाएँ/कार्यालय हैं।

भारत में विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की यहाँ पर बैंकिंग कारबार करने की अनुमति नहीं है। उनका मुख्य कार्य अपने मूल कार्यालयों की सेवाओं को बढ़ाना और संपर्क कार्यालयों के रूप में काम करना है। नई दिल्ली स्थित सानवा बैंक लि० के प्रतिनिधि कार्यालय को भारत सरकार या भारत में किसी भी सगठन को किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम देने की अनुमति नहीं है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की लश्कर ग्वालियर शाखा में धोखाधड़ी

7510. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्टेट बैंक आफ इंदौर की लश्कर ग्वालियर शाखा में गलत ऋण के माध्यम से की गयी एक कथित धोखाधड़ी का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त राशि और इसमें शामिल बैंक अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि वर्ष 1981 में उसकी लश्कर (ग्वालियर) शाखा में लगभग 0.58 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। लेकिन यह धोखाधड़ी गलत अग्रिम के जरिए न होकर बल्कि धोखे से हासिल किए गए ड्राफ्ट में हेरा-फेरी करके रकम निकाल कर की गई थी।

(ख) बैंक ने बताया है कि केनरा बैंक द्वारा उसकी राजकोट शाखा के नाम जारी किया गया 57525.05 रुपए का ड्राफ्ट किसी धोखेबाज के हाथ आ गया था जिसने स्टेट बैंक आफ इंदौर की लश्कर शाखा में फर्जी खाता खोलकर 57500 रुपये की रकम निकाल ली थी।

(ग) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले लेखाकार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी है। बैंक ने आगे चलकर यह भी बताया है कि अदाकर्ता बैंक ने सेन्ट्रल कोतवाली लश्कर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। चूंकि अपराधी को पकड़ा नहीं जा सका इसलिए पुलिस ने 24 अप्रैल, 1985 को मामला दाखिल दफ्तर कर दिया।

[हिन्दी]

नशीली दवाओं की आदत छुटाने के उपायों पर व्यय

7511. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान नशीली दवाओं की आदत छुटाने के लिए प्रत्येक राज्य तथा पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था को कितनी धन राशि आवंटित की गई ;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा स्वयंसेवी संस्था द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की गई ; और

(ग) इससे राज्वार कितने लोगों को लाभ पहुँचा है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) 1984-85 के दौरान नशीली दवाओं की आदत छुड़ाने के लिए किसी भी संगठन को कोई सहायक अनुदान नहीं दिया गया था। 1985-86 और 1986 87 के दौरान मद्यनिषेध के लिए शिक्षा कार्य, मदिरा पान, नशीली दवाओं के व्यसनियों के लिए परामर्श और पुनर्वासात्मक कार्य तथा सामाजिक अपराध के अन्य पीड़ितों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सहायक अनुदान दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत निर्व्यसन केन्द्र आयोजित करने के लिए परामर्श और मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना एवं उन्हें चलाने के लिए अनुदान दिए गए थे। चूंकि यह समस्या मुख्यतः महानगरों और बड़े उप नगरों में विद्यमान है इसलिए इस योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को उन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर सहायता दी जाती है। भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता, किया गया खर्च और लाभान्वित व्यक्तियों संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

संगठन का नाम	किस प्रयोजन के लिए अनुदान दिया गया	स्वीकृत की गई धनराशि 1985-86	स्वीकृत की गई धनराशि 1986 87	व्यय की गई धनराशि 1985-86	व्यय की गई धनराशि 1986 87	लाभ प्राप्त कर्ताओं की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1. भारतीय शिक्षा परामर्श नई दिल्ली	परामर्श केन्द्र (2)	0.92	1.68	0.92	उपलब्ध नहीं	1700*	*आकड़े अप्रैल, से फरवरी, 1987 के दौरान पंजीकृत किए
2. दिल्ली महिला लींग नई दिल्ली	परामर्श केन्द्र (1)	0.14	1.13	0.14	उपलब्ध नहीं	126*	गए व्यसनियों की संख्य दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक संख्या में
3. आर्थिक शिक्षा सोसायटी नई दिल्ली	परामर्श केन्द्र (1)	0 03	0.86	0.03	उपलब्ध नहीं	180*	व्यक्तियों को शिक्षा और प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ प्राप्त
4. भारत में समाज स्वास्थ्य संस्था, दिल्ली	परामर्श केन्द्र (3)	0.72	2:00	0.67	उपलब्ध नहीं	419	होने की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
5. अफीम निर्व्यसनी उपचार प्रशिक्षण तथा अनुसंधान ट्रस्ट, जिला जोधपुर, राजस्थान	निर्व्यसनी कैम्प	3.45	5.30	3.30	उपलब्ध नहीं	549 (85-86) 750 (86-87) लगभग	

6.	नशाबनिवारण परिवार कल्याण परिषद, बाडमेर राजस्थान	निर्व्यसनी कैम्प	—	0.45	—	उपलब्ध नहीं	100 लगभग
7.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, पोस्ट जेलू गागाड़ी जिला जोधपुर (राजस्थान)	निर्व्यसनी कैम्प	0.68	0.72	0.68	उपलब्ध नहीं	204(85-86) 200(86-87) लगभग
8.	स्वालबम्न शिक्षा संस्थान जालोरी गेट के अन्दर जोधपुर (राजस्थान)	निर्व्यसनी कैम्प	1.28	0.81	1.90	उपलब्ध नहीं	242(85-36) 225(86-87) लगभग
9.	दिल्ली महिला लीग नई दिल्ली	निर्व्यसनी केन्द्र	0.99	—	0.87	उपलब्ध नहीं	31
10.	भारतीय शिक्षा परिषद	निर्व्यसनी केन्द्र	—	3.19	—	उपलब्ध नहीं	446

टिप्पणी:—अव्यय शेष राशि का समावेश/वापिस की गई।

[अनुवाद]

कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनायें

7512. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु औद्योगिक योजनाओं सहित कोई योजनाएँ योजना आयोग को भेजी हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन पर कौन सी कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) (क) से (ग) : कर्नाटक राज्य की सातवं योजना को अंतिम रूप देने के बाद सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वयनार्थ कर्नाटक राज्य द्वारा सुझाई गई 2 स्कीमों का योजना आयोग ने अनुमोदन कर दिया है। राज्य सरकार से प्राप्त एक अन्य प्रस्ताव इस समय स्वीकृति के लिए निर्णयाधीन है। इन स्कीमों के अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं० परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	पनियोजना की स्थिति
1. कावेरी जल पूर्ति स्कीम (चरण-3)	240.00	विश्व बैंक/आई० डी० ए० सहायतार्थ प्रस्तुत किए जाने के वास्ते सितम्बर, 1986 में स्वीकृत की गई।
2. कोलार, बीदर, आमकंड़ी, इंदी में डीजल जेनरेटिंग सेट	50.81	फरवरी, 1987 में स्वीकृति प्रदान की गई।
3. श्री घावती टेल रेस एच० ई० पी०	182.55	पर्यावरणीय अनापत्ति के आभाव में स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है।

अनिधिसूचित जनजातियों के लिए "माईक्रो" परियोजनायें

7513. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अनधिसूचित आदिम जनजातियों के उत्थान के लिए और अधिक "माइक्रो" परियोजनायें कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनधिसूचित प्राचीन आदिम जाति परियोजना (माइक्रो परियोजना) के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

सिक्किम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

7514. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा परीक्षाओं के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निःशुल्क/वजीफो सहित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिक्किम में यह सुविधा उपलब्ध की गई है ;

(ग) यदि हां, तो कब से ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : भारत में जिसमें सिक्किम भी शामिल है, कहीं भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार वर्तमान किसी भी केन्द्र से ऐसे विशेष प्रशिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। सिक्किम में किसी केन्द्र की स्थापना नही की गई है, चूंकि सिक्किम की राज्य सरकार से इस मामले में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता

7515. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण सुविधा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं ; और

(ग) वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या शर्तें रखी गयी हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : लघु क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के वास्ते महिला उद्यमिओं को प्रशिक्षण और विस्तार सेवा समर्थन प्रदान करने तथा रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की एक योजना है। प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं प्रदान करने के कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जाता है और इस प्रकार की प्रशिक्षण एजेंसियों को प्रशिक्षण व्यय के लिए प्रति हिताधिकारी 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

महिला उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित और उनके प्रबन्धन के अधीन लघु क्षेत्र की सभी परियोजनाएं (कुटीर, ग्राम और अति लघु उद्योगों सहित) इस योजना के अन्तर्गत सहायता पाने की पात्र हैं। "क"

श्रेणी के पिछड़े जिलों में स्थापित एककों के वास्ते प्रवर्तकों का अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 12.5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 15 प्रतिशत होगा। इस प्रकार के एककों के वास्ते ऋण इक्विटी अनुपात 3:1 होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज दर 9 प्रतिशत होगी जबकि मूल ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋण के ब्याज की दर का 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा ऋण की वापसी अदायगी की अवधि 2 वर्ष की अधिस्थगतन अवधि सहित 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सिक्किम में बैंक ऋण

7516. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में कार्य कर रहे लीड बैंक का नाम क्या है ;

(ख) यह कब से कार्य कर रहा है और इसके कृत्य क्या हैं ;

(ग) क्या बैंक ने वर्ष 1985 और 1986 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए कुछ लाभार्थियों के नाम प्रायोजित किये हैं ,

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में प्रायोजित लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं और बैंक द्वारा कब तक लाभार्थियों का प्रायोजन शुरू किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1985 से समूचे सिक्किम राज्य के लिए अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक की है। अग्रणी बैंक, शाखा/बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऋण संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी ऋणदाता संस्थाओं के प्रयत्नों का समन्वय करने के वास्ते नेता के रूप में काम करता है।

(ग) से (ङ) : अग्रणी बैंकों को, बैंक सहायता के लिए अलग-अलग लाभार्थियों को प्रायोजित नहीं करना पड़ता और इसलिए न ही वे प्रायोजित करते हैं। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सिक्किम राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों की बकाया राशि 31 दिसम्बर 1985 को 7542 ऋण खातों के अन्तर्गत 473.76 लाख रुपए थी।

[हिन्दी]

स्व-रोजगार योजना

7517. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शहरों में रहने वाले कितने गरीब लोगों को शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किये गये हैं ;

(ख) क्या इस योजना के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रहने की संभावना है ,

(ग) यदि हां, तो इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी राशि का प्रावधान किया गया है,

(घ) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऋण प्रदान करने में अनियमितता बरते जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालत के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय पहली सितम्बर, 1986 से आरंभ किए गए शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत संपूर्ण राज्यवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 26882 मामलों में ऋण मंजूर किए गए हैं।

शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली के अनुसार बैंकों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आंकड़ा देने की अपेक्षा की जाती है। अत: भारतीय रिजर्व बैंक के पास बाराबन्की, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, उसके पास प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1986 तक उत्तर प्रदेश में 14124 मामले मंजूर किए गए।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : इस योजना के अन्तर्गत, वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूंजीगत आर्थिक सहायता के अंश के वाते अधिक व्यवस्था की गई है।

(ङ) और (च) समूचे देश में कार्यान्वित की जा रही किसी भी योजना में उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें हो सकती है। अलबत्ता, जब कभी सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, तब उसे उपचारात्मक कार्रवाई करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक/सम्बन्धित वाणिज्य बैंक के पास भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

बैंकिंग सेवा आयोग

7518. डा० **गौरी शंकर राजहंस**: वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा आयोग को समाप्त करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का भर्ती के लिए क्या अन्य व्यवस्था करने का विचार है, और

(ग) यह व्यवस्था कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चूंकि बैंकिंग सेवा आयोग का गठन ही नहीं किया गया है। इसलिए उसे समाप्त करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारी संवर्ग लिपिकीय संवर्ग के कर्मिकों की भर्ती विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों तथा केन्द्रीय भर्ती बोर्ड द्वारा की जा रही है। अधीनस्थ संवर्ग का भर्ती स्थानीय रोजगार केन्द्रों द्वारा की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वेतन बचत योजना

1519. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि जीवन बीमा निगम को बीमे की राशि का वेतन बचत योजना के अन्तर्गत पालिसी धारकों को न तो प्रीमियम की रसीद और न ही खाते की आवधिक विवरणियां भेजी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो वेतन से बचत से योजना के अन्तर्गत बीमें की राशि की पालिसी धारकों को प्रीमियम-रसीदें भेजने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। उठाने का विचार है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वेतन योजना पालिसियों के अन्तर्गत प्रीमियम को अदायगी, इस योजना के स्वरूप के अनुसार नियोक्ता द्वारा जीवन बीमा निगम के पालिसीधारी कर्मचारियों को किए जाने वाले वेतन संवितरण के जरिए की जाती है। जीवन बीमा निगम को ये प्रीमियम एक बार भेजी गई रकम द्वारा प्राप्त होते हैं और उसके लिए केवल एक समेकित रसीद अदा करने वाले प्राधिकारी को जारी कर दी जाती है। इस प्रकार ऐसी पालिसियों की व्यवस्था में कम खर्च आता है क्योंकि इसमें मासिक अदायगियों के लिए प्रीमियम पर लगने वाले उस 5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रभार की बचत होती है जो पालिसीधारकों को व्यक्तिगत रूप ये रसीद जारी करने पर लगता है। इसलिए इस योजना के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया है कि जीवन बीमा करने पर निगम द्वारा कोई भी प्रीमियम देय नोटिस या रसीद अलग-अलग जारी नहीं की जाएगी। किन्तु यदि कोई पालिसीधार वर्ष के दौरान अदा किए गए प्रीमियम का विवरण प्राप्त करना चाहता हो तो उसे अनुरोध करने पर वह विवरण भेज दिया जाता है।

चैक-बुकें

7520. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा इस समय जो चैक बुकें जारी की जाती हैं उनमें प्रतिफर्म नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे चैक-बुक धारकों को अपने खातों से निकाली गई रकम को दर्ज करने में बड़ी असुविधा हो रही है ?

(ग) बिना प्रतिपणों की नई चैक बुकें जारी करने से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल कितनी राशि बचाई है; और

(घ) क्या सरकार का प्रतिपर्ण युक्त पुरानी चैक बुकों का पुनः प्रचलन शुरू करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से प्रतिपर्णों के बिना और जमा राशियों तथा निकासियों का हिसाब रखने के लिए रिकार्ड स्लिपों की व्यवस्था करके नई चैक बुकें जारी करने की लागत को नियंत्रित करने के लिए कहा है। एम० आई० सी० आर० चैकों के मामले में, जिनके कागज और मुद्रण की लागत सामान्य चैकों से कहीं अधिक होती है, पहले ही इस परामर्श को कार्यान्वित किया जा चुका है। बैंक अपने खाता धारकों को चैक बुकें मुफ्त जारी करते हैं और यह जरूरी है कि वे इनकी लागत को यथोचित सीमाओं में ही रखें प्रतिपर्णों को समाप्त करने के कारण हुई कुल बचत का अनुमान नहीं लगाया गया है।

एम० आई० सी० आर० बैंकों में प्रतिपर्णों को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में इलेक्ट्रानिक उद्योग में पूंजी निवेश

7521. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में इलेक्ट्रानिक उद्योग में पूंजी निवेश के प्रति रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) विदेशी कम्पनियों को भारत में इलेक्ट्रानिक उद्योग में पूंजी निवेश की अनुमति देने के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनियों के नाम विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) : मामलों की गुण दोषों के आधार पर तथा विदेशी प्रौद्योगिकी पूंजी निवेश से संबंधित नीति विवरण-2 के समूचे ढांचे के अंतर्गत जांच-पड़ताल की जाती है तथा समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं।

विवरण-1

1. मेसर्स फिलिप्स, हालैंड।
2. मेसर्स मारकोनी इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ग्रेट ब्रिटेन।
3. टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका।
4. मेसर्स गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स संयुक्त राज्य अमेरिका।
5. मेसर्स एन० ई० सी० जापान।
6. मेसर्स इटालटेल, ईटली।

7. मेसर्स ग्रेंजर एसोसिएट्स लिमिटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका।

8. मेसर्स हरीश कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका।

9. मेसर्स नोरद, नार्वे,

10. मेसर्स तोशिबा, जापान।

11. मेसर्स फराजीत्सु, जापान।

12. मेसर्स ब्रोउन बोवेरी कारपोरेशन, स्वीटजरलेंड।

13. मेसर्स इरीक्सन, स्वीडम।

14. मेसर्स बेली टेलीफोन मैन्यूफेक्चरींग (आई० टी० टी० बेलजियम)

15. मेसर्स सीमेंट, वेस्ट जर्मनी।

16. मेसर्स सी० आई० टी०, अल्केटल, फांस।

17. मेसर्स जी० टी० आई० बेलजियम।

18. मेसर्स ओ० के० आई० जापान।

19. मेसर्स एफ० ए० सी० ई० (आई० टी० टी०) ईटली।

20. मेसर्स सागेम, फ्रांस।

21. मेसर्स सैन्यो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापन।

22. मेसर्स सैन्यो इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड जापान।

23. मेसर्स मित्सुबशी कारपोरेशन जापान।

24. मेसर्स टेकरोको कम्पनी, लिमिटेड, जापान।

25. मेसर्स सेटलक्टो फिल्म, एस० पी० ए० इटली।

26. मेसर्स सैन्यो इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड, जापान।

27. मेसर्स हालेक्स इन्टर नेशनल इंस्ट्रूमेंटस, संयुक्त राज्य अमेरिका।

28. मेसर्स स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनिक्स काम्पोनेंटस लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन।

29. मेसर्स पैकिंग इंडस्ट्रीस ग्रुप इंस्ट्रमेंटस, संयुक्त राज्य अमेरिका।

30. मेसर्स इंस्ट्राग्रोफिक्स प्रोडक्टस लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन।

31. मेसर्स बरबेटीम कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका।

32. मेसर्स ओमनी रिस्प्रेस कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका।

33. मेसर्स फोइनिक्स, वेस्ट जर्मनी।

34. मेसर्स सीनाप्रिंट हालडिंग पी० एल० सी०, ग्रेट ब्रिटेन।

35. मेसर्स कोर्निंग ग्लास वर्क्स संयुक्त राज्य अमेरिका।

36. मेसर्स अकूस्टील यूकिनोग्रेट जी० एम० बी एच० आस्ट्रेलिया।

37. बरोज कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका।

38 कंट्रोल डेट कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका।

39. डिजीटल इक्विपमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका।

40. हेवलेटी पैकार्ड कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका।

41. ओलिवेटी इटली।

42. एन० सी० आर० कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका।

43. एशिया स्वीडन।

44. जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी ग्रेट ब्रिटन।

45. सीमेंस, जर्मन गणराज्य।

46. मेसर्स मारकोनी कम्यूनिकेशन सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन।

विवरण-2

विदेशी प्रौद्योगिकी/पूंजी निवेश संबंधी नीति

इलेक्ट्रानिकी के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात तथा विदेशी-सहयोग (तकनीकी) की अनुमति प्रदान की जाती है। निम्नलिखित मानदंडों का पूरा करने पर विदेशी-सहयोग के अनुमोदन जारी किए जाएगें।

1. देश के अन्दर पार्टी के लिए प्रौद्योगिकी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

2. प्रौद्योगिकी समकालीन है तथा देश के लिए उपयुक्त है।

3. यह प्रौद्योगिकी लागत/स्वीदेशीकरण दृष्टि से काफी लाभदायक सिद्ध होगी।

4. पार्टी में प्रौद्योगिकी की आत्मसात करने तथा आयातित प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने की क्षमता।

चूंकि अनेकों प्रौद्योगिकियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन पर आने वाली लागत अधिक हो सकती है, अतः सरकार ने कुछ मदों के लिए केन्द्रीकृत आधार पर प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का निर्णय किया है। इस समय इस योजना के अन्तर्गत जिन मदों को लाया गया है, वे इस प्रकार हैं: (i) टेलीफोन उपकरण (ii) इलेक्ट्रोनिक पी० ए० बी० एक्स० प्रणालियां तथा (iii) ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज।

इलेक्ट्रोनिकी के सभी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तक की विदेशी-साम्या पूंजी (इक्विटी) की अनुमति प्रदान की जाती है। इलेक्ट्रोनिकी के निम्नलिखित क्षेत्रों में देशी पूंजीनिवेश की तुलना में अधिक विदेशी साम्य-पूंजी की अनुमति दी जाती है (जोया तो वर्तमान कम्पनियों अथवा 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी-साम्यपूंजी वाली नई कंपनियों के लिए है।)

1. इलेक्ट्रोनिक संघटक-पुर्जे

2. सामग्री (इलेक्ट्रोनिक उद्योग के लिए)

3. इलेक्ट्रोनिकी के अन्य क्षेत्रों में ऐसी मदें जो उच्च प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हैं।

उपर्युक्त के अनुसार अधिक मात्रा में विदेशी-साम्या-पूंजी की अनुमति प्रदान करते समय निम्न शर्तें लागू होंगी। (क) मामले के गुण-दोषों के आधार पर औचित्य क्या है; (ख) जहां भारतीय कम्पनियों को ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं (जिसमें 40 प्रतिशत तक की विदेशी साम्या-पूंजी वाली कम्पनियों सहित) तथा (ग) ऐसे मामले में जहां देश उद्यमकर्ताओं को समय पर तथा प्रतिस्पर्धात्मक तकनीकी-जानकारी प्रदान करने के लिए प्रचुर मात्रा में पूंजी निवेश करने में समर्थ नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में "मैरिन पार्क" की स्थापना

7522. **श्री वी० तुलसी राम : पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में एक "मैरिन पार्क" की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) "मैरिन पार्क" की स्थापना पर कितना व्यय आने का अनुमान है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय रिजर्व बैंक में धोखा धड़ी के मामले

7523. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक की शाखाओं में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों की संख्या के पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) धोखाधड़ी के इन मामलों में कितने व्यक्तियों के शामिल होने का पता चला है; और

(घ) उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक में जालसाजी और धोखा धड़ी के मामलों में वृद्धि नहीं हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे चलकर बताया है कि 1984-1985 और 1986 के वर्षों के दौरान जालसाजी की केवल एक वारदात हुई जिसमें 7,600 रुपये की रकम अन्तर्ग्रस्त थी। इस मामले में बैंक के जयपुर कार्यालय में तिजोरी नोट प्रेषण में अदा किए गए खराब नोटों का पता चला था। बैंक ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया था।

जहां तक उक्त अवधि के दौरान धोखाधड़ी के मामलों का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके ध्यान में 19 मामले आए थे जिनका संबंध मुख्यतः बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गयी विभिन्न सुविधाओं जैसे छुट्टी किराया रियायत, सवारी भत्ता/प्रभार, यात्रा भत्ता आदि के दुरुपयोग से हैं। इन मामलों के संबंधी में कार्यालय-वार सूचना नीचे दी गई है :—

कार्यालय	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या
बम्बई	12	12
नई दिल्ली	2	2
नागपुर	1	1
मद्रास	1	1
त्रिवेन्द्रम	1	1
जम्मू	1	1
कानपुर	1	1
	19	19

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ निम्नलिखित कारंवाई की गई है :—

की गई कारंवाई का स्वरूप	कर्मचारियों की संख्या
(क) बर्खास्तगी ...	2
(ख) वेतन में कटौती ...	6
(ग) प्रताड़ना ...	5

बैंक ने शेष 6 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कारंवाई भी शुरु कर दी है।

सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय (कस्टम प्रिवेंटिड कलेक्टोरेट) बम्बई में सोना पकड़ा जाना

7524. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय द्वारा 23 जनवरी; 1987 और 25 जनवरी, 1987 को क्रमश: 2.71 करोड़ रुपए मूल्य का 171 किलो ग्राम सोना और 2.11 करोड़ रुपये मूल्य का 48.22 किलोग्राम सोना पकड़ा गया था ;

(ख) क्या सोना पकड़ने वाले कर्मचारियों के लिए किन्हीं प्रोत्साहनों और पुरस्कारों की घोषणा की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि दिनांक 23 जनवरी, 1987 को सीमा शुल्क निवारक समाहर्तालय, बम्बई के अधिकारियों ने देशी क्राफ्ट एम० एस० वी० "अल मांमुन" से लगभग 2.18 करोड़ रुपये मूल्य का विदेशी मूल का 87.45 किलोग्राम सोना पकड़ा। 25 जनवरी, 1987 को, एक अन्य मामले में एक देशी क्राफ्ट एम० एस० वी० "अल हीरामोती" से लगभग 1.08 करोड़ रुपये मूल्य का 43.315 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था।

इस संबंध में क्राफ्टों के कर्मोदल के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) इन दोनों अभिग्रहण कार्यवाहियो में जिन कर्मचारियों ने भाग लिया उन्हें 7.55 लाख रुपये के अग्रिम पुरस्कार स्वीकृत किए गए है।

वन रोपण कार्यक्रम

7525. श्री एच० बी० पाटिल क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छटी पंचवर्षीय योजना में परती भूमि में ईंधन और पशु चारे के लिए वृक्ष लगाने के कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया था ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। (ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड़ों की राशी का भुगतान करना

7526. श्री एच० बी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कुछ शाखाओं से 1980 के राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड़ों की राशी का भुगतान करने की वर्तमान व्यवस्था को बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नीति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की ग्यारह शाखाओं के माध्यम से आजकल बांड़ों का भुगतान किया जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर स्वर्ण भंडार रखने में सन्निहित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1-7-1987 से केवल दो कार्यालयों अर्थात बम्बई और दिल्ली से भुगतान करने का प्रस्ताव है।

स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को दी गई सहायता

7527. श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्री ए० सी० षण्मुख
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई और कुल कितनी धनराशि का वितरण किया गया ;

(ख) आवेदकों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) विशेषरूप से उड़ीसा राज्य में उक्त योजना के लाभार्थियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : संभवत: माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1983-84 के दौरान शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना से है । भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1986-87 से योजना के अन्तर्गत कम से कम 30 प्रतिशत मंजूरियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों को दी जाएंगी । बताया गया है कि वर्ष 1986-87 के वास्ते योजना की प्रगति, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से अन्तिम सूचना प्राप्त होने पर ही मालूम हो सकेगी ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि

7528. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987 के पहले 6 महीनों में 1960-61 को आधार वर्ष मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में (i) योजना परियोजना अनुमानों और (ii) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों पर इस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-100) जनवरी, 1987 में 688 और फरवरी, 1987 (नवीनतम उपलब्ध) में 686 था । जनवरी, 1987 के लिए सूचकांक में कोई वृद्धि प्रकट नहीं हुई थी जबकि दिसम्बर; 1986 के स्तर की तुलना में फरवरी में इसमें 2 बिंदु अथवा 0.3 प्रतिशत की कमी हुई थी । बाद के महीनों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध न होने के कारण 1987 के पहले छ: महीनों में वृद्धि का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब नेशनल बैंक में एम० एम० जी० वेतनमान-दो में अधिकारियों को पदोन्नति

7529. **श्री अनादिचरण दास**
श्री बनवारी लाल बेरवा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक में "रोस्टर पाईंट" के अनुसार नियुक्तियां की जाती हैं;

(ख) पंजाब नेशनल बैंक में रोस्टर पाइंट के अनुसार पदोन्नति द्वारा एम० एम० जी० वेतनमान दो में वर्ष 1984 से अब तक वर्षवार कुल कितनी पदरिक्तियां भरी गई हैं;

(ग) एम० एम० जी० वेतनमान-दो में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए वर्षवार कितने पद आरक्षित रखे गए;

(घ) मेरठ में एम० एम० जी० वेतनमान-दो के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार कार्य कर रहे हैं और यदि कोई पद रिक्तियां भरी जाने बाकी हैं तो उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) वर्ष 1984 से एम० एम० जी वेतनमान-दो को पदोन्नत करके दिल्ली जोन में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की अलग अलग संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका के अनुसार वे सभी नियुक्तियां, जिन पर आरक्षण लागू होता है, उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर रोस्टरों के अनुसार की जाती हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि बैंक में उन सभी पदों पर नियुक्तियां, जिन पर आरक्षण लागू होता है, इन सिद्धान्तों के अनुसार की जा रही हैं।

(ख) और (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि मिडिल मैनेजमैंट ग्रेड स्केल-दो की पदोन्नतियां केवल चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाती है इसलिए इन पदोन्नतियों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होता। अलबत्ता, वर्ष 1984,1985 और 1986 के दौरान जुनियर मैनेजमैंट ग्रेड स्केल-एक से स्केल-दो में की गयी कुल पदोन्नतियों और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की संख्या का ब्योरा जैसाकि बैंक द्वारा बताया गया है :—

वर्ष	कुल पदोन्नतियां	कालम 2 में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1984	650	12	1
1985	712	36	2
1986	403	35	9

(घ) बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1986 को बैंक के मेरठ अंचल में अनुसूचित जातियों के 4 अधिकारी मिडिल मैनेजमैंट ग्रेड स्केल-दो के थे ।

चूंकि मिडिल मैनेजमैंट ग्रेड स्केल-दो की पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए बकाया रिक्तियों और उन्हें भरे जाने का सवाल पैदा नहीं होता ।

(ङ) पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दी गयी सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	मिडिल मैनेजमैंट ग्रेड स्केल-दो में पदोन्नति और दिल्ली अंचल में नियुक्ति अधिकारियों की संख्या	सामान्य	अनु०जा०	अनु० ज०जा०
1984	34	34	—	—
1985	84	84	—	—
1986	44	41	3	—

विदेशों से प्रतिभाशाली भारतीयों को वापस आने हेतु आकर्षित करने के लिए नई योजना

7530. **श्री टी० बशीर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों को, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान अन्य देशों को चले गये थे, वापस आने हेतु आकर्षित करने के लिए एक नई योजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख) : सरकार ऐसे भरतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को आकर्षित करने के तरीके निकालने का प्रयास कर रही है, जो पिछले कुछ वर्षों पें विदेशों में चले गये हैं । पहले भी; समय-समय पर ऐसे अनेक उपाय किये गए, जिससे विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद देश में वापिस आने के लिए आकर्षित हों। किये गये कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :

— ऐसे कार्यक्रम शुरू किये गये हैं जिनके द्वारा विज्ञान के नये और अग्रिम क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ देश में वैज्ञनिकों का कोड़ समूह तैयार किये जाते हैं ।

— वैज्ञानिक पूल स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है।

— अतिरिक्त पदों के सृजन का भी प्रावधान रखा गया है ।

— विदेशों से वापिस आने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को उपकरण आयात करने को सुविधाएं दी गई हैं ।

— देश में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों के आवेदन-पत्रों को शीघ्र स्वीकृति दिलाने के लिए उनकी सहायता हेतु उद्योग मन्त्रालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है ।

— वैज्ञानिकों के कार्य की परिस्थितियों में सुधार के लिए वैज्ञानिक संगठनों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं ।

— नये वैज्ञानिक विभागों/संगठनों, जैसे जैव-प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, पर्यावरण, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत, टैलीमैटिक्स विकास केन्द्र आदि की स्थापना की गई है और इनमें से कुछ उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हैं, जिससे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को देश में वापिस आने के लिए आकर्षिक करने हेतु बहुत अच्छे अवसर मिलने की संभावना है ।

— पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रोद्योगिकी कार्यकलापों के लिए वित्तीय आवंटन में निरन्तर काफी वृद्धि की गई है ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश किये जाने के लिए औद्योगिक विकास निधि

7531. **श्री टी० बशीर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल औद्योगिक विकास के अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश किए जाने के लिए यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के पैटर्न पर एक औद्योगिक विकास निधि की स्थापना के लिए केरल सरकार से कोई परियोजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां ।

(ख) केरल सरकार ने अनिवासी भारतीयों से धन साधन जुटने के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । उसमें यह प्रस्ताव विहित है अनिवासी भारतीयों से इस प्रकार जो धन जुटाया जाएगा उसका निवेश प्राथमिक तथा माध्यमिक पूंजी बाजारों में किया जाए । और अनिवासी भारतीयों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर 10 प्रतिशत की सुनिश्चित आय दी जाए ।

(ग) जी, अभी नहीं ।

(घ) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम1986 में संशोधन

7532. **श्री टी० बशीर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उसमें संशोधन करने हेतु विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का प्रभावी पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं, ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 औ पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, वा (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; जैसे सभी अधिनियमों के उपबन्धों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा ।

देश में "वीडियो कैसेट रिकार्डरों" के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी की केन्द्रीयकृत खरीद

7533. **श्री सत्येंद्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वीडियो कैसट रिकार्डरों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी की केन्द्रीयकृत खरीद हेतु योजनाऐं छोड़ दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उससे उत्पादन के लाभप्रद स्तर पर उनके निर्माण के लिए नये उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा; और

(ग) वीडियो कैसट रिकार्डरों के मूल्यों में कमी लाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ताकि वह जन-सामान्य तक पहुँच सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : जी, हां । सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 1985 के प्रेस-नोट सं० 30 (1985 अनुक्रम) के जरिए उन इकाइयों से वीडियो कैसेट रिकार्डरों वीडियो कैसेट प्लेयरों (वी० सी० आर०/वी० सी०पी०) का विनिर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस तथा विदेशी-सहयोग के लिए संयुक्त आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे, जो त्वरितचरणबद्ध विनिर्माणकारी कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही स्थान पर सभी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी-निवेश करने के लिए तैयार थी तथा जिनके पास अपेक्षित उत्पादन-क्षमता मौजूद थी तथा बदलती हुई प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार थी । प्राप्त आवेदन-पत्र सरकारों के विचाराधीन हैं । सरकार का यह उद्देश्य है कि वीडियो कैसेट रिकार्डरों का उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर किया जाए ।

मिदनापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

7534. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने का विचार त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) : परमाणु

ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने पूर्वी विद्युत क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी बंगाल भी शामिल है, में स्थलों का अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया है कि वे स्थल परमाणु बिजली घर लगाने की दृष्टि से कितने उपयुक्त हैं। उस स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए समिति

7536. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तर पर किसी समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों और जिलों में जहां अब तक समितियां स्थापित नहीं की गई हैं प्राथमिकता आधार पर इस प्रकार की समितियां स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) : विशेष संघटक योजना की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर क्षेत्र से राज्य स्तर तक की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर जिला कलेक्टर/द्वारा की जाती है और राज्य स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो एक दूसरे राज्य से अलग-अलग होती है और स्थानीय स्थितियों पर निर्भर करती है। फिर भी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों पर उनकी विशेष संघटक योजनाओं पर परिचर्चा के दौरान दबाव डाला जा रहा है कि वे राज्य और जिला स्तर पर यदि पहले नहीं बनाई गई हों, समीक्षा समितियों का गठन करें।

[अनुवाद]

बजट से पहले करों आदि में वृद्धि किया जाना

7537. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 से लेकर अब तक ऐसे अवसरों का ब्यौरा क्या है, जब सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बजट से पहले करों आदि में वृद्धि की;

(ख) वृद्धि करने के क्या कारण थे; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई कदम उठाने का विचार है जिसमें कि बजट से पहले इस प्रकार वृद्धि न की जाये तो वे क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्पादित महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रशासित मूल्यों में सरकार द्वारा तभी संशोधन किए जाते हैं जब वाणिज्यिक आर्थिक पहलुओं के आधार पर ये आवश्यक होते हैं। वे प्रायः लागत में वृद्धि के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करते हैं और इनका उद्देश्य उत्पादन एककों की व्यवहार्यता को बनाए रखना है। चूंकि, ऐसे मूल्य संशोधनों को राजस्व संबंधी उपाय नहीं माना

जा सकता इसलिए ये बजट संबंधी प्रक्रियाओं का भाग नहीं होते है । 1984 के बाद से कोयला, उर्वरक इस्पात, सीमेंट और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी कुछ महत्वपूर्ण मदों के मूल्यों में समायोजन संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं ।

विवरण

(क) **कोयला**

संजीवन की तारीख	निम्नलिखित द्वारा कोयले का औसत खान गर्त मुख मूल्य (प्रतिटन)	
	कॉल इंडिया लि०	सिंगरौली कोयलरीज क०लि०
27-5-1982	145.90 रुपए	154.75 रुपए
8-1-1984	183.00 ,,	192.00 ,,
9-1-1986	210.00 ,,	219.00 ,,

स्रोत : कोयला विभाग

(ख) **इस्पात**

संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा संशोधित किए गए कुछ इस्पात श्रेणियों के मूल्य
(प्रतिटन मूल्य)

प्रभावी तारीख	प्लेट	स्ट्रक्चरल्स	.25 एम.एम. तक	25 एम. एम. से अधिक	जी.सी. शीटं	एच.आर. कोयल्स	सी. आर. कोयल्स
24-7-1983	4360	4260	4340	4190	6210	4300	5320
22-6-1984		15 प्रतिशत औसत वृद्धि पर					
21-6-1985		15 प्रतिशत औसत वृद्धि पर					

(ग) **पेट्रोलियम**

बम्बई में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण-पूर्व स्थान के मूल्य(उत्पाद शुल्क सहित)

तारीख	मोटर स्पिरिट 83/87 प्रति कि० लि०	एम एस डी ओ प्रति कि० लि०	एस के ओ प्रति कि०लि०	एल डी ओ प्रति कि०लि०	एफ.ओ (उर्वरक-भिन्न प्रति कि०लि०	एल. पी. जी. प्रति मी० टन
15-2-1983	5438	2849	1644	2655	2525	2633
17-3-1985	6369	3078	1892	3054	2903	3028

तारीख	मोटर स्पिरिट 83/87 प्रति कि० लि०	एम एस डी ओ प्रति कि० लि०	एम के ओ प्रति कि० लि०	एल डी ओ प्रति कि० लि०	एफ० ओ उर्वरक भिन्न प्रति कि० लि०	एल. पी. जी. प्रति मी० टन
26-3-1985	—	3008	1822	को. प. न.	को. प. न.	को. प. न.
1-2-1986	6869	3188	2047	को. प. न.	को. प. न.	3729
6-2-1986	6769	3116	1957	को. प. न.	को. प. न.	3449

स्रोत : पेट्रोलियम विभाग

(घ) उर्वरक

कुछ प्रमुख उर्वरकों के कृषक मूल्य (प्रति टन रुपए)

से प्रभावी	यूरिया	अल्मोनिया सल्फेट 100 कि० ग्राम प्रत्येक पैक	कैन 26 प्रतिशत (कैल्सियम) अमोनिया	डी०ए०पी (डाया-अमोनियम फास्फेट	एम०ओ०पी (मोरियेट पोटाश) 100 कि० ग्राम का पैक
21.8-1984	2150	1500	1615	3350	1200
31-1-1986	2350	1650	1770	3600	1300

स्रोत : उर्वरक विभाग।

(ङ) सीमेंट

सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पांज लाना सीमेंट का उत्पादन शुल्क और पैकिंग प्रभारों के अतिरिक्त रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

प्रभावी तारीख		रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (प्रति टन रुपए)
2-7-1983	......	492.00
18-7-1984	......	532.00

स्रोत : औद्योगिक विकास विभाग।

हेमलोक सिलिकोन प्रौद्योगिकी

7538. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या प्रधान मंत्री हेमलोक सिलिकोन प्रौद्योगिकी के बारे में 19 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेत्तूर कैमिकल्स द्वारा स्थापित 25 टी० पी० ए० के उत्पादन यूनिट से परिणाम प्राप्त आरम्भ हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक आधार पर स्वदेशी प्रक्रिया के विकास के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(ग) परियोजना में कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) मेत्तूर केमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की एक सहायक एवं पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी "मेटकेस" ने प्रतिवर्ष 25 टन (टी० पी० ए०) के पोलीसिलिकन संयंत्र की प्रतिष्ठापना की है तथा उन्होंने अप्रैल, 1986 से उत्पादन करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता का लगभग 60% उत्पादन हुआ हैं। पॉलीसिलिकन सामग्री की प्रकाश वोल्टता (फोटोवाल्टेइक) विषयक अनुप्रयोगों के लिए सिलिकोन वेफरों में परिवर्तित किया गया है तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड इन बेफरों के लिए मेटकेम को क्रयादेश भेज रही है।

(ग) मेटकेस ने यह सूचित किया है कि मई, 1986 तक संयंत्र में किया गया पूंजी-निवेश 3.865 करोड़ रु० रहा है।

[हिन्दी]

हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली

7539. **श्री तेजा सिंह दर्दी**
श्री बलवत सिंह रामूवालिया } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में व्यवसाय शुरू करने के लिए बेरोजगार युवकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों की बहुत कम वसूली हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन ऋणों की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए ऋणों से है। बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, जब कभी कोई ऋणकर्ता शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना सहित किसी भी योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण प्राप्त करता है तो उसे वापसी अदायगी के मानदण्डों के अनुसार ऋण राशि चुकानी होती है। चूक के मामले में अपनी अतिदेय राशियों की वसूली के वास्ते बैंक, कानूनी कार्रवाई सहित रकम वसूलने के सभी उपचारात्मक उपाय करते हैं।

[अनुवाद]

धौलधार परियोजना

7540. **श्री तेजा सिंह दर्दी**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया } : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौलधार रेंज के समन्वित विकास सम्बन्धी धौलधार परियोजना जर्मन संघीय गणराज्य की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन में कोई अड़चनें आ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना 10 6 करोड़ रुपये की लागत से 1980-81 में प्रारम्भ हुई जिसका कार्यकाल 8 वर्ष हैं। इसमें ये शामिल हैं; (1) कटाव की आशंका वाले ढ़ालों में वनरोपण (2) वेगधारा को नियमित करना और ढ़ालों का विभिक्तकरण (3) स्थानीय लोगों द्वारा अपार्दन में सहायक गतिविधि को खत्म करना। (4) पारिस्थितिकी, वानिकी, चारागाह विकास और बागवानी में प्रयुक्त अनुसंधान।

(ग) और (घ) : इस परियोजना का हिमाचल प्रदेश सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य ने फरवरी/मार्च 1986 में संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया था। कुल मिलाकर मूल्यांकन यह दर्शाता है कि कार्यान्वयन चरण के अन्त में परियोजना ने हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए सफल योगदान दिया।

[हिन्दी]

व्यास सतलुज परियोजना पर प्रदूषण का प्रभाव

7541. **श्री सेवा सिंह वर्दी**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया } : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास सतलुज परियोजना पर प्रदूषण के प्रभाव का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में विभिन्न योजनाओं के लिए परिव्यय

7542. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान उड़ीसा के लिए स्वीकृत की जाने वाली धनराशि से उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्त विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं के किस सीमा तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ख) विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि का नियतन किये जाने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) : एक **विवरण** संलग्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य की वार्षिक योजना (1987-88) का आकार राज्य के अपने संसाधनों और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथानुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मुले के अन्तर्गत उसे अनुमेय केन्द्रीय सहायता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

विवरण

वार्षिक योजना 1987-88—उड़ीसा

(लाख रु०)

विकास का शीर्ष/उपशीर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	सहमत परिव्यय
(क) **आर्थिक सेवाएं**		
1. **कृषि और संबद्ध सेवाएं**		
फसल संरक्षण	2370	2287
भू और जल संरक्षण	270	270
पशु पालन	457	440
डेरी विकास	130	130
मछली पालन	610	525
वन और वन्य जीवन	2020	2026
खाद्य, भण्डारण और भांडागार	20	20
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	150	132
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	75	50
अन्य कृषि कार्यक्रम :		
विपणन और किस्म नियंत्रण	26	26
सहकारिता	1600	1290
जोड़-1	7728	7196

विकास का शीर्ष/उपशीर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	सहमत परिव्यय
2. ग्रामीण विकास		
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1700	1662
(ख) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	300	292
(ग) समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	16	20
ग्रामीण रोजगार		
(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1140	1060
(ख) अन्य कार्यक्रम (ग्रामीण गरीब का आर्थिक पुनर्वास)	500	500
भूमि सुधार	895	995
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
समुदाय विकास और पंचायत	169	189
जोड़—2	4720	4718
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—
4. सिचाई और बाढ़-नियंत्रण		
बड़ी और मझौली सिंचाई	12680	15913
लघु सिंचाई	2725	2625
नियंत्रण क्षेत्र विकास	350	375
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	300	400
जोड़—4	16055	19313
5. ऊर्जा		
विद्युत	16927	18472
उर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	89	85
जोड़—5	17016	18557

विकास का शीर्ष/उप शीर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	सहमत परिव्यय
6. उद्योग और खनिज		
ग्राम और लघु उद्योग	1261	1282
उद्योग (ग्राम और लघु उद्योगों के अलावा)	2481*	2486*
खनन	735	735
जोड़—6	4482	4503
7. परिवहन		
पत्तन और प्रकाश स्तम्भ	677	677
नागर विमानन	70	70
सड़कें और पुल	2785	2585
सड़क परिवहन	1400	1400
अन्तर्देशीय जल परिवहन	27	27
जोड़—7	4975	4759
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		
वैज्ञानिक अनुसंधान (विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित)	75	72
पारिस्थितिकी और पर्यावरण	38	33
जोड़—8	113	105

*माप तोल" के लिए 11 लाख रु० शामिल हैं।

विकास का शीर्ष/उपशीर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	सहमत परिव्यय
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं		
सचिवालयीन आर्थिक सेवाएं	1215	58
पर्यटन	200	250
सर्वेक्षण और सांख्यिकी	40	36
नागरिक आपूर्ति	10	10
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		
अन्य (जिला आयोजना)	—	900
जोड़—9	1465	1254
जोड़ 9 : आर्थिक सेवाएं	56538	60405
(ख) सामाजिक सेवाएं		
10. शिक्षा; खेल, कला और संस्कृति		
सामान्य शिक्षा	4175	4001
तकनीकी शिक्षा	429	429
कला और संस्कृति	142	135
खेल और युवा सेवाएं	310	368
जोड़—10	5055	4933
11. स्वास्थ्य		
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1664	1602
12. जलपूर्ति, आवास और शहरी विकास		
जलपूर्ति और स्वच्छता	2189	2189
आवास (पुलिस आवास सहित)	870	820
शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजनाओं सहित)	1140	940
जोड़—12	4149	3949

(विकास का शीर्ष/उपशीर्ष)	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	सहमत परिव्यय
13. सूचना और प्रचार	108	108
14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित/जनजातिअन्य पिछड़े वर्गों का कल्याश	1663	1521
15. श्रम और श्रमिक कल्याण	297	314
16. समाज कल्याण और पोषाहार		
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	143	144
पोषाहार	350	350
जोड़—16	493	494
जोड़ ख सामाजिक सेवाएं	13459	12921
(ग) सामान्य सेवाएं		
लेखन सामग्री और मुद्रण	70	70
लोक निर्माण कार्य	1289	1292
अन्य (पुलिस विभाग की विकास स्कीमें	312	312
जोड़ (ग) सामान्य सेवाएं	1671	1674
कुल जोड़	71668	75000

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निदेशकों की नियुक्ति

7543. डा० बी० वेंकटेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंको के बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का एक निदेशक नियुक्त करने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या है जिनके बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ग) उन बैंकों के नाम क्या है जिनके बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई भी निदेशक नहीं है और उनके पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(घ) सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के निदेशक नियुक्त करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजनाएं 1970/1980 के उपबंधों के अनुसार की जाती है। यद्यपि, इन योजनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, फिर भी सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में यथासंभव इन समुदायों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास रहा है। इस समय सभी 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के स्थान खाली है। ये स्थान जनवरी, 1985 से खाली हैं। इन रिक्तियों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के पता लगाने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

7544. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1986 को 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों, लिपिकों और अधीनस्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के रूप में अलग-अलग कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1986 को उक्त श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्या थी;

(ग) विभिन्न संवर्गों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारी भर्ती किए गए; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न संवर्गों में कितने आरक्षित पद रिक्त हुए, कितने भरे गये और कितने पद अनारक्षित किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नशीली दवाओं के सेवन की लत

7545. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्री एस० एन० गुरड्डी
श्री जी० एस० बसव राजू : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं के सेवन की लत छुड़ाने की दिशा में अब तक उठाए गए कदम कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नशीली दवाओं की सेवन की बुराई को समाप्त करने के लिए तैयार की गई माडल योजना का पुनः मूल्यांकन करने का है और इस क्षेत्र में स्वयं सेवी एजेंसियों की भूमिका क्या है;

(ग) यदि हां; तो इस प्रकार का अध्ययन कब किया जाएगा; और

(घ) नशीली दवाओं के सेवन की बुराई को समाप्त करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) से (घ) : नशीली दवाओं के सेवन की लत छुड़ाने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें उपचार, पुनर्वास, रोकथाम, शिक्षाप्रद प्रचार आदि के कार्यक्रम शामिल है। चूंकि यह समस्या एक बहु-आयामीय है इसलिए स्वयं-सेवी संगठनों और सामान्य रूप से समुदाय को शामिल करना अनिवार्य है। सरकार स्वेच्छिक काय और समर्थन से नशीली दवाओं के सेवन की लत छुड़ाने के लिए उपाय कर रही है। इन कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा की जा रही है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनायें चलाना

7546. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ की सहायता से कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाये कब चलाई गई थीं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग के मौजूदा कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच अभिनिर्धारित क्षेत्रों में 1972 से संयुक्त अनुसंधान और वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान जारी है। वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में विचार-विमर्श चल रहा है, जिसके फलस्वरूप, अनुसंधान के कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं।

भुवनेश्वर उड़ीसा में वीडियो कैसेट रिकार्ड (टेप डेक प्रणाली यूनिट

7547. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर में एक टेप डेक प्रणाली के वीडियो कैसेट रिकार्डर यूनिट की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या भुवनेश्वर में इलेक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टेक्नालॉजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से कुछ सहायक उपकरण उत्पादन यूनिट खालने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर स्वीकृति देने के लिए केन्द्र ने कौन से कदम उठाए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ खोलना

7548. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1985 और 1986 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रत्येक की पृथक-पृथक कितनी शाखाएँ खोली गयीं;

(ख) वर्ष 1986 के दौरान व्यापारियों/किसानों के विभिन्न वर्गों को इन शाखाओं द्वारा कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए थे;

(ग) क्या बिहार के विभिन्न जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और अधिक शाखाएँ खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : वर्ष 1985 और 1986 के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं की संख्या नीचे दी गयी है:—

	खोली गयी शाखाओं की संख्या	
	1985	1986
सरकारी क्षेत्र के बैंक	422	13
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	286	2

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान सूचना प्रणाली से खोली गयी नयी शाखाओं द्वारा मंजूर किये गये ऋणों के बारे में सूचना प्राप्त नही होती। लेकिन दिसम्बर 1985 के अंत की उपलब्ध सूचना के अनुसार कृषि मुद्रा व्यापार, छोटे धन्धों और लघु उद्योग आदि सहित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की मद के अंतर्गत बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की बकाया 861 करोड़ रुपये थी। इसी अवधि के लिए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की बकाया राशि 303 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) : 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17 हजार की आबादी के पीछे तथा प्रत्येक गांव से 10 किलोमिटर की दूरी के अंदर-अंदर कम से कम एक बैंक कार्यालय खोलना है।

इन नीति के अधीन केन्द्रों का पता लगाने का काम अग्रणी बैंकों और राज्य सरकारों को सौंपा गया था। वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त शाखा खोलने के लिए पता लगाये गये केन्द्रों की सूची की जांच करने के बाद भारतीय रिजर्व बैक ने बिहार के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएँ खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को 89 पात्र केन्द्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 64 केन्द्र आवंटित किये हैं। ये शाखाएँ नीति की शेष अवधि के दौरान विभिन्न चरणों में खोली जाएंगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि

7549. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों/श्रमिकों को सुविधाएँ देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की स्थापना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की स्थापना भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी, 1984 को की गयी थी। ग्रामीण जीवन में सामान्य प्रचार लाने के राष्ट्रीय प्रयासों में अपना योगदान देने वाले करदाताओं और करदाताओं से भिन्न सभी वर्गों के लोग इस निधि में अंशदान कर सकते हैं। इस निधि में किये जाने वाले अंशदान विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि के नाम होने चाहिए और अंशदान करने वाले व्यक्ति क्षेत्र अथवा स्थान तथा ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए अपनी वरीयता दे सकते हैं जिसके लिए अंशदान/अंशदानों की रकम इस्तेमाल की जाए और इसके साथ वे यह भी बता सकते हैं कि यह कार्यक्रम किस एजेंसी के माध्यम से पूरा किया जाए। निधि में किये जाने वाले अंशदान कर योग्य आय का हिसाब लगाने के लिए कटौतियों के पात्र होंगे। अंशदान करने वाले व्यक्तियों की सिफारिशों, यदि कोई हों, पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की समिति द्वारा यथोचित विचार किया जाता है।

परमाणु बिजली उत्पादन के लिए संसाधन

7550. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में विद्यमान संसाधन पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) : परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम की रूपरेखा के अन्तर्गत सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजलीघर लगाने की परिकल्पना की गई है जिसके लिए 15 वर्षों की अवधि में सन् 1983 के मूल्य-स्तर के आधार पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे देश में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं।

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग का स्वदेशीकरण करने सम्बन्धी कार्यक्रम

7551. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1983 से 1986 तक प्रत्येक वर्ष जिन इलेक्ट्रोनिकी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इलेक्ट्रोनिकी वस्तुओं के देश के भीतर उत्पादन करने के लिए आयातित पुर्जों की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उत्पादित इलेक्ट्रॉनिकी की वस्तुओं में उपयोग किये गये ऐसे उपकरणों का प्रतिशत कितना है ; और

(घ) महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम को भविष्य में तेजी से कार्यान्वित करने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभाग राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) : महाराष्ट्र में वर्ष 1983 से 1986 तक उत्पादित इलेक्ट्रानिकी सामानों का मूल्य नीचे दिए अनुसार है :

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

	1983	1984	1985	1986
महाराष्ट्र	237	308	437	603
सांताक्रूज इलेक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र (सीप्ज)	75	103.5	84	103.5
योग	312	411.5	521	706.5

(ख) जी, हां ।

(ग) : महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित इलट्रांनिकी वस्तुओं में से आयातित संघटक-पुर्जों का प्रतिशत औसतन अनुमानतः लगभग 25% है ।

(घ) : इलैक्ट्रॉनिकी यूनिटों की स्थापना करने और सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में, सरकार की नीति सभी राज्यों के लिए समान हैं और इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है । राज्य सरकार ने राज्यों में इलेक्ट्रानिकी के विकास और संवर्धन के लिए एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति गठित की है । जहां कहीं आवश्यक होता है इलैक्ट्रानिकी विभाग आवश्यक सहायता प्रदान करता है ।

सिलिकान पर आधारित औद्योगिक यूनिटों से स्वास्थ्य संबंधी खतरे

7552. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलिकोन पर आधारित औद्योगिक यूनिटों से प्रदूषण होता है;

(ख) क्या ऐसा प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है;

(ग) सिलिकांन के निर्माण में लगे औद्योगिक यूनिटों के राज्य-वार नाम क्या है;

(घ) क्या प्रदूषण-विरोधी उपायों के बारे में इन यूनिटों की नियमित रूप से जाँच की जाती है; और

(ङ) दोषी यूनिटों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) विभिन्न राज्यों में सिलिकोन के निर्माण में लगी औद्योगिक इकाइयों की एक सूची एक विवरण के रुपये में संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उद्योगों को निर्धारित ब्राहिस्राव और उत्सर्जन मानकों का समय बद्ध आधार पर अनुपालन करने के लिए निदेश दे दिए गए हैं।

विवरण

1. उड़ीसा

1. इंडियन मेटल एंड फेटो अलाय लिमिटेड, भुवनेश्वर।

2. इस्पात अलाय, जिला बालासोर।

2. तमिलनाडु

1. सिल्ट्रोनिक्स (इंडिया) लिमिटेड, जिला धरम पुरी।

2. मेट्टूर कैमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड जिला सलेम।

3. मेटकेम सिलिकोन लिमिटेड, मेट्टूर डाम

4. सिल्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड, होसूर

3. पश्चिम बंगाल

1. सुफर सेमी कण्डेक्टर लिमिटेड कलकत्ता।

4. आन्ध्र प्रदेश

1. वी० बी० स० फेरो अलायन, हैदराबाद।

2. फेरो आलयज कारपोरेशन; गारीबेडी।

3. नवभारत इण्डस्ट्री, हैदराबाद।

5. कर्नाटक

1. सान्दूर मैंगनीज इण्डस्ट्री, बेल्लारी।

श्रवण-सहाय यंत्रों की सप्लाई

7553. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने लोग बहरेपन के शिकार हैं;

(ख) वर्तमान चिकित्सा सुविधायें प्रभावित लोगों के उपचार के लिए कहां तक पर्याप्त है।

(ग) क्या श्रवण यंत्रों के मूल्य इतने अधिक है कि गांवों के आम लोग उन्हें नहीं खरीद सकते हैं। और

(घ) यदि हाँ तो यंत्रों को राज सहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई करने के किये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1981 के दौरान एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में बहरेपन की संख्या का अनुमान लगाया गया था। 5 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग का सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार, 3.02 मिलियन व्यक्ति श्रवण विकलांगता से पीड़ित थे।

(ख) सभी मेडिकल कालिजों और अधिकांश मुख्य हस्पतालों में एक ई० एन० टी० विभाग है जो बहरेपन की बीमारी से पीडित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय वाणी श्रवण संस्थान मैसूर और कल्याण मंत्रालय के अधीन अलीजावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई, ऐसे दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं जो इस में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी कार्यालयों में लगे हुए हैं।

(ग) और (घ) : जी, हां, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 1981 में एक योजना शुरू की जिसके अन्तर्गत श्रवण यंत्रो सहित, सहायक यंत्र और उपकरण, 1200/रुपये प्रतिमास से कम आय वाले व्यक्तियों को निशुल्क और 1201 से 2500/—रुपये प्रतिमास आय वाले व्यक्तियों को आधी कीमत पर दिये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रवण विकलांग व्यक्ति भी इस सुविधा को प्राप्त करने के पात्र है।

अन्तरिक्ष सम्बन्धी प्रदर्शनियाँ

7554. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का देश के प्रत्येक जिले में अंतरिक्ष सम्बन्धी प्रदर्शनी आयोजित करने का कोई विचार है; और

(ख) प्रदर्शनी योजना के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) : देश के प्रत्येक जिले में अंतरिक्ष सम्बन्धी प्रदर्शनी आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता और आमंत्रण के आधार पर यथा संभव अधिक से अधिक स्थानों में अंतरिक्ष प्रदर्शनियों के आयोजन के प्रयास किए जाते हैं। जनता को अंतरिक्ष कार्यक्रम के मूल तत्वों को समझाने के लिए एक मोबाइल अंतरिक्ष प्रदर्शनी भी डिजाइन की गई है तथा इसे यथासंभव अधिक से अधिक स्थानों को आवृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

गोवा, दमण और दीव में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

7555. श्री शांताराम नायक . क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार स्थानीय प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए गोवा, दमण और दीव में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोगशाला कब तक स्थापित करने का विचार है;

(ग) उक्त प्रयोगशाला को किस प्रकार का अनुसंधान कार्य सौंपे जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवांजली योजना

7556. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा शुरू की गयी विशेष ऋण योजना के बारे में 5 दिसम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5060 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ओवरसीज बैंक के दिल्ली जोन द्वारा विशेष ऋण योजना "सेवांजली योजना" के अन्तर्गत चुने गए 17 गांवों/क्षेत्र समूहों के नाम क्या हैं;

(ख) सेवांजली योजना के लिए किसी क्षेत्र समूह गांव में ऋण लेने वालों की कम से कम कितनी संख्या होनी आवश्यक है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत ऋणों की वसूली का प्रतिशत कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा "सेवांजली योजना नामक अपनी विशेष योजना के अंतर्गत चुने गए गांवों/क्षेत्र समूहों के नाम ये हैं—

राज्य		क्षेत्र समूह/गांव का नाम
पंजाब	……	हमीदवा उत्तर, फरीदेवाल, ढिलवां, लिदड़ा नुस्सी।
उत्तर प्रदेश	……	सिरोली भगोट, मलकपुर, लतीफपुर, बैल, चिलवाड़ा,
	……	दमरी, डोंड, नागला, रैंथली और गोड़ी, मनोहरपुर
राजस्थान	……	हेरली सैयद, लालखान

(ख) किसी क्षेत्र समूह मे उधारकर्ताओं की अपेक्षित कम से कम संख्या 50 है। जहां यह संख्या 50 से काफी कम होती है वहां उस क्षेत्र समूह में नजदीक का कोई गांव शामिल किया जा सकता है।

(ग) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि इस योजना के अंतर्गत मांग के मुकाबले वसूली की प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, इस योजना के अंतर्गत बकाया रकमों के मुकाबले अतिदेय राशियों की प्रतिशतता 32.2 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

स्वर्ण आभूषणों की बिक्री में कदाचार

7557. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण आभूषणों की बिक्री और खरीद में कदाचारों को रोकने के लिए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) से (ग) : स्वर्ण आभूषणों की बिक्री तथा खरीद में होने वाले कदाचारों को रोकने के लिए स्वर्ण नियंत्रण अधिनयम 1968 में पर्याप्त उपबंध निहित हैं। अत इस संबंध में मौजूदा उपबन्धों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

स्टाक एक्सचेंजों का कार्यकरण

7558. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्टाक एक्सचेंजों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन्हें प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज कमीशन) के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत चलाने का है जैसकि संयुक्त राज्य अमरीका जैसे विकसित देशों में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सरकार ने शेयर बाजारों और प्रतिभूति उद्योग के विनियमन के लिए अलग से एक बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशकों के हितों के संरक्षण, व्यापार सम्बन्धी कुप्रथाओं की रोकथाम तथा शेयर बाजारों और प्रतिभूति उद्योग के विनियमन और उनके नियमित कार्यचालन के लिए उपाय करने की सुनिश्चित व्यवस्था करेगा।

[अनुवाद]

फर्जी आयात से विदेशी मुद्रा की हानि

7559. **श्री राम धन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्जी आयात के मामले पता चले हैं, जिनमें विदेशी मुद्रा तो विदेश भेजी गई किन्तु निर्यात की गई वस्तुयें भारत नहीं आई;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में ऐसे कितने मामलों का पता चला है; आर

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर अधिनियम की धारा 80 (ग) के अन्तर्गत श्रम सहकारी समितियों को छूट देना

7560. श्री राम बहादुर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम सहकारी समितियों को आय कर अधिनियम की धारा 80 (ग) के अन्तर्गत आय कर लेवी में छूट दी गई है;

(ख) क्या श्रम सहकारी समितियों द्वारा किये गये कार्य से बिलों में 2 प्रतिशत धनराशि काट ली जाती है ;

(ग) क्या श्रम सहकारी समितियों को इस काटी गई 2 प्रतिशत की धनराशि वापस लेने के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार श्रम सहकारी समितियों के बिलों से 2 प्रतिशत धनराशि काटने की प्रथा को समाप्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 80 (ग) जीवन बीमा किस्तों, भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि पर अदा की गई राशि के संबंध में किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल सकल आय से कटौती की स्वीकृति देती है। उक्त धारा के अंतर्गत किसी सहकारी समिति की आय पर छूट देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 194 (ग) के अनुसार, एक ओर किसी निवासी (संविदाकर जिसमें श्रम संविदाकर भी शामिल है) और दूसरी ओर केन्द्रीय या राज्य सरकार ; या केन्द्रीय राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकरण या निगम या कंपनी, या सहकारी समिति के बीच हुई संविदा के अनुसरण में संविदाकार द्वारा किए गए काम के लिए देय राशि के 2 प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करनी होती है। तथापि, आयकर अधिनियम की धारा 194 (ग) (4) के अन्तर्गत दिए गए आवेदन पर आयकर अधिकारी उक्त धारा के अधीन निम्नतर दर पर कटौती दे सकता है अथवा कर की कोई कटौती न करने की अनुमति दे सकता है।

(ग) जी नहीं। यदि देय कर से अधिक कर की कोई कटौती की गई हो तो उसे कर-निर्धारण आय कर प्राधिकारी द्वारा कर-निर्धारण के पूरा होने के बाद वापस कर दिया जाता है।

(घ) जी नहीं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार में लाना

7561. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार में लाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) (क) से (ग) : प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 (2) के अन्तर्गत एक अधिसूचना दिनांक 20-4-1987 को जारी की गई है। जिसके द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को 15 मई, 1987 से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया है।

आयकर क्षमादान योजना की अवधि बढ़ाना

7562. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने आय-करदाताओं के लिए क्षमादान योजना की अवधि 30 जून; 1987 तक बढ़ाने का निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) क्षमादान योजना का 31 मार्च, 1987 से आगे न बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

करदाताओं द्वारा स्वेच्छा से आय प्रगटन किए जाने पर आयकर अधिकारियों को पुरस्कार देना

7563. **श्री अनूपचन्द शाह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों को उन मामलों में पुरस्कार की अदायगी की जाती है जिनमे आयकर अधिकारियों द्वारा जांच आरम्भ किए जाने के पश्चात क्षमादान योजना के अन्तर्गत करदाताओं ने स्वेच्छा से अपनी छिपी हुई आय प्रकट की हो और योजना के अन्तर्गत आय को इन रिटर्नों को स्वीकार किया गया हो ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में 31 दिसम्बर, 1986 तक संबंधित आयुक्तों के समक्ष पुरस्कार के लिए दावे प्रस्तुत किए गए हैं ;

(घ) उन में से कितने मामले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजे गए हैं ;

(ङ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उन में से कितने मामलों पर निर्णय ले लिया है ;

(च) कितनी आय पर पुरस्कार के दावे किए गए हैं और 31 दिसम्बर; 1986 तक दावेदारों को कितनी राशि देय/दी गई थी ;

(छ) क्या पुरस्कार दावों के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है ;

(ज) क्या निरीक्षक सहायक आयुक्त (रेंज) इस प्रकार के पुरस्कारों के हकदार हैं ; और

(झ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर निर्धारण प्राधिकारियों का उन मामलों में किसी पुरस्कार की अदायगी नहीं की जाती है जिनमें रिटर्न को क्षमादान योजना के अन्तर्गत स्वीकार किया गया हो।

(ख) इस नीति के पीछे मूल आधार यह है कि क्षमादान योजना के अन्तर्गत केवल ऐसे रिटर्न ही स्वीकार किये गये थे जहाँ छिपाई गई किसी आय का पता विभाग को नहीं लगा था। उन मामलों में, जिनमें कोई कर निर्धारिती, विभाग द्वारा गहन जांच के कारण रिटर्न दाखिल करता है, कर-निर्धारण अधिकारी पुरस्कार पाने के तब हकदार होते हैं जबकि आय छिपाने के लिए अभियोजन संबन्धी कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गई हों ऐसे मामलों में क्षमादान योजना के अन्तर्गत, रिटर्न स्वीकार करना विरोधाभास होगा क्योंकि क्षमादान योजना के अन्तर्गत स्वीकार किए गए इस प्रकार के स्वेच्छिक रिटर्न अर्थदण्ड और अभियोजन से छूट पाने के हकदार हैं।

(ग) से (झ) ऊपर पैरा (क) और (ख) : के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, जिन मामलों में रिटर्न क्षमादान योजना के अन्तर्गत दाखिल किए गए हों उन में कर निर्धारण अधिकारियों के लिए पुरस्कार से सम्बधित किन्हीं दावों का आयकर आयुक्तों या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बाघों की संख्या

7564. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाघों की संख्या कम होती जा रही है ;

(ख) इस समय बाघों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इनकी संख्या में यदि कोई कमी आई है, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान (अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1984 में की गई अन्तिम गणना के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या 4005 है।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

कम्पनियों को शेयरों आदि के सार्वजनिक निर्गम की अनुमति

7565. **श्री रामपूजन पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या है जिन्हें वर्ष 1986-87 के दौरान 50 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि के शेयरों आदि के सार्वजनिक निर्गम की अनुमति दी गई थी ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें 1 : 1 के अनुपात में कम्पनी शेयर जारी करने की अनुमति दी गई थी :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ कम्पनियों को निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध अनुमति दी गई .ा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

(घ) जी नहीं ।

विवरण

(क) उन कम्पनियों के नाम, जिनको 1986-87 में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के सार्वजनिक निर्गम की अनुमति दी गई ।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3
1	जे० के० सिंथेटिक्स लि०	50.00
2.	सैंचरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कं० लि०	100.00
3.	नागार्जुन फर्टिलाईजर्स लि०	130.16
4.	इंडिया रैयन कारपोरेशन लि०	216.81
5.	भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि०	58.50
6	टाटा कैमिकल्स लि०	116.00
7.	रिलाएंस टेक्सटाइल्स लि०	400.00
8.	अरावली फर्टिलाइजर्स लि०	551.40
9.	भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम लि०	50.00
10.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज लि०	106.00
11.	रिलाएंस इण्डस्ट्रीज लि०	100.00
12.	नेवैली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०	50.00
13.	राष्ट्रीय पन बिजली निगम लि०	125.00
14.	भारतीय पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि०	60.00
15.	महानगर टैलीफोन निगम लि०	150.00
16.	इण्डो पैट्री-कैमिकल्स कारपोरेशन लि०	50.00
17.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०	50.93

1	2	3	4
18.	भारतीय टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०		150.00
19.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लि०		250.00
20.	राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स लि०		50.00
21.	महानगर टेलीफोन निगम लि०		75 00
22.	आवासन तथा नगर विकास निगम लि०		50.00
23.	महानगर टेलीफोन निगम		158.85
24.	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लि०		250.00

(ख) और (ग): उन कम्पनियों के नामों का विवरण, जिनको 1986-87 में 1:1 के अनुपात में शेयर जारी करने की अनुमति दी गई है:—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	मौजूदा चुकता	अनुपात पूंजी
1	2	3	4
1.	लायवल एडवर्ड्स लि० (अनु)	10.00	10.00
2.	मेक डावल एण्ड कम्पनी (बो)	320.00	320.00
3.	अहमदनगर फोर्जिंग्स लि० (बो)	15.20	15.20
4.	मंगला उद्योग प्रा० लि०	2.55	2.55
5.	ई० मर्कं० सर्विसेस एण्ड एजेंसीज प्रा० लि० (बो)	1.00	1.00
6.	टेक्नोयल इंजीनियरिंग प्रा० लि० (बो)	10.00	10.00
7.	शारदा शूगर एण्ड इंडस्ट्रीज लि० (अनु)	100.00	100.00
8.	दीपक बुलन्स (प्रा०) लि० (बो)	4.60	4.60
9.	माडर्न बुलन्स लि० (अपरिवर्तनीय ऋण पत्र)	40.00	40.00
10.	हिन्दुस्तान डवलपमेंट कारपोरेशन लि० (बो)	410.00	410.00
11.	बंगलौर बाही बिल्डर्स (प्रा०) लि० (बो)	6.00	6.00
12.	ड्राइस्केर पानीकर स्विचगीयर प्रा० लि० (बो)	1.00	1.00
13.	गर्ग एसोसिएशन (प्रा०) लि० (बो)	4.00	4.00
14.	नामतीर्थ फाउंडेशन्स एण्ड इंजीनियरिंग प्रा० लि० (बो)	5.05	5.05
15.	ट्रिनिटी इंजीनियरिंग (प्रा०) लि० (बो)	49.20	49.20

1	2	3	4
16.	एपोलो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (प्रा० लि० बो०)	10,00	10.00
17.	भारत पाइप्स एण्ड फिटिंग्स लि० (अनु)	118.75	118.75
18.	बग्गा इंजीनियरिंग कम्पनी लि० (बो)	10.00	10.00
19.	खंडेलवाल हरमन इलेक्ट्रोनिक्स लि० (अनु)	214.65	214.65
20.	सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि० (बो)	1700.00	1700.00
21.	रोडमास्टर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया लि० (बो)	8.02	8·02
22.	कंट्रोल एन्ड स्विचगीयर कं० (प्रा०) लि० (बो)	6·86	6.86
23.	कस्तूरि एन्ड संस लि० (बो)	44.00	44.00
24.	फ्लोरिंग शूज लि० (बो)	40.00	40.00
25.	लिंगापुर एस्टेट लि० (बो)	19.17	19.17
26.	मेथोडेक्स सिस्टम्स लि० (बो)	13.50	13.50
27.	सात्विक इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स लि० (बो)	1.804	1.804
28.	जाययसवाल केमिकल्स प्रा० लि० (बो)	10.00	10:00
29.	सरहिन्द स्टल प्रा० लि० (बो)	27.85	27.85
30.	आई०ए०ई०सी० इंडिया लि० (परि० ऋण पत्र)	74.10	74.10
31.	हिन्दुस्तान डोर ओलीवर लि० (बो)	148.80	118 80
32.	बिदल एग्रो-केमिकल्स लि० (अनु)	20.00	20.00
33.	सादर्न सी फूडस प्रा० लि (बो)	7.50	7.50
34.	एस० टी० प्रापर्टी डवलपमेंट प्रा० लि० (बो)	7.50	7.50
35.	रोडमास्टर जीर्यस आफ इंडिया लि० (बो)	0.91	0.91
36.	सी० कृश्मेया चेट्टी एण्ड संस प्रा० लि० (बो)	3.04	3.04
37.	लेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि० (बो)	12:00	12.00
38.	जालान कालाघाट टी० कम्पनी (प्रा०) लि० (बो)	4.50	4.50
39.	इंगर सोल लेण्ड इंडिया लि० (बो)	394:50	394.60
40.	सी० ए० जी० प्रीसीजन वीयरिंग्स इंडिया लि० (अपरि० ऋण पत्र)	167.05	167.05
41.	इंगल फलास्क प्रा० लि० (बो)	24.56	24.56

1	2	3	4
42.	के० बी०.बी० पम्पस लि० (बो)	217.54	217.54
43.	यूनाइटेड बीयरिंग्स लि० (बो)	200.00	200.00
44.	श्री निवास हैचराइसेस (प्रा०) लि० (बो)	10.00	10.00
45.	श्री कालीश्वरी फायर वर्क्स प्रा० लि० (बो[	2.10	2.10
46.	सदर्न प्रोसिंग्स (प्रा०) लि० (बो)	1.10	1.10
47.	पार्ट शिपिंग्स कं० लि० (अनु)	26.39	26.39
48.	पंजाब जिनिंग्स प्रोसिंग कं० लि० (बो)	2.04	2.04
49.	टेलीविस्टा इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि० (बो)	16.38	16.38
50.	मैकी प्रीसजन प्रोडक्टस प्रा० लि०	1.00	1.00
51.	सुनदरम फाइनेंस लि० (बो)	300.00	300.00
52.	ब्रांलसवप हाइजीन प्रोडक्ट्स लि० (बो)	8.08	8.08
53.	पटेलनगर मिनरल्स एण्ड इंड प्रा० लि० (बो)	5.00	5.00
54.	ई० डब्ल्यू० ए० सी० सलायज लि० (बो)	64.00	64.00
55.	वोरा सोप प्रा० लि० (बो)	5.00	5.00
56.	फाइन कम्पोजिट्स प्रा० लि० (बो)	5.00	5.00
57.	रेपलास इंडिया लि० (बो)	24.00	24.00
58.	माडर्न स्टील्स लि० (बो)	32.40	32.40
59.	टाइको इंडिया प्रा० लि० (बो)	3.50	3.50
60.	कालानी एस्बेस्टस सीमेंट (प्रा०) लि० (बो)	35.00	35.00
61.	न्यू हेवन इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० (बो)	2.09	2.09
62.	इनफोसीज कंसलटेंटस प्रा० लि० (बो)	5.00	5.00
63.	एप्लाइड इलेक्ट्रोनिक्स लि० (बो)	29.68	29.68
64.	पैरामाउंट प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि० (बो)	3.50	3.50
65.	दी न्यू राजपुर मिल कं० लि० (बो)	10.42	10.42
66.	मोटर इंडस्ट्रीज कं लि० (बो)	1902.57	1902.57
67.	कानपुर प्लास्टिक पेड लि० (बो)	56.00	56.00
68.	बजाज प्लास्टिक्स लि० (बो)	75.00	75.00
69.	सोमैया आरगेम-केमिकल लि० (बो)	10.00	10.00

1	2	3	4
70.	रिल।एस जूट एण्ड इंडस्ट्रीज (बो)	106.72	106.72
71.	हेवकल केमिकल इंडिया लि० (बो)	20.09	20.09
72.	जे० पी० टोबेको प्रोडक्ट्स प्रा० लि० (बो)	1.00	1.00
73.	एन० जी० ई० आर० ए० ई० जी० इंजी० कं० लि० (बो)	68.00	68.00
74.	ओरिएंट पेपर एण्ड इंडस्ट्रीज कं० लि० (बो)	572.62	472.62
75.	यूनाइटेड इंक एण्ड वार्निश कम्पनी प्रा० लि० (बो)	5.70	5.70
76.	धारडा केमिकल (प्रा०) लि० (बो)	32.26	32.26
77.	फूड स्पेशियेलिटीज लि० (बो)	960.00	960.00
78.	बी० त्रिकालाल एण्ड कम्पनी प्रा० लि० (बो)	0.94	0.94
79.	इंडियन काम्यूनिकेशन्स नेटवर्क लि० (बो)	23.03	23.03
80.	दी प्रिंटर मैसूर लि० (बो)	40.00	40.00
81.	दी रबड़ प्रोडक्शन प्रा० लि०	8.25	8.25
82.	दी कुमारन मिल्स लि०	20.00	20.00
83.	स्पेशल वीक्स लि० (बो)	33.60	33.60
84.	के० मोहन एण्ड कम्पनी (आइलेटस) प्रा०लि० (बो)	4.49	4.49
85.	वकील्स फेरर एण्ड सान्स लि० (बो)	1.00	1.00
86.	इम्पेक प्रा० लि० (बो)	4.00	4.00
87.	ट्रोपिकल शिपिंग कं० लि०	6.00	6.00
88.	जी० एम० मित्तल स्टेनलैस स्टील प्रा० लि० (बो)	24.95	24.95
89.	श्री प्रोडक्ट्स स्टील प्रा० लि० (बो)	5.00	5.00
90.	टेलीट्यूब इलेक्ट्रोनिक्स लि० (बो)	22.10	22.10
91.	जानकीराम मिल्स लि० (बो)	20.13	20.13
92.	सिन्नी प्रा० लि० (बो)	3.40	3.40
93.	वाइब्रो फार्म प्रा० लि० (बो)	3.00	3.00
94.	टाटा प्रेस लि० (परि ऋण पत्र)	125.00	125.00
95.	दामोदर रोपनेज एण्ड कं० (प्रा०) लि० (बो)	12.02	12.02
96.	आहुजा फर्निशरस (प्रा०) लि० (बो)	2.00	2.00

1	2	3	4
97.	एटलस रेडियो एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इंड (प्रा०) लि० (बो)	5.29	5.29
98.	एन० एम० नागपाल प्रा० लि० (बो)	1.53	1.53
99.	नवद्वीप केमिकल्स (प्रा०) लि० (बो)	2.00	2.00
100	क्राप हीष प्रोडक्शन (प्रा०) लि० (बो)	15.00	15.00
101.	जयंत विटामिन लि० (अनु)	135.00	135.00
102.	गुलशन शुगर एण्ड केमिकल लि० (बो)	27.50	27.50
103.	सिम्पल कास्टिंग (प्रा०) लि० (बो)	80.00	80.00
104.	ज्योति लैदर क्लाथ इंडस्ट्री (प्रा०) लि० (बो)	103.75	103.75
105.	बोल्टेक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंस लि० (अनु)	100.00	100.00
106.	डायमण्ड पोलीप्लास्ट (प्रा०) लि० (बो)	1.26	1.26
107.	समतल (इंडिया) लि० (बो)	131.88	131.88
108.	आधुनिक सिंथेटिक्स लि० (अनु)	31.10	31.10
109.	इंजीनियर्स इंडिया लि० (बो)	50.00	50.00
110.	टाटा फाइनेंस लि० (अनु)	49.80	49.80
111.	यू ०पी० नेशनल मेन्युफेक्चर्स प्रा० लि० (बो)	21.29	21.29
112.	डाइनर्स कलब इंडिया लि० (बो)	20.00	20.00
113.	अजित वायर इंडस्ट्री लि० (बो)	7.00	7.00
114.	बी० डी० स्वामी एण्ड कं० लि० (बो)	10.00	10.00
115.	हैदराबाद बोटलिंग कं० (प्रा०) लि० (बो)	12.00	12.00
116.	केमिकल टर्मिनल ट्राम्बे लि० (बो)	24.00	24.00
117.	टेरिटोरियल फाइनेंस लि० (अनु)	11.01	11.01
118.	टेस्ट इंक्विपमेंट (इलेक्ट्रिकल) प्रा० लि० (बो)	4.10	4.10
119.	दि प्रभात सिल्क काटन मिल्स कं० लि० (बो)	5.48	5.48
120.	सिस्टम्स पैकेजिंग प्रा० लि० (बो)	3.58	3.58
121.	गिरो रोडलाइन्स (प्रा) लि० (बो)	5.01	5.01
122.	मालभोज बरुआ इस्टेट (प्रा०) लि० (बो)	7.00	7.00
123.	सन्मार्ग प्राइवेट लि० (बो)	5.00	5.00

1	2	3	4
124.	वीर केमि० एण्ड एरोमेंटिक्स लि० (प्रा०) (बो)	4.90	4.90
125.	रोबोट सिस्टम्स (प्रा०) लि० (बो)	3.00	3.00
126.	अल्ट्रामेरीन एण्ड पिगमेंट्स लि० (वो)	90.00	90.00
127.	सिंह पोल्ट्री (प्रा०) लि०	10.00	10.00
128.	प्रीमियर आटोमोबाइन्स लि० (वो)	810.44	808.49
129.	बोरेक्स मोरारजी लि० (वो)	53.33	53.33
130.	कलकत्ता सिक्युरिटी प्रिंटर्स लि० (बो)	14.30	14.30
131.	आई० एफ० बी० एग्रो इंडस्ट्री लि० (बो)	1.04	1.04
132.	केमिक्राऊन (इंडिया) लि०	25.00	25.00
133.	एस्ट्रा कमर्शियल (प्रा०) लि०	1.00	1.00
134.	दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि० (बो)	1500.00	1500.00
135.	मदनपल्ली स्पिनिंग मिल्स लि० (बो)	29.99	29.99
136.	निषोत सिंथेटिक्स (प्रा०) लि० (बो)	9.00	9.00
137.	महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०	142.85	142.80
138.	डेवी पावरगैस इंडिया प्रा० लि० (बो)	10.00	10.00
139.	डेकन मेकेनिकल एण्ड केमिकल्स इंडिया (प्रा०) (लि०) (बो)	30.00	30.00
140.	जेरिच इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्रा० लि० (बो)	1.14	1.14
141.	कोरोमंडल गारमेंट्स लि० (बो)	10.00	10.00
142.	कैप्स एण्ड कैप्स (प्रा०) लि० (बो)	5.00	5.00
143.	के० ए० मेली लीजिंग कं० (बो)	28.30	28.30
144.	एल्जी इक्विपमेंट्स लि० (बो)	50.00	50.00
145.	एस० टी० पी० लि० (बो)	43.64	43.64
146.	साइका ब्रिवरीज लि० (बो)	70.00	70.00
147.	ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि० (बो)	200.00	200.00
148.	काडिला लेबोट्रीस (प्रा०) लि० (बो)	37.50	37.50
149.	रैक्रिफिशन एडवरटाइजिंग प्रा० लि० (बो)	1.00	1.00

1	2	3	4
150.	ग्रेव्स फोसीस लि० (बो)	134.11	134.11
151.	एशियन टूल्स लि० (बो)	50.00	50.00
152.	मेक्सिन मेडिकामेंट्स प्रा० लि० (बो)	6.00	6.00
153.	वेंकटेश्वर होटलरीज (प्रा०) लि० (बो)	75.00	75.00
154.	मूलजी वी० नरसी (प्रा०) लि० (बो)	2.31	2.31
155.	इन्दरील एलुब्रीकेंट्स एण्ड स्पेशलिस्ट लि०	254.38	254.38
156.	चागले एण्ड कं० (प्रा) लि० (बो)	100.00	100.00
157.	छगनलाल कस्तूरचंद एण्ड कं० (प्रा०) लि०	12.00	12.00
158.	लुधियाना स्टीलस (प्रा०) लि० (बो)	25.73	25.73
159.	टी० के० स्टील रोलिंग मिल्स (प्रा०) लि० (बो)	5.10	5.10
160.	सोलर पैकेजिंग (प्रा०) लि० (बो)	0.50	0.50
161.	ब्रिटिश फिजिकल लेबोटरीज इंडिया लि० (बो)	90.00	90.00
162.	हाई एनर्जी बट्रीज (आई०) लि० (बो)	44.71	44.71
163.	श्री मचामी काटन मिल्स लि० (बो)	20.00	20.00
164.	चरेजो ईस्टर्न लि० (बो)	7.00	7.00
165.	मोनिका इलैक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि० (बो)	42.50	42.50
166.	सोफ्ट बरेरग्स (प्रा०) लि० (बो)	5.00	5.00
167.	हर्कुलस इंजनियरिंग वर्क्स (प्रा०) लि०	1.09	1.09
168.	राजाधिराज इन्डस्ट्रीज लि० (बो)	36.20	36.20
169.	आर०के० स्वामी एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स (प्रा०) लि० (बो)	2.00	2.00
170.	मार्लेक्स प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि० (बो)	5.00	5.00
171.	के० जी० खोसला कम्प्रेसर्स लि०	149.79	149.79
172.	मेडले फार्मास्युटिकल्स (प्रा०) लि० (बो)	5.33	5.33
173.	साउदर्न मेग्नेटीस (प्रा०) लि० (बो)	2.10	2.10
174.	मोमोहिनीपुर टी कं० लि० (बो)	9.00	9.00
175.	अमजद ओटोमोटिव लि० (बो)	10.00	10.00

1	2	3	4
176.	मैसर इलैक्ट्रोप्लोटम (प्रा०) लि० (बो)	7.02	7.02
177.	कोडिला कैमिकल्स (प्रा०) लि० (बो)	10.00	10.00
178.	ऊषा टेलिहोस्ट लि० (अनु०)	147.23	147.23
179.	भाई सुन्दर दास एण्ड सन्स कं० (प्रा०) लि०	10.00	10.00
180.	बनारस हाऊस लि० (बो)	45.00	45.00
181.	प्रीमियर एक्सप्लोसिव (प्रा०) लि० (बो)	11.00	11.00
182.	इण्डिया पिस्टन्स लि० (बो)	160.00	160.00
183.	फर्मेनाइट माईका लि० (बो)	20.00	20.00
184.	बी० आर० बी० एयर (इण्डिया) प्रा० लि० (बो)	6.00	6.00
185.	ई० एम० ई० सिस्टम्स प्रा० लि० (बो)	4.00	4.00
186.	एम० ई० सी० प्रोडक्ट्स सेल्स सर्विसिस (प्रा०) लि०	8.00	8.00
187.	बेनजीर एवसपोर्ट (प्रा०) लि० (बो)	4.52	4.52
188.	मफत लाल इंडस्ट्रीस लि० (अनु)	810.00	810.00
189.	शारदा टैक्सटाइल्स मिल्स इण्डिया लि० (परिवर्तनीय ऋण-पत्र)	115.00	115.00
190.	दी मद्रास मोटर्स लि० (बो)	16.00	16.00
191.	इलैक्ट्रोनिक रिसर्च प्रा० लि० (बो)	25.00	25.00
192.	कर्मचंद थापर एण्ड ब्रादर्स (अनु०)	59.73	59.73
193.	काबर एग्रो इंडस्ट्रीस लि० (अनु०)	114.50	114.50
194.	फलैक्स लेमिनेटर्स (प्रा०) लि० (बो)	8.44	8.44
195.	सुपर किन्स इक्विपमेंट्स प्रा० लि० (बो)	1.02	1.02
196.	यूनिट्रोन लि० (अनु०)	30.00	30.00
197.	महामाया इन्वेस्टमेंट्स लि० (अनु०)	66.13	66.13
198.	डायनामिक इलैक्ट्रोनिक्स (इंडिया) प्रा० लि०(बो)	5.00	5.00
199.	फ्यूज बेस इंडिया (प्रा०) लि०	9.86	9.86
200.	पुरीट्स एण्ड स्पेनियर (एशिया) लि० (बो)	98.04	98.04
201.	चेम्बोंड केमिकल्स (प्रा०) लि० (बो)	6.00	6.00

1	2	3	4
202.	बालिगा लाइटिंग इक्विपमेंट (प्रा०) लि० (बो)	9.20	9.20
203.	बलास्का प्राइवेट लि० (बो)	12.00	12.00
204.	हर्बल्स (ए० पी० एस०) प्रा० लि० (बो)	0.60	0.60
205.	मेलायड रसल (इंडिया) लि० (बो)	312.50	312.50
206.	हाई-मिल एसेसरीज (प्रा०) लि० (बो)	2.00	2.00
207.	माजदा इंडस्ट्रियल केमिकल्स (प्रा०) लि० (बो)	2.40	2.40
208.	ऑडियों इंडिया लि० (बो)	225.50	225.50
209.	फ्रांस-इंडियन फार्मास्युटिकल प्रा० लि० (बो)	46.25	46.25
210.	साइंटिफिक मेस-टेक (प्रा०) लि० (बो)	2.27	2.27
211.	अतुल ग्लास इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि० (बो)	22.00	22.00
212.	फाइकाम आर्गेनिक्स लि० (बो)	64.26	64.26
213.	रेजिन्स एण्ड प्लास्टिक्स लि० (बो)	12.50	12.50

(बो)=बोनस

(अनु)=अनुवर्ती

प० ऋ०=परिवतर्नीय ऋण पत्र

(अ० प० ऋण)=अपरिवर्तनीय ऋण पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक में अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में मार्गनिर्देश

7566. **श्री सैफुद्दीन चौधरी**
श्री छीतू भाई गामित
श्री राम भगत पासवान } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने अपने अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण नीति तैयार की है और अपने दिनांक 24 सितम्बर, 1986 के परिपत्र सं० 1595 के द्वारा देश में अपनी संबंधित शाखाओं को मार्ग निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परिपत्र का पाठ क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्नगत परिपत्र में पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा जूनियर मैनेजमैंट ग्रेड स्केल-एक, दो और तीन के अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए जो मार्गनिर्देश तैयार किए गए हैं उनकी मुख्य बातें ये हैं :—

(1) बैंक के कारवार और प्रशासन के हित की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए कोई अधिकारी किसी शाखा/कार्यालय में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए काम नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी को इन क्षेत्रों में अर्थात् पूर्वी पश्चिमी; दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र में लगभग 3 वर्ष की कम से कम दो अनाधियों के लिए सेवा करनी होगी।

(3) उत्तरपूर्वी राज्यों में नियुक्त अधिकारियों का स्थानांतरण दो वर्ष की सेवा के बाद यथा-संभव उनके द्वारा चुने गये 3 केन्द्रों में से एक केन्द्र में किया जाएगा।

(4) उत्तर पूर्वी राज्यों की शाखाओं के अलावा, कठिन क्षेत्रों की शाखाओं में नियुक्त अधिकारियों का दो वर्ष की सेवा के बाद तबादला किया जाएगा।

(5) जिन अधिकारियों ने उपर्युक्त 2 और 3 के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; उनका स्थानांतरण उत्तरी क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र में उनके द्वारा चुने गये तीन केन्द्रों में से एक केन्द्र में यथासंभव लगभग तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(6) लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किसी अधिकारी को पदोन्नति के केन्द्र के अलावा किसी और स्थान पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

(7) पदोन्नति पर किसी अधिकारी को एक शाखा/कार्यालय से दूसरे शाखा/कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा।

लीजिंग कम्पनियों में काले धन का निवेश

7567. **श्री हरिहर सोरेन:** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में पब्लिक लिमिटेड इनवैस्टमेंट फर्मों ने भारी मात्रा में काला धन निवेश कर कुछ लीजिंग और व्यापारिक कम्पनियों की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इन कम्पनियों से काले धन को बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसी कम्पनियों की स्थापना के किसी सामान्य पैटर्न की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जब कभी काले धन की संवाहिनी के रूप में ऐसी कम्पनियों का उपयोग करने के किसी मामले का पता चलता है तो प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत कर-निर्धारण, अर्थदंड तथा अभियोजन के जरिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बांडों का तथा कथित घोटाला

7568. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख विदेशी बैंक तथा भारतीय बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बांडों के बारे में घोटाला कर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा अल्पकालीन निधि पर आकर्षक ब्याज दरों की जो योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गयी थी उसके अन्तर्गत ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी ब्याज दरों से अधिक है;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का कितने बैंकों ने पालन किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा कानूनों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा यूरेनियम को जब्ती

7569. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय के पटना स्थित कार्यालय ने 10 दिसम्बर, 1986 को 1 किलोग्राम यूरेनियम जब्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस संबंध में यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस संबंध में और भारत-नेपाल सीमा से पाकिस्तान को तस्करी पर रोक लगाने के लिए कौन सी कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : 8 दिसम्बर, 1986 को राजस्व आसूचना निदेशालय, पटना एकक के अधिकारियों ने पटना निवारक समाहर्तालय के सीमा शुल्क अधिकारियों के सहयोग से अमलाटोला, मधुबनी, पूर्णिया में 780 ग्राम वजन का एक पदार्थ पकड़ा जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि वह यूरेनियम है । भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई द्वारा जांच करने पर यह पदार्थ आयन एक्सचेंज रेसिन पाया गया था न कि यूरेनियम ।

(घ) भारत-पाक और भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों में तस्करी-रोधी अभियान को सामान्यतया तेज कर दिया गया है ।

सिक्किम में वनरोपण कार्यक्रम

7570. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के लिए और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए सिक्किम में वनरोपण कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) राज्य सरकार को वनरोपण कार्यक्रम शुरू करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान कितनी सहायता देने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सिक्किम राज्य के लिए तय किए गए वार्षिक वनरोपण लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	लगाए जाने वाले पौधे (संख्या लाखों में)
1984-85	77
1985-86	82
1986-87	110

(ग) सिक्किम राज्य सरकार को वानिकी क्षेत्र के तहत 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान वनरोपण के लिए क्रमशः 45.84 लाख रुपये, 57.38 लाख रुपये और 53.03 लाख रुपए की सहायता दी गई। राज्यों को केन्द्रीय सहायता साल-दर-साल आधार पर दी जाती है जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम, बजट में आबंटन की उपलब्धता, और राज्य के बजट में प्रदान की गई समान्तर हिस्से की मात्रा पर निर्भर करती है ।

डेनमार्क से सहायता

7571. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य, ग्रामीण जल सप्लाई और कृष्ण के क्षेत्र में सहायता के लिए हाल ही में डेनमार्क के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किन-किन राज्यों को लाभ होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) भारत-डेनिश विकास सहयोग कार्यक्रम से संबंधित वार्षिक वार्तालाप के सम्मत कार्यवृत्तात्मक सारांश के अनुसार, जिस पर 26 मार्च, 1987 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए, मुख्य रूप से स्वास्थ्य, ग्रामीण जलपूर्ति तथा कृषि संबंधी कार्यक्रमों के लिए 20 करोड़ डेनिश क्रोनर (लगभग 36 करोड़ रुपया) की सहायता प्राप्त होने की प्रत्याशा है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा, पर्यावरण और वानिकी के क्षेत्रों के लिए भी सहायता उपलब्ध होगी। यह सहायता 100 प्रतिशत अनुदान सहायता होगी, जिसकी वापसी अदायगी का दायित्व नहीं होगा । इससे मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों को लाभ पहुंचेगा ।

आर्थिक सलाहकारों के पदों पर भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति

7573. **श्री शरत देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार में आर्थिक सलाहकारों अथवा प्रमुख रूप से आर्थिक सलाह देने वाले सलाहकारों के कितने पद हैं;

(ख) भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी कितने पदों पर नियुक्त है;

(ग) क्या ये पद गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अन्य सेवाओं की भांति इन अधिकारियों की भर्ती के लिए कोई खुली प्रतियोगिता आयोजित की जाती है; और

(च) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (च) : सरकार ने आर्थिक सलाहकारों अथवा प्रमुख रूप में आर्थिक सलाह देने वाले सलाहकारों के पदों को विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों में बांटा जाता है। ऐसे पदों की कुल संख्या और उनमें से कितने पद भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों द्वारा धारित हैं, इस संबंध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। ऐसे प्रत्येक पद के अपने भर्ती नियम हैं जिनके अनुसार उन्हें भरा जाता है। सीधी भर्ती, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति आदि अनेक तरीके हैं जो कि ऐसे पदों को भरने में अपनाए जाते हैं और इन पदों के भर्ती नियमों में एक अथवा एक से अधिक ऐसे तरीकों का समावेश किया जा सकता है।

परियोजना सम्बन्धी वस्तुओं के आयात पर शुल्क बढ़ाने के फलस्वरूप उत्पन्न परेशानियां

7574. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात नीति अथवा आयात और निर्यात शुल्कों में परिवर्तन करने से पहले मार्गस्थ वस्तुओं के मामले में आयातकों/निर्यातकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली परेशानी को कम करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बार परियोजना सम्बन्धी वस्तुओं का आयात शुल्क 55 प्रतिशत से बढ़कार 85 प्रतिशत करते समय यह सुविधा प्रदान नहीं की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सम्बन्धित आयातकों की परेशानियों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : आयात शुल्क में परिवर्तन तुरन्त लागू हो जाते हैं और ऐसा माल, जो रास्ते में ही होता है, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती दर पर ही आयात शुल्क लगाए जाने को जारी रखने की कोई व्यवस्था नहीं हैं। जहां तक परियोजनागत शुल्क की दर, जिसमें 1.3.87 को परिवर्तन किया गया, का सम्बन्ध है, आयातकों की वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने, उस परियोजनागत

आयात माल पर, जो अभी रास्ते में ही है, बढ़ी हुई दर पर सीमा शुल्क की अदायगी करने के लिए इन आयातकों को तुरन्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की पहले ही घोषणा कर दी है।

उद्योगों के लिए ऋणजमा पूँजी अनुपात के सिद्धांतों को उदार बनाना

7575. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात प्रधान उद्योगों के लिए ऋण-जमा पूँजी अनुपात के सिद्धांतों को हाल में उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋण-जमा पूँजी अनुपात के सिद्धांतों को किन परिस्थितियों में उदार बनाया गया है; और

(घ) यह व्यवस्था उद्योगों के लिए किस सीमा तक लाभदायक रहेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : प्रणोद-उद्योगों (थ्रस्ट इंडस्ट्रीज) में, जिन्हें निर्यात की संभावनाओं वाले उद्योगों के रूप में चयनित किया गया हैं, क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय संस्थाओं ने प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर औद्योगिक परियोजना के आकार और अर्थक्षमता को देखते हुए 4:1 तक के उच्च ऋण इक्विटी अनुपात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। आशा है कि इन उद्योगों से निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं की संख्या

7576. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से महिला अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) कुल संख्या में महिला अधिकारियों का प्रतिशत कितना है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) 1.1.1986 की स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा की वास्तविक पद संख्या 4549 थी, जिनमें से 351 महिला अधिकारी थीं।

(ग) 7.72 प्रतिशत।

आन्ध्र प्रदेश की सामाज कल्याण योजनाओं के लिये अनुदान

7577. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान मंत्रालय द्वारा समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को किये गये आबंटनों/दिये गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान समाज कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों/योजनाओं का ब्योरा क्या है और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) विवरण-2संलग्न है ।

विवरण—1

1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया आवंटन/अनुदान का विवरण

(रुपये लाखों में)

	1984-85	1985-86	1986-87
1. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(i) विकलांग व्यक्तियों के संगठनों को सहायता देने की योजना	1.94	9.82	21.25
(ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां	20.00	10.00	32.00
(iii) विकलांगों के लिए सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता	0.60	8.20	—
(iv) सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष कक्षों की स्थापना की योजना		73.897	—
1. जिला पुनर्वास केन्द्र के लिए योजना	—	15.60	—
2. संरक्षण और देखभाल के जरूरतमंद बच्चों का कल्याण	11.71	25 63	31.15
3. ऐल्कोलिको नशीली दवाओं के व्यसनी और सामाजिक के अपराध अन्य पीड़ितों के लिए निषेध काउंसलिंग और पुनर्वास कार्य के लिए शिक्षा कार्य	—	—	0.105

विवरण-2

1985-86 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का विवरण और उन पर की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है :—

(1) **विकलांग व्यक्तियों का कल्याण**

(क) 1985-86 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत 7 स्वयसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने हेतु सिफारिश की थी। 5 संगठनों को 9.81 लाख रुपये दिये गए। 2 संगठनों से अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज मांगे गए थे जो अभी प्राप्त नहीं हुए अत: उनको कोई धनराशि नहीं दी गई। प्राप्त अन्य योजनाओं के आधार पर निम्न धनराशि स्वीकृत की गई और दी गई :—

(ख) **विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृति योजना**

आन्ध्र प्रदेश सरकार	10.00 लाख रुपये

(ग) **विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगा ने हेतु सहायता**

(i) आन्ध्र प्रदेश विकलांग व्यक्ति कल्याण सहकारी वित्त निगम, हैदराबाद	8.00 लाख रुपये
(ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र	0.20 लाख रुपये

(घ) **विशेष रोजगार केन्द्र और सामान्य रोजगार केन्द्रों में विशेष सैल स्थापित करने की योजना**

विशाखापतनम और विजयवाड़ा के सामान्य रोजगार केन्द्रों में विकलांगों के लिए विशेष सैल	73,897 रुपये

(ङ) **जिला पुनर्वास केन्द्र**

कृष्णा जिले के विजयवाड़ा में जिला पुनर्वास केन्द्र	15.6 लाख रुपये

(2) **देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों का कल्याण**

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक नए स्वयंसेवी संगठन अर्थात डा० अम्बेडकर ममोरियल शिक्षा सोसायटी राजमुंदरी को 25 अतिरिक्त बच्चों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान स्त्रीकृत करने की सिफारिश की थी। वर्तमान संस्थानों के अतिरिक्त संगठन को भी सहायता अनुदान दिया गया था।

निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही परियोजनायें

7578. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों की (1) 100 करोड़ रुपये से अधिक (2) 20 करोड़ रुपए से अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपए से कम लागत की कई चालू परियोजनायें अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ग की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और क्या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा इनके पूर्ण आंशिक रूप से पूरा होने के लिए कोई लक्ष्य तारीखे निर्धारित की गई हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना की प्रारम्भिक लागत कितनी थी और पूरा होने के समय कितनी लागत होने की सम्भावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं की तेजी से पूरा करने तथा लागत में वृद्धि आदि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी ०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) . सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

यूरेनियम की तस्करी

7579. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन समाचारों की जानकारी है कि सुसंगठित गिरोह जिनके अड्डे जमशेदपुर, रांची, पटना, कलकत्ता और दिल्ली में हैं अनेक वर्षों से यूरेनियम की तस्करी कर रहे हैं और इसकी विभिन्न देशों को सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान कोई गिरफ्तारियां की गई हैं और किसी के विरुद्ध दोष सिद्ध हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि तस्करी करने वाले येलो केक यूरेनियम को येलों पाउडर में बदल देते हैं जिससे तस्करी के स्रोत का पता लगाना कठिन हो जाता है;

(घ) भारतीय यूरेनियम निगम के पास लेखा बाह्य यूरेनियम की कितनी मात्रा है; और

(ङ) भारतीय यूरेनियम निगम ने यूरेनियम के भण्डार को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां । सरकार ने समाचार-पत्रों में बिहार के बहुत से भागों से यूरेनियम की तस्करी होने के समाचारकुछ समाचार-पत्रों में देखे हैं । हालांकि यह विदित नहीं है कि उन समाचारों का आधार क्या है ।

(ख) बिहार राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा इकट्ठी की गई सूचना के अनुसार जमशेदपुर में 5.12.1986 को छ: व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे ।

(ग) सरकार को ऐसी किसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है जो तस्करों द्वारा येलो केक यूरेनियम को काले पाउडर में बदलने के लिए काम में लाई जाती है । तस्करों के पास बरामद हुए नमूनों का विश्लेषण किया गया था और विश्लेषण के परिणामों से पता चला कि उन नमूनों में यूरेनियम नहीं था ।

(घ) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित पूरे यूरेनियम का हिसाब सही ढंग से रखा जाता है ।

(ङ) जादुगुडा में यूरेनियम खान तथा मिल कम्पलेक्स में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की निगरानी में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

रुग्ण औद्योगिक यूनिटों से ऋणों की वसूल

7580. **श्री शांति धारीवाल : वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रुग्ण औद्योगिक यूनिटों में उनकी रुग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में रुग्ण औद्योगिक यूनिटों की संख्या कितनी है जिनका सरकार द्वारा सर्वेक्षण करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार को राजस्व तथा इन रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को दिए गए ऋणों की वसूली न होने के कारण अलग-अलग कितना नुकसान होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से औद्योगिक रुग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए नया अध्ययन करने के वास्ते अनुरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह इस अध्ययन को शुरू करने के लिए औपचारिकताएं तैयार कर रहा है और उसका इस अध्ययन में कुल मिलाकर लगभग 2000 बड़े और मझौले रुग्ण एककों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए लाइसेंस

7581. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **प्रधान मंत्री** पहाड़ी राज्यों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों के बारे में 11 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3540 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों/पार्टियों के जिलेवार नाम क्या हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में आशय पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) क्या उसके बाद से 28 फरवरी, 1987 तक कोई और लाइसेंस भी जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या दोनों राज्यों या दोनों में से किसी एक राज्य ने अपने यहां इलेक्ट्रानिक निगम स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप उसके कृत्य क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक और अन्तरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तथा (ख) : जिन

कंपनियों/पार्टियों को हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर में आशय-पत्र जारी किए गए हैं उनके नाम तथा उनके स्थापना-स्थलों/जिलों के नाम क्रमश: संलग्न विवरण तथा 2 विवरण में दिए गए हैं।

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22 अक्टूबर, 1984 को राज्य इलेक्ट्रांनिकी विकास निगम की स्थापना की है। जहां तक जम्मू तथा कश्मीर का संबंध है, किसी इलेक्ट्रांनिकी निगम की स्थापना नहीं की गई है।

(घ) निगम के मुख्य कार्यकलापों में इलेक्ट्रांनिकी उद्योगों का द्रुत गति से विकास करने के साथ-साथ संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना करना है। निगम इलेक्ट्रांनिकी इकाइयों के लिए शेडों के निर्माण का कार्य भी अपने हाथ में ले रहा है। इस निगम ने शिमला में पहले ही एक साफ्टवेयर विकास-व-कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना की है। उन्होंने निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए भी भारत सरकार से आशय-पत्र प्राप्त कर लिए हैं:—

(i) तार-रहित टेलीफोन

(ii) इलेक्ट्रांनिक ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (ई० आर० ए० एक्स)

(iii) ई० डब्ल्यू उपस्करों के लिए एस वाई बी प्रणाली।

(iv) उच्च आवृत्ति/अति उच्च आवृत्ति (एच० एफ० वी० एच० एफ०) के संचार उपस्कर।

विवरण-1

हिमाचाल प्रदेश में जिन कम्पनियों/पार्टियों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं, उनके नाम

क्रम० सं०	कम्पनी/पार्टी का नाम तथा उनका पता	स्थापना स्थल जिला-वार
1	2	3
1.	मेसर्स नोवा केपेसिटर्स प्रा० लि, चंडीगढ़	सोलन
2.	श्री राजा मलविन्द्र सिंह, लिला भवन पटियाला (पंजाब)	सोलन
3.	*हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, शिमला	सोलन
4.	मेसर्स एम्स माइक्रो कम्प्यूटर्स इन्टरनेशनल लि०, चंडीगढ़	सोलन
5.	*हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, शिमला	सोलन
6.	मेसर्स आटो कन्ट्रोल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	सोलन
7.	मेसर्स सुपरडील इन्वेस्टमेंट लि० न्यू मेसर्स कोस्मो फेराइट्स लि०	सोलन
8.	श्री पी० एस० सर्वेन नई दिल्ली	सोलन
9.	*हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, शिमला	सोलन
10.	मेसर्स परम कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, मोहाली	सोलन

1	2	3
11.	मेसर्स ए० बी० एल० कैपेसिटर्स (इंडिया) लि०, नई दिल्ली	सोलन
12.	मेसर्स ए० बी० एल० कैपेसिटर्स (इंडिया) लि०, नई दिल्ली	सोलन
13.	मेसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कमला टावर, कानपुर	सोलन
14.	मेसर्स जूम इलेक्ट्रांनिक्स (इंडिया) लि०, शिमला	सोलन
15.	*हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रांनिकी विकास निगम, शिमला	सोलन
16.	*हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रांनिकी विकास निगम, शिमला	सोलन
17.	मेसर्स इंडियन ट्रांसफार्मर लि०, कोचीन (केरल)	सोलन
18.	*हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रांनिकी विकास निगम, शिमला	हि०प्र०
19.	मेसर्स आन लाइन कंसलटेवी सर्विसिज प्रा० लि०, नई दिल्ली	हि०प्र०
20.	मेसर्स हिमाचल इंटरलिंक्स टेक्नोलाजी लि० 'चंडीगढ़	सोलन
21.	श्रीमती उषा अग्रवाल, नई दिल्ली	हि०प्र०
22.	श्रीमती उषा अग्रवाल, नई दिल्ली	
23.	मेसर्स दीपक एन्टरप्राइजिज प्रा० 'चंडीगढ़	सोलन
24.	मेसर्स इंटर कांन्टिनेन्टल कम्प्यूटर्स पावर लि०, नई दिल्ली	पोंटा साहिब

*विभिन्न इलेक्ट्रांनिक वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए मेसर्स हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, शिमला को आशय-पत्र जारी किए है।

*विभिन्न इलेक्ट्रांनिक वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए मेसर्स हिमाचल प्रदेश इलेट्रानिकी विकास निगम' शिमला को आशय-पत्र जारी किया गया है।

विवरण-2

जम्मू तथा कश्मीर (जे० एंड के०) में जिन कंपनियों/पार्टियों को आशय-पत्र/तकनीकी विकास महानिदेशालय पंजीकरण जारी किए गए हैं, उनके नाम

क्र० सं०	कम्पनी/पार्टी का नाम तथा उनका पता	स्थापना स्थल जिला वार
1	2	3
1.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
2.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
3.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम

1	2	3
4.	*मेसर्स आॅक इंडिया लि०	बडगाम
5.	*मेसर्स जे० एण्ड के सिडको	बडगाम
6.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
7.	मेसर्स जयराम रामचन्द मूरजनी, बम्बई	बडगाम
8.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
9.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
10.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
11.	मेसर्स फिदा हुसैन समीम	बडगाम
12.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
13.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
14.	मेसर्स जहूर अहमद मलिक, कश्मीर	बडगाम
15.	मेसर्स आॅक इंडिया लि०, (मापले सर्किट्स)	बडगाम
16.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
17.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
18.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
19	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
20.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
21.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
22.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
23.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
24.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
25	मेसर्स क्वासर आडियो इंडिया नई दिल्ली	बडगाम
26.	मेसर्स डबल विजन इलेक्ट्रोनिक्स	बडगाम
27.	मि० सुनील सर्धाना	बडगाम
28.	*मेसर्स जे एण्ड के सिडको	बडगाम
29.	मि० वी० के० मंहाजन, हरि टाकेज, जम्मू	जम्मू
30.	श्री भारत भूषण, जम्मू	जम्मू

1	2	3
31.	श्री स्नेह गुप्ता, केयर ऑफ भुला राम एण्ड कं० जम्मू	जम्मू
32.	मि० गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स जम्मू	जम्मू
33.	मि० सुरेश कुमार, मेसर्स जम्मू इलेक्ट्रॉनिक्स 2204, सेक्टर 15, चंडीगढ़	जम्मू
34.	मेसर्स टोटल एक्सपोर्ट लि०, चंडीगढ़	जम्मू

*विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए मेसर्स जम्मू तथा कश्मीर सिडको को आशय-पत्र जारी किया गया है।

———

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शान्ता राम नायक।

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) : महोदय, मैंने प्रो० मधु दंडवते के खिलाफ विशेषाधिकार का भंग एक नोटिस दिया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ? मैंने उन्हें अनुमति दे दी है।

श्री शान्ता राम नायक : कल आपके द्वारा दिये गये विनिर्णय के आधार पर मैंने प्रो० मधु दंडवते के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। इधर सुनिए। मुझे कतिपय बातें स्पष्ट करनी हैं। आप विशेषाधिकार की सूचना दें···

श्री शांताराम नायक : मैंने दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : तो मै इस पर विचार करूंगा। उपयुक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

मैं कल की कुछ गलत धारणाओं को दूर करना चाहता हू। मैं कभी भी प्रक्रियाओं से अलग नहीं चलता। मैं निर्धारित तथा हमारे द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करता हू। परन्तु कतिपय समय पर ऐसा हो सकता है कि माननीय सदस्य के पास कुछ नये तथ्य हों और वे उन्हें प्रस्तुत करने के लिए हमेशा स्वतत्र है, और उन नये तथ्यों के अनुसार, अगर नयी बातें मेरे ध्यान में लायी जाती हैं, तो फिर से मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः मैं किसी बात पर रोक नहीं लगाता और मैं उससे बिल्कुल अलग कार्य नहीं करता जो मैंने पहले किया है और अब कर रहा हूं। इसमें किसी दल के साथ पक्षपात नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : इसके साथ ही सदस्यों के लिए आपके विनिर्णय के विरुद्ध सभा से बाहर चला जाना उचित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। श्री सैफूद्दीन चौधरी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैंने···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : न्याय भी किया गया प्रतीत होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह होगा, महोदय। इस बारे में कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। मैं कभी भी विचलित नहीं हूंगा और किसी भी चर्चा पर कोई रोक नहीं लगेगी। यह नियमों के अनुसार होगा और नियम आपके द्वारा बनाये गये हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान रखेंगे कि टिप्पणियां मुझे नहीं भेजी गई थी। मैं नहीं समझता कि आपने भेजी हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वह कुछ और बात थी। मैं आपको स्पष्ट करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह ठीक है। टिप्पणियां नहीं भेजी गई थी। मैंने सचिवालय से सत्यापन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं। जब मैं गलती पर होता हूं तो मैं उसे मान लेता हूं मुझे यह बुरा नहीं लगता। मैं गलती कर सकता हूं लेकिन यह जान बूझकर नहीं की जायेगी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आपके विनिर्णय से जो स्थिति उत्पन्न हुई हैं मैंने उसके बारे में आपको पत्र लिखा है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : विशेषाधिकार समिति में श्री कक्कड़ को बुलाइये। महोदय उनका कौनसा वक्तव्य सही है, हमें नहीं मालूम।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : 1978 में उन्होने एक वक्तव्य दिया था और अब उन्होंने भिन्न वक्तव्य दिया है। ये परस्पर विरोधी हैं। यह एक बहुत गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : विषय वस्तु पर उनकी राय···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं। ऐसे नही मैं आपको ऐसे उत्तर नहीं दे सकता। मुझे इसे देखना होगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति। आप सब एक साथ मत बोलिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : हम जानना चाहते हैं कि श्री कक्कड़ का कौन-सा वक्तव्य सही है तथा कौन-सा गलत है।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने आपको बताया है, श्रीमान्। मेरे पास प्रमाणिकृत प्रति है। आप इसे देख सकते है।

प्रो० मधु दंडवते : चिन्ता मत कीजिए। आपको कुछ मिल जायेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास है। आप इसे देख सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आपका क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इस पर गौर कर रहा हूँ। यह उपयुक्त प्रक्रिया में है। मुझे पहले उपयुक्त प्रक्रिया करने दें उसके बाद मैं बताऊंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह एक प्रत्यक्षतः मामला है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। आप नहीं चाहेंगे कि मैं इसमें जल्दबाजी करूं। तो आप कहेंगे, "आपने प्रक्रिया पूरी नही की है।" मुझे उपयुक्त प्रक्रिया पूरी करने दें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : एक ही व्यक्ति के दो भिन्न वक्तव्य कैसे हो सकते हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप मुझसे यह न पूछे क्यों आप मेरे पास आइये। हम चर्चा करेंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : श्री ब्रह्म दत्त के खिलाफ मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पहले ही कार्रवाई कर रहा हूं। यह मेरे प्रक्रिया से गुजर रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे यहां नहीं कर सकता।

श्री पी० कुलनदइवेलू : यह श्रीलंका समस्या के बारे में है। कल150 व्यक्ति मार दिए गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे यहाँ नहीं कर सकता। यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह एक बहुत गंभीर स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। यह हमारी सरकार की असफलता नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह एक बहुत गंभीर स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम केवल अपनी बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोर्ट फीस बढ़ा दी गई है और वहाँ पर सारे कोर्ट बंद पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

मैं कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : अध्यक्ष महोदय, सारी दिल्ली में मच्छरों का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है...।

अध्यक्ष महोदय : मच्छरों का मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात हुई, बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : हमें समाचार पत्रों से पता चला है कि माननीय रक्षा मंत्री चीन गए थे। उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नही। इन बातों के बारे में चिन्ता मत करें। इन्हें विश्वसनीय न मानें। आप उनसे लिखकर पता कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हम केवल यह जानना चाहते हैं कि वह कब से किसिंजर बन गए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें चीन क्यों नही जाना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रतिबन्ध नही है। अगर वह गए हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है।

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1987-88 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

[अनुवाद]

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं कार्यक्रम कार्यान्वयन

मंत्रालय की वर्ष 1987-88 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4247/87]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 391 (अ), जो 13 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय में विद्यमान सामान्य परिपाटी के अनुसार, पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ की मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले जिलेटिन और सरेस फ्लेक्स पर मूल उप्पाद-शुल्क की अदायगी 1 मार्च 1982 से 8 जुलाई, 1985 तक की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद संख्या 68 के अन्तर्गत उदग्रहणीय शुल्क दर से अधिक दर पर की जानी अपेक्षित नहीं होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—4248/87]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1941 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 384 (अ), जो 10 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24, अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या 108/81 के०उ०शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1988 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-4249/87]

(दो) सा०का०नि० 385 (अ), जो 10 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विद्युत और वाष्प की सहायता के बिना प्रसंस्कृत सूती फैब्रिक के बारे में नयी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क छूट योजना निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी—4250/87]

(तीन) सा०का०नि० 386 (अ), और 387 (अ), जो 10 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा हस्त प्रसंस्कृत सूती कपड़ों के संबंध

में लागू शुल्क की सामान्य दर के 25 प्रतिशत विक्रय कर के स्थान पर मूल उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक विज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—4251/87]

(चार) सा०का०नि० 388 (अ), जो 10 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उन पिटवां प्लेटों, शीटों, ब्लैंकों (जिनके अन्तर्गत सर्किल शामिल हैं), जिनको आपूर्ति केन्द्रीय सरकार के आयुध कारखानों को की जाती है, के संबंध में 1200 रु० प्रति मीटरी टन उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—4252/87]

(पांच) सा० का० नि० 393 (अ), जो 13 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मुक्त व्यापार जोन में विनिर्मित अरण्डी की खली को भारत के अन्य किसी भी भाग में लाये जाने तथा ऐसी अरण्डी की खली का विनिर्माण देशी अरण्डी के बीजों से देशी संयंत्र और मशीनरी से किए जाने पर उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—4253/87]

परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1987-88 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1987-88 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—4254/87]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति

छिहत्तरवां, सतत्तरवां, बयासीवां और तिरासीवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्युप रेड्डी (कुरनूल) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) वायु सेना के लिए एक उपकरण के विकास में विलम्ब के संबंध में 76वां प्रतिवेदन ।

(2) संघ उत्पाद-शुल्क- विनिर्माण स्थल उपभोग किये जाने वाले उत्पादों पर शुल्क न लगाना-सेल्यूलोस जेंटेथ के सम्बन्ध में 77वां प्रतिवेदन ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-रेफ्रीजेरेटरों और टायरों के मूल्यों पर शुल्क में कमी के प्रभाव के संबन्ध में 43वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में 82वां प्रतिवेदन ।

(4) रक्षा आपूर्ति विभाग के कार्यकरण की समीक्षा के संबन्ध में लोक लेखा समिति के 44वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में 83वां प्रतिवेदन ।

————

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दलों के दौरों के प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुलतानपुरी (शिमला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरों के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) जनवरी, 1987 के दौरान कलकत्ता, अरुणाचल प्रदेश, अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूहों तथा मद्रास के दौरे के बारे में समिति के अध्ययन दल-एक के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(दो) जनवरी, 1987 के दौरान त्रिवेन्द्रम, कोचीन, लक्ष्यद्वीप, बंगलोर और बम्बई के दौरे का के बारे में समिति के अध्ययन दल-दो के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

रेल अभिसमय समिति (1985)

————

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुभाष यादव (खरगोंव) : मैं संसाधन जुटाना रेल-योजनागत वित्त में वृद्धि करने के लिए

लोक ऋण के सम्बन्ध में रेल अभिसमय समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.08 म०प०

देश में डिजिटल इलेक्ट्रानिक घड़ियों के निर्यात और विक्रय के लिए विद्यमान नीतियों में संशोधन करने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : दिनांक 21 मार्च, 1985 को संसद में घोषित "इलेक्ट्रानिकी नीति विषयक एकीकृत उपायों" के एक भाग के रूप में, अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों (डी० ई० डब्ल्यू०) के लिए औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी-नीति में कुछ संशोधन किए गए। इस नीति के अन्तर्गत, सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लि० (एस० सी० एल०) को कम लागत की अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों (डी० ई० डब्ल्यू०) के माड्यूलों का विनिर्माण करके उन्हें सार्वजनिक तथा लघु दोनों ही क्षेत्र के उद्योग की इकाइयों में अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के संयोजन-कर्ताओं को और साथ ही यांत्रिकीय घड़ियों तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयों आदि को बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, लघु-क्षेत्र उद्योग की इकाइयों को कम लागत की अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों (डी० ई० डब्ल्यू०) अथवा अन्य अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों (डी० ई० डब्ल्यू०) के मड्यलों पर आधारित उत्पादों को सीधे ही बाजार में बिक्री करने की अनुमति प्रदान की गई है। यदि सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लि० (एस० सी० एल०) की उत्पादन-क्षमता से मांग की मात्रा अधिक हो गई तो इन माड्यूलों का विनिर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र में एक दूसरे एकक को अनुमति प्रदान की जानी थी।

उद्योग के द्रुत गति से विकास के लिए, अब यह निर्णय किया गया है कि संगठित क्षेत्र को अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का विनिर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाए। अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के लिए अब संशोधित औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी-नीति नीचे दिए अनुसार है :

(i) अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का संयोजन तथा उनकी बिक्री करने के लिए अब संगठित क्षेत्र की इकाइयों को भी अनुमति दी जाएगी, किन्तु जिन कम्पनियों की विदेशी साम्य-पूंजी (इक्विटी) 40 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें यह अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जहां तक अंकीय घड़ियों के लिए इलेक्ट्रानिक माड्यूलों का संबंध है; मैसर्स सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लि० द्वारा उद्योग को माड्यूलों की आपूर्ति करने की वर्तमान नीति जारी रहेगी।

(iii) मेसर्स सेमीकण्डक्टर कम्प्लेक्स लि० की उत्पादन-क्षमता/आपूर्ति क्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय

[श्री के० आर० नारायणन]

मूल्य स्तर की तुलना में यदि उद्योग की मांग बढ़ जाती है तो उद्योग को विशुद्धतः अपनी स्वयं की अन्दरूनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घड़ियों के माड्यूलों के विनिर्माण की अनुमति अपने आन्तरिक साधन-स्रोतों के आधार पर दी जाएगी बशर्ते ऐसा करना वाणिज्यिक एवं मितव्ययिता की दृष्टि से उपयुक्त हो।

———

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित : मैं प्रस्ताव करती हूं :

'कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 21 अप्रैल, 1987 को सभा में प्रस्तुत किये गये छतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 21 अप्रैल, 1987 को सभा में प्रस्तुत किये गये छतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

[हिंदी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि इन डिमाण्ड्स में एग्रीकल्चर की डिमाण्ड्स जरूर डिसकस करें।

अध्यक्ष महोदय : आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसको डाल दिया है। आपका कहना शिरोधार्य होगा। एक्सटरनल अफेयर्स, डिफेंस और फिर एग्रीकल्चर।

(व्यवधान)

———

12.10 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) महाराष्ट्र के भण्डारा जिले के लिए और अधिक रेल गाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : भंडारा रोड से कवाडसी जवाहर नगर तक रेलवे लाइन गई है लेकिन इस लाइन पर पैसेंजरट्रेन नहीं चलाई जाती है। इस लाइन पर पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए इस विभाग के लोगों की काफी बरसों से मांग है। तुमसर रोड तिरोड़ी पैसेंजर जो चलती है, वह

इंजन व बोगी तीरोडी से अगर तुमसर रोड में खाली रहते हैं। इसी को तुमसर रोड भण्डारा रोड होकर जवाहर नगर तक ट्रेन चलाने में जवाहर नगर डिफेंस फैक्टरी की वजह से अड़चन हो तो भण्डारा टाउन तक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई तो भी इस विभाग के लोगों की बहुत दिनों से चली आ रही मांग आंशिक रूप से पूर्ण हो सकती है। भण्डारा जिला का स्थान होते हुए औद्योगिक शहर है, लोहे का कारखाना लग रहा है। इसलिए पैसेंजर ट्रेन चलाना बहुत आवश्यक है। बिलासपुर-भोपाल सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का स्टापेज गोन्दिया में देने हेतु मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के व गोन्दिया विभाग के लोगों की आवश्यक मांग है। यह एक्सप्रेस गाड़ी विशेषत: बालाघाट जिले की भोपाल जाने की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इस हेतु गोन्दिया में स्टापेज देने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो नागपुर होकर पूना-कोल्हापुर तक चलती है, यह ट्रेन गोन्दिया से चलाने हेतु काफी दिनों से मांग है, 1984 से पहले उस समय के रेल मंत्री ने आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस गोन्दिया से चलाई जाए या माहाराष्ट्र एक्सप्रेस के लिए गोन्दिया लोकल में नागपुर तक एक बोगी लगाई जाये और बीच के स्टेशनों पर रिजर्वेशन की व्यवस्था करने में आये।

मेरा माननीय रेल मंत्री से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तीनों मांगों के लिए उचित आदेश देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(खे) केरल सरकार को राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री वी० एस० विजय राघवन** (पालघाट) : अध्यक्ष महोदय, केरल सूखे की भीषण चपेट में है। राज्य में फसलें नष्ट हो गई हैं और पीने के पानी की भारी कमी है। राज्य सरकार के मूल्यांकन के अनुसार 595.90 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान है। इससे यह पता चलता है कि इस वर्ष सूखे की स्थिति वर्ष 1983 के सूखे से भी भीषण है।

राज्य के पालघाट जिले में सबसे अधिक हानि हुई है। इस जिले में पानी की भारी कमी है। वर्ष 1946 में इस जिले में सामान्य वर्षा केवल 45 प्रतिशत वर्षा हुई थी। जनवरी, 1987 से यहां वर्षा नहीं हुई है जिससे राज्य में प्रमुख फसलें जैसे धान, केला, नारियल मिर्च आदि की फसलें नष्ट हो गई हैं। धान की 60 प्रतिशत क्षति हुई है। 70 प्रतिशत मिर्च बेल और 30 प्रतिशत नारियल के पेड़ नष्ट हो गए हैं। इससे एक ओर किसानों की कमर टूट गई है तथा दूसरी ओर कृषि श्रमिक काम न मिलने के कारण भुखमरी के शिकार हो गए हैं। अट्टापडी आदिमजाति क्षेत्र में पीने के लिए पानी नहीं है तथा खाने के लिए अनाज भी नहीं है। इस क्षेत्र में गत कई वर्षों से सूखा पड़ रहा है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। और इस क्षेत्र में निरन्तर सूखा पड़ने के कारणों का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि केरल के सूखाग्रस्त लोगों को आवश्यक सहायता शीघ्र प्रदान की जाए। राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता राशि भी तुरन्त प्रदान की जाए और इस विपदा का सामना करने के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय किए जाएं।

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

12.14 म०प्र०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(तीन) उड़ीसा के कटक और कोरापुट जिलों में बैंकों की शाखाएँ खोलने के लिए शीघ्र बैंकों लाइसेंस शिघ्र जारी करने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : भारतीय रिजर्व बैंक में 1985-90 की अवधि के लिए शाखाओं के विस्तार कार्यक्रम जिसका उद्देश्य 17000 जनसंख्या के लिए एक बैंक शाखा उपलब्ध कराने और शाखाओं का वितरण इस प्रकार करना है कि 10 किलो मीटर की परिधि और 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अन्तर्गत एक बैंक कार्यालय की स्थापना हो सके, के अनुसरण में उड़ीसा सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को 236 विकास केन्द्रों में बैंक शाखा खोलने की सिफारिस की थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 7 लाइसेंस कालाहांडी जिले के लिए और 9 लाइसेंस फूलबनी जिले के लिये 1986 में स्वीकृत किए थे। इस लाइसेंसों के अनुसार अब तक केवल 5 शाखाएं ही खोली गई हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने राज्य के 9 और जिलो में वाणिज्यिक बैंको द्वारा नई शाखाएं खोलने के लिए 83 केन्द्रो की मंजूरी दी है। अभी लाइसेंस जारी करने बाकी हैं। अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि बाकी बचे दो जिलों कटक और कोरापुट में शीघ्र लाइसेंस जारी करने के लिए और राज्य के शेष जिलों में शाखायें खोलने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश दे।

(चार) बंगलौर शहर की बढ़ती हुई यातायात सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए महानगरीय रेल प्रणाली की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार (मैसूर) : भारत में बंगलौर का बहुत तेजी से महानगर के रूप में विकास हो रहा है। बंगलौर की जनसंख्या की वृद्धि पर जो 1961-71 के दशक में 37.82 प्रतिशत थी, बढ़कर 1971-81 के दशक में 76-17 प्रतिशत हो गई है। इसकी आवादी 30 लाख से अधिक है और यह भारत का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। शहर का तेजी से विकास होने के कारण यातायात में काफी भीड़ भाड़ हो गई है तथा प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं और बस परिवहन पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। अधिक बसों की व्यवस्था करने से केवल कुछ सीमा तक ही लाभ होगा क्योंकि शहर की सड़कें बसों की बढ़ती हुई संख्या के लिए पर्याप्त चौड़ी नहीं है। विशेषज्ञ अध्ययन दल के अनुसार शहर की आबादी 2001 तक 70 लाख हो जायेगी और बसों की संख्या को अधिकतम बढ़ाने तथा यातायात इंजीनियरी संबंधी सुधार भी कर दिए जाने पर भी सड़क परिवहन शहर की परिवहन मांग को पूरा नही कर पायेगा। अतः बंगलौर के लिए एक महनगरीय रेल प्रणाली अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि सातवीं योजना में बंगलौर के लिए एक तीव्र परिवहन प्रणाली और उपनगरीय विद्युत रेल प्रणाली की व्यवस्था की जाए।

(पांच) उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र में चीनी का एक बड़ा कारखाना लगाने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तर बिहार का मिथिला क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। यहां कोई भी उद्योग नही है। कृषि की दशा भी अच्छी नहीं है। फिर भी यहां एक विशेषता है। मिथिला की मिट्टी गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। यहां देश में सबसे अच्छी किस्म का गन्ना पैदा होता है। किन्तु किसान गन्ने की खेती नहीं करते हैं क्योंकि वहां गन्ना

खरीदने के लिए चीनी के समुचित कारखाने नहीं है। इस क्षेत्र में जो कुछ कारखाने हैं उनकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध से पहले की गई थी। उनकी मशीनें पुरानी हैं तथा अधिकतर बन्द रहती हैं।

मिथिला क्षेत्र में चीनी का एक बड़ा कारखाना लगाने की बड़ी संभावनाएं हैं। चीनी का कारखाना लगने से किसान गन्ने का उत्पादन भारी मात्रा में करेंगे जोकि एक नकद फसल है, । स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा देश को सस्ती चीनी मिलेगी।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मिथिला क्षेत्र में बिहार सरकार के सहयोग से चीनी का एक बड़ा कारखाना स्थापित किया जाए।

(छह) आन्ध्र प्रदेश में मेरीडिमिली और येलूरम ताल्लुकों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के चार ताल्लुक एजेंसी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र का प्राकृतिक सौन्दर्य बहुत मनोरम है। यदि हम इस प्राकृतिक सौन्दर्य का उपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारे देश के पर्यटन स्थानों में एक नाम और जुड़ जायेगा। मेरीडिमिली तालुक मुख्यालय गर्मियों में बहुत ठंडा रहता । इससे चार मील की दूरी पर कईप हाड़ हैं और एक पहाड़ पर प्राकृतिक तालाब है जो 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक सुन्दर स्थान है। यदि हम इसका विकास करें तो विदेशी पर्यटकों से बहुत सी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। येलूरम तालुक के पिंजारा कोंडा एजेंसी क्षेत्र में एक सुन्दर झरना भी है। इसका भी एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जा सकता है ।

यदि केन्द्रीय सरकार इनका विकास करने के लिए तत्काल कदम उठाये तो देश काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है।

(सात) कपड़ा मिलों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए "टैक्सटाइल माडर्नाइजेशन फंड" पर निगरानी रखने की आवश्यकता

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : केन्द्र सरकार ने 1986 में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि के लिए 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। 1990 तक मिलों के आधुनिकीकरण के लिए यह निधि रियायती ब्याज दरों पर कपड़ा मिल मालिकों को उपलब्ध होगी। कपड़ा मिल मालिक पुराने करघों के स्थान पर स्वलटजर करघा, वाटरजेट करघा और डबल स्पीनिंग मशीन लगा रहे हैं। नए करघे पर एक व्यक्ति पुराने करघे पर पर काम करने वाले 24 व्यक्तियों के बराबर काम कर सकता है। नई डबल स्पीनिंग मशीन पर काम करने वाले 20 कामगारों का उत्पादन पुरानी स्पीनिंग मशीन पर काम करने वाले 200 कामगारों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन के बराबर है। अतः मिलों के आधुनिकीकरण के कारण मजदूरों की छंटनी हो रही। पिछले एक साल के दौरान बम्बई में लगभग 20 हजार मजदूरो की छंटनी हुई। कानपुर और अहमबाद में भी यही स्थिति है। आधुनिकीकरण के कारण छंटनी हुए कपड़ा मजदूरों की संख्या 1987 में एक लाख से अधिक होगी।

बम्बई में बहुत सी कपडा मिलों को अच्छा फायदा हो रहा है पर इसका लाभ मजदूरों को वेतन वृद्धि और बोनस में नहीं दिया जा रहा इस प्रकार आधुनिकीकरण का लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा है।

सरकार ने पोलिएस्टर रेशे पर आयात शुल्क पर 131 करोड़रुपए की रियायत दी है। पर इस

[डा० दत्ता सामन्त]

सबके बावजूद कपड़े की कीमतें $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ गई हैं। इस प्रकार आधुनिकीकरण और रिवाबत के लाभ उपभोक्ताओं और कपड़ा मजदूरों को नहीं मिल रहे हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मिल मालिकों पर और नियंत्रण रखकर इन निधियों पर निगरानी रखी जाए। कम से कम छंटनी की जानी चाहिए। छंटनी किए जाए कपड़ा मजदूरों को उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। वेतन वृद्धि तथा बोनस के रूप में आधुनिकीकृत मिलों के लाभ कपड़ा मजदूरों को मिलने चाहिए।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेस में रेशम उद्योग के विकास की प्रस्तावित योजनाओं का कार्यान्वित करने की आवश्तकता

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी इजाजत से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"सैरी कल्चर (रेशम उद्योग) हमारे देश का बहुत पुराना उद्योग है और देश के सभी प्रान्तों में इसका उत्पादन भी कम या वैसा होता है परन्तु जिन भागों में केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है और उन भागों में रेशम उद्योग तेजी से फूला और फला है। इसका उदाहरण कर्नाटक प्रदेश है, जहाँ यह उद्योग घरेलू उद्योग के रूप में फल-फूल रहा है और रेशम का लगभग तीन-चौथाई उत्पादन यहीं होता है और इसका एक प्रमुख कारण केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा अपने लिए निर्धारित राशि का 90 प्रतिशत यहीं खर्च करता है। यह भी ज्ञातव्य है कि रेशम के उत्पादन का बहुत बड़ा खपत केन्द्र उत्तर प्रदेश का वाराणासी क्षेत्र है जहां दो हजार टन रेशम की खपत होती है, परन्तु उत्तर प्रदेश में जहां विभिन्न प्रकार के रेशम के उत्पादन की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं विकास का कार्य नहीं के बराबर है। अभी कुछ दिन पहले 1986 में उत्तर प्रदेश के सैरी कल्चर विभाग के अधिकारियों के साथ केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक लखनऊ में हुई जिसमें उत्तर प्रदेश में सैरी कल्चर के विकास के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जिन्हें लागू करने की जिम्मेदारी मुख्यतः केन्द्रीय सिल्क बोर्ड पर थी, परन्तु लगभग 6 महीने हुए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले इस उद्योग के साथ उदासीनता बरतना देश के हित के सर्वथा विरुद्ध है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार को अपना सुझाव देता हूं कि सिल्क बोर्ड का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली लाया जाए और उत्तर प्रदेश में सैरी कल्चर के विकास के लिए बनी योजनाओं को अविलम्ब लागू किया जाए।"

12.24 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88

[अनुवाद]

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय [जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेंगे।

अब मंत्री जी अपना उत्तर देंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : महोदय कल घंटों तक

चर्चा उत्साहजनक रही। बहुत से सदस्यों ने उसमें भाग लिया। मैंने मुद्दे नोट तैयार कर लिए हैं और माननीय सदस्यों को उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

माननीय सदस्यों ने ध्यान दिया होगा कि 1986-87 तक मांगों का स्वरूप इस प्रकार था; मांग संख्या 66,67 और 68। पुनर्गठन के उद्देश्य से इस स्वरूप को जरा सा बदल दिया गया है। अब 1987-88 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिवालय सूचना तथा प्रचार अर्थात् 66 और 67 के रूप में जानी जाने वाली दो मांगों को एक मांग अर्थात्, मांग संख्या 52—सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया है। प्रसारण शीर्षक मांग का संख्या तथा नाम बदल कर मांग 53—प्रसारण सेवाएं कर दिया गया है।

माननीय सदस्यों को दी गई पुस्तकों में दर्शाया गया है कि 1987-88 के लिए मांग संख्या 60.42 करोड़ रुपए थी और उसमें से योजना परिव्यय 10.50 करोड़ रुपए था। मांग संख्या 53 "प्रसारण सेवाएं" 707.08 करोड़ रुपये थी जिसमें से योजना परिव्यय 310 करोड़ रुपए था।

कुल 767.50 करोड़ रुपए हुई। कुल योजना परिव्यय 320.50 करोड़ रुपए है। अत: मुझे छठी योजना के कार्यनिष्पादन पर विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक छठी योजना में उपयोग के प्रतिशत का संबंध है; प्रसारण के लिए 99.51 तथा टेलिविजन के लिए 96.30 था। पर हम सूचना और प्रचार में थोड़ा पीछे रहे हैं अर्थात् 79.16 प्रतिशत। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सूचना और प्रचार क्षेत्र के लिए विभिन्न पुनर्गठन किए जा रहे हैं।

जहां तक इस विभाग का संबंध है काफी प्रगति हुई है। छठी योजना के आरम्भ से अंत तक तथा सातवीं योजना के आरम्भ से अब तक सातवीं योजना के पूरे होने तक आकाशवाणी 205 प्रसारण केन्द्रों और 305 टांसमीटरों के माध्यम से 97.50 प्रतिशत जनसंख्या तथा देश के 91 प्रतिशत क्षेत्र तक अपने कार्यक्रम पहुंचा देगा। और दूरदर्शन 387 ट्रांसमीटरों और 48 स्टूडियों सेंटरों के माध्यम से 82.8% आबादी तक कार्यक्रम पहुंचा देगा। तो इन दो माध्यमों द्वारा विकास के अवसर हैं शत प्रतिशत क्षेत्र तथा जनसंख्या को शामिल करने के लिए आधारभूत संरचना को को बढ़ाने के अवसर हैं। लोगों को सेट इस तरह से उपलब्ध कराये जायें न केवल अधिक क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए, हम चाहे तो आबादी और चाहे तो क्षेत्र के हिसाब से सेट उपलब्ध करा सकते, हैं बल्कि लोगों के पास कुछ सेट होने चाहिए चाहे अपने निजी हों या सामुदायिक सेट हो ताकि लोगों को आधारभूत सुविधा जो प्रदान की गयी है उपलब्ध हो और उन्हें इस माध्यम से सही जानकारी मिले।

जहां तक 1985-86, 86-87 और 87-88 के तुलनात्मक परिव्यय का संबंध है सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में परिव्यय 110 करोड़ रुपए था जो कि वार्षिक योजना परिव्यय है 1986-87 में यह 242.30 करोड़ रुपए और 86-87 में 324 करोड़ रुपए था। इसलिए उद्देश्य देश को समग्र रूप में या सारे देश की भावनाओं और आकांक्षाओं को लेने की नहीं बल्कि जब भी हमसमग्रता की बात करते हैं तो हमारा मतलब सम्पूर्ण वर्ग से होता है।

इसलिए इस विभाग का लक्ष्य यह है कि सातवीं योजना के अन्त तक लक्षद्वीप और नगर हवेली के अलावा सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र होंगे जिनके माध्यम से क्षेत्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं जो कि समस्त भारत के पूरे ढांचे के हिस्से हैं की अभिव्यक्ति इस प्रकार की जाएगी कि किसी संघ राज्य क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष के लोग ही नहीं बल्कि समस्त भारत अपने दृष्टिकोण, आदर्श, प्रेरणाओं कला और संस्कृति का आदान प्रदान करेगा।

[श्री ए० के० पांजा]

हमारे यहां 24 राज्य और सात संघ राज्य क्षेत्र हैं। कुछ सदस्यों ने और टी० वी० टावर और ट्रांसमीटरों के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। इसके परिणाम स्वरूप मैं पृष्ठभूमि दे रह हूं; अर्थात् हमने प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं इन 24 राज्यों और सात संघ राज्य क्षेत्रों में न केवल आर्थिक विकास बल्कि कला और संस्कृति, लोगों की भावनाएं और आकांक्षाओं जैसे अन्य विकास भी किया जाएगा। 5,80,000 गांव हैं, मैं शहरों की गिनती नही कर रहा हूं। इन 5,80,000 गांवों का संचालन 5092 प्रशासनिक खंड करते हैं। माननीय सदस्यों ने मांग की है कि प्रत्येक गांव को या प्रत्येक खंड को 5092 प्रशासनिक खंड हैं जिनका शासन प्रबन्ध खंड विकास अधिकारियों को करना होता है, टी० वी० सेट दिए जाने चाहिए। देश भर में इन 50,82 प्रशासनिक खंडों का संचालत 438 जिले करते हैं और ये 438 जिले 24 राज्यों तथा सात संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। अगर हम रुक कर इस सूचना को अपने मस्तिष्क में इस सवाल को पूछने के लिए भेजें कि क्या हमने सूचना और प्रसारण के लिए पर्याप्त कार्य किया है तो उत्तर है नहीं क्योंकि 15 भाषाएं हैं, जो हमें अभिव्यक्त करनी है।

इसलिए एक भाषा होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम भाव भाषा संकेत आदि द्वारा सूचना प्रेषित कर सकें। संविधान में 15 मान्यताप्राप्त भाषाएं हैं और इनके अलावा 33 अन्य भाषाएं तथा 1600 मे कुछ अधिक बोलियां हैं। अगर यही ठहर जाएं तो क्या हम रेडियो, टेलिविजन प्रकाशन माध्यमों को शुरू करके लोगों तक पहुच सकते? उत्तर दोबारा से नहीं होगा क्योंकि हमारे देश में पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्रविड, उत्कल, बगं हैं। 700, किलोमीटर लम्बे समुद्र तट पर बसे मछुआरों के पूरे समुदाय की आंकाक्षाएं हैं मेहनती हैं, मछलियां पकड़ते है और यथा संभव उन्हें बाजार में बेचते हैं। माऊंट केतु जेसे ऊंचे-ऊंचे पर्वत है जिसकी ऊचाई 7000 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट से 28000 फीट से कुछ अधिक है। रेगिस्तानी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि क्षेत्रो में आदिवासी क्षेत्र है—इस आधारभूत संरचना के अन्तर्गत विचार करिए कि भारत की जनता को उनकी जरूरतों और उनके मनोरंजन के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, सूचना मनोरंजन, शिक्षा कृषि के बारे में जानने, देश की विभिन्न अन्य विकास गति विधियों की सूचना देनी है।

इस स्थिति में परिव्यय हर साल बढ़ता है और मैं पहले ही बता चुका है कि हमारी योजना के तीन सालों के लिए कितना परिव्यय है। इस साल का परिव्यय सदन के समक्ष है। इसलिए हमने 1986-87 में जो किया है उस पर मुझे जोर देना चाहिए। यह देश का ढांचा है। यह हमारे 75 करोड़ लोगों की जरूरत है। इस ढांचे के अन्तर्गत हम क्या कर सकते हैं? 1986-87 में टी० वी० और रेडियो के लिए पिछले साल के दौरान 18 कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित तथा शुरू किए गए।

दूसरे पिछले साल पहली बार देश मे जो कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगाए गए वे मानव रहित सौर ऊर्जा ट्रांसमीटर थे। इन सौर ऊर्जा ट्रांसमीटरों का विकास देश में ही किया गया था। इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और आपके माध्यम से मैं सदस्यों से विचार करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं अगर हम आयात करना शुरू करें तो हम रोज एक ट्रांसमीटर चालू कर सकते हैं पर हमें स्वदेशी ट्रांसमीटर पर निर्भर रहना है। हमें अपने उद्योग पर ही नहीं, बल्कि अपने इंजीनियरों पर निर्भर रहना होगा।

हमारे लड़के, इस देश के इंजीनियर जानकारी का विकास कर रहे हैं। वे सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न ईकाइयों में उत्पन्न कर रहे हैं। हमने उनको डिलीवरी देने के लिए एक निश्चित समय सूची दी है। इसलिए उन्होंने देश में ही स्वचालित सौर ऊर्जा ट्रांसमीटरों का निर्माण कर लिया है और इनका

पहले से ही परीक्षण कर लिया गया है तथा कुछ जगहों पर संचालित कर लिया गया है। इनमें से एक राजस्थान में रावतभाटा स्थान पर लगाया गया है। मैं वहां गया था। सर्व प्रथम ट्रांसमीटर का उद्‌घाटन करने का मुझे ही अवसर मिला था।

इस स्वचालित सौर ऊर्जा ट्रांसमीटर रूप में बहुत बड़ी खोज हुई है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान है जहां पर हम कर्मचारियों को नहीं ले जा सकते और उनको कठिन स्थानों पर ठहरने के लिए नहीं कर सकते। जब वैज्ञानिक और तकनीशियन कुछ स्थानों का चयन करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि ये स्थान शहर या गांव ही हों। अगर कोई ऐसा स्थान जिसका चयन किया जा रहा है ताकि पहाड़ी के शिखर पर है ताकि वहां से अधिक से अधिक क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रसारण किया जा सके तो लोगों को वहां पर ले जाना और ठहरने के लिए कहना बहुत मुश्किल है जहां पर 7 से 10 मील के क्षेत्र में और कभी-कभी 50 से 100 मील के क्षेत्र में और आस-पास कोई भी व्यक्ति न हो। इस प्रकार हमारे इन्जीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा देश में ही अपने स्तर पर किया गया कार्य यह स्वचालित सौर ऊर्जा ट्रांसमीटर है जिसे तकनीशियनों के निर्णयनुसार किसी भी सुदूर वर्ती स्थान पर लगाया जा सकता है और दूर से ही इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। जिसके जरिए इसके कार्यक्षेत्र में काफी इलाका आ सकता है और लोगों को टी०वी० सिगनल का लाभ होगा यह पहाड़ी तथा दूरस्थ स्थानों के लिए बहुत अधिक सहायक होगा जहाँ पर बिलकुल भी जनसंख्या नहीं है।

विशाखापत्तनम और अगरतल्ला में कम शक्ति के ट्रांसमीटरों की जगह 10 कि०वा० के उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाये गये हैं। इसी तरह चार स्थानों पर ट्रांसमीटरों को 1 कि०वा० से 10 कि०वा० तक के उच्चशक्ति के ट्रांसमीटरों में बदला गया है कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम' बम्बई और मद्रास में रंगीन प्रसारण करने योग्य प्रोफेशनल ग्रेड स्टूडियों को भी आरम्भ कर दिया गया है। महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में उपग्रह के माध्यम से क्षेत्रीय अर्थात प्राथमिक सेवायें आरम्भ की गयी हैं। इससे महाराष्ट्र और आन्ध्र-प्रदेश के सभी ट्रांसमीटर क्रमश:बम्बई और हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा निर्मित और प्रसारित किये गये कार्यक्रमों को प्रसारित कर सकते हैं जहाँ कहीं भी हम उपग्रहों के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं हम कर रहे हैं, गत वर्ष जो प्रथम कदम उठाया गया था वह इन दो स्थानों को प्राथमिक रूप से प्रसारण के अन्तर्गत लाना था। दूसरा कदम, कोडाई कनाल के दूसरे ट्रांसमीटर को मद्रास दूरदर्शन केन्द्र से तथा बहरामपुर को कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र से माइक्रो वेव के माध्यम से जोड़ना था।

जहां तक साफ्ट वेयर और जोशी समिति के उस प्रतिवेदन का संबंध है, जोकि काफी समय से लम्बित पड़े हुए हैं, मंत्रालय के अधिकारियों ने इसे पूरा करने का प्रयास किया है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि डा० पी० सी० जोशी के नेतृत्व में कार्यरत ग्रुप द्वारा दूरदर्शन के लिए साफ्टवेयर पर तैयार किया गया प्रतिवेदन, मीडिया सलाहकार समिति पर सिफारशों और नामीबिया पर टिप्पणियों के प्रतिवेदन की जाँच मेरे मंत्रालय द्वारा की गयी थी। जोशी समिति की उन प्रमुख सिफारशों में से काफी सोच-विचार के बाद सरकार ने 25 सिफारशें स्वीकृत की हैं। हमने सिर्फ 25 सिफारशों को स्वीकृति ही नहीं दी है परन्तु सिफारशो की जाँच करते वक्त हमें पता चला कि उनमें से कुछ सिफारशों को पहले से ही लागू कर दिया गया है और जोशी समिति द्वारा दिये गये सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

श्री सुरेश कुरूप (कोटटायम): अलग ग्रुप के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री ए० के० पांजा : अगर जोशी समिति प्रतिवेदन के संबंध में कोई विशेष बात है तो माननीय सदस्य बाद में पूछ सकते हैं मैं निश्चित तौर पर उत्तर दूंगा।

वाणिज्यिक विज्ञापनों के संबंध में सामान्यतया चर्चा की गयी है। आपने ध्यान दिया होगा कि यह शिकायत खासतौर से दूरदर्शन के विज्ञापनों के बारे में थी और रेडियो के विरुद्ध ऐसा नही था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटाव) : हम देख सकते हैं।

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी कहते हैं कि वह देख सकते हैं। वह सुन भी सकते हैं। आपको कुछ बुरा-भला कहा जा सकता है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, आल इण्डिया रेडियो में यह प्रथा रही है कि जब यह आरंभ हुआ था तो इसने वाणिज्यिक विज्ञापन देना भी आरंभ किया था। तब भी इस बारे में आलोचना की गयी थी। महोदय, हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं और हमें इस बात से प्रसन्नता है कि आलोचनायें की जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बेअसर हो जायेगा।

श्री ए० के० पांजा : नहीं, महोदय, ऐसी बात नहीं है। हम आलोचना का स्वागत करते हैं क्योंकि वह जनता की भागीदारी दर्शाता है। वे इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और लोगों द्वारा की गई कुछ आलोचनाओं पर दर्शक अनुसंधान इकाईयां भी ध्यान देती हैं जो इन पर अनुसंधान कर रही हैं और हम गलतियों को ठीक कर रहे हैं, जहाँ भी ये पायी जाती है। इसके साथ-साथ मूल्य व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जाता है क्योंकि यह लोगों के लिए ही है। महोदय, आल इंडिया रेडियों के वाणिज्यिक विज्ञापनों की पुरानी संहिता का विकास हो चुका है इसलिए आलोचना बहुत कम होती है। जहाँ तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, इसकी उत्पति हाल में हुई है, जो परंपरा आकाशवाणी के लिए संस्थापित हो चुकी है, उसका विकास अब तक दूर-दर्शन में नहीं हुआ है। फिर भी, लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और आलोचनायें होती हैं परन्तु अनिवार्यतः ये विनाशक नही होती है। परन्तु आलोचनाये वास्तव में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताती हैं जिनको हम भूल जाते हैं, जिन पर ध्यान नहीं देते अथवा हम इन पर जोर नहीं देते हैं अथवा इतना अधिक ध्यान नहीं देते हैं उन पर विचार किया जाता है।

महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 30 मार्च 1987 को दूरदर्शन पर समस्त वाणिज्यिक विज्ञापनों के संबंध में कोड की पूर्णतया समीक्षा की गयी है और इसे पूर्ण कर दिया गया है और इसे 30 मार्च 1986 से लागू कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि विविध भारती कार्यक्रमों के लिए क्या आप अलग चैनल दे रहे हैं। आप बता रहे थे कि आल इण्डिया रेडियो के लिए विविध भारती कार्यक्रमों के लिए आपने अलग से चैनल बनाया है। इसी तरह क्या आप दूरदर्शन में भी एक अलग चैनल देंगे ?

श्री ए० के पांजा : अगर हम एक पृथक चैनल बनाते हैं, सिर्फ एक पृथक चैनल ही नहीं बल्कि कई चैनल बनाते हैं और समय में भी वृद्धि करते हैं तो दूरदर्शन के विरुद्ध की जाने वाली अधिकतर आलोचना समाप्त हो जाएगी।

परन्तु महोदय, हमें इस बात में से निर्णय करना होता है कि जहां तक 75 करोड़ लोगों का सम्बन्ध है हम इसका विस्तार कहा तक कर सकते हैं और उनकी आधार भूत आवश्यकताये क्या हैं हमें उन

आवश्यकताओं के बीच जिनके लिए आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है और जो जानकारी देने के प्रयोजन के लिए वास्तव में अनिवार्य होनी है एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। महोदय, इस सम्बन्ध में निर्णय लेना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन और आवश्यक वस्तुएं ले जाने के लिए क्या हम अधिक से अधिक ओ० बी० गाड़ियों —आऊट डोर ब्रोडकास्टिंग वैन —अथवा—अधिक चलती-फिरती उचित दर की दुकानें रखना चाहते हैं। महोदय, ये दोनों वस्तुएँ ही आवश्यक हैं और इसलिए हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि आदमी सिर्फ रोटी के लिए ही जीवित नहीं रहता है। हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ उनको जीवित रहने वाली आवश्यकताओं को महत्व देना पड़ेगा। हमें दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन दोनों रखने पड़ेंगे। सिर्फ विज्ञापनों के लिए दूसरे चैनल को खोलने के लिए धन की आवश्यकता होगी। विज्ञापनों के बदले हम पैसा ले रहे हैं और इसी वजह से आलोचनायें भी होती है। हम उस धन का उपयोग दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो की सेवाओं के विकास के लिए कर रहे हैं।

महोदय इस प्रकार वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता का पूर्णतया संशोधन किया जा चुका है और जब सदस्य इसको पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि वे संतुष्ट हो जायेंगे क्योंकि संसद और विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा अब तक पारित किए गए कानून को ध्यान में रखा गया है और उसको इस विज्ञापन संहिता में सम्मिलित किया गया है। हमने सभी सम्बद्ध लोगों को अनुदेश जारी किए हैं कि इस संहिता का पूरी तरह से अनुपालन करें। इस संहिता में अशिष्ट स्त्री रुपण (प्रतिषेध) विधेयक 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986 और जो भी कानून पारित किए गए हैं, वे सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं।

महोदय, अगली बात यह है कि इस प्रायोजित कार्यक्रम के लिए एक विस्तृत संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। आपने खाली समय में प्रायोजित कार्यक्रमों को देखा होगा। जब कोई धारावाहिक दिखाना होता है तो इसके बीच में विज्ञापन दे दिए जाते हैं। अब इसे रोक दिया गया है। लोगों ने इस बारे में अपनी आवाज उठाई और स्वभावतः जो लोग विज्ञापन कराना चाहते हैं उनके सामने इस बात को रखा गया। अगर आप लोगों की मानसिक संरचना की अवहेलना करके विज्ञापन करना चाहते हैं तो मैं नहीं सोचता कि किसी कार्यक्रम से लोगों के दिमाग पर समुचित प्रभाव पड़ेगा। महोदय, इसलिए, आजकल कार्यक्रम के आरम्भ तथा अन्त में ही विज्ञापन आते हैं। विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाने के बाद शिकायतों की संख्या कम होती जा रही है।

महोदय, न्यायपालिका, शिक्षा, पत्रकारिता और संस्कृति के क्षेत्र के 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों को इस पैनल में सम्मिलित किया गया है। कुल सदस्यों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : क्या किसी संसद सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया है ?

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मार्ग दर्शी सिद्धांत के तौर पर शुरू से ही मैं यह देख रहा हूं कि संसद सदस्यों को न तो दूरदर्शन और न ही रेडियो में शामिल किया जाता है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : आप इसे अभी से आरम्भ क्यों नहीं कर देते ? (**व्यवधान**)

श्री ए० के० पांजा : महोदय, जैसा कि यह काफी लम्बे समय से चल रहा है, निस्संदेह प्रयोजन के लिए कुछ चर्चा की आवश्यकता होगी···

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : सदस्यों के लिए क्या निरर्हता है ?

श्री शांताराम नायक (पणजी) : सभा में कल हुई चर्चा के दौरान आपको जो सुझाव मिले थे क्या उसके मुकाबले आज कोई बेहतर सुझाव मिला हैं ? **(व्यवधान)**

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मैं नहीं जानता कि किस तर्क के आधार पर संसद सदस्योंको पेनल में नहीं लिया गया, परन्तु सम्भवतया एक कारण यह हो सकता है कि संसद सदस्य अपने विचार सभा में व्यक्त कर लेते हैं और वो सीधे मन्त्री को लिख कर सुझाव दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : शांति बनाए रखिए। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री ए० के० पांजा : इसलिए चाहे यह कार्यक्रम सलाहकार समिति अथवा दूसरी समितियां हो, चाहे संसद सदस्यों को शामिल किया जाता है या नहीं, यह एक ऐसा मामला है कि जब इसे उठाया गया है तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए और हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री शांता राम नायक : कम से कम लोक सभा से दो तथा राज्य सभा से एक सदस्य पर विचार किया जा सकता है।

श्री ए० के० पांजा : यही मैं कह रहा हूं कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी ऐसा ही कहा है।

श्री ए० के० पांजा : मेरे विचार में माननीय सदस्यों ने इसे सुन लिया होगा, मैंने कहा है कि जब आप इस बात को उठा रहे हैं कि इस मामले पर विचार किया जाए तो इसकी जांच की जायेगी।

अगली बात है सुबह के प्रसारण की जोकि अभी आरम्भ किया गया है। और महोदय मुझे आशा है कि आप तथा माननीय सदस्य भी सुप्रभात पसंद करते होंगे।

महोदय, गत वर्ष आकाशवाणी के 14 नये स्टूडियो चालू किए गए और ट्रांसमीटर स्थापित किए तथा उनकी शक्ति बढ़ाई गयी थी। 300 कि० वा० का प्रथम ट्रांसमीटर लखनऊ में चालू किया गया था। गत वर्ष के दौरान 8 महीने के रिकार्ड समय में आल इंडिया रेडियो के राष्ट्रीय चैनल के लिए, नागपुर में 1000 कि० वा० का रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किया गया। मैं, इंजीनियरों को इतने थोड़े समय में इसे सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। महोदय, ट्रांसमीटर का इस समय परीक्षण किया जा रहा है।

कुल 56 मुद्दे उठाए गए हैं और माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न भाषणों में मुख्य बातें कहीं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात है अतिरिक्त टी० वी० ट्रांसमीटर की मांग की। अधिकतर सदस्य जिनके क्षेत्र टी० वी० ट्रांसमीटर के अन्तर्गत नहीं आते उन्होंने टी० वी० ट्रांसमीटर की मांग की है अर्थात् लोग इसके तहत आते हैं या नहीं। इस वर्ष जो कुछ सम्भव था और सातवीं योजना में जो कुछ सम्भव होगा, उसे सम्बन्धित विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है। परन्तु जहां तक मुझे पता है हमारे पास 31 मार्च, 1987 तक लोगों के लिए 197 ट्रांसमीटर थे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है

कि वर्ष 1987-87 के दौरान लगभग 19 एल० पी० टी० और 6 ट्रांसमीटर थे। वर्ष 1987-88 के के दौरान कम शक्ति याले 63 नये ट्रांसमीटर लगाए जाने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना के दौरान हमें 24 एच० पी० टी० (10 कि० वा० से 1 कि० 910 तक) कम शक्ति वाले 90 ट्रांसमीटर (100 वाट) 68 वी० एल० पी० टी० 15 ट्रांसमीटर—इस प्रकार कुल 197 उपकरण स्थापित करने होंगे। महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ट्रांसमीटर के अन्तर्गत जितना क्षेत्र लिया गया है, उसकी तुलना की जा सकती है ताकि माननीय सदस्यों को इस बात का पता चल जाए कि ऐसा किस तरह किया जा रहा है। छठी योजना के अन्त में यह केवल 50% था। 31 मार्च 1987 तक यह 70.5% तक आ गया। सातवी योजना के अन्त में अर्थात् 31 मार्च, 1990 तक सामान्य परिस्थितियों में हम 82.8% तक पूरा कर लेगें। दूरदर्शन का इतने क्षेत्र तक विस्तार कर लिया जायेगा।

जहां तक बुलढ़ाना ट्रांसमीटर का सम्बन्ध है माननीय संसद सदस्यों द्वारा मांगे उठायी गयी है और मुझे रिकार्ड से पता चला है कि बुलढ़ाना ट्रांसमीटर अगस्त 1987 से कार्य करना शुरू कर देगा। जहां तक यू० पी० में बाद ट्रांसमीटर का सम्बन्ध है मांगें की गई थी और मुझे रिकार्ड से पता चला है कि कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर सितम्बर 1987 तक लगाये जाने की आशा थी। लेह और कारगिल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा एक बहुत सशक्त दलील दी गई थी। उसके लिए हम कुछ उपाय कर रहे है। माननीय सदस्य मुझे कई बार मिले है और उन्होंने पत्र भी लिखे। हमने उन सब बातों की जांच कर ली है और हम देखते है कि इन क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रांसमीटर मुहैय्या कराये जाएं और वर्तमान ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मुझे आशा हूं आप उन क्षेत्रों के बारे में भी विचार करेंगे जिनके लिए दूसरे सदस्यों को वाद-विवाद में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला। **(व्यवधान)**

श्री एम० रघमा रेड्डी (नालगोड़ा) : श्रीमान नालगौंड़ा के बारे में आपका क्या विचार है ? वह टी० वी० के लिए बहुत उपयोगी होगा।

श्री पी० कुलनवई वेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : यहां की तरह टी० वी० में भी व्यवधान आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम संसद में जो कर रहे है वह भी टी० वी० में दिखाई देता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवधान नही चाहता हूं। आप अन्त में बोल सकते हैं, अभी नहीं।

श्री अजय मुशरान : जब हम टी० वी० के बारे में बातें कर रहे है, व्यवधान की अनुमति होनी चाहिए।

श्री ए० के० पांजा : हम 'रुकावट के लिए खेद है, कहते है क्योकि उसमें कुछ ट्रांसमीशन या अन्य कोई दूसरी तकनीकी खराबी हो सकती है। मुझे विश्वास है कि सदस्यों के साथ ऐसी कोई कठिनाई नहीं हैं।

जिन सदस्यों ने वाद-विवाद में हिस्सा लिया है मैंने उनके मुद्दों को नोट कर लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया है उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

[श्री ए० के० पांजा]

जिन्होंने हिस्सा लिया निश्चय रूप से मुझे उन मुद्दों का उत्तर देना है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उनके मुद्दों पर विचार नहीं किया जाता। पूरे देश पर विचार किया जा रहा है। सरकार की यह नीति नहीं हो सकती कि जिन्होंने यहां वाद-विवाद में हिस्सा लिया है केवल उनके यहां ट्रांसमीटर संस्थापित किये जायेंगे और जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है उनके यहां ट्रांसमीटर संस्थापित नही किये जाएंगे, यह बात नही है।

पर्वतीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों के बारे में हमने इसका ध्यान रखा है और इसके ब्यौरे वार्षिक रिपोर्ट में दिए है। कम संसाधनों के होते हुए भी हम किस प्रकार धीरे-धीरे उनको पूरा कर रहे है जहां तक माइक्रोवेव का सम्बन्ध है, बहुत सी दलीलें दी गई थी हम इसे दो तरह से कर रहे हैं इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा इस समय यही सलाह दी गई है। पहला, सेटेलाइट पद्धति के माध्यम से और दूसरा माइक्रोवेव से है। हमें धीरे-धीरे धन की उपलब्धता और विद्यमान माइक्रोवेव लिंक के अनुसार कार्य करना है, क्योंकि यह मेरे विभाग में नहीं है। यह दूर संचार के अधीन है। उनके लिए हम भुगतान करते है। जहां माइक्रोवेव सम्पर्क पहले से स्थापित किए जा चुके है उसे एक अलग लाइन द्वारा या विद्यमान प्रणाली के साथ बढ़ाया जाता है। हम कुछ क्षेत्रों में माइक्रोवेव संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गये है उसके उदाहरण ये है। नवीनतम माइक्रोवेव संपर्क 14 जनवरी को मद्रास और कोडाइकनाल के बीच और 14 फरवरी को कलकत्ता और बरहामपुर के बीच ,चालू किया गया था। मुझे पोंगल के अवसर पर मद्रास जाने का अवसर प्राप्त हुआ था।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आपने उस दिन बहुत अच्छी तमिल भी बोली थी इसीलिए, हम ब्रेकफास्ट टी० वी० में क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दे रहे है।

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : आप उनसे पूछे कि वह तेलुगू में क्यों नहीं बोलते ?

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते है कि तमिल में एक कहावत है जिसका अर्थ होता है जो कुछ हम जानते है वह बहुत कम है ज्ञान बहुत विस्तृत है। इसी लिए हमें उसमें नहीं जाना है। हमें कम से कम इसे भूल जाना चाहिए। मैंने बताया कि इस सदन का सदस्य होने के नाते हमें 15 मान्यता प्राप्त भाषाओं और 30 बोली जाने वाली भाषाओं 1,600 बोलियों को जानना चाहिए। यह हमारा कर्त्तव्य है। लेकिन इसे कैसे किया जाए। कृपया इसे यथास्थिति लीजिए और यह देखिए कि हमें इसे करना है क्योंकि जब एक भाषा को देखते है तो हम उस दूसरे क्षेत्र विशेष को भूल नहीं जाना चाहिए जिनके अपनी बोली विशेष है विशेष भावना है अतः विचार करिए कि इसलिए हमें ऐसी किसी बात को संवेदनशील नहीं बनाना चाहिए जिसमें लोगों की आकांक्षायें निहित हों। हमें उस बात को उस ढंग से नहीं उठाना चाहिए। लोगों को ही उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमारे लोगों को ही कठिन परिश्रम करके रूप में इसका खमियाजा भुगतान पड़ता है। इसलिए हमें इस बात को इस तरह से लेना है कि हमें सभी भाषाओं को सम्मान दें और दूसरे बात पर सावधानी से विचार करें कि लोगों की आंकाक्षाएं इस प्रकार आएं कि हम ठीक समय पर लोगों के पास जाये और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। अतः श्रीमन्, माइक्रोवेव के जरिए···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में पूछे। अगर में आपको अनुमति देता हूं, तो मुझे सब को अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री पी० कुलनदई वेलू : अन्त में आप मुझे अनुमति नहीं देंगें।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्त में मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

श्री पी० कुलनवेई वेलू : आप सभी भाषाओं का सम्मान कर रहे हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आप देश की भाषाओं के बारे में इतना भेदभाव क्यों दिखाते हैं ? ब्रेकफास्ट टी० वी० में भी, आप केवल हिन्दी भाषा को प्राथमिकता दे रहे है क्षेत्रीय भाषा को नहीं। (व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : श्रीमन जो एक बड़े तमिल कभी ने कवि कहा है मुझे कहना चाहिए कि विश्व की पूरी भाषा को पढ़ने और सीखने के बाद मुझे पता चला है कि तमिल सबमे अच्छी भाषा है इसलिए एक विशेष को महसूस करना और समझना है···(व्यवधान) इसीलिए इसे ढंग से करना है कि में माननीय सदस्य से कहूंगा कि इस ढ़ांचे को जिसे बनाया गया है···(व्यवधान)।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमम : आप केवल तमिलनाडु पर ही विशेष ध्यान क्यों दे रहे है (व्यवधान) मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। वह मलयालम में चाहता है। यह एक साधारण बात है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह तेलगू भी बोलेंगे।

श्री ए० के० पांजा : मेरी इच्छा है कि इन सब सुन्दर भाषाओं को बोल सकूं। लेकिन वास्तव में इन भाषाओं को समझने में समय लगता है अगर माननीय सदस्य मुझे बाद में मिलते हैं और इसी भाषा में बोलते हैं तो मैं इसको और अधिक विकसित कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें पढ़ाना भी होगा।

श्री ए० के० पांजा : जहां तक माइक्रोवेव का सम्बन्ध है जहां तक सेटलाइट का सम्बन्ध है हम जम्मू और काश्मीर, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर और उड़ीसा के लिए प्राइमरी सेवा हेतु लिंकेज की व्यवस्था करेंगे।

1.00 म०प०

भटिंडा जालन्धर के साथ लिंक करने के लिए कुछ सदस्यों ने मांग की है, हमने माइक्रोवेव सम्पर्क के लिए एक विशेष आर्डर रखे है क्योंकि हमने देखा है कि यह ऐसी वस्तु है जिसका विस्तार किया जा सकता है हमने दूरसंचार विभाग को आर्डर दे रखे है और मुझे विश्वास है कि वे इसे स्थापित करने को प्राथमिकता देंगे।

विभिन्न माननीय सदस्यों ने एक मांग की है कि दूसरा चेनल राज्यों को देना चाहिए। दूसरे चेनल का सारा उद्देश्य स्थानीय क्षेत्रीय या क्षेत्रवार लोगों की सांस्कृतिक भावनाओ को टेलिविजन की स्क्रीम पर दिखाया है। चाहे इसे राज्य ले या केन्द्र ले यह बात नहीं है। इसका उद्देश्य टी०वी० स्क्रीन का दूसरा चैनल बम्बई कलकत्ता या मद्रास या देश के किसी भी हिस्से में स्थापित किया जाए। लेकिन उसे लोगों की स्थानीय आकाक्षाओं और संस्कृति को समुचित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए ··· ··(व्यवधान)

[श्री ए० के० पांजा]

माननीय सदस्यों को महसूस करना चाहिए और मुझे विश्वास है वे महसूस करते हैं कि जब हमें निर्वाचन के लिए टिकट मिलता है तो वह किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष से चुनाव के लिए मिलता है। लेकिन जब हम चुन लिए जाते है तो हम भारतीय संसद के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं इस लिए जब हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र विशेष की बात करते हैं तो हमें सांसद के रूप में देश के समग्र हित को ध्यान में रखना चाहिए। मैं वह सहायता प्राप्त कर रहा हूं ······(व्यवधान)

जहां तक दूसरे चैनल का संबंध है वह केवल क्षेत्रीय संस्कृति के लिए नहीं हो सकती जहां बुनियादी ढांचा उपलब्ध है पहले उस स्थान पर जायेगा। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के इतिहास में लम्बे समय से रही है जब हमलावर बाहर से आये उन्हें हमारे देश के उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति में आत्मसात कर लिया गया। वह हमारी परम्परा की महानता है। इसलिए वर्तमान चेनल ऐसा ही रहेगा जैसा यह अब है और इसे राज्यों को देने से कुछ नहीं होना है। यद्यपि दूसरा चैनल कुशलता से कार्य करेगा। मान लीजिए यह किसी क्षेत्र विशेष में है उदाहरण के लिए सितम्बर में कलकत्ता में दूसरा चैनल को खोला जा रहा है यह आवश्यक नहीं है केवल कलकत्ता के लोगों के विचारों व संस्कृति को ही इसमें शामिल किया जायेगा या पश्चिमी बंगाल के विचारों और संस्कृति को शामिल करेगा बल्कि उड़ीसा, बिहार, यू० पी० के० पूर्वी क्षेत्रों में आसाम और सात संबंधित राज्यों में पूर्वी संस्कृति के उस क्षेत्र को शामिल किया जाएगा निसन्देह उस क्षेत्र में जहां वह स्थित है विशेष बल दिया जायेगा। इसी कारण जिसे मैं कह रहा हूँ और मैं माननीय सदस्यों को अपने इतिहास और परम्परा के बारे में सोचने की अपील करता हूं। भारत माता ने हमलावरो को भी शामिल किया है इस लिए राज्यों को दूसरा चेनल देने की मांग का कोई आधार दिखाई नहीं देता है। अगर यह स्थानीय भावनाओं और क्षेत्रीय भावनाओं और आकाक्षांओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता है तो प्रश्न 36 सकता है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हू कि जब हम दूसरा चेनल गे तो जहां यह चेनल स्थित है उस क्षेत्र विशेष देते सार्वदेशिकता को कार्यक्रमों में क्षेत्रीय संस्कृति पर विशेष रूप से बल के ते हुए दिखाया जाएगा। इसी उद्देश्य से दूसरा चेनल स्थापित किया जा रहा है। (व्यवधान)

अगर आप मुझे इस प्रकार व्यवधान डालते रहेंगे तो मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैंने कुछ मुद्दों के जवाब दे दिए है।

एक माननीय सदस्य : वे केवल अनुपूरक प्रश्न पूछने में रुचि रखते है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल आप ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अनुपूरक प्रश्न करने में रुचि रखता है।

(व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : श्रीमन जहां तक सामुदायिक टी० वी सेटों, का सम्बन्ध है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा जब कभी टी० वी० सेट खराब होता है यही भावना रहती है कि इसकी मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी सूचना व प्रसारण मंत्रालय की है। ऐसी बात नहीं है। आपके माध्यम से

माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले कुछ राज्यों को समुदायिक टी० बी० सेट दिया गया था और सेटों का रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार अर्थात् सूचना व प्रसारण की थी इसमें परिवर्तन हो गया है। इस समय, टेलीविजन से प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जब वार्षिक योजनाओं पर चर्चा होती है तब इन सभी बातों पर भी चर्चा होती है। अब, अपने क्षेत्र में सामुदायिक टेलीविजन सेटों का रख-रखाव राज्य करेगा।

एक माननीय सदस्य ने प्राथमिक स्कूल में लगाए गए एक टेलीविजन सेट के ठीक न कराने के बारे में उल्लेख किया है। महोदय, टेलीविजन का मरम्मत कार्य मिलाकर सारा रख-रखाव राज्य सरकार के हाथ में है। यदि वे अंशकालिक आधार पर कुछ प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं तो वे उनको मानदेय राशि देते हैं। इसी प्रकार, महोदय, हम उन्हें टेलीविजन सेट दे चुके हैं और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इसका रख-रखाव उचित प्रकार से हो। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इस सत्र के समाप्त होने के बाद जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएँ, वे अपने क्षेत्रों में सामुदायिक टेलीविजन सेटों की मरम्मत और रख-रखाव के मामले को सम्बन्धित राज्य सरकार से उठा सकते हैं जिससे वे ठीक से चलाए जा सकें।

माननीय सदस्य : राज्य सरकार इस पर कैसे सहमत हो सकती है? ...(**व्यवधान**)

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मैं माननीय सनस्य द्वारा की गई टिप्पणी पर चकित नहीं हूँ, क्योंकि जिस दल से वह सबंन्धित हैं वह ऐसा ही करती है। कोई गाय को पालता है और वे इसका दूध निकाल ते हैं ...(**व्यवधान**)

अत : मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यह जिम्मेदारी राज्य पर नहीं जा रही है और केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्रीय कार्यक्रमों को बढ़िया तरीके से प्रदर्शित किया जए। ...(**व्यवधान**)

महोदय, हम टेलीविजन नेटवर्क का विस्तार व्यावसायिक विज्ञापनों से हुई आय से कर सके हैं। महोदय, हमें पूर्वोत्तर क्षेत्रो में सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5000 सामुदायिक टेलीविजन सेट की आवश्यकता थी लेकिन यह मालूम हुआ है कि कुछ राज्यों में तथा कुछ संघराज्य क्षेत्रों में काफी आय नहीं हो रही है। लेकिन, अभी तक, महोदय, ये 5000 सामुदायिक टेलीविजन सेट जो सूचना और प्रसारण विभाग से मंजूर हो चुके हैं, उन्हें जहा आवश्यकता है, लगाया जाएगा। यह कार्य पूरी तरह से उस राशि से किया जाएगा जो व्यवसायिक विज्ञापनों और बचत से प्राप्त हुई है।

जहां तक इन टेलीविजन सेटों का संबंध है, कुछ 'इनसेट' से कार्यालय प्राप्त करेंगे और वहां से सैट देना सम्भव रह।है।

महोदय, विभिन्न स्थानों में टेलीविजन स्टूडियो जिनका उल्लेख किया गया है ...(**व्यवधान**)

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : मैं जानना चाहूँगा कि क्या उत्तर बंगाल भी इस श्रेणी के अन्तर्गत आ रहा है?

श्री ए० के० पांजा : महोदय, यदि प्रश्न बाद में पूछे जाएँ, तो मैं उत्तर दूंगा, अन्यथा, ऐसा ही चलता रहेगा। मैंने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कहा और निश्चित ही उत्तर बंगाल इसमें नहीं है।

[श्री ए० के० पांजा]

जहां तक दूरदर्शन और आकाशवाणी की स्वायत्तता का संबंध है, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए थे और मैं कहूंगा कि मैंने स्वयं पिछले छह महीनों से जो कुछ हो रहा है, उसे देखा ।

जहां तक कार्यकरण संबंधी बातों का सम्बन्ध है, नीति सम्बन्धी मामलों को छोड़कर, आकाशवाणी और दूरदर्शन को पूरी आजादी और स्वतन्त्रता दी गई है । यह सच नहीं है कि मैंने मंत्री के रूप में हस्तक्षेप किया और कहा अमुक सीरियल दिखाए जाने चाहिए, अमुक समाचार दिए जाने चाहिए या अमुक कार्यक्रम दिये जाने चाहिए । कार्यकरण संबन्धी स्वायत्तता संबन्धित विशेषज्ञों को दी गई है । कार्यक्रम मन्त्रणा समितियां हैं । निदेशक हैं, विशेषज्ञ हैं, निर्माता हैं, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव हैं । उनको कार्यात्मक स्वायत्तता पूर्णतया दी गई है । लेकिन यदि वितरण के सम्बन्ध में नीति संबन्धी बड़ा मामला आता है कि यह पहाड़ी क्षेत्रों को, जनजातीय क्षेत्रों को कैसे दिया जाना चाहिए, गैर-व्ययगत राशि से कितनी राशि अर्थात् विज्ञापन तथा विभिन्न अन्य मदों से दी जानी चाहिए और खर्च की जानी चाहिए, ये सब अवश्य ही मंत्रालय के अधीन रखे गए है । वहां, मन्त्रालय दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के निदेशकों से परामर्श करने के बाद निर्णय करता है । अतः जो हौआ पैदा किया जा रहा है कि कोई स्वतन्त्रता नहीं है, जो भी हो, यह नितान्त गलत है ।

महोदय, मैं अवश्य ही आंकड़ो की जांच करूंगा और इसे पूर्णतया सिद्ध करूंगा । जहां तक कुछ बड़े गैर-कांग्रेसी राज्यों का संबंध है, रेडियो और दूरदर्शन को दिशा निदेश और समय दिया जा रहा है, यह ठीक उसी प्रकार से है जैसा राष्ट्रीय नेटवर्क में दिया जाता है । जहां तक समय देने का संबंध है, कोई पक्षपात बिलकुल नहीं किया गया है । लेकिन यह संबंधित किसी मंत्री और किसी राजनीतिक दल के कार्यकलाप के समाचार-मूल्य पर निर्भर करता है । स्वभावतः यदि अधिक कार्यकलाप हैं जिनका समाचार-मूल्य अधिक है, समाचारों में अधिक समय दिया जाता है । इस स्थिति में मैं अवश्य इस मुद्दे पर सीधे कहूंगा जिससे कोई संदेह न रह जाए । ज्यादातर गलत-फहमी और संचार की कमी के कारण, इस प्रकार की भावना आती है ।

जहां तक राष्ट्रीय बुलेटिन का संबंध है, दिसम्बर 1986 से मार्च 1987 तक के ब्लाक आंकड़े मैं दे सकता हूं क्योंकि समय थोड़ा है ।

जहां तक कांग्रेस (आई) का संबंध है जैसा दल है उसके हिसाब से उन्हें 52 मिनट प्राप्त हैं ।

जहां तक विरोधी दलों का संबंध है, उन्हें 64 मिनट प्राप्त है ।

महोदय, मैंने वास्तव में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए बेतरतीब आंकड़े चुने । मैंने कुछ महीने बेतरतीब चुने हैं । (व्यवधान)

क्या मैं आंकड़े दे सकता हूं ? इसके बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से इसे नहीं भरा जा सकता ।

जून 1986 में, कांग्रेस (आई) को 22 मिनट दिए गए और विरोधी दलों को 54 मिनट दिए गए ; यहां मैंने दोबारा बेतरतीब चयन किया । मैं एक पूरी सूची बना चुका हूं । यदि कोई माननीय सदस्य देखना चाहते हैं तो वह आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं, महोदय, मैं पाता हूं कि 1 अप्रैल, 1986

से 31 मार्च, 1987 तक, कांग्रेस (आई) को दूरदर्शन के राष्ट्रीय बुलेटिन में 165 मिनट मिले और विरोधी दलों को 296 मिनट मिले। इन सबका रिकार्ड है। अतः माननीय सदस्यों को कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए। मैंने स्वयं इस पर गौर किया है और यह दिया गया है क्योंकि विरोधी पक्ष चाहता है।(व्यवधान)

क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं? आप यदि चाहते हैं तो कृपया दूसरे राज्य में आ जाइए। अब आन्ध्र प्रदेश अर्थात हैदराबाद को लीजिए। आपको तथ्यों और आंकड़ों के बारे में अवश्य सन्तुष्ट रहना चाहिए। तदुपरान्त, यदि आप सदन से बाहर इसे अन्य राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं तो स्वभावतः आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आंकड़े ये हैं···(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या इसमें कांग्रेस (आई) अध्यक्ष शामिल है या नहीं।

श्री ए०के० पांजा: जब उन्होंने कांग्रेस (आई) अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, निस्संदेह हाँ। ···(व्यवधान)

जब एक माननीय सदस्य इसका उल्लेख कर चुके हैं, मुझे पश्चिमी बंगाल के बारे में अवश्य उल्लेख करना चाहिए। (व्यवधान) जहाँ तक पश्चिमी बंगाल का संबंध है, दल और मंत्रियों को मिलाकर, वाम पंथी मोर्चा सरकार को जुलाई, 1986 में आकाशवाणी में 2256 लाइनें मिलीं। वहां कांग्रेस (आई) को वहाँ जाने वाले केन्द्रीय मंत्रियों को मिलाकर, कुल 1756 लाइनें मिलीं। ···(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): यह पूर्णतया आधारहीन है।

श्री ए० के० पांजा: एक बात मैं स्पष्ट करता हूं। क्योंकि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस (आई) विपक्ष में है—क्योंकि यहां विपक्ष को अधिक समय मिला—जुलाई में कांग्रेस (आई) को 752 लाइनें मिली, और वहाँ, वाम पंथी मोर्चा; सी० पी० आई (एम) को मिलाकर; मुख्य प्रतिद्वन्द्वी को 512 लाइनें मिली क्योंकि वे सत्ता में हैं। लेकिन जब राज्य मंत्री आते हैं तो आंकड़े बढ़ते हैं क्योंकि कार्य अधिक हैं। कृपया अनुभव करें—किस तरीके से यह ऐसा है। तदुपरान्त, यदि आप तर्क करना चाहते हैं अन्यथा, यह अलग है। कृपया इसे अनुभव करें, मैं यहां वरिष्ठ माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं। मेरा यहाँ पहला मौका है। वरिष्ठ सदस्य वहाँ उपस्थित हैं। बात यह है कि हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जो जनता के दिमाग को अनावश्यक रूप से परेशान करता हो। जब राज्यमंत्री अपने दलों के साथ भाग लेते हैं, लाइनें अधिक हो जाती हैं क्योंकि दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा कार्य और विकास संबंधी समाचार देने होते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) की ओर से विकास संबंधी समाचारों का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहां वे विपक्ष में हैं। वे वैसे ही नहीं जा सकते और किसी समारोह का उद्घाटन नहीं कर सकते। वे किसी समारोह का उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन विकास संबंधी उद्घाटन उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। यह राज्य मंत्रियों द्वारा किया जा सकता। वहाँ मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों के बारे में मैं आंकड़े दे चुका हूं। इससे पता चलता है कि एक विशेष महीने में, उनके साथ, यह 2256 लाइनें हैं। और कांग्रेस (आई) को 1756 लाइनें मिली। ये सब रिकार्ड में हैं और मैं सभा में बोल रहा हूं। यदि कोई बात गलत है तो मुझे घसीटा जाएगा।

[श्री ए० के० पांजा]

अन्य मुद्दा मैं दे सकता हूं, क्योंकि यदि माननीय सदस्य संतुष्ट हैं तो मुझे विश्वास है कि यह जनता में फैल जाएगी, और हम पर अनावश्यक दोष नहीं लगाया जा सकता। आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद केन्द्र को देखिए। आकाशवाणी के संबंध में जहां तक कांग्रेस (आई) का संबंध है, हमारे पास जुलाई से दिसम्बर तक के आंकड़े हैं। जुलाई के दौरान, कांग्रेस (आई) को 432 लाइनें मिली और तेलगु देशम दल को 1275 लाइने मिली। कृपया इसे देखिए...।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या इसमें मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हैं ?

श्री ए० के० पांजा : नहीं केवल दल। यही मैं कह रहा हूं। यह सब मेरे पास है। अगस्त के दौरान—कांग्रेस (आई) और तेलगु देशम के लिए मैं क्रमशः आंकड़े दे रहा हूं—ये क्रमशः 436 और 1546 लाइनें थीं, सितम्बर के दौरान ये क्रमशः 498 और 1027 लाइने थीं; अक्तूबर के दौरान 493 और 1008 और नवम्बर में 337 और 598 और दिसम्बर में क्रमशः 415 और 524 लाइनें थीं।

इस स्थान पर मैंने पाया कि उचित न्याय नहीं किया गया, क्योंकि मैंने पाया कि जुलाई, 1986 में सी० पी० आई० को 95 लाइनें मिली और सी० पी० आई (एम०) को 54 लाइनें मिलीं। यह पर्याप्त नहीं हो सकती। इसे सब मिलाकर लिया जाना चाहिए। जनता को 43 और अन्य दलों को 43 मिलीं। उसी महीने में जी० पी० आई० (एम० एल०) को सितम्बर और अक्तूबर 1986 में 8 और 7 लाइने मिलीं। अतः हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे होता है; और यह क्यों हुआ, जब कि अन्य सभी स्थानों पर हम पाते हैं कि विपक्ष को सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा थोडी अधिक प्रधानता दी जाती है।

यह आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आप सब प्रशंसा करेंगे तथा हमारे प्रजातन्त्र में यह आवश्यक है जिससे उन्हें बोलने का अधिकार प्राप्त हो। हम, मंत्रियों के रूप में, केन्द्रीय मंत्रियों के रूपमें जा सकते हैं और ख्याति प्राप्त कर सकते हैं लेकिन विपक्ष नहीं जा सकता, और यही उद्देश्य है, और मैं सदन को अश्ववस्त करता हूं कि हम समाचारों की सार्थकता के आधार पर दिशानिर्देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दलों को कार्य करना चाहिए और देश के विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और यह दिखाई देगा कि ये दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से समुचित रूप से जनता के सामने लाये जायें।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : क्या आपने कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं कि समाज-विरोधी गतिविधियों से कैसे निपटा जाना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष विरोधी गतिविधियों से कैसे निपटा जाना चाहिए, जो गतिविधियां भारत को बांटने में सक्रिय हैं, उनसे कैसे निपटा जाना चाहिए, यदि हां, तो कृपया इस मुद्दे पर हमें बताएं ?

श्री ए० के० पांजा : वरिष्ट माननीय सदस्य ने एक मुख्य मुद्दा उठाया है। हां यदि राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां हैं, यदि देश को अस्थिर करने वाली गतिविधियां हैं तब इस दृष्टि से अवश्य ही दिशानिर्देश होने चाहिए कि देश की अखण्डता किसी समाचार या समारोह अथवा किसी कार्यक्रम या किसी फिल्म या किसी धाराबाहिक के प्रसारण से प्रभावित न हो।

अभी तक फिल्म और टेलीविजन मुद्दों पर बहस हुई है। मैंने जांच की है और पाया है कि

यह कहना ठीक नहीं है कि क्षेत्रीय फिल्मों के नेटवर्क में क्षेत्रीय फिल्में नहीं दिखाई जाती हैं, मैं देखता हूं कि वर्ष 1986 में राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा 41 ऐसी क्षेत्रीय फिल्में प्रसारित की गई हैं।

जो भी सदस्य इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, निश्चय ही मैं उन्हें इसकी जानकारी दूंगा ।

सदस्यों ने रात 11.30 बजे के बाद दिखाई जाने वाली फिल्मों को अन्य शहरों में भी दिखाए जाने के बारे में कई सुझाव दिए हैं। हमने इसकी जांच की है। सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि इस समय हम ऐसा केवल माइक्रोवेव के माध्यम से कर रहे हैं क्योंकि 11.30 बजे के बाद हम उपग्रह के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकते। जब हमारे पास समय है और हम समय को इधर-उधर करते हैं तो अन्य कार्यक्रमों में बाधा पड़ेगी। इसीलिए हमने इसका समय रात 11.30 बजे का रखा है। अभी हमने इसके लिए मंगलवार और शुक्रवार के दिन निर्धारित किए हैं। हम ये फिल्में सप्ताह में सरकारी छुट्टी वाले दिनों में दिखाए जाने की कोशिश कर रहे हैं-देश में 16-18 सरकारी छुट्टियां होती हैं—फिर ये फिल्में मंगलवार को नहीं दिखाई जाएंगी, और सरकारी छुट्टी वाले दिन से पहले रात में दिखाई जाएगी, तथा यदि सप्ताप में ऐसी कोई सरकारी छुट्टी न होने पर फिल्म मंगलवार को दिखाई जाएगी। इस समय ये फिल्में केवल माइक्रोवेव के माध्यम से दिखई जा रही हैं और इस लिए इंजिनियरों और वैज्ञानिकों तथा अन्य विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार इन्हें 11.30 बजे के बाद ट्रांसमीटर पर दिखाना संभव नहीं है। उपग्रह के माध्यम से कार्यक्रम देने में बाधा पहुंचती है क्योंकि 11.30 बजे के बाद ग्रहण लग जाने से ट्रांसपोंडर की बैटरी को ठीक तरह से चार्ज नहीं कर पाता। अतः हम अधिक क्षेत्रों में फिल्में नहीं दिखा सकते, किंतु हमें कहीं न कहीं से इसे शुरू करना चाहिए था। अत सबके सहयोग से हमने इसे माइक्रोवेव के माध्यम से शुरू किया। जब कई सदस्यों ने मांग की कि क्या ये फिल्में अन्य क्षेत्रों में दिखाई जाएंगी, हमने देखा कि कई स्थानों पर माइक्रोवेव लिंक जोड़े जने की तुरंत आवश्यकता है, किन्तु हम भेदभाव करना नहीं चाहते। अतः अगले माह से देर रात को दिखाई जाने वाली फिल्म मसूरी, पूना, जालंधर, अमृतसर, कोडईकनाल, श्रीनगर, बंगाल में बरहामपुर' आसनसोल, कानपुर तथा गोवा में पणजी में भी दिखाई जाएगी। इन स्थानों में, कई क्षेत्र पर्यटन स्थल हैं और विभिन्न पर्यटक संगठनों ने इसकी बहुत मांग की है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ भी कहेंगे, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

···*(व्यवधान)*···

श्री ए० के० पांजा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। छत्तरपुर की बात बिलकुल अलग है। माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें। जहां कहीं भी माइक्रोवेव की व्यवस्था है हम वहीं

···कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ए० के० पांजा]

इसका विस्तार करेंगे। जहां कहीं भी माइक्रोवेव की व्यवस्था है हम वहां तुरंत यह कार्यक्रम दिखाना शुरू कर सकते हैं और कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि जहां माइक्रोवेव से ऐसा करना संभव हैं हमने वे क्षेत्र छोड़ दिये हैं तो हमें बताइये, हम वहां भी कार्यक्रम दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि इसका विस्तार किया जाए।

जहां तक दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले सीरियलों का संबंध है, 2-3 सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है और कुछ शिकायतें भी मिली हैं। मुझे एक बार उन शिकायतों को सुनने का मौका भी मिला। किन्तु कठिनाई यह है कि यदि शिकायत आम प्रकार की होती है तो उस पर कोई कार्यवाही करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस देश का कानून ऐसा है कि दोष भले ही बच जाए पर निर्दोष को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। किन्तु सकारात्मक रूप से हम इसे सरल और कारगर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 14 अप्रैल को मैंने स्वयं शिकायतों पर विचार करने के बाद इन के कार्यक्रमों के पुनर्गठन का आदेश दिया है जो केवल शिकायतों के आधार पर ही नहीं किया गया है। उसमें कुछ अच्छे अधिकारी भी होने चाहिए जो स्थिति में कुछ परिवर्तन ला सकें ताकि नए विचार और नए सुझाव सामने रखे जा सकें। यह आदेश 15 अप्रैल को लागू कर दिया गया था, मैंने इसे 14 अप्रैल को स्वीकृति दे दी थी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य देखेंगे कि इस संबंध में नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। यह प्रश्न किसी अधिकारी विशेष पर आरोप लगाने का नहीं है। जब तक आप कुछ निश्चित तथ्य नहीं बताते ताकि मैं उसपे कार्यवाही कर सकूं तब तक मैं किसी तरह की जांच करवाने के आदेश नहीं दे सकता। अनावश्यक रूप से आज कल ऐसा हो गया है कि बिना किसी आधार या आरोप के, मात्र कोई खबर प्रकाशित होने पर अथवा रेडियो या टेलिविजन पर प्रसारित होने से या समाचार पत्र में प्रकाशित होने से हम किसी की भी बुराई करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। किन्तु जब तक इसका संबंध है मैं संसद सदस्यों की भावनाओं को समझता हू कि कुछ नवीकरण होना चाहिए कुछ परिवर्तन होना चाहिए इसीलिए मैंने दूरदर्शन निदेशालय के ढांचे में परिवर्तन किया है। मुझे विश्वास है कि जब नया व्यक्ति आएगा तो नए विचारों का आगमन होगा और सदस्य इस बात को देखेंगे। किन्तु मैं समझता हू कि यदि किसी सीरियल विशेष के बारे में आपका कोई विशेष आरोप है और उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है तो यदि आप उस ओर हमारा ध्यान दिलाएं तो हम निश्चय ही उस बारे में कार्यवाही कर सकते हैं।

अन्य जिस मुद्दे पर हमने विचार किया है वह मसौदे के बारे में है। यह जरूरी नहीं है कि मसौदा हमेशा स्वीकार कर लिया जाता है। कई बार कुछ मसौदे अस्वीकार भी कर दिए जाते है किंतु उस समय उसकी पुनः सुनवाई करने के अलावा और कुछ नहीं होता। हमने कुछ मुद्दों पर विचार किया है। अब हमने इसके लिए अपील कर सकने का प्रावधान रखा है। यदि स्क्रिप्ट कमेटी द्वारा मसौदा अस्वीकार कर दिया जाता है तो दूसरी समिति होगी जहां आप इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। और यह समिति जनता के साथ न्याय करेगी। मुझे आशा है इससे स्थिति में सुधार होगा और इसीलिए मैंने समिति नियुक्त की है। अधिकांश लोग जो ये स्क्रिप्ट बना रहे हैं वे परफोर्मिंग आर्टस में हैं। और वह ऐसी जगह है जहां हमारे पूरे भारत की संस्कृति, विरासत निहित हैं और यहां समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए उनकी विचारों को भावनाओं को देश के ढांचे के अन्तर्गत यथासंभव अधिक महत्व देना होगा। इसलिए पहले हमें जांच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) बनानी है फिर चयन समिति, उसके बाद अपील समिति और फिर वे लोग निर्णय ले सकते है।

श्री शांताराम नायक (पांजी) : क्या 'सुबह' की स्क्रिप्ट में संशोधन किया गया है ? सब सदस्यों का कहना है कि इससे पता चलता है कि मादक औषधियां कहां से मिलती हैं ·

श्री ए० के० पांजा : 'सुबह' पहले ही खत्म हो चुका है। इसके केवल दो भाग और हैं। मेरेविचार से इसके 13-14 भागों में से दो-तीन भाग ही और रहते हैं। किंतु सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दे मुझे पता चलने पर मैं कार्यवाही कर रहा हूं। किन्तु हमें इस पर विचार करना होगा और यह याद रखना होगा कि इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। एक तरफ यदि कोई सीरियल हल्का फुल्का होता है और दूसरा सीरियल ऐसा नहीं होता तो वह अनुभव पर निर्भर है। किंतु जब अधिकांश सदस्य और ज्यादातर लोग कुछ प्रश्न उठाते हैं तो निश्चय ही हम उस पर विचार करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : आपके जो कलाकार हैं आप उनसे क्यों नहीं सीरियल बनाते हैं। वे कलाकार जिन को कि आप बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देते हैं वे ऐसे ही पड़े रहते हैं। कुछ साधन न मिलने की वजह से ज्यादातर सीरियल आप बाहर से ले रहे हैं। आप अपने कलाकारों से क्यों नहीं करवा रहे हैं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : जहां तक टी० वी० पर विज्ञापन दिए जाने का संबंध है। मैं उसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। अतः मुझे उस के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं।

यह मुद्दा उठाया गया है कि देश के दक्षिणी भाग में टी० वी० की पर्याप्त कवरेज नहीं है। मैंने यह देखा है कि जहां तक सामाजिक, सांस्कृतिक, नृत्य, संगीत और विकास संबंधी पहलुओं का संबंध है हमारे देश के दक्षिण भाग में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में राष्ट्रीय हुक-अप में 75 कार्यक्रम दिखाये जाते हैं। मैंने इसे देश के अन्य भागों में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से मिलाया। सब जगह एक समान रूप से कार्यक्रम वितरण किया गया है अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कुछ भी कहने से पहले तथ्यों का पता लगाएं क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से देश की जनता को परेशानी होती है कि किसी तरह का अन्याय किया जा रहा है। दक्षिण, पूर्व, मध्य, पश्चिमी या उत्तर—कोई भी भाग हो मैंने देखा है कि पूरे देश में इसका कवरेज समान रूप से बंटा हुआ है।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : आप टी० वी० में इतने कार्यक्रम दिखाते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। इसके साथ ही पूरा दिन टी० वी० में क्रिकेट का मैच आने से भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं।···(व्यवधान)···

श्री ए० के० पांजा : मैं उसी मुद्दे के बारे में कहने जा रहा था। कठिनाई यह है कि खेल संबंधी नियमों को मैं नहीं बदल सकता। एक दिन का क्रिकेट मैच खेला जाए या 3-4 दिन का मैं इसे बदल नहीं सकता और यह नहीं कह सकता कि आप इसे 1 घंटे में समाप्त कीजिए। कई बार क्रिकेट मैच

[श्री ए० के० पांजा]

खेलना जारी रहता है और कई बार यह ऊबाऊ हो जाता है क्योंकि हमारे बल्लेबाज जल्दी आऊट हो जाते हैं और हमें बड़ी निराशा होती है. यह सब उस समय के खेल पर निर्भर करता है। लेकिन माननीय सदस्य को यह जानकर संतुष्टि होगी कि आंकड़े भिन्न हैं। मेरे पास 1 जनवरी, 1986 से लेकर 31 मार्च 1987 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। इस दौरान हमने सर्वाधिक समय फुटबाल को दिया। फुटबाल को 428 घंटे दिए गए जबकि क्रिकेट को 323 घंटे और 23 मिनट.........

एक माननीय सदस्य : कार्य घंटे ?

श्री ए० के० पांजा : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मामले की गंभीरता को समझेंगे। हॉकी को 46 घंटे 12 मिनट, लॉन टेनिस को 44 घंटे 48 मिनट, टेबिल, टेनिस को 12 घंटे 50 मिनट दिए गए।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : आप छुट्टी के दिन क्रिकेट आदि खेलों के मैच नहीं दिखाते हैं। यह मैच छुट्टी वाले दिनों में ही दिखाए जाने चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, अधिकांश सदस्य टेलीविजन देखने सैन्ट्रल हाल में जाते हैं अधिकांश सदस्य सेन्ट्रल हाल में बैठते है और सभा की बैठक में उपस्थित नहीं रहते। अतः केवल उन्हीं लोगों की शिकायत मत कीजिए।

श्री ए० के० पांजा : मैने देखा कि दर्शक अनुसंधान स्कंध ने यह बताया है कि क्रिकेट अधिकांश दर्शकों को पसंद है।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढ़ाना) : लोग दफ्तरों में ट्रान्जिस्टर लाते हैं। अतः उससे कोई फर्क नही पड़ता। यदि खेल पसंद किया जाता है तो उसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाना चाहिए। इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। जिन्हें यह पसंद नहीं है वे अपने टेलीविजन बंद कर सकते हैं।

श्री ए० के० पांजा : दूरदर्शन में सर्वोत्तम प्रवृत्ति पर जोर दिया गया। मैंने स्थिति का जायजा लिया है। दिल्ली दूरदर्शन द्वारा चैनल 1 पर प्रसारित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का प्रतिशत इस प्रकार है : सूचना 247% 'शिक्षा' एस० टी० वी० स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम, खेल, प्रौढ़ शिक्षा आदि 21%, मनोरंजन 38%। किन्तु मैने इसकी जांच की और पाया कि मनोरंजन में खेल तथा कई बार फीचर फिल्में भी दिखाई जाती हैं।

लेकिन उसके शैक्षिक और सूचनात्मक पहलू भी हैं। ये कार्यक्रम के व्यापक पहलू हैं अर्थात् इस समय मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम 38% विशेष श्रोता कार्यक्रम 13% विदेशी धारा वाहिक और फिल्में 4% ले लेते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि सूचना 24% क्षिक्षा 21% सूचना और शिक्षा सहित मनोरंजन 38% विशेष श्रोता कार्यक्रम 13% तथा विदेशी धारावाहिकों और फिल्में 4% हैं। इस-

लिए यह कहना सही नहीं है कि यह एक विशिष्ट वर्ग के लिए है । वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में और विकास होने से हम अधिकाधिक ग्राम आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकेगें ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : क्या कुछ समय कृषि कार्यों के लिए भी दीजिए ।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, जहां तक लोक सभा की कार्यवाहियों का संबंध हैं कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि लोक सभा की कार्यवाही के प्रदर्शन के लिए आधार भूत सुविधा उपलब्ध है । लेकिन महोदय, बात यह है कि जहां तक लोक सभा की कार्यवाहियों का संबंध है अगर उन्हें वास्तव में सीधा दिखाया जाता है तो हमें संसद के कार्यसंचालन संबन्धी नियमों में पूरी तरह से * । महोदय लोक सभा की कार्यवाहियों को दिखाने से पूर्व हमें नियमों को देखना होगा । महोदय मैं नया सदस्य हूं पर राज्य में विधायक के रूप में अपने लम्बे अनुभव के दौरान मैंने न कभी ऐसा देखा और न कहीं पाया…

अध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन के लिए सदस्य को पुनश्चर्या पाठयक्रम की कोई जरूरत नहीं है । उसका मतलब है कि आप एक तरह से सदस्यों पर कुछ आक्षेप लगा रहे है । मेरे विचार से ऐसा जरूरी नहीं है । मेरे ख्याल से यह सब अनावश्यक है कि हमें इसके लिए तैयारी आदि करनी है ।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, यह माननीय अध्यक्ष और आप पर निर्भर करता है । लेकिन जहां तक हमारा संबंध है, अपने जीवन काल में और मैंने जो भी पुस्तकें पढ़ी है उनमें ऐसा कहीं देखा या सुना नहीं है कि अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के बाद कोई सभा से बाहर गया हो । महोदय, "मेज पार्लियामेंन्टरी प्रैक्टिस" इस घटना के लिए एक अलग अध्याय रखना होगा । इसलिए महोदय हमें इस पर भी विचार करना होगा कि क्या यह कार्यक्रम दिखाया जाए और लोग इसके बारे में क्या सोचेंगें । **(व्यवधान)** तो होगा क्या कि कई बार हम सब एक साथ खड़े हो जाएँगे आपस में बात करने लगेंगें । इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या इसे लोगों के समक्ष दिखाया जाना चाहिए । जहां तक ग्रामीण लोगों का सम्बन्ध है काफी जोर दिया गया है **(व्यवधान)**

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, उन्हें इस सदन के सदस्यों की आलोचना नहीं करनी चाहिए । उस बारे में बोलना उनके लिए उपयुक्त नहीं है । वह इस तरह नहीं कह सकते । उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए । वह सदस्यों का इस तरह चरित्र हनन नहीं कर सकते । महोदय, हम इसका विरोध करते हैं । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सदस्यों के खिलाफ कुछ होगा तो मैं देखूंगा । मैं कार्यवाही पढ़ूंगा ।

(व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : महोदय, अधिकाश सदस्यों ने ठीक कहा है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही पढ़ूंगा । अगर नियम विरुद्ध कुछ हुआ या किसी के खिलाफ कुछ टिप्पणी हुई तो मैं इसे उसमें से निकाल दूंगा । मै कर्यवाही पढ़ूंगा ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी सदस्य या किसी राजनैतिक दल के विरुद्ध असम्मान व्यक्त करना नहीं चाहता । मैं केवल यह कह रहा हूं ……। मेरा आशय यहां पर व हर किसी सांसद या संसद के प्रति असम्मान व्यक्त करना नहीं है बात केवल यह है कि अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय देते समय अगर सदस्य बाहर जाते हैं और हम इसको टेलीविजन पर दिखाते हैं तो क्या इसे देखने वाले व्यक्ति हमारा सम्मान करेंगे । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कुछ होगा तो हम देखेंगे । मेरा माननीय सदस्यों से एक अनुरोध है । आपका व्यवहार आपका कार्य कार्यवाही का हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि इसे दिखाया जाए तो इस बारे में निर्णय लेना आप पर छोड़ दिया गया । हमें इस बात की चिंता करनी है कि क्या सारी कार्यवाही दिखानी है या जैसा चाहे उस ढंग से दिखाना है । हमें कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निर्णय लेना होगा । मैं नहीं कह सकता कि लोग क्या कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : महोदय, आप विचार करिए, यह सदन हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन निर्णय लेता है या नहीं यह आप पर छोड़ा जाता है पर इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि लोग हमारे व्यवहार के बारे में क्या सोचेंगे ।

(व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : मैं केवल एक बात स्पष्ट करूंगा । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही पढूंगा ।

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्यों ने एक बहुत उपयुक्त मुद्दा उठाया है जिस पर हमने विचार किया है प्रश्न और उत्तर का चयन होने पर नहीं दिए जाते । महोदय, मैंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है । महोदय, जब हम कुछ प्रश्नों का किसी अंश विशेष किसी चर्चा विशेष, का चयन करते हैं तो किसका नाम दिया जाना चाहिए यहीं नहीं बल्कि पहले वक्ता विपक्ष और पक्ष के प्रमुख वक्ता का नाम भी दिया जाना चाहिए । हम संशोधन कर रहे हैं और तदनुसार मैं समझता हूं कि सदस्य इससे संतुष्ट होंगे ।

जहां तक ग्रामीण केन्द्रों का संबंध है, यह एक प्रश्न काल बन गया है जिसके हजारों पूरक प्रश्न हैं । (व्यवधान) बड़ी महत्वपूर्ण बात है ।

मधु सूदन वैराले : महोदय, संक्षेप में एक निवेदन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई निवेदन नहीं । मंत्री जी, आप जारी रख सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : ग्रामीण कार्यक्रमों को हमने दो तरीके से तैयार किया है अर्थात क्षेत्र विशेष कार्यक्रम और उपयुक्त ढंग से तैयार कार्यक्रम । जहां तक उपयुक्त ढंग से तैयार किए गए कार्यक्रमों का संबंध है, इसमें हम कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांवों में बिजली की व्यवस्था, कुटीर तथा

लघु उद्योग को शामिल कर रहे है। जहाँ तक मुख्य केन्द्रों का संबंध है, ग्रामीण दर्शकों के लिए एक या दो घंटे से कुछ अधिक समय का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। जहाँ तक 'इन्सैट' केन्द्रों का संबंध है, हफ्ते में 3 और 6 घंटे से कुछ अधिक समय तक ग्रामीण कार्यक्रम दिखाए जाएंगे।

महोदय, कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं। बच्चों के कार्यक्रम पर सदस्यों ने संतुष्टि व्यक्त की है इसलिए उस पर बोलने की मुझे जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वृद्धों के लिए कार्यक्रम की क्या स्थिति है ?

श्री ए० के० पांजा एक ओर मुद्दा रथ यात्रा के सीधे प्रसारण के बारे में उठाया गया है। माननीय सदस्यों को इस एक प्रमुख मुद्दे पर विचार करके हमें बताना होगा कि क्या सीधा प्रसारण है तो इसे साथ-साथ दिखाना होगा इसलिए इसको दिखाना होगा। हमें पता लगा है कि इस समारोह के लिए दर्शक—अगर रथ यात्रा सुबह 6 बजे या 9 बजे शुरू होती है, जिन दर्शकों को इसे दिखाने की जरूरत है, अगर हम फिल्म तैयार करके इसे शाम को दिखाते हैं इसी त्यौहार को नही बल्कि भारत के अन्य त्यौहारों को भी, अगर हम इसे समय विशेष , समाचारो में या उसके तत्काल बाद या उसी समय दिखाते है तो हमारे दर्शकों की संख्या सर्वाधिक होगी इसलिए प्रभाव भी अधिक होगा। लेकिन सीधा प्रसारण है तो जब भी होगा उसी समय दिखाना होगा। इसलिए कई बार इससे कठिनाई उत्पन्न होती हैं। पर निश्चित ही इस तरह के राष्ट्रीय त्यौहारों को धार्मिक समारोहों के रूप में नहीं माना जाता। ये संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय त्यौहार हैं चाहे हिन्दू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म। सभी राष्ट्रीय त्यौहार बन गए हैं।लेकिन हम दिखाते है। सीधे प्रसारण के कारण कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। बात यह है। **(व्यवधान)**

इसलिए अगर विस्तार से देने की जरूरत होगी तो उस पर निश्चित ही विचार किया जाएगा। जहां तक पी०सी० जोशी समिति की रिपोर्ट का संबंध है मैं उनका उल्लेख कर चुका हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय मैंने मंत्री जी के सिवाय किसी को अनुमति नहीं दी है। कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री ए० के पांजा प्रेस सूचना ब्यूरों के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। मेरे ख्याल से इन मुद्दों को देने की जरूरत है। जनवरी से दिसम्बर, 1986 तक प्रेस सूचना ब्यूरो ने कुल भाषावार 35,610 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की। इसमें से अंग्रेजी विज्ञप्तियों की संख्या 9770, हिन्दी की 5084 और अन्य भाषाओं की 6473 थीं। इसी तरह जलकार्य प्रणाली को भी बढ़ाया गया है।

जहाँ तक दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों को देने का संबंध है, मुझे इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। इस सम्मानित सदन को जानकारी है कि हम छोटे और मझोले समाचार पत्रों की सहायता करने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। नई अखबारी कागज नीति की घोषणा भी कर दी गई है। माननीय सदस्यों ने जो ब्यौरे मांगे हैं उनका पुस्तक में पहले से ही उल्लेख है। छोटे और मझोले समाचार पत्रों को जो दिया जा रहा है उसे दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। प्रेस सूचना सुविधा छोटे और मझोले समाचारपत्रों को भी दी गई गई है। जहाँ तक समाचार सेवाओं फोटो सेवाओं का संबंध है उन्हें विशेष सेवा का दर्जा दिया गया है उन्हें प्रेस सूचना ब्यूरो सुविधा

[श्री ए० के० पांजा]

और मान्यता पत्र जारी किए जाते हैं। पहले से मौजूद रिपोर्ट में से माननीय सदस्यों ने विस्तार से देख लिया होगा।

जहां तक रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर का संबंध है हमने कुछ कदम उठाए हैं। हम देसी अखबारी कागज के लिए प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अंत में आप पूछ सकते हैं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। अन्त में, मैं अनुमति दे रहा हूं। मैं केवल श्रीमती शीला दीक्षित को अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : (मंदसौर) मेरा बहुत वेलिड प्वांट है। मैं जानना चाहूंगा कि पत्रकारों को पेंशन देने के लिए आप के पास कोई प्रोविजन है।··· **(व्यवधान)** पत्रकारों को पेंशन देने के बारे में अपने और आप की सरकार ने कभी कोई विचार किया है या इस सिलसिले में आप कोई एमेंडमेंट लाने वाले हैं।

श्री हरीश रावत : (अल्मोड़ा) मैं भी इन के विचार को सपोर्ट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, आपके माध्यम से इस सदन के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस वाद-विवाद पर छह: घंटे चर्चा हुई है। हर सदस्य को बोलने का अवसर मिला और जो प्रश्न उन्होंने पूछना चाहा वह पूछा है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि में सहयोग दें ताकि मंत्री जी उत्तर दे सकें। याद रखिए कि यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है। हर सदस्य अगर उठकर छोटे-छोटे प्रश्न पूछेगा तो मंत्री जी के लिए उत्तर देना संभव नही होगा, क्योंकि यह नीति संबंधी वक्तव्य है। वह वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं। वह सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि सदन सहयोग दे।

श्री ए० के० पांजा : जहां तक समाचारपत्रों के स्वामित्व के विस्तार और असम्बद्ध करने तथा श्रमजीवी पत्रकारों और पत्रकारों के लिए पेंशन का संबंध है, इन मामलों में हम बहुत धीमी गति से और दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुसार काम करते हैं। दूसरे प्रेस आयोग ने इसके विस्तार पर विचार किया है पर ये समाचार पत्र निजी व्यक्तियों के हाथों में हैं। कानून के माध्यम से क्या किया जा सकता है। एक आयोग है। हम स्वतन्त्रता पर हाथ लगाना नहीं चाहते। बहरहाल हम जानते हैं कि जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों का उनके मालिकों का, उनके संबंधों का संबंध है अगर प्रेस परिषद चाहती है कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उनके लिए कानून बनाने चाहिए तो उनकी सिफारिश बहुत जरूरी है। अन्यथा, अगर आप कुछ अच्छा भी करना चाहेंगे तो अच्छे कानून को भी कई बार हस्तक्षेप समझा जाता है। कुछ समाचारपत्रों में रिपोर्टरों को नियुक्ति पत्र तक नहीं मिलता।, पत्रकारों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। हम यह बात जानते हैं। पर हमारे लिए ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो प्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हैं और हम इस नीति को आगे जारी रखना चाहते हैं। दूसरे प्रेस आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं।

हमने श्रमजीवी पत्रकारों, आदि को मकान देने पर विचार किया है लेकिन दूसरे प्रेस आयोग ने स्पष्ट सिफारिश की है, "जी नहीं, मकान नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि इससे उनकी स्वतन्त्रता में बाधा पड़ेगी।" इसलिए हम कठिनाई में हैं। इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि पेंशन हो या उपदान यह मामले उन्हीं को देखने होंगे। हम उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

एक और मुद्दा उठाया गया था और यह मेरा अंतिम मुद्दा है– यह नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार आदेश और गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के बारे में है। हम देखते हैं कि हम पूल नेटवर्क की प्रत्येक दिन की समाचार फाइल में निरंतर भरपूर सहयोग देते हैं। आंकड़े इस प्रकार है; पूल की सदस्य एजेंसियों द्वारा 1 अप्रैल, 86 से 31 दिसम्बर, 1986 तक अनुमानित कुल 90,000 शब्द संख्याओं में से भारत का शेयर प्रतिदिन 7000 से 10,000 शब्द रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात के सतत प्रयास किये जाते रहे हैं घटनावृत्त पी० टी० आई० और कार्यरत भारतीय समाचार पूल द्वारा सुधारे जायें और पूल के जरिए इनका पूल के भागीदारों द्वारा उपयोग किया जाये। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जिम्बावे में 8वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन के कदम पहले अगस्त 1986 के मध्य में भारत तथा हरारे के बीच एक नया उपग्रह संपर्क चालू हो गया है जिससे पूल के अन्य भागीदारों के साथ उपग्रह और स्थलीय संपर्क बढ़कर 13 हो गये हैं।

दूसरी बात संचार के विकास के लिए अन्तराष्ट्रीय कार्यक्रम की है। यूनेस्को और अन्य मंचों पर हमने भाग लिया है और भारत ने विकासशील देशों के न केवल संचार के क्षेत्र में बुनियादी सहायता देने के लिए अपितु नई अन्तराष्ट्रीय संचार व्यवस्था से संबंधित विभिन्न वैचारिक पहलुओं पर भी सहायता देने के लिए निवेदन किया है।

जहाँ तक पत्रकारों और पत्रकारिता की स्वतन्त्रता की बात है—जहाँ कहीं हमें लगता है कि इस प्रकार की आजादी पर असर पड़ा है, हम उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में और देश से बाहर कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ यह स्वतन्त्रता ऐसे विभिन्न दबावों द्वारा प्रभावित की जाती है जो कानून से परे हैं और जहाँ कहीं उन पर कानूनी दबाव भी डाला जाता है, हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा है और मैं इसे दोहराता हूं कि हम स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। निस्संदेह, दूसरी ओर हम समाचार पत्रों से अपना दायित्व निभाने की आशा करते हैं, ताकि यह पता लगाने के लिए कि देश के लिए क्या अच्छा है उनकी अपनी मूल्यांकन प्रणाली भी हो।

ये वे मुख्य मुद्दे थे जिन्हें सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों में शामिल किया जाना आवश्यक था ···

श्री शान्ता राम नायक : संसद समाचार सभी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित नहीं किये जाते हैं। केवल आकाशवाणी प्रसारित करता है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : चार बजे तक का कवर किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि इसे हम रेडियो पर प्रसारित कर पाते हैं, क्योंकि वहां समय अधिक मिलता है। जितना अधिक हम समय और चैनल बढ़ा पाये··· **(व्यवधान)**

श्री उत्तम राठौड (हिंगोली) : यह कैसी बात है कि संसद को शामिल नही किया जा सकता है ?

श्री ए० के० पांजा : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि संसदीय समाचार प्रसारण के लिए शामिल नहीं किए जा सकते। 7 बज कर 30 मिनट पर संसदीय समाचार प्रसारित किये जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ये सभी केन्द्रों द्वारा प्रसारित नहीं किया जा रहे हैं। केवल कुछ ही प्रसारित करते हैं। ···**(व्यवधान)**

श्री ए० के० पांजा : हम इसे इस तरह कर रहे हैं। दिये गये समय के अन्दर हम इसे प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि ऐसा कोई राज्य है जिसके बारे में कोई विशेष वाद विवाद चला है या उस राज्य विशेष के सदस्य ने विकास कार्यक्रम के बारे में कुछ मुद्दे उठाये हैं तो तो उस राज्य के संबंध में हम एक व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भले ही हम इसे राष्ट्रीय नेटवर्क में न दिखा सकें तो भी हम इसे उस राज्य विशेष में प्रसारित करने के लिए भेज सकें। **(व्यवधान)**

महोदय, मुद्दा यह है कि यदि यह एक स्थानीय पहलू है और सदस्य भी ऐसा कहते हैं तब हम इसे उस क्षेत्र में यह कहते हुए यथा संभव इसका प्रचार करते हैं कि जहां तक इस राज्य का संबंध है, इस क्षेत्र के माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल : 11.30 बजे पार्लियामेंट न्यूज कौन सुनेगा, इसका टाइम बदलना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]*

श्री ए० के० पांजा : जहां तक अगले वर्ष के लक्ष्यों की बात है हम 63 कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने जा रहे हैं।

जहां तक छह उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों, 9 टेलीविजन स्टूडियो का और केन्द्रीय उत्पादन एककों का संबंध है हम इन्हें लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक विश्व क्रिकेट कप 87 का संबंध है और कतिपय नीति संबंधी मामलों की भी बात है हमने कदम उठाये हैं और हम कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। महोदय हमने पहले ही अखबारी कागज आबंटन नीति प्रकाशन विभाग के लिए सलाहकार समिति, दूसरे प्रेस आयोग, गुट निरपेक्ष न्यूज ऐजेन्सी पूल, मान्यताप्राप्त कैमरामैनों को आयातित

फोटो खींचने वाले उपकरणों की व्यवस्था की है। इस वर्ष पी० आर० बी० अधिनियम में संशोधन इस विभाग के लिए विभिन्न मंत्रालयों की भिन्न विकास शाखाओं में समन्वय लाने के लिए नीति आयोजना सेल की स्थापना का हमारा प्रस्ताव है और इस पर हम कार्य कर रहे हैं ताकि समय पर समाचार उन लोगों तक पहुंचे जो इसमें दिलचस्पी रखते हों।

महोदय, हमने कंप्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण किया है। जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा समय और अन्य बातों से संबंधित उठाई गई कई समस्याओं की बात है वह बहुत शीघ्रता से हल की जा सकेंगी। इसके साथ में···(व्यवधान)

श्री आशुतोष लाहा (दम दम) : दूरदर्शन कार्यक्रम और रेडियो कार्यक्रम के अन्त में राष्ट्रीय-गान शुरू करने के बारे में क्या किया गया है ? इसे शुरू करने में क्या कठिनाई है ? (व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : महोदय श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा एक अन्य बात सीधे मुझसे कही गई है। मैं समझता हूं वह यहां बैठी हैं, वह इसे समझेंगी। मुद्दा यह उठाया गया था कि जहां तक सूचना और प्रसारण का संबंध है, यह धनराशि क्यों नहीं खर्च की जा सकी। श्रीमती मुखर्जी ने मुद्दा उठाया था कि 1985-86 में आकाशवाणी के लिए योजना परिव्यय 45 करोड़ रुपये था लेकिन व्यय 41.95 करोड़ रुपये था। यह शिकायत उन्होंने न केवल यहां की है बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान बाहर भी की है। परन्तु यहां मैंने इसे स्पष्ट किया है कि जहां तक रेडियो का संबंध है यद्यपि व्यय कम हुआ था लेकिन पूरे सूचना और प्रसारण में कुल परिव्यय 99 करोड़ था और 99.70 करोड़ का उपयोग किया गया। अतः इसके उपयोग में कमी नहीं आई थी। लेकिन जहां तक छठी योजना में पश्चिम बंगाल राज्य की बात है—वहां छठी योजना में 1006 करोड़ उपयोग में नहीं लाये गये। यही तथ्य मैं ध्यान में लाना चाहता हूं।

जहां तक कटौती प्रस्तावों का संबंध है मुझे लगता है कि कटौती प्रस्ताव संख्या 1—19 प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसलिए मुझे इसे विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक 22 से 33 तक के कटौती प्रस्तावों की बात है मैं पहले ही माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों और माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ विशेष मुद्दों को शामिल कर चुका हूं। मैंने उत्तर दिये हैं और प्रक्रियानुसार मैं आपको यह बताऊंगा चूंकि माननीय सदस्यों ने मेरे हर मुद्दे को सुना है अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती प्रस्तावों को वापस ले लें।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया बंगाल में क्षेत्रीय कार्यक्रम के लिए कुछ और समय दें।

श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री) : आपने मेरे किसी भी मुद्दे को शामिल नहीं किया है। आप हैदराबाद स्टूडियो तथा विशाखापत्तनम स्टूडियो के निर्माण कार्य को कब पूरा करेंगे ? इसका उत्तर आपके जवाब में नहीं था।

2.00 म०प०

मैंने काकीनाडा और विजाग घोषणाओं के बारे में एक विशेष आरोप लगाया था। अपने उस स्पष्ट आरोप का उत्तर नहीं दिया है।

श्री ए० के० पांजा जहां तक आपके कटौती प्रस्ताव 20-33 से संबंधित मुद्दे का संबंध है, मैं उनका आसानी से उत्तर दे सकता हूं। आपके द्वारा उठायी गयी मद संख्या 20 जाति हीन और वर्ग हीन समाज

[श्री ए० के० पांजा]

को बढ़ावा देना जैसे सामाजिक प्रयोजनों के लिए दूरदर्शन के प्रयोग की आवश्यकता के बारे में है। हम नियमित रूप से कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहे हैं।आपने उन्हें जरूर देखा होगा। इसलिए मुझे उनपर विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

दूसरा मुद्दा दूरदर्शन पर उन विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों को रोकने के बारे में है जो उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करते हैं। मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं: मैंने कहा है कि हमने इसे पूरी तरह बदला है और विज्ञापन बनाने के अपने नियमों को संशोधित किया है।

जहां तक बार-बार क्रिकेट मैच प्रसारित करने में होने वाले व्यर्थ के व्यय की बात है—मैंने यह जानकारी दी है कि फुटबाल पर कितना खर्च किया जाता है और क्रिकेट पर कितना खर्च किया जाता है। अतः मैंने उस मुद्दे पर पूरी जानकारी दी है।

अगली बात सामाजिक बुराईयों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए फिल्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में है। हमने ऐसा किया है। अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि ...(व्यवधान) जब उन्होंने कटौती प्रस्ताव उठाये हैं तो मुझे उनका उत्तर देना चाहिए। जहां तक दहेज, नशीली दवाई की लत, मद्यपान, धूम्रपान की बात है हम उन्हें एक के बाद एक देख रहे हैं लेकिन कभी-कभी धारणायें बदल जाती हैं। कभी-कभी हमारी समिति महसूस करती है कि यह एक अच्छी फिल्म है और यदि हम इसे दिखायेंगे तो यह दहेज विरोधी बात होगी, आदि। वस्तु कभी-कभी लोगों की धारणायें भिन्न होती है। वे कहते हैं, नहीं यह दहेज को बढ़ावा देता है। अतः हम इस पर कार्य कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इस पर कार्य नहीं कर रहे हों।

जहां तक आपके मुद्दे का सवाल है अर्थात हैदराबाद केन्द्र की बात है यह मार्च, 1988 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो जायेगा। इसमें कोई देरी नहीं है। विजयवाड़ा केन्द्र निर्धारित कार्यक्रमानुसार सातवी योजना के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा। आपको ये बातें योजना दस्तावेज में मिल जायेंगी। ये अनुसूची में दी गई हैं और मैंने जांच कर ली है। कोई देर नहीं है।

मैं देश के विभिन्न भागों से आने वाले सभी सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि कभी-कभी इसमें बिलंव होता है। हमारे पास धन है। भारत के लोगों ने इसकी कीमत चुकाई है और यह हमारे पास है। प्रधान मन्त्री श्री राजवी गांधी ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया है कि जहां तक जानकारी संबंध है इस प्रचार माध्यम के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाये और इसी वजह से हम इस क्षेत्र में से दूरदर्शन के लिए 700 करोड़ रुपये और आकाशवाणी के लिए 700 करोड़ रुपये उपलब्ध कर सके हैं इसमें न केवल वृद्धि हो रही है, बल्कि प्रधान मंत्री इसकी विषय वस्तु और गुणवक्ता बढ़ने पर जोर दे रहे हैं और हम इस पर न केवल भोगोलिक क्षेत्र के रूप में या प्रसारण क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं बल्कि गुणवक्ता और विषय वस्तु पर भी कार्यकर रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा है कि विभिन्न समितियां बनाई जा रही है तथा हम यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि गुणवक्ता में सुधार आये। जहां तक उस विलंब की बात है जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है मैंने जांच कर ली है। इसमें कोई विलंब नहीं हुआ है। परन्तु उन माननीय सदस्य से जिन्होंने इसे उठाया है एक निवेदन है। यह बहुत तर्क सगत है। राज्य से भूमि प्राप्त करने में कभी-कभी हमारे सारे कार्यक्रम में विलंब हो जाता है...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : उनका मुद्दा यह नहीं है। वह कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव की परिणाम घोषणाओं में कुछ गुमराहकारी जानकारी घोषित की गई थी। केवल यही बात वह पूछ रहे हैं······

(व्यवधान)

श्री श्रीहरि राव : मार्च माह में नगर पालिका चुनाव परिणाम घोषित करते समय—मैंने इसका अपने भाषण में भी उल्लेख था—किया दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी कुछ गुमराहकारी घोषणा की गई थी जिसके कारण विशाखापत्तनम में कुछ कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई थी। क्या आपने उस पर कोई कार्यवाही की है?

श्री ए० के० पांजा : आपने इसका जिक्र किया है और विस्तृत जानकारी प्राप्त की जायेगी। कल आपने इसका उल्लेख किया था और मैं आज भी यह जानकारी प्राप्त नहीं कर सका हूं। हमने इसे नोट कर लिया है और हम निश्चित रूप से आपको सूचित करेंगे।···(व्यवधान)

श्री उत्तम राठौड़: विभाग की नीति 1990 के अन्त तक 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत हिस्से को शामिल करने की है। मैं जानना चाहूंगा कि वे कौन से भाग्यहीन लोग होंगे जिन्हे इस विशेष दूरदर्शन सुविधा का लाभ नहीं मिल पायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुनः वे वही लोग हैं—पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में रह रहे आदिवासी···(व्यवधान)

मैं आदिलाबाद में दिलचस्पी रखता हूं। आदिलाबाद एक बड़ा स्थान है। यह महाराष्ट्र के बाह्यांचल पर स्थित एक जिला मुख्यालय है। हम चाहते हैं कि यहां टेलीविजन की सुविधा होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे शामिल किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं, क्योंकि 75%लोगों को यह सुविधा मिल जायेगी, बचे हुये लोग कौन हैं।

श्री ए० के० पांजा : अभी यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सा भाग बचेगा। परन्तु मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक जन जाति क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इस वर्ष हम इस पर विशेष रूप से बल दे रहे हैं। ऐसा प्रधान मंत्री जी द्वारा दिये गये विशेष निर्देशों के कारण किया गया है। जैसाकि मैंने कहा है हम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को ले रहे हैं। परन्तु महोदय, मैं यह नहीं कह सकता कि क्या सभी क्षेत्रों को शामिल कर लिया जायेगा। यदि सभा सारा पैसा दे तो मैं इसे एक वर्ष में पूरा कर दूंगा।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढ़ाना) : महोदय, कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हम पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के साथ साथ स्वतन्त्रता का 40 वां वर्ष भी मनाने जा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दो अवसरों को मनाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है जो बहुत महत्वपूर्ण है तथा जो देश भर में मनाये जायेंगे। क्या इन दो अवसरों को मनाने के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जायेगा?

श्री ए० के० पांजा : जी हां, श्रीमान मुझे खेद है कि बहुत से मुद्दों और समय की कमी के कारण मैं इस बात को भूल गया था। स्वतन्त्रता के 40 वें वर्ष पंडित जी की जन्म शताब्दी और पंत जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए निश्चित रूप से योजनायें बनाई जा रही हैं।

[श्री ए० के० पांजा]

समितियों का गठन किया गया है और हम विवरण तैयार कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों के जरिये से इन दो महान नेताओं के प्रति हम कैसे सम्मान प्रकट कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों के सभी कटौती प्रस्ताओं को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा, यदि श्री हरिराव नहीं चाहते कि उनके किसी भी कटौती प्रस्ताव को अलग से रखा जाये।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 52 से 53 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1987-88 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें :

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1987 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०	रु०	रु०
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
52	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	9,59,00,000	48,00,000	47,92,00,000	2,43,00,000
53	प्रसारण सेवाएं	62,17,00,000	55,66,00,000	3,10,85,00,000	2,78,29,00,000

2.04 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88

विदेश मंत्रालय

[अनुवाद]

—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 21, जिसके लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, पर चर्चा और मतदान करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 21 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधियों से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1987-88 के लिए विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग :

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1987 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
विदेश मंत्रालय					
21.	विदेश मंत्रालय	56,69,00,090	33,34,00,00	2,68,67,00,000	41,71,00,000

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय विदेश मंत्री जी आज ही हरारे से आये हैं। कल मैंने दूरदर्शन पर, विदेश राज्य मंत्री जी को वाशिंगटन में रक्षा सचिव श्री वाइनबर्गर से मिलते हुए देखा।

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं हरारे गया हुआ था। मैं चार दिन पहले वापस आया हूं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : हमने आपको कल और परसों नहीं देखा । कल हमने दूरदर्शन पर अपने राज्य मंत्री को अमरीका के रक्षा सचिव से मिलते हुए देखा । महोदय, एक आम बात है—मुझे नहीं मालूम कि यह सच है या नहीं—कि हमारे रक्षा मंत्री महोदय चीन गये हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट में पूरी सूचना या नवीनतम जानकारी नहीं है। स्वभाविक है कि हमने अतिरक्ति जानकारी या नवीनतम स्थिति पर कुछ वक्तव्यों विशेषतौर पर 'ग्रुप ऑफ 77' के सम्मेलन में जो कुछ हुआ, के सम्बन्ध में जानकारी की आशा की थी ।

वार्षिक रिपोर्ट एक औपचारिकता मात्र है। परन्तु सभा के सदस्यों को जो जानकारी दी जानी है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव देने हैं। आवश्यक जानकारी नहीं दी गई है, परन्तु केवल विदेशी उच्चाधिकारियों के साथ हुई मुलाकात की सूची का उल्लेख किया गया है। जब विशिष्ट उच्चाधिकारी आते हैं तो समझौतों का आदान-प्रदान होता है, घोषणायें की जाती है, विचार विमर्श होता है। यह बेहतर होता यदि हमें समझौतों तथा घोषणाओं के सार से भी अवगत कराया गया होता ताकि हम यह मूल्यांकन कर सकते कि ये समझौते हमारे राष्ट्र हित के लिए किस हद तक लाभप्रद हैं क्या यह एकतरफा मामला है अथवा यह दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद है। यदि हमें इन घोषणाओं और समझौतों का सार दिया जाये तो बेहतर होगा ।

हम विश्व से संबन्धित हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया, अमरिकी देश, यूरोप तथा अन्य स्थानों की जाकारी के साथ-साथ यह बेहतर होगा कि आप हमें भौगोलिक मानचित्र भी दें क्योंकि भूगोल में इतनी महारत हासिल होने की हमसे आशा नहीं की जाती है। इससे हमें इन बातों को समझाने में मदद मिलेगी। चाहे एक व्यक्ति कितना भी दक्ष हो, कभी-कभी हम चूक जाते हैं। विशेषतौर पर कुछ देशों के नाम इतने मिलने-जुलते हैं कि हमें भ्रम हो जाता है, और हम अपने वाद-विवाद के दौरान अविवेकपूर्ण बातें कह सकते हैं हमें वार्षिक रिपोर्ट देते समय, आप मेहरबानी करके हमें भौगोलिक चित्र भी दीजिये, जब आप अमरीका, लेकिन अमरीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अन्य देशों का उल्लेख करें।

विभिन्न अन्य पहलुओं पर जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 'इण्डियन ओवरसीज' से सम्बन्धित अध्याय XIII देखिये। जो जानकारी दी गई है वह कतई अमूल्य नहीं है। यह ऐसी जानकारी है जिसे छठी कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है। यह जानकारी संसद सदस्यों को देने लायक नहीं है। हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों में बहुत रूचि रखते हैं। उनमें से कितने किन देशों में हैं ? भारतीय विदेशों में अधिक संख्या में कहां रह रहे हैं। वे देश के, किस भाग में रह रहे हैं और उनमें से कितने इंजिनियर हैं, कितने तकनीशियन हैं, कितने वैज्ञानिक हैं ? परन्तु हमें जो जानकारी दी गई है वह केवल छठीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही उपयुक्त है ।

इन प्रारम्भिक सुझावों के साथ ही मैं विषय पर आता हूं ।

2.13 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमारी विदेश नीति की सफलता तथा असफलता का मूल्यांकन दो महत्त्वपूर्ण मान-दण्डों के आधार पर किया जाना चाहिए। पहला मान-दण्ड यह है कि हमारी विदेश नीति से राष्ट्र के सुरक्षा वातावरण में कितना सुधार हुआ है तथा तनाव और सीमा विवादों को दूर करके बजट तथा सुरक्षा व्यय भार में कितनी कमी हुई है तथा राष्ट्र की खुशहाली में कितना सुधार

आया है। दूसरा महत्त्वपूर्ण मानदण्ड यह है कि हमारे आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित करने वाले अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य में हमने कितनी वृद्धि की है।

यह सच है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय शांति, पूर्ण निरस्त्रीकरण तथा आणविक युद्ध के खतरे को दूर करने के आदर्शों के प्रति वचन बद्ध हैं। यह सच है कि हम पूरे विश्व में मनुष्य का शोषण से, उप-निवेशवाद से, नव-उपनिवेशवाद तथा पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। यह भी सच है कि हम गुटनिरपेक्षता के लिए और एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका के विकासशील और पिछड़े देशों के आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह भी सच है कि हम रंग-भेद को समाप्त करने और मानव अधिकारों, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातन्त्र को बनाये रखने के लिए वचनबद्ध हैं। यह सब कुछ हमने अपने स्वतन्त्रता संघर्ष से विरासत में पाया है। हम इन आदर्शों को बनाये हुये हैं; हम इन आदर्शों में निष्ठा रखते हैं। परन्तु, महोदय, किसी भी तरह अपनी वचनबद्धता से हटे बिना हमें राष्ट्र के लिए प्रथम दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो मैंने बताये हैं विनम्रता, लचीलेपन तथा समझबूझ का प्रदर्शन करना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण के प्रथम मानदण्ड के संबंध में सुरक्षा से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह बात सब मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण की स्थिति काफी बिगड़ी है। इस वर्ष सुरक्षा बजट में वृद्धि हुई है।

एक नई घटना जो बहुत गम्भीर है, चीनी आक्रमण, घुसपैठ या हमला, हम नहीं जानते इसे क्या कहते हैं और अरूणाचल प्रदेश की समडुरोंग चू घाटी में लगभग 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसे घुसपैठ का नाम दिया गया है, परन्तु वास्तव में यह भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना है।

5 अगस्त, 1986 को राज्य मंत्री श्री के० आर० नारायणन ने राज्यसभा को सूचित किया था कि चीनी सेना ने समडुरोंग चू घाटी में एक हवाई पट्टी बना ली है। बाद में यह भी पता चला कि चीनी सेनायें उस क्षेत्र में शिविर डालने के लिए झोंपडियाँ भी बना रही थीं। 18 सितम्बर, 1986 को विदेश मन्त्री श्री शिव शंकर ने इस घुसपैठ के विषय में न्यूयार्क में चीन के विदेश मन्त्री से चर्चा की थी। एक प्रश्न के संबंध में कि चीनियों ने सोमडुरोंग चू घाटी में लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिया था श्री शिवशंकर ने सलाहकार समिति को 4 अक्तूबर, 1986 को सूचित किया कि उस क्षेत्र के लोगों ने चीनियों द्वारा माँगा गया कर देने से मना कर दिया था। इस उत्तर का आशय बहुत बड़ा है तथा बहुत विशेषता रखता है। इसका अर्थ है कि चीनियों ने उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया है और उस पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कर वसूलना शुरू कर दिया है। मन्त्री महोदय ने जिस बात के लिए मना किया है वह यह है कि लोग कर देने से मना कर रहे हैं। उन्होंने इस बात के लिए मना नहीं किया है कि चीनी अपनी प्रभुसत्ता कायम कर रहे हैं और राजस्व की वसूली कर रहे हैं।

8 या 9 दिसम्बर, 1986 को संसद ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देते हुये एक विधेयक पारित कर दिया। संसद द्वारा पारित इस कानून से उत्तेजित होकर चीन ने एक वक्तव्य दिया। संसद द्वारा पारित इस कानून पर यदि मैं यह कहूँ, उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की महोदय, वक्तव्य 12 दिसम्बर 1986 को जारी किया गया था और उसमें से मैं कुछ वाक्य उद्धृत करता हूं।

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

"भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित उपरोक्त विधेयक पूर्णतया गैरकानूनी है और भारत-चीन सीमा के सबसे अधिक विवादग्रस्त क्षेत्र में स्थापित इस तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को चीन कभी भी मान्यता नहीं देगा। 1915 की मैकमहोन लाईन अवैध है और चीन सरकार ने इसे कभी भी मान्यता नहीं दी है। यह तथाकथित अरूणाचल प्रदेश, जो अवैध मैकमहोन रेखा तथा परम्परागत प्रचलित रेखाओं के मध्य स्थिति है मूलभूत रूप से चीनी क्षेत्र है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है।" स्वदेशी कानून के जरिए चीनी क्षेत्र पर किए गये कब्जे को वैध बनाने की कोशिश करना भारतीय अधिकारियों के लिए व्यर्थ है और इससे निकलने वाले परिणाम बहुत गम्भीर होंगे। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं। यह कहा गया है कि इसके परिणाम गम्भीर होंगे। वक्तव्य की भाषा उस भावना के विरूद्ध है जिस भावना के अन्तर्गत वार्ताओं के कई दौरे चल रहे हैं। कल भी, मैंने टेलीविजन पर देखा था कि इस चीनी पदाधिकारी से श्री नम्बूदरीपाद चर्चा कर रहे थे—मैं नहीं जानता कि वह चीन का 'प्रीमियर' है या 'वाइस-प्रीमियर हैं और न ही मैं इस उच्चाधिकारी का नाम जानता हूं और वे कह रहे थे कि सीमा विवाद को वार्ताओं द्वारा हल किया जा सकता है। मैं इस पहलू पर बाद में आऊंगा।

वार्षिक रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वह यह है कि बातचीत के सातवें दौर के दौरान चीनी घुसपैठ पर भारत ने चीन के कार्यकारी प्रमियिर तथा विदेश मन्त्री से अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है। अधिकारी स्तर पर हुई बातचीत का सातवाँ दौर 21 जुलाई, से 23 जुलाई, 1986 तक चला था उसके बाद कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है यद्यपि चीनी पार्टी की आई० एल० डी० के० उपाध्यक्ष श्री जियांग गुआंग हुआ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (अवसंवादी) के निमन्त्रण पर 9 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 1986 तक भारत का दौरा किया था।

हमें अभी तक यह नहीं बताया गया कि तथाकथित घुसपैठ के बारे में क्या हुआ। इस सभा को स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि अरूणाचल प्रदेश में सुमडरोग यू घाटी चीन के कब्जे में है अथवा नहीं। यदि आप हमें अब भी स्थिति की जानकारी दे तो हमें खुशी होगी। दुर्भाग्य से इस विषय को वार्षिक प्रतिवेदन में आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया है। इस तथ्य से ही उनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि चीनी लोगों ने वहाँ अपना हैलीपैड बना लिया है जहां हैलीकोप्टर उतारे गये हैं और कुछ निर्माण कार्य भी किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी हाल में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें और भी अधिक स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि सुमडुरोग घाटी सदैव चीन का अभिन्न अंग रही है। इसलिए यह कहना गलत नही होगा कि अरूणाचल प्रदेश में सुमडुरोंग घाटी से इस वर्ष भारतीय नियन्त्रण समाप्त हो गया है और वह चीन के कब्जे में चली गई है।

महोदय, मुझे यहाँ पिछले इतिहास को दोहराने की आवश्यकता नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि सभा को यह भली प्रकार याद होगा कि 1959 से 62 के बीच क्या हुआ था। जहाँ सारे देश में हिन्दी चीनी भाई-भाई के नारे लगाए जा रहे थे वहीं चीन ने आकर भारत के लद्दाख क्षेत्र में एक्साइचीन पठार क्षेत्र में कब्जा कर लिया।

अभी भी उनकी ऐसी ही कार्य प्रणाली दिखाई देती है। जहाँ एक ओर तो चीन के साथ बातचीत चल रही है वहीं दूसरी ओर चीन ने घाटी पर कब्जा कर लिया है।

बाद में, इस माह की 16 तारीख को 'टाइम्स आफ इण्डिया ने अपने मुख पृष्ट पर 'चाइनीज बिल्ड अप आन बार्डर (सीमा पर चीनी सेना का जबाव),, शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित किया। हमने अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था और यह दलील दी थी कि इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं सम्पूर्ण समाचार को पढ़ना नहीं चाहता परन्तु मुझे इस समाचार के अन्तिम भाग को पढ़ने की अनुमति दें क्योंकि यह घटना हाल ही में हुई है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "विभिन्न स्रोतों तिब्बती राजनैतिक भारतीय और पश्चिमी गुप्तचर संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि चीन ग्रीष्म ऋतु में भारत पर आक्रमण करेगा। यह 1962 के आक्रमण की तरह का नहीं होगा जब कि सारी सीमा पर विभिन्न कोरों ने आक्रमण कर दिया था। इसके आगे उम्मीद है कि वह लगातार छेड़छाड़ करता रहेगा भारत में तीन या चार घाटियों को पारकर के बजाए बढ़ आयेगा।"

इसके अतिरिक्त इस समय हमारे लिए 1962 से भी अधिक भयंकर स्थिति पैदा होगी क्योंकि इस बार चीन और पाकिस्तान के बीच सांठ-गांठ हो गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा विभाग की रिपोर्ट में भी इस बात को स्वीकार भी किया गया है कि चीन और पाकिस्तान ने सैनिक साज-समाज के निर्माण क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ा दिया है और चीनी सैनिक विमानों में पाकिस्तान को भेजे गए अमेरिकी इंजिन और वैज्ञानिक उपकरण लगाये जायेगें। अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए हैलिकाप्टर पहले ही सुमडुरोंग घाटी में व्यक्ति व सामान के परिवहन के लिए उड़ान भर रहे है।

पाकिस्तात के रक्षा विशेषज्ञ और पत्रकार भारत-पाक युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे है कि इस बार साथ ही चीन भी भारत पर आक्रमण कर देगा पाकिस्तान के वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल जमाल के शब्दों में पाकिस्तान और चीन दोनों देशों को एक अनुपम इतिहास हथियारों की मैत्री के बंधन में बांधे हुए है।" इस बात को याद रखना चहिए कि पाकिस्तान ने हमारी भूमि के एक भाग को अलग कर लिया है चीन को प्रदेश की अनुमति नहीं हैं और कराकोरम से अनधिकृत कब्जे वाले कश्मीर तक हाईवे के निर्माण जिसमें का मार्ग प्रशास्त कर लिया है। यह सब हो रहा हैं और हम जैसा कि किसी ने कहा है घोर निष्क्रियता दिखा रहे हैं। इससे यह संदेश पूर्णत स्पष्ट : है कि भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान की अमेरिका की शह से जो सांठ-गांठ बनी है वह भारत की रक्षा के लिए भारत की विदेश नीति के लिए भारी चिन्ता का विषय है संक्षेप में चीन भारत के साथ ∗ अपने सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी सेवाओं को मजबूती से तैनात करन के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं इस प्रश्न की गहराई में नहीं जाना चाहता कि तथा कथित पूंजीवाद और ऐसी दूसरी चीजों के अपने विरोध के बावजूद चीन ने अमेरिका से अपने अत्यंत घनिष्ठ संबंध कैसे स्थापित कर लिए हैं। जब मैं विद्यार्थी था तो मैं चीन में रैड स्टार का पूर्णतः समर्थन करता था। हमें यह आशा थी कि चीनो क्रांति संपूर्ण विश्व में क्रान्ति लाने के लिए है। मार्क्स ने कहा था कि भारत रूस और चीन मिलकर धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। हमने वास्तव में चीन से सकारात्मक भूमिका की आशा की परन्तु हमें इस बात की हैरानी है कि चीन ने हमारे विरुद्ध वियतनाम जैसा आक्रमण कर दिया है चीन, पाकिस्तान के समय सांठ-गांठ कर रहा है, चीन ने 1969 में रूस से झगड़ा किया और एक भयंकर लड़ाई लड़ी।

हम यह नहीं जानते कि रंग-भेद के विरोध में चीन की नीति क्या है अथवा दलितों के हितों के समर्थन के लिए और औप निवेशिक शासन के विरुद्ध चीन की क्या भूमिका है। परन्तु हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

]श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है हम पहले से जानते है कि इसे आधुनिकतम शस्त्र दिए जा रहे है और इनमें आवक्स विमान भी शामिल हैं। साथ ही पाकिस्तान परमाणु बम भी बना रहा है । परमाणु कार्यक्रम के प्रभारी वैज्ञानिक ने पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने के इरादों का स्पष्ट उल्लेख किया है। निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुद्दों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए गए हजारों वर्षों की लड़ाई" के बारे को भूले नहीं है । हमारे सौभाग्य से या दुर्भाग्य से पहली बार उनकी सभा अथवा संसद में पाकिस्तान की विदेश नीति पर चर्चा हुई है और एक पाकिस्तानी संसद सदस्य ने इसे एक सैन्यीकृत विदेश नीति कहा है । जिसका विनिर्माण सेना ने किया है। इसलिए हमें खुशी है कि स्वयं पाकिस्तान में लोगों ने ऐसी आलोचना की है और यह भी उल्लेख किया है जहाँ तक भारत से उनकी नीति का सम्बन्ध है इस बारे में जनरल जिया की नीति काम चलाऊ हैं । यह कहना कठिन हैं कि हमारे प्रति हमारे पड़ोसी और 'नाम' तथा 'सार्क' के सदस्य पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा। नवम्बर 1986 में श्री गोर्वाचौफ़ ने भारत की यात्रा की थी। हम उन्हें नए राजनयिक सम्बन्धों के लिए, विश्व में शान्ति को बढ़ावा देने के लिए परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए बधाई देते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, अमेरिका और यूरोप सभी तरफ इस बारे में कई प्रकार से पहल की। उन्होंने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया है। हमें आशा है कि उनके प्रयत्न फलीभूत होंगे और अमेरिका की प्रतिक्रिया उनके अनुकूल होगी। यद्यपि वे आइसलैंड सम्मेलन में अनुकूल प्रतिक्रिया करने में असफल रहे ।

परन्तु दुर्भाग्य से हम भारतवासियों के लिए उनके शान्ति प्रयासों का हमारे पड़ोसियों द्वारा आक्रमण करने के लिए गलत अर्थ लगाया जाता है। नबम्बर 1986 में जब दिल्ली घोषणा का प्रारूप तैयार किया गया था तो एक संवाददाता सम्मेलन में श्री गोर्बाचौफ से पूछा गया था कि यदि चीन भारत पर आक्रमण करता है तो रूस किसका पक्ष लेगा ? मैं उनके वक्तव्य को उद्धृत करता हूं उन्होंने यह कहा था :

> "मैं समझता हूं कि यदि हम एशियाई क्षेत्र में विशेष रूप से महा शक्तियों और बड़े राष्ट्रों के बीच अर्थात चीन, भारत और रूस के सम्बन्धों में सुधार कर लें तो उससे एक अलग प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी और मुझे विश्वास है कि आपकी भविष्यवाणी सच नहीं होगी। किसी किसी का पक्ष लेना नहीं पड़ेगा।

उन्होंने यही कहा था इसका अर्थ है कि उन्होने चीन, भारत और रूस से संबंधों में सुधार की आशा की थी। और उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह सब नवम्बर में हुआ और चीनी लोगों ने अपना उत्तेजनात्मक वक्तव्य दिसम्बर में दिया। उन्होने यह समझा होगा कि रूस की स्थिति यह संकेत करती है कि वे किसी का पक्ष नहीं लेगे। वे एक शान्ति मिशन, गांधीवादी मिशन पर है। इसलिए उन्होने सोचा होगा कि यह उपयुक्त समय है कि हम अपनी नीति में संशोधन करे कि जो क्षेत्र कभी मिग डायनेस्टी के अन्तर्गत आते थे वह उन सभी को वापस प्राप्त कर ले ।

पश्चिमी और उत्तर में यह स्थिति है। पूर्व में यह स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। वहां पर एक अलग प्रकार का आक्रमण सा हुआ है क्योंकि चिटागोंग पहाड़ियो से लगभग 5000 चकमा आदिवासी लोग भारत में आ गए हैं। उन्हें वापस भेजना है। हम इस स्थिति को भुगत रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाकी कई अन्य मुद्दों जैसे सीमा निर्धारण और जल विवाद पर बांग्ला देश के साथ बातचीत चल रही हैं इन सभी समस्याओं का अभी कोई समाधान नहीं निकला है।

जहां तक दक्षिण सीमा का संबंध है श्रीलंका का मामला वद से बदतर होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि भारत ने मध्यस्थता के जो प्रयास किए है उन्हें न तो श्रीलंका ने सहारा है न किसी अन्य देश ने परन्तु एक शैतानिक प्रयास यह दिखाने का रहा है कि भारत का कोई महत्व नही है। श्रीलंका के मामले में आरम्भ से ही गड़बड़ हुई है। हमने यह सोचा था कि श्रीलंका सरकार ईमानदारी से जातीय समस्या को निपटाने का प्रयास करेंगी मध्यस्थता से पहले हमने कोई शर्त नहीं रखी। मध्यस्थता करने से पहले हमें यह शर्त रखनी चाहिए थी कि संबंधित पार्टियों में से कोई भी हिंसों का सहारा नहीं लेगी। परन्तु बिना ऐसी सावधानी बरते हमने अपना अहित किया और आज क्या स्थिति है? इस प्रकार स्पष्ट रूप से पड़ौसी देशों के साथ हमारा सुरक्षा वातावरण संतोषजनक नहीं है। यह सांत्वनाकारक नहीं हैं बल्कि निश्चित रूप से विस्मयकारी है। जहाँ तक पहले मानदण्ड का संबंध है हमारी यह स्थिति है। मैं कह सकता हूं कि हमने पर्याप्त लचीलापन, चालाकी और कपटता नहीं दिखाई है। हम अपनी ही भ्रान्ति से चिपके हुए हैं। हमने अपने सभी पत्ते मेज पर रख दिया है ताकि हमारे पड़ौसी उन्हें देखकर युक्ति बना सके और स्थिति के साथ अपना समायोजन वनकर सके। उनके सामने विकल्प हैं। परन्तु हमने विकल्प पहले ही समाप्त कर दिए हैं। हमारी स्थिति जलते हुए डेक पर अपने सिद्धान्तों के प्रति समर्पित लड़कों जैसी है जिन्हे हमारे दो पड़ोसी मित्रों ने युक्ति चाल द्वारा बाहर कर दिया है।

जहाँ तक अन्यर्राष्ट्रीय व्यापारी आदि में सुधार करने की दूसरी कसौटी कासम्बन्ध है उसमें भी कुछ सुधार हुआ है लेकित वहुत उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है 'नाम' को सुदृढ़ करने के हमारे प्रयासों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। जहाँ तक 'सार्क' का सम्बन्ध है इसकी स्थिति अच्छी है हय इसका स्वागत करते है परन्तु जब तक इसमें ठोस परिणाम सामने नहीं आते तब तक भारत के लोगों को उनसे कोई लाभ कोई सन्तोष नहीं होगा। यदि 'नाम' को सफल और प्रभावशाली बनाना है तो 'नाम' के सदस्यों को ऐसे तन्त्र की स्थापना करनी चाहिए जिसके द्वारा उनके द्विपक्षी मसलों को सुलझाया जा सके। जब तक 'नाम' के सदस्य अपने द्विपक्षीय मसलों को नहीं सुलझा सकते तब तक 'नाम' से विश्व शांति से कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी।

यदि हम यह चाहते है कि विकसित देश विकासशील देशों का शोषण न करे तो दक्षिण-दक्षिण की बातचीत और दक्षिणी राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम यह जानते हैं कि अल्प विकसित देशों से कृषि उत्पाद और खनिज अति उन्नत देशों से जा रहे हैं और फिर तैयार माल के रूप में वापस आ रहे हैं। जापान के एक विशाल ओद्योगिक देश के रूप में उदय से और हाल में जापान और अमेरिका के बीच हुए व्यापारिक युद्ध से यह बात स्पष्ट होती है कि अमेरिका को जापान के हाथों पराज्य का सामना करना पड़ेगा जिससे भारत व अन्य देशों के प्रति उसका रवैया बदल जाएगा क्योंकि उसे जापान के साथ कठिनतम प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में अपनी विदेश नीति तैयार करते समय हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : सभापति महोदय, इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज का विश्व एक बड़े मुश्किल समय से गुजर रहा है। आज चार बातें विश्व शांति के लिए हर पल खतरा बना हुई हैं।

एक तो हथियारों, शास्त्रास्त्रों के लिए अन्धाधुंध होड़ तथा आणविक शस्त्रों के लिए संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों तरह के उत्पादन की तरफ झुकावा।

[श्री बिपिनपाल दास]

रंगभेद की नीति अब भी जारी है, जातिय भेद-भाव अब भी जारी है। विश्व में इसके विरुद्ध विशाल जनमत होने के बावजूद यह रोग विद्यमान है। नामीबिया को अभी स्वतंत्र होना है और दक्षिणी अफ्रीका आराम से अपनी रंग-भेद तथा जातिय भेद-भाव की नीति को अपनाये चल रहा है।

तीसरे विश्व के विकसित एक-तिहाई देशों तथा विकासशील दो-तिहाई देशों में के बीच असमानता के अन्तर में कमी लाने के लिए कोई भी समाधान दिखाई नहीं दे रहा है।

चौथे, अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतें सिर्फ हमारे ही क्षेत्र में नहीं हैं बल्कि समस्त विश्व में विश्व शांति को खतरा बनी हुआ है।

जब तक विश्व में परमाणु शास्त्रों और परंपरागत शास्त्रों का निरस्त्रीकरण नहीं होगा-तब तक मानव-जाति की कोई गारन्टी नहीं है।

इस संबंध में श्री गोर्बाचौव द्वारा किए गए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं उन्होंने निरस्त्रीकरण हेतु अमेरिका के साथ समझौता करने का प्रयास किया है। मेरे विचार में उनके प्रस्ताव बहुत सकारात्मक हैं और मुझे आशा है कि ऐसे प्रस्तावों के प्रति अमेरिका द्वारा भी सकारात्मक रवैया अपनाया जायेगा निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कम से कम एक अर्थपूर्ण शुरू-आत होनी चाहिए।

रंग-भेद नीति तथा जातिय भेद-भाव को इस विश्व से समाप्त कर देना चाहिए। यद्यपि निकट भविष्य में रंगभेद नीति के समाप्त होने के आसार नहीं हैं किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध लोगों का संघर्ष सफल होगा। दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के आन्दोलन में और तेजी आनी चाहिए। अफ्रीका फण्ड के नाम से जो निधि बनाई गयी है, मैं उसका स्वागत करता हूं और यह अफ्रीका के कई राष्ट्रों के लिए सहायक सिद्ध होगी। मैं इस अवसर पर प्रधान मंत्री को उनकी सफलता पर मुबारक देता हूं जो कामन वैल्थ सम्मेलन में मतदान में आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में आस्ट्रेलिया और कनाडा को साथ लेकर चले और इस प्रकार इंगलैंड को पूर्ण तथा अलग-थलग करने में सफल हुये। यह एक बहुत बड़ी सफलता है।

विश्व में एक नई आर्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष की प्रक्रिया लम्बी होनी जरूरी है। मेरे विचार में इस दिशा में उन्नति करने के लिए यह अवश्यक है कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक उत्साह से काम किया जाये। मैंने इस बारे में सात वर्ष पूर्व दूसरी सभा में कहा था। मैं इसे अब दोराता हूं। हालांकि उत्तर-दक्षिण बातचीत के बारे में काफी कुछ कहा जाता है फिर भी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है मेरे विचार में इसका एक मात्र समाधान दक्षिण-दक्षिण बातचीत और सहयोग है जो उत्तर को दक्षिण के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर संभव व्यवहार्य और फायदेमन्द हुआ तो उत्तर-दक्षिण बातचीत को जारी रखने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, परन्तु हमें इस बात पर जोर देना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विशेष तौर पर दक्षिण-दक्षिण बातचीत के मामले को आगे बढ़ाने में इसे आरंभ करने तथा इसके लिए पहल करने में एक बहुत सुविधाजनक स्थिति में है। श्री जुलियस नरेरे की अध्यक्षता में जो आर्थिक आयोग गठित किया गया है हम सभी उसका स्वागत करते हैं और मुझे आशा है कि उससे दक्षिण-दक्षिण सहयोग में बहुत हद तक सहायता मिलेगी।

हमारी सरकार और विशेषकर प्रधान मंत्री को उनके द्वारा आज के विश्व में विभिन्न दिशाओं में की गयी पहल के लिए मुबारकबाद देता हूं। निरस्त्रीकरण के मामले में हमारे प्रधान मंत्री ने साहसी

कदम उठाया हैं जहां तक रंगभेद की नीति का संबंध है भारत की स्थिति महात्मा गांधी के दिनों से स्पष्ट है। महात्मा गांधी ही विश्व में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर जातिय भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था। हमें उस पर गर्व होना चाहिए और इस बात पर भी कि उनकी नीति को आज भी जोरदार ढ़ंग से माना जा रहा है।

जैसाकि मैंने कहा, भारत अब एक बहुत अनुकूल स्थिति में है—मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री इस बात पर ध्यान दे—नेतृत्व करें और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मामले को आगे बढ़ाये। इस क्षेत्र मे मैंने देखा है कि प्रधान मंत्री इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस को एक गति भी देना चाहते हैं। इस प्रकार निरस्त्रीकरण रंगभेद नीति, नई आर्थिक व्यवस्था और गुट निरपेक्ष आन्दोलन इन सभी मामलों पर प्रधान मंत्री और उनकी सरकार द्वारा की गयी पहल के लिए सम्पूर्ण देश समर्थन व सराहना करता है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात हैं। कि इस दो वर्ष के थोड़े से अरसे के दौरान श्री राजीव गांधी को आज विश्व के उच्च नेताओं में माना जाता है। यह विशिष्ट बात है। किसी भी देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है यहां तक कि हमारे देश में भी नहीं हुआ है। दो वर्ष में ही वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गये। ऐसा करते हुए प्रधान मंत्री समस्त देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं।

विदेश नीति में दक्षिण-पूर्व क्षेत्र को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। इस क्षेत्र में 7 देश आते हैं। पहले इसमें अफगानिस्तान भी शामिल होता था। अब यह शामिल नहीं है। यह हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में भूटान और मालद्वीप के साथ हमारी कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर पहले मेरे साथी ने जो कुछ भी कहा है उसके बावजूद, बंगला देश और नेपाल के साथ हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है। तमिल समस्या के बावजूद भी श्री लंका के साथ हमारे संबंध नहीं बिगड़े हैं। इस समस्या की वजह से हम अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते। हम इस समस्या का समाधान करने में श्रीलंका की सहायता कर रहे हैं। तमिल समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारा प्रयास दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने का है। मेरा पक्का विचार है कि श्रीलंका में तमिलसमस्या का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान राजनीतिक ही होना चाहिए। जो दोनों पक्षों को आमने-सामने आना चाहिए और इसका आधार 19 दिसम्बर के प्रस्ताव होने चाहिए। मेरे विचार में इस दिशा की तरफ दिसम्बर 19 के प्रस्तावों के आधार पर हमारी सरकार दोनों पक्षों को आमने-सामने बातचीत के मेज पर लाने का प्रयास कर रही है। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर सरकार एक बार ऐसा करने में सफल हो जाती है तो इस समस्या का समाधान मिल जाएगा।

सार्क, का गठन भी एक सही दिशा में कदम है बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। लगभग 10 वर्ष पहले मैंने कहा था कि "अगर पश्चिमी देश वहाँ एक यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन कर सकते हैं तो हम यहाँ पर एक दक्षिणी एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन के बारे में क्यों नहीं विचार कर सकते ?" परन्तु सार्क सही दिशा में एक शुरुआत है। इसकी स्थापना में हमारे प्रधान मंत्री ने एक बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। इस संगठन के अस्तित्व में आने के बाद और काठमांडू में सचिवालय खुलने के बाद मुझे आशा है कि सार्क के जरिए सभी आपसी समस्याओं का समाधान हो जायेगा और यह आपसी सहयोग और मित्रता के माध्यम से इस क्षेत्र को शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ायेगा। इस क्षेत्र में सिर्फ पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के साथ मित्रता करने के हमारे गंभीर और सही प्रयासों के बावजूद भी हम नहीं कह सकते कि इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा काफी मात्रा में हथियार जमा करना और इसे लगातार अम-

[श्री बिपिन पाल दास]

रीका से सहायता मिलना है। कुछ दूसरे क्षेत्रों जैसे व्यापार इत्यादि में हमने कुछ प्रगति भी की है परन्तु यदि पाकिस्तान हथियार जमा करता गया त हम पाकिस्तान के साथ सही मायनों में मैत्री स्थापित नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में पहले तो अमेरीका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान से कुछ खतरे की आशंका की वजह से पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं परन्तु अब अमेरिका की सरकार ऐसा कहती है कि अगर अफगानिस्तान से रूसी सैनिक वापिस भी चले जाते हैं तो वह रूस के विरुद्ध पाकिस्तान को हथियार देते रहेंगे। पाकिस्तान के नेताओं से यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि रूस पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन गया है और रूस ने पाकिस्तान के लिए कब मुश्किलें पैदा की? इसके विपरीत हमारे पास इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण है कि जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं तो उसने किसी के खिलाफ इनका कोई प्रयोग नहीं किया अपितु भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने ऐसा कार्य किया है। गत नवम्बर मैं वाशिंगटन में था मैं वहां पर अमेरिका के विदेशी मामलों के उप-सहायक सचिव श्री रोबर्ट पैक से मिला था और मैंने उनके साथ एक घंटे की बातचीत के दौरान दिए जाने पाकिस्तान को वाले हथियारों को रोकने के लिए कहा था और बताया था कि ये हथियार हमारे लिए समस्या पैदा कर देंगे। पाकिस्तान से सिर्फ आक्रमण का खतरा नहीं है पन्तु वह का ही खतरा सीमापार हमारे उग्रवादियों को भी प्रशिक्षण दे रहा है। ठीक है, उन्होंने कई इधर-उधर की बातें कही। मैं उन्हें विस्तार से नही कहूंगा। इस प्रकार अमेरिका का यह तर्क कि वह रूस के विरुद्ध पाकिस्तान को हथियार दे रहा है उचित नहीं है जबकि स्थिति यह है कि अगर रूस चाहे तो पाकिस्तान को एक दिन में उड़ा सकता है। मैं जानता हूं रूस ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा। क्या पाकिस्तान रूस के विरुद्ध वास्तव में एक रुकावट, और एक सैनिक ताकत है? इस संबंध में अमेरिका किसको मूर्ख बना रहा? वह हमें मूर्ख नहीं बना सकता। पिछली घटनायें बताती हैं कि पाकिस्तान का मकसद जैसे-तैसे भारत में अस्थिरता पैदा करना है, यह चाहे सीधा आक्रमण करके अथवा उग्रवादियों को प्रशिक्षण देकर अथवा सांप्रदायिक दंगे भड़काकर अथवा दूसरे उपायों द्वारा की जाये। इस प्रकार, यह वास्तविक है। हालांकि मुझे यह कहते हुए खेद होता है।

पाकिस्तान को भारत के हितों के विरुद्ध न कि किसी और देश के हितों के विरुद्ध, हथियार दिये गए हैं। मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि जब कभी अमेरिका ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार दिये पाकिस्तान ने उनका क्या किया। अब पाकिस्तान परमाणु बम का निर्माण करने वाला है। मैं नहीं जानता कि इस दिशा में उन्होंने कहां तक प्रगति की है, मैं तो उस वैज्ञानिक के कथन तथा जो दूसरे लोंगों ने कहा है, उसके आधार पर कहता हूँ। अमेरिका द्वारा हथियारों के उत्पादन के विरुद्ध घोषित की गयी नीति के बावजूद, पाकिस्तान को हथियार देने के लिए अब वे सिमीगंठन संशोधन को रद्द करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम बना लेता है तो इस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कह रहे हैं कि सिमिंगठन संशोधन की परवाह मत करो। और हथियरों की पूर्ति जारी रखो। इस प्रकार वे बात कर रहे है तथा चर्चा कर रहे हैं। उनका भेद पूर्णतया खुल गया है। हमारे क्षेत्र और विशेषकर भारत को अस्थिर बनाने का यह एक स्पष्ट प्रयास है।

यहां पर मैं चीन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं तो चीन का उल्लेख नहीं करना चाहता था। परन्तु उन्होंने उसका जिक्र किया है। मुझे इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि 1962 में क्या हुआ था। जब चीन ने 20 नवम्बर, 1962 को अन्ततः युद्ध विराम की घोषणा की थी आधी रात तक उस संपूर्ण घटनाक्रम को मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं उस बारे में अच्छी तरह तो जानता हूँ। मैं चीन के बारे में अच्छी तरह जानता हूं मैंने पहले भी कह दिया था कि सभी बातों

जायजा लेकर हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी चीन है। कृपया इस बात पर ध्यान दिया जाये। अपने विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन हमारा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी है। उस उस पुतिद्वन्द्वता को वह किस प्रकार निभाता है यह दूसरा मामला है।

एक माननीय सदस्य : प्रतिद्वद्वन्ता किस संबन्ध में ?

श्री बिपिन पाल दास : अगर आप मुझे समय दें तो मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा। महोदय, हम इस बात को भूले नहीं हैं कि वाशिंगठन, इस्लामाबाद और पीकिंग के बीच एक गठबन्धन हुआ था, और यह अब भी है और आगे भी रहेगा। आज वे निष्क्रिय हो सकते हैं। परन्तु कल ही वे सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए, सरकार तथा विदेश मंत्री को इन दो तथ्यों पर ध्यान देना होगा। वे हमारी सीमाओं में समस्या पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि कूटनीतिज्ञ प्रयासों से हमारी सरकार इसे सुलझा लेगी। परन्तु मैं चीन के उस वक्तव्य की जबरदस्त निन्दा करता हूं जिसमें उन्होंने अरूणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के संसद के अधिकार को चुनौती दी है। मै इसकी कडी निंदा करता हूं। उनका हम से प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और यह रहेगा। महोदय, ऐसी परिस्थितियों में हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए और देश तथा अपनी सशस्त्र सेवाओं को सम्पूर्ण तैयारी में रखना चाहिए। मेरे विचार में श्री तिवारी को इस बात पर उचित ध्यान देना चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं कहा। मेरे विचार में आज आणविक नीति पर पुर्नविचार करने का समय आ गया है और सरकार को हमारी आणविक नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। हमें इस पर विचार करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियां मुझे इस ढंग से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हम असावधान रह ही नहीं सकते। हमें किसी भी स्थिति में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान को स्पष्टता व दृढ़ता से बता देना चाहिए कि हममें उनके घृणित चालों से निपटने की क्षमता है। हममें क्षमता है और हमें उन्हें बता देना चाहिए कि अगर वे नियमों से बाहर कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम भी जानते है यह कार्य कैसे किये जाते हैं।

महोदय, हिन्द महासागर की स्थिति भी बहुत अशान्तिपूर्ण है पश्चिमी शक्तियों के असहयोग के कारण हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किए जाने पर भी इस घोषणा को व्यवहारिक रूप से कार्य रूप नहीं दिया गया है। यद्यपि 1971 में ही पारित हो गया था। हमें निरन्तर यह प्रयास करते रहना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा को व्यवहार्यंतः कार्य रूप दिया जा सके और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी नौसेना को मजबूत बनाना चाहिए। मैं यह भी कह सकता हूं कि तीनों सेनाओं में से हमारी नौ सेना सबसे कमजोर है। हमारे क्षेत्र में जो हो रहा है हम उसको नजर अन्दाज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी नौ सेना को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए। मैं यह सुझाव दूंगा कि 'सार्क' अवधारण को हिन्दमहासागर से लगने वाले सभी तटीय देशों में लागू किया जाना चाहिए। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हम सभी एशियाई देशों के साथ विशेष रूप से अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।

अब मैं अत्यंत बुनियादी प्रश्न पर आता है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि हम दो महा शक्तियों के साथ समान व्यवहार नही कर रहे हैं। हमारी नीति रूस के पक्ष में झुकी है। वास्तविक गुट निरपेक्षता के पक्षकार चाहते हैं कि हम दोनों महा शक्तियों से बराबर दूरी बनाये रखें। हमारी नीति प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक देश के साथ मित्रता की है और हम इसे निभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कृपया ध्यान दे

[श्री बिपिन पाल दास]

कि हमारी मित्रता दुतरफा है। यह एक तरफा नहीं है। यह मुख्य बात नोट करने की है कि जब हम सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों की बात करते हैं यह द्विमार्गी मित्रता है। यह एक ही दिशा में नहीं चल सकती।

3.00 म०प०

(श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई)

श्रीमन्, तथ्य क्या है, इसमें देखना है कि इन महा शक्तियों का उन कुछ अति महत्वपूर्ण मसलों पर जिनका हमारे से गहरा सम्बन्ध है, क्या रूख है। काश्मीर सम्बन्धी मामले पर रूस हमारे पक्ष में थाऔर अमेरिका हमारे विरुद्ध था। गोवा के मामले में यही हुआ। बंगला देश संकट के समय हमने सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किये। अमेरिका में क्या कियों ? अमेरिका में हमारे देश को धमकी देने के लिए अपना सातवां बेड़ा हमारे देश की ओर भेज दिया महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। पिछले 40 वर्षों के दौरान इन तीन मुख्य मुद्दों पर काश्मीर गोवा और बंगला देश के सम्बधों में हमने सोवियत संघ को अपनी ओर और अमेरिका को दूसरी ओर अर्थात् अपने विरुद्ध पाया। उन दोनों को हम एक स्तर पर नहीं रख सकते। आर्थिक विकास के मामले को ही लीजिए। हां हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध है यह अच्छा है। इस देश में भारत के औद्योगीकरण को मजबूत बनाने के मामले में अमेरिका ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है जबकि सोवियत संघ ने सब तरह से हमारी सहायता की हैं। मैं पुनः दोहराता हूं आत्मनिर्भता के हित में औद्योगिकी करण को मजबूत बनाने में सोवियत संघ ने हमारी सहायता की है अगर इसमें कहीं कोई संदेह है तो मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। बोकारो संयंत्र के उदाहरण को लीजिए। यह कहानी महत्वपूर्ण है। जब सरकार द्वारा बोकारों संयंत्र का प्रस्ताव किया गया था तो हम सहायता के लिए पहले अमेरिका के पास गये तवनी की वित्तीय सहायता, के लिए और उन्होने तत्काल यह शर्त रखी कि यह संयंत्र गैर सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। हमें बताने वाले वे यह कौन होते हैं कि हम इसे सरकारी क्षेत्र में रखना चाहते है या गैर सरकारी क्षेत्र में यह हमारी अपनी जिम्मेदारी और हमारी अपनी नीति है। इस बात का निर्णय हम करेंगे कि हम इसे सरकारी क्षेत्र में रखेंगे या संयुक्त क्षेत्र या किसी दूसरे क्षेत्र में रखेंगे। वे शर्तें निर्धारित करने वाले कौन होते हैं ? हमने सहायता लेने से इन्कार कर दिया। केवल तब हम रूस के पास सहायता के लिए गए और उन्होंने सहायता की और अब वहाँ बोकारों संयंत्र है इसलिए वे इस बात के पक्ष पर हैं कि सोवियत संघ और अमरीका को बराबर माना जाये। उन्हें सब तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। सोवियत संघ के साथ नजदी की मित्रता रखना हमारे राष्ट्री हित में है और मैं एक कदम आगे जाऊँगा और कहूंगा कि भारत सोवियत मैत्री अब तक हमारी विदेश नीति का एक मजबूत आधार रहा है और इसे बनाये रखना चाहिए इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अमेरिका के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, हम निश्चय रूप से अपना पूरा प्रयास करेंगे लेकिन जो वे कर रहे हैं हमने देखा है।

काश्मीर, गोवा और बंगलादेश और आर्थिक विकास और इस सब के अतिरिक्त इस समय अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बंद कर रहा है, पहले के इतिहास इस बात को जानते हुए भी कि पाकिस्तान उन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध कर रहा है। वह पाकिस्तान को शस्त्रों से सज्जित कर रहा है। सोवियत संघ ऐसा नहीं कर रहा है। मैं अपने ज्ञान और विश्वास से कह सकता हूं कि सोवियत संघ ने अभी तक हमारे राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं यह भी कहूंगा

कि सोवियत संघ एक महा शक्ति हो सकता है लेकिन उन्होंने हमारे आन्तरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति आगे आये और इस बात का प्रमाण दे कि सोवियत संघ भारत सरकार को इस दिशा या उस दिशा में प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। सोवियत संघ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हैं उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वे ऐसा नहीं करते वे केवल अपना सहयोग प्रदान करते हैं।

श्रीमन, मैं सदन को एक महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराना चाहता हूँ। 1971 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी राष्ट्रपति निक्सन से यह अनुरोध करने के लिए अमेरिका गई थी कि वह पाकिस्तान को यह सलाह दे कि वह तथा कथित पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करना बंद कर दे। हमारी समस्या क्या थी। हमारी समस्मा 1 करोड़ शरणार्थियों की थी। अत: इन्दिराजी ने उनसे अत्याचार रोकने की सलाह देने को कहा था जिससे हम शरणार्थियों को वापिस भेज सकते और स्ययं को भार से मुक्त कर सकते। लेकिन उनका उत्तर नकारात्मक था। उन्होंने कुछ नहीं कहा और न ही कोई सहायता की। अन्त में इन्दिरा जी ने इनसे एक प्रश्न पूछा जो बहुत रहस्योद्घाटन करने वाला है। इन्दिरा जी ने उनसे पूछा, आप हमेशा पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध समर्थन क्यों देते हैं यही इन्दिरा जी ने श्री निक्सन से पूछा, क्या आप जानते हैं निक्सन ने क्या कहा, "क्योंकि वे हमारी बातें सुनते हैं और आप नही।" यह मुझे स्वयं इन्दिरा जी से पता चला है। मैं सुनी सुनायी बात नही कह रहा हूं। इसलिए, निक्सन पाकिस्तान की सहायता कर रहे थे क्योंकि वे उनकी बात सुनते थे और हम नहीं सुनते थे। श्री निक्सन यह नहीं जानते थे कि इन्दिरा गाँधी जी किस मिट्टी की बनी हुई थी। इन्दिर गाँधी ने केवल दो महीने बाद ढ़ाका में एक जबरदस्त पाठ पढ़ाया। इन्दिरा जी को भड़काया गया था एक सिंहनी को भड़काया गया था निक्सन के शब्द बहुत अपमानजनक थे उसका अर्थ था आप हमारी सुने तब सहायता करेंगे। श्री निक्सन के वक्तव्य का यही अर्थ था। किस कारण से श्री निक्सन या उन जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा सोचा ? क्या हम भिखारी हैं ? क्या हम नीचे झुकते हैं ? उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन भारत कभी किसी सहायता के लिए किसी के आगे सिर नहीं झुकायेगा हमने जो भी मांगा है समानता के आधार पर और अपने अधिकारों के आधार पर माँगते है। कृपान्दान के रूप में नहीं, किसी व्यक्ति से कृपा से आधार पर नही। अमेरिका के लोंगों को यह समझने का प्रयास करना चाहिए और अगर वे यह समझ सकेंगे तो वे अपनी नीति की समीक्षा कर सकेंगे।

हम गुट निरपेक्षता की नीति के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध हैं। हम प्रत्येक विषय में गुण व दोष के आधार पर निर्णय लेते रहेंगे और हम अपने निर्णय स्वतन्त्रता पूर्वक लेंगे। हमारी नीति का यही सार है। जैसा कि उन्होंने कहा है हमारे चारों ओर सुरक्षा का वातावरण धूमिल है। मैं उनसे सहमत हूँ। हाल में अस्थिरता की ताकतें बहुत सक्रिय हो गई हैं। देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी ये भारत के विरुद्ध सक्रिय है। अत: इस समय एकता बनाकर चुनौतियों का सामना करने की आवश्यता है हमारे देश के अन्दर जो कुछ भी आन्तरिक राजनीतिक मतभेद है। हमें कुछ भी ऐसा नही करना चाहिए जिससे हमारी एकता, अखंडता, प्रजातान्त्रिक प्रणाली, स्वतन्त्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय उपखंडता कमजोर हो हमारी सशस्त्र सेनायें विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ट हैं हमें ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए जिससे उनका मनोबल कमजोर हो। देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें और अधिक मजबूत बनाना चाहिए।

मैं यह कह कर समाप्त करूंगा विदेश नीति की सफलता अन्तत: दो बातों पर निर्भर करती है। पहली यह कि देश आन्तरिक रूप से मजबूत और संगठित हो। यह सबसे पहली शर्त है। जब तक हमारा

[श्री बिपिन पाल दास]

देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता तब तक हमारी विदेशनीति अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। सौभाग्यवश, हमने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की सौभाग्यवश इतना हल्ला गुल्ला होने के बावजूद भारत के लोग ठोस रूप से एक होकर खड़े रहे। धर्मनिरपेक्षता पर आक्रमणों एवं साम्प्रदायिकता के होते हुए भी भारत के लोग स्वछंद और अटल रहे। अगर कोई घटना देश के किसी एक कोने में होती है तो वह कोना पूरा देश नहीं है। मैं बीती बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। मेरे विपक्ष के कुछ मित्र इसे पसंद नहीं करेंगे। वस्तुतः यह बात सी०पी० एम० के मित्रों के विरुद्ध नहीं है। वे छोड़कर चले गये हैं। 1977 के चुनावों में भारत के लोगों ने कुछ ताकतों, लोगों और शरारती तत्वों से गलत मार्गदर्शन पाकर एक गलती की।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : आप विदेश नीति पर बोल रहे हैं।

श्री विपिन पाल दास : आपने ऐसा नहीं किया लेकिन लोगों ने भी अपनी गलती को महसूस किया और तीन वर्ष में इसे सुधारा।

श्री पीयूष तिरकी : उन्होंने गलती की और इसे महसूस किया।

श्री विपिन पाल दास : पहले, देश मजबूत व संगठित होना चाहिए। दूसरे, आपके माध्यम से मैं श्री तिवारी जी को सम्बोधित करता हूँ कि हमें जितना संभव हो सके रक्षा उपकरणो के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी आंकड़े बतायेंगे कि अब तक हम कितने प्रतिशत आत्मनिर्भर है लेकिन हमें सुरक्षा के मामले में जितना संभव हो सके आत्मनिर्भर होना चाहिए जिससे कि हम अपना सिर गर्व से ऊँचा रख सकें और इस बात की ओर ध्यान दिये बिना कि हमारे लिए दूसरे क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं हम अपनी नीति का अनुसरण कर सकें।

[हिन्दी]

श्री जैनूल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदया, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विभाग का कार्य श्री नारायण दत्त तिवारी को सौंपा गया है, और श्री तिवारी जहाँ भी रहे हैं, जिस विभाग में भी रहे हैं, उन्होंने अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा और कार्य-कुशलता की छाप छोड़ी है। मुझे पूरी आशा है कि उनके कुशल संचालन में इस विभाग को आगामी चुनौतियों का मुकाबला करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी।

सभापति महोदया, विदेश विभाग के माध्यम से हम सारे विश्व से अपने सम्बन्ध कायम रखते हैं। इस थोड़े से समय में मेरे लिए यह कठिन होगा कि मैं विदेश विभाग के सभी पहलुओं और सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर सकूं, इसलिए मैं अपने को भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों तक ही सीमित रखने की चेष्टा करूंगा। हमारे जितने पडोसी राष्ट्र हैं, उन सब से हमारे सम्बन्ध विशेष प्रकार के हैं। चीन को छोड़कर अन्य सभी पड़ोसी राष्ट्र किसी न किसी समय भारत का एक हिस्सा रहे हैं, भारत में शामिल रहे हैं, भले ही अब वे राजनैतिक कारणों से अथवा ऐतिहासिक कारणों से हमसे अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गए हैं। उनसे अपने सम्बन्ध स्थापित करने से पूर्व हमें देखना होगा कि उन देशों में क्या हो रहा है, उनकी स्थिति क्या है और उन देशों के राजनैतिक क्रियाकलाप क्या हैं क्योंकि उन सब का हमारे ऊपर बडा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में जब तमिल आबादी को पीड़ित किया जाने लगा तो लगभग डेढ़ लाख शरणार्थी हमारे देश में आ

गए। इसी तरह बंगला देश से भी लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज हमारे देश में आये और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से भी भारी संख्या में शरणार्थी इस देश में आये। हाल ही में बंगला देश से 30 हजार के लगभग चकमा जाति के लोग आये हैं। पाकिस्तान की इस समय जैसी स्थिति है, करांची में दंगें हो रहे हैं, जिस तरह से वहां शरणार्थियों को कुचला जा रहा है, वहां के लोग भारत से गए लोगों को जिस प्रकार मार रहे है, उसको देखते हुए मुझे डर है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान से भी हमारे देश में शरणार्थी न आने शुरू हो जाएं।

एक विचित्र स्थिति हमारे नजदीक के देशों में यह है। इसलिए भारत एक जनतांत्रिक देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी भाषाओ के लोग, तरह-तरह की नस्ल के लोग बसते हैं और हम जनतांत्रिक तरीके से इस देश को चलाने की चेष्टा करते हैं। हमारे पड़ोसी देशों में जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कुछ पड़ोसी देश तो दिखावा करते हैं कि हम जनतांत्रिक देश हैं, लेकिन वे सही मायनों में जनतांत्रिक नहीं हैं क्योंकि जो जनतांत्रिक मूल्य हैं, वे उन देशों में नहीं हैं। चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे बंगला देश हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो और चाहे चीन हो। हमारे साथी मुझसे इस बात पर उलझ भी सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम जनतांत्रिक मूल्यों को जानते हैं, जो जनतांत्रिक भावनाएं हैं, उनके अनुसार चीन को भी जनतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमारे सामने और भी अधिक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं।

सबसे पहले मैं पाकिस्तान को लेता हूं। पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध अजीब से हैं। जब से, 1947 से पाकिस्तान और भारत अलग हुए हैं तब से हमारे उस देश के साथ नफरत और मोहब्बत के नाते रहे हैं। भारत और पाकिस्तान राजनीतिक सतह पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन गैर राजनीतिक सतह पर भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे की जनता मोहब्बत करती है। भारत पाकिस्तान की जनता से मोहब्बत करता है और पाकिस्तान की जनता भारत की जनता से मोहब्बत करती है। जब भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में मिलते हैं, तो ऐसा नहीं पाते हैं कि उनमें आपस में कोई झगड़ा या लड़ाई है, लेकिन राजनीतिक कारणों से हमारे और पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है। इसके कारणों पर हमको विचार करना है। उनमें से कुछ तो यह हैं कि पाकिस्तान अमरीका से खतरनाक हथियार प्राप्त कर रहा है पाकिस्तान एटम बम बनाने की बात कर रहा है। शिमला समझौते के बावजूद काश्मीर पर वह अपना दावा पेश कर रहा है। पाकिस्तान पंजाब में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भेज रहा है और कभी कभी हमारी सीमाओं अर फौजे जमा करता है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका क्या कारण है ? क्या भारतीय पाकिस्तान के अस्तित्व को समझ नहीं पाए हैं और क्या भारत से सचमुच पाकिस्तान को खतरा है ? क्या यह बात सही है। मेरी समझ से यह बात सही नहीं है। असलियत यह है कि पाकिस्तान में फौजी शासन है और वहां जनतांत्रिक शासन बहुत कम समय के लिए रहा है और हमारा तजुर्बा यह बताता है कि जब भी पाकिस्तान जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए मांग तेज होती है जब भी वहां इस प्रकार का वातावरण बनता है, तो पाकिस्तान के फौजी शासक उस मांग और उस संघर्ष से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारतीय सीमाओं पर फौजें तैनात कर के इस तरफ मोड़ देते हैं। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव पैदा कर देते हैं और ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे वहां पर जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो मांग है वह समाप्त हो जाए और एक झगड़े का वातावरण हो जाता है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई है वहां पर फ़ौजी शासन रहा है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं श्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जब फौजी शासन

[श्री जैनुल बशर]

के विदेश मंत्री थे, तो वह भारत से एक हजार साल कि लड़ाई की बात किया करते थे, लेकिन वही जुल्फिकार अली भुट्टो जब जनतांत्रिक पद्धति से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री चुने गये, उस समय भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के सबसे अच्छे सम्बन्ध रहे, लेकिन वही जनतांत्रिक व्यवस्था से चुने गये भुट्टो जब पाकिस्तानकी राजनीति से हटा दिये गये और फौजी शासकों ने फिर से पाकिस्तान की सरकार पर कब्जा कर लिया तो फिर हमारे सम्बन्ध उसी तरह से बिगड़ते चले गये।

इधर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो का दबाव पाकिस्तान के शासकों पर पड़ना शुरू हो गया और वह दबाव जब अधिक हो गया तो एक तरफ से भारत से खतरे की बात शुरू की गई और वहां के एक साइंटिस्ट श्री अब्दुल कादिर खां ने कह दिया कि हमारे पास एटम बम है और हिन्दुस्तान अगर हमला करेगा तो हम उस एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ फौजों का जमाव लगा दिया गया और भारत पाकिस्तान के बीच में दबाव का तमाशा खड़ा किया गया और यह जानबूझकर किया गया जिससे लोगों का ध्यान उस ओर मुड़े। इसलिये मैं इस मामले में और अधिक न कहकर इतना कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों से ही हमारा सम्बन्ध नहीं है, हमारा भारत और पाकिस्तान की जनता के बीच भी बहुत गहरा सम्बन्ध है। इसलिये पाकिस्तान में जनतांत्रिक बहाली के लिये जो आन्दोलन हो रहा है, उससे हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते, उसको हम नजरन्दाज नहीं कर सकते। उनके आन्दोलन को हमे समर्थन देना होगा और पाकिस्तान की जनता के लिए हमको अच्छी भावनाएं रखनी होंगी और हर तरह से उनको समर्थन देना होगा, क्योंकि जनतांत्रिक व्यवस्था पाकिस्तान के लोगों के हित के लिये ही नहीं है, वह भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों के लिए भी आवश्यक है। इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और वहां बेनजीर भुट्टो की अध्यक्षता में जो जनतांत्रिक आन्दोलन चल रहा है उसके लिये पूरी मदद देनी चाहिए तब जाकर पाकिस्तान और भारत के सम्बन्ध आदर्श रूप में हो सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती : अमरीकी दूतावास ने कुमारी भुट्टो की पहले ही व्यवस्था कर दी है।

श्री जैनुल बशर : मुझे नहीं मालूम उनके पास कुछ जानकारी होगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं चीन की तरफ आना चाहता हूं। चीन से जो हमारे सम्बन्ध हैं, वह पहले भी कभी ठीक नहीं थे और अब उसमें ज्यादा ही गर्मी आ रही है। चीन ने जिस प्रकार से 1962 में हमारे देश पर आक्रमण किया था और हमारी पीठ में छुरा भोंका था, वह भारत के लोगों को भूला नहीं है और न भूल सकते हैं। कहां हम भारत की सड़कों पर हिन्दी चीनी भाई-भाई का नारा लगाते थे, चीन से हमें बड़ी आशाएं थीं, उस समय विदेश नीति पर बोलने वाला कोई भी व्यक्ति पंचशील को नहीं छोड़ता था, पंचशील शब्द लिया जाता था। नेहरू जी जो हमारे उस समय के प्रधान मंत्री थे, उनको चीन पर बड़ा भरोसा था, पर चीन ने 1962 में हमारी पीठ में छुरा भोंका, हम पर आक्रमण किया, जिसके लिये हम तैयार नहीं थे और हमने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि चीन भारत पर हमला करेगा, लेकिन हमले के बाद चीन अपनी असलियत पर आ गया।

आज भी हम फिर से चीन और भारत के सम्बन्धों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ भारत और चीन के सम्बन्धों की बात हो रही है, सीमाओं के निर्धारण के लिये, और दूसरी तरफ चीनी सेनाएं हमारे अरुणाचल प्रदेश में चली आ रही है। एक तरफ शांति की बात हो रही है कि किस तरह से बार्डर पर समझौता किया जाये और ठीक उसी समय चीनी सेनाएं वहां आ रही हैं।

हमको वह दिन भी नही भूला है जब हमारे जनता शासन काल के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन में थे और चीनी सेनाएं वियतनाम पर हमला कर रही थी। वह दिन भी हमको नहीं भूला है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी हमला हुआ और वहां कुछ टेरिटरीज पर कब्जा किया गया। मुझे दुख यह है कि सरकार ने बहुत दिनों तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे आशा है कि हमारे विदेश मंत्री जब जवाब देंगे तो इसके बारे में कुछ बतायेंगे। जब चीनी सैनिक टुकड़ियाँ वहां आईं तो उसी समय हमने उनको वहां से हटाने की कार्यवाही क्यों नहीं की ? जब चीनी सैनिक टुकड़ियां अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हुईं उस समय से अभी तक उनका वहां पर कब्जा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में उनको वहां से हटाने की फौजी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि हम चीन से कुछ दब रहे हैं ?

अगर यह कार्यवाही पाकिस्तान ने कश्मीर के किसी हिस्से में की होती तो क्या आप फौज का इस्तेमाल नहीं करते, क्या वहां सैनिक कार्यवाही नहीं करते ? इस कारण जब अरुणाचल प्रदेश में यह सब हुआ तो हमने सैनिक कार्यवाही क्यों नहीं की, यह मैं विदेश मंत्री जी से खास तौर से जानना चाहता हूं। आज सारी दुनिया के समाचार पत्रों में यह समाचार छप रहा है कि इस मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में चीन बड़े पैमाने पर भारत पर हमला करना चाहता है। मैं नहीं जानता कि सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? लेकिन मुझे इतना भरोसा जरूर है कि चीन के सम्भावित हमले का मुकाबला करने की ताकत हमारी सेनाओं में है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हमारी सेनाओं को यह कहा गया होता कि अरुणाचल प्रदेश में चीन टुकड़ियों ने कब्जा कर लिया है और उसको खाली कराना है तो हमारी सेनायें खाली कराने में सक्षम थीं। लेकिन यह फैसला राजनीतिक तौर पर लिया जाता है और राजनीतिक तौर पर लिया जाना चाहिए। यह मामला बहुत ही गम्भीर है। इस कारण यह हमारे दिमागों में और भारत की जनता के दिमागों में हलचल पैदा कर रहा है। हम सब यह सोचते हैं कि आने वाले दिन पता नहीं कैसे होंगे और क्या सचमुच चीन हमला करने की तैयारी कर रहा है ? क्या यह सही है कि इस वजह से ही भारत और चीन के सम्बन्ध बिगड़ गये हैं जिससे हमारी उनके साथ लड़ाई हो सकती है। अतः ऐसे वक्त में हमें चारों ओर यह भी देखना होगा कि चीन और पाकिस्तान के और अमेरिका और चीन के आपस में कैसे रिश्ते हैं ? हमें इन सब पहलुओं पर विचार करना होगा। मैं इस मामले में और अधिक आगे नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना ही विदेश मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मामले में हमें कुछ जानकारी देने की कृपा करें।

तीसरी बात बंगला देश के बारे में कहना चाहता हूं। बंगला देश को बनाने में और बंगला देश को राष्ट्र के रूप में पैदा करने में भारत का जो योगदान था वह सभी लोग जानते हैं। इस बात को बंगला देश के लोग भी जानते हैं। लेकिन आज बंगला देश से चकमा रिफ्यूजी आ रहे हैं और भारत की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। इससे असम में तनाव पैदा होता है, बंगाल में तनाव पैदा होता है और वहां की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसी प्रकार बिहार में भी तनाव की स्थिति पैदा होती है। आखिर बंगला देश से लोग भारत को क्यों आना चाहते हैं ? हम सब जानते हैं कि बंगला देश

[श्री जैनुल बशर]

की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि रोटी-रोजी की तलाश में बहुत से लोग भारत की तरफ आने की कोशिश करते हैं। 30 हजार चकमा जाति के लोग त्रिपुरा में आकर बस गये हैं। वैसे हमारी उस सिलसिले में बातचीत चल रही है। जहाँ तक मैं समझता हूं कि हमारे और बंगला देश के बीच-विवाद सीमाओं पर तार और बार्ब्ड लगाने में ढिलाई के बारे में हैं। जब भी हम सीमा पर तार और बार्ब्ड लगाने की बात करते हैं तो बंगला देश इसमें एतराज करता है। वह बार्ब्ड लगाना नही चाहता। इसका मतलब यह समझा जाना चाहिए कि बंगला देश के लोग और बंगला देश की सरकार वहां से जो लोग आना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए कोई कार्यवाही नही करना चाहती बल्कि उनको और प्रेरित करती हैं कि वह इधर चले आयें और बंगला देश से चले जायें। इस मामले में भी क्या कार्यवाही हो रही है, मुझे आशा है कि विदेश मन्त्री जी जब जवाब देंगे तो कुछ बतायेंगे।

आखिर में श्रीलंका के बारे में कुछ कहकर मैं समाप्त करूँगा। आज श्रीलंका में जो स्थिति है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाय कम है। भारत ने इस मामले में तमिल आबादी और श्रीलंका सरकार के बीच में समझौता कराने की कोशिश की। इसी बीच में भारत का मंत्रि-स्तर का एक डेलिगेशन श्रीलंका गया और वहां उसने राष्ट्रपति जयवर्धने से बातीचीत की, उसमें कुछ बातें तय हुई, कुछ प्रस्ताव तय हुए जोकि तमिल उग्रवादियों के साथ बातचीत करने का आधार बन सकें लेकिन बाद में श्रीलंका की सरकार उसके लिए तैयार नहीं हुई, अपनी सहमति देने के बाद उन्होंने उन प्रस्तावों को वापिस ले लिया। और इस समय ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती कि निकट भविष्य में श्रीलंका की सरकार और तमिल आबादी के प्रतिनिधियों के बीच में कोई समझौता हो सके या समझौते की कोई बात हो सके। अभी श्रीलंका से जो खबरें आ रही हैं, आज की ही खबर है कि डेढ़ सौ लोग कोलम्बो में मार दिये गए। काफी उन पर अत्याचार हो रहा है। ब्लाकड हुआ, सारी खाने-पीने की जरूरी चीजे और दुसरे सामान उनके यहां तक पहुचने से रोक दिये गए। रेफयुजीज हमारे यहां चले आ रहे हैं। दुसरे उग्रवादी तत्व भी आ रहे हैं जिससे हमारी दक्षिणी रियास्ती, खासकर तमिलनाडु में एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है। तो इसके लिए क्या किया जाये ? मैं में सैनिक कार्यवाही के विरुद्ध हूं। किसी भी सैनिक कार्यवाही के विरुद्ध होते हुए भी मैं सरकार से यह जरूर चाहता हूं कि प्रभावकारी तरीके से श्रीलंका की समस्या के समाधान के लिए वह अधिक से अधिक कोशिश करें। मुझे आशा हैं कि तिवारी जी के कुशल नेतृत्व में इस मामले में भी हम कोई ठोस नतीजा प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि अगर श्रीलंका के मामले में कोई ठोस नतीजा बरामद नही होगा तो उससे हमारे यहां खासकर तमिलनाडु स्टेट में स्थिति खराब हो सकती है और खराब हो भी रही है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बात के लिए संतोष प्रकट करता हूं कि अपने पड़ोसियों से रिश्ते कायम करने की जो सरकार की नीयत है वह अच्छी है। और साथ ही साथ विदेशों में, चाहे वह नानएलाइन्ड मूवमेंट हो, चाहे सार्क हो, चाहे विदेशों में साउथ-साउथ डायलाग हो—हर स्तर पर हमारे देश की प्रतिष्ठा इस सरकार ने, खासकर हमारे प्रधान मन्त्री जी ने और हमारे विदेश मन्त्री जी ने विदेश नीति के कुशल संचालन से बढ़ाई है। भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में काफी बढ़ी है। मुझे आशा है कि उस प्रतिष्ठा को कायम रखने में हम सक्षम होंगे और हमारे पड़ोसियों से जो थोड़े बहुत हमारे विवाद हैं, उनको भी ठीक प्रकार से हल किया जा सकेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभापति महोदय, इस तथ्य के बावजूद कि केन्द्रीय सरकार बहुत खराब सरकार है, आन्तरिक रूप से इसकी नीतियां जन-विरोधी हैं, लेकिन हम शांति हेतु गुट-निरपेक्षता निशस्त्रीकरण, रंग भेद विरोधी इत्यादि कुछ बाहरी नीतियों का समर्थन करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : और अच्छे विदेश मंत्री जी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम विश्वास के साथ कहते हैं कि ये न केवल सरकार की नीतियाँ हैं बल्कि देश की तथा इसकी जनता की नीतियाँ हैं। इन नीतियों में अस्थिरता उत्पन्न करने के किसी भी प्रयास का देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विरोध किया जायेगा। इस संदर्भ में, शांति की कुछ मुख्य बातों को पहले ही अपना समर्थन दिया है, अर्थात् छः राष्ट्रों की घोषणा, दिल्ली घोषणा, हमने श्री गोर्बाचोव के द्वारा दिये गये ठोस शांति प्रस्तावों को समर्थन दिया और सारे देश ने इसका दिल से स्वागत किया है यह सभी बहुत ही रचनात्मक विकास हैं और यह विश्व में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में हमारे देश का योगदान है।

इस संदर्भ में, हम कतिपय पश्चिमी शक्तियों, साम्राज्यवादी शक्तियों, जिनका संचालन संयुक्त राज्य साम्राज्यवाद हमारे देश को अस्थिर करने, हमारे देश को विभाजित करने के लिए करता है, के प्रयासों को बहुत ही गम्भीर रूप से देखते हैं और हम इसे किसी अन्य की कल्पना नहीं समझते हैं। यह एक वास्तविक धमकी है। हम यह बात वर्षों से कह रहे हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि केन्द्रीय सरकार जब इस बात पर बल देती है कि हमारी एकता को खतरा है लेकिन उसने अभी तक ठोस रूप से उनके नामों का पता नहीं लगाया है तथा देशवासियों को उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास नहीं किया है ताकि हम एकजुट होकर उनका मुकाबला कर सकें। हमारी नीति में यह एक बहुत बड़ी कमी है।

महोदय, मैंने विदेश मन्त्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ा है और उसमें मैंने पाया कि मात्र सामान्य दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है कि सभी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं अथवा सुधार रहें हैं अथवा निकट भविष्य में सुधर जायेंगे। यह इच्छा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सभी देशों की सरकार के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हो। यह बहुत ही स्वागत योग्य हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि कतिपत देशों की कुछ सरकारें जो हमारे देश के खिलाफ हैं और उनकी शत्रुता किसी विशेष क्षेत्रीय शिकायत के कारण नहीं है बल्कि उनकी भारत के प्रति प्रतिकूलता इसलिए है कि वे साम्राज्यवादियों द्वारा चलाये जा रहे विश्व-व्यापी षडयंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम सरलता से कार्य नहीं कर सकते। जब हम संयुक्त राज्य अमरीका की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तथा हमारे व्यापरिक सम्बन्धों में प्रगति हो रही हैं इत्यादि। हमें जनता को बताना होगा कि वे कैसे हमारे देश को किस प्रकार घेरने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने सी० डब्ल्यू० सी० संकल्प को पढ़ा है। हालांकि यह देखने मे एक अच्छा संकल्प लगता है। यह भी प्रतीत होता है कि गत छः सप्ताह से अस्थिरीकरण की प्रक्रिया देखी जा रही है। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शाह बुद्दीन (किशनगंज) : क्या इसके लिखने में आपका हाथ था ? **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : परन्तु केवल छः सप्ताह से ही क्यों और इस प्रकार से एक अच्छे संकल्प ने अपनी विश्वासनीयता खो दी है। अगर आप देश की एकता के प्रश्न को षड़यंत्रों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध की जा रही लड़ाई को दबाने तथा अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इस देश के लोग आपके इरादों को गम्भीरता से शक की नजर से देखेंगे। **(व्यवधान)**

महोदय, हमारे पड़ोस में, सभी राष्ट्रों से अच्छे संबन्ध बनाने के हमारे प्रयासों के बावजूद 'सार्क' बनाने के बावजूद, वास्तविकता यह है कि वे हमारे देश से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखने संबन्धी कोई भी राजनीतिक निर्णय अपनी तरफ से स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते। वे विश्व व्यापी रूप से साम्राज्यवादी षड़यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबन्ध है, श्री जैनुल बशर ने बताया है कि किसी प्रकार से पाकिस्तान में लोकतन्त्र स्थापित होने के साथ हमारे अच्छे संबन्धों की बात जुड़ी हुई है।

अब फिलहाल, जब पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हुई थी तो हमारे अच्छे संबन्ध थे। यह ठीक है। मैं उस दस्तावेज से, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाउस आफ फारेन एफेयर्स कमेटी को दिये वैयक्तिक संक्षिप्त विवरण में 1 मार्च, 1983 को कहा था, उद्धृत करता हूं :

> "दक्षिण और दक्षिणी-पूर्व एशिया अमरीका के लिए बहुत ही सामरिक महत्व का क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर नियन्त्रण हमारे हित की बात थी ''हम 100 मिलियन लोगों के देश को नहीं खरीद सकते थे। लेकिन हम पाकिस्तान की सेना नौसेना तथा वायु सेना को खरीद सकते थे और हमने ऐसा किया।"

अतः पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह को अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा सहायता दी जा रही है तथा उसे भड़काया जा रहा है। क्योंकि वहां पर सैनिक तानाशाही को बनाये रखना उसके लिए सुविधा जनक है। पाकिस्तान में लोकतन्त्र बहाल होने से, उनके षड़यंत्रों को लोगों द्वारा विफल कर दिया जायेगा तथा हमारे पड़ोस में इन राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे। अमेरीकी साम्राज्यवाद वहां पर सैनिक तानाशाही को बनाये रखने के लिए उसे प्रोत्साहित करने में रुचि रखता हैं ताकि वे अस्थिरता की अपनी पूरी प्रक्रिया को जारी रख सके।

इस संदर्भ में, अगर हम गंभीरतापूर्वक यह समझना चाहते हैं कि हमारी एकता को बहुत गंभीर खतरा है तो हमें स्पष्ट रूप से शत्रु का उल्लेख करना होगा। इस बारे में मैं कहूंगा कि हमारी विदेश नीति हमारी अन्य नीतियों से बहुत अधिक अतः सम्बद्ध है। यह किस तरह से है ? जब हम समझेंगे कि हम खतरा है तो हमें यह समझने में चूक नहीं कर सकते कि अमरीका हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास में गंभीरता से सहायता करेगा, हमें सुपर कम्प्यूटर, तकनीकी तथा सभी प्रौद्योगिकी और ज्ञान तथा जानकारी उपलब्ध करायेगा, यह कैसे हो सकता है ? वे इस बारे में क्या कह रहे हैं ? रीगन प्रशासन के नीति सम्बन्धी लक्ष्यों को रूप रेखा बताते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जोकि श्री फ्रैंक कार्लराकी द्वारा जो प्रस्तुत की गयी थी श्री पोयन्डैक्स्टर के ईरानगेट कांड में सत्ता से हटने के बाद आये थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है :

> "विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विदेश नीति के साधन के तौर पर लिये जाते हैं। अमेरिका का विश्व नेतृत्व तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके विस्तृत संसाधन उसके वर्तमान सम्बन्धों को मजबूत करने के महत्वपूर्ण सामरिक साधन हैं।

अब वे अन्य देशों की परिस्थितियों को प्रभावित करने के लिए इसे एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। श्री बिपिन पाल दास ने बहुत ठीक ही कहा है कि जब हमें 'बोकारो' स्थापित करना था, हमने पहले सोवियत संघ से बातचीत करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, हम अमेरीका के पास गये और उसने हमें क्या उत्तर दिया? वे हम पर अपनी शर्तें थोपना चाहते थे। मैं यहां पर सोवियत संघ की पैरवी नहीं कर रहा हूं। हम अनावश्यक ही ऐसा नहीं करते। लेकिन आप अपने अमरीकी अनुभव से सीखे हैं कि वे नहीं बल्कि सोवियत संघ भारत का सच्चा मित्र है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हमने यह सबक पूरी तरह से सीख लिया है। अभी भी कुछ भ्रम हैं जो लोगों को सक्रिय करने में समस्या पैदा कर रहा है।

अभी-अभी हम समाचार पत्रों में पढ़ चुके हैं कि श्री नटवर सिंह वहाँ अमेरिका में हैं। श्री बुश के साथ उनकी क्या वार्ता हुई? वह वहां किस लिए गए? यह सब जानना हमारे लिए बहुत महत्व पूर्ण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : फेयरफेक्स।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे नहीं मालूम कि वह किस लिए गए।

एक माननीय सदस्य : किसी अन्य सौदे के लिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हम सभी देशों के साथ मित्रता रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अन्य देश हमारे देश से मित्रता को किस ढंग से ले रहे हैं? आपने पश्चिमी यूरोप के बारे में जो कहा—मैं पढ़ता हूं।

> इन देशों ने अपनी पूर्णतया निर्यात निर्भर अर्थ व्यवस्था के पोषण हेतु नए बाजारों की अपनी तलाश में भारत को इस श्रेणी में रखा है।"

ठीक है, यह उनका इरादा है। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए। वे यहां आ रहे हैं। वे बिना किसी उचित कारण के अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन वे विशेष स्थिति का लाभ उठाने आ रहे हैं जो अब आप हमारे देश में पैदा कर रहे हैं। अमरीका क्यों इच्छुक है? असली मित्रता के लिए, क्षुद्र लालच उपर्युक्त रास्ते में नहीं आते हैं।

इस समय हम अपने पड़ोस में सभी देशों के साथ मित्रता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने का प्रश्न, संपूर्ण विश्व में क्या घटित हो रहा है—इसके संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। वर्ष 1971 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार यह फैसला किया गया था कि इस समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। इसका क्या हुआ? अब श्री लंका मुकर रहा है। श्री लंका की अब धारणा अब अलग है। अब वे हिन्द महासागर क्षेत्र में अमरीका की उपस्थिति का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते है कि भारत की स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सकता है और उनकी सर्व प्रभुता के लिए खतरा हो सकता है, अतः उन्हें अमरीका की उपस्थिति और सहायता की जरूरत पड़ सकती है। वे उन्हें अपने देश में निमन्त्रण दे रहे हैं। वे 'मोसाद' को ला रहे हैं जो आस्थिरता

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

पैदा करने वाली बहुत बड़ी ताकत है। अब, हम इस बारे में क्या करने जा रहे हैं ? क्या आप यह कहने जा रहे हैं। कि यह सम्मेलन चूंकि श्री लंका में होना था इसलिए अब वे मुकर गए हैं। आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं ? दूसरा स्थान ढूंढ़िए, इस सम्मेलन को करने का प्रयास कीजिए और ढूंढ़ने में अगुवाई कीजिए। यह मामला, जैसा मैं समझता हूँ, बहुत महत्त्वपूर्ण है।

अब मैं अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न लूंगा। यह चीन से हमारे संबंधों के बारे में है। यह देखना वास्तव में दुःखदायी है कि जिस समय हम अपने संबंधों में सुधार की आशा कर रहे हैं, तब ऐसी सूचनाएँ और खबरें आ रही हैं कि मामला बिगड़ता और नाजुक होता जा रहा है। मैं इस क्षेत्र में स्थिति के बारे में मन्त्री महोदय से एक स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं। समझौता के रास्ते में क्या-क्या अड़चने हैं ? वे हमारे से क्या करवाना चाहते हैं ? हम उनसे क्या करवाना चाहते हैं ? हम इस समस्या का सैनिक समाधान नहीं चाहते। वह बेकार है। यह असम्भव है। बहुत पहले हमनें कहा था कि वार्ता होनी चाहिए। हम अभी भी इस पर जोंर देते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि हम बातचीत करके समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ताओं के कुछ दौर हो चुके हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को हमारे रास्ते में कठिनाइयों के बारे में स्पष्ट तस्वीर पेश करनी चाहिए। उन्हें हमें बताना है। हम क्षेत्रवार समझौते के बारे में सुनते हैं, इसके बाद हम पैकेज समझौते के बारे में सुनते है। लेकिन हम वास्तविक रूप से असलियत नहीं जानते। हमें कोई नहीं बताता है। हम यह भी नहीं जानते कि हमें कुछ टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस शत्रुतापूर्ण वातावरण में हमें एक महत्त्वपूर्ण कदम यह उठाना चाहिए कि हम चीन से अपने सीमा-क्षेत्र का बचाव करें। हमें मित्र बन जाना चाहिए। इससे न केवल इस क्षेत्र में अपितु सम्पूर्ण विश्व में शान्ति स्थापना में काफी योगदान मिलेगा। दूसरी ओर इससे हमारे आर्थिक प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी क्योंकि इससे हमारे आर्थिक विकास के लिए अधिक निवेश की गुंजाइश हो जाएगी। मैं उन अतिराष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं जो यह कहूँ कि हम चीन से एक हजार वर्षों तक लड़ेंगे। मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। कई कह सकता है कि अमेरिका चीन को सहायता कर रहा है और चीन पाकिस्तान को सहायता कर रहा है। हां, चीन पाकिस्तान को सहायता कर रहा है। और हमें कुछ चीजों का जिन्हें हम पसन्द नहीं करते और जो हमारे हित में नहीं है, उनकी आलोचना करने का पूरा अधिकार है। हम यह खुले रूप से कर सकते हैं। यह इतना आसान है। लेकिन चीन और भारत को मित्र बनाना होगा। यह एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। हमें मित्र बनना होगा। अड़चन क्या है ? आप कृपया हमें बताईये। रुकावटें क्या हैं ?

श्री जैनुल बशर : हम भी चीन के मित्र बनना चाहते हैं। इस बारे में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं कैसे कह सकता हूँ ? मैं चीन के साथ वार्ता नहीं करता हूं। यदि माननीय विदेश मंत्री मुझे अधिकार दे दें तो मैं कोशिश कर सकता हूं।

महोदय, बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें जानना चाहिए कि अड़चन क्या है। यदि हम कुछ कह सकते हैं, हम कहेंगे। यदि आप कहते हैं कि हमें उनके साथ युद्ध करना होगा तो युद्ध कीजिए।

इस पृष्ठभूमि में, जब हम संबंधों में वास्तविक सुधार लाने की तथा अन्य बाते कहते हैं···(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चौधरी, आप समाप्त कीजिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन्हें यह क्यों नहीं कहते कि जब वह बोल रहे हों तो (व्यवधान) न डालें ।

सभापति महोदय : सोमनाथ जी, आप हस्तक्षेप कर रहे हैं । कृपया हस्तक्षेप न कीजिए ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, जरूरत इस बात की है कि हम पहले अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें । आम तौर पर सब जगह जाने से और मित्रता की बात करने से कुछ नहीं निकलेगा । हमें यह समझना है कि कुछ सरकारें बुरी हैं और कुछ सरकारें अच्छी हैं । जो सरकारें अच्छी हैं, उनके साथ-साथ हमें मित्रता करने की कोशिश करनी चाहिए । यह हमें पहले समझना चाहिए । यह काफी है । अब, जब हम यह दावा करते हैं कि कुछ देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं जैसे स्विजरलैंड के साथ जो हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं विश्वास करता हूं, आप उन्हें यह क्यों नहीं बता सकते कि आपका जो स्विस बैंक है वह परेशानी पैदा कर रहा है और आप कुछ बाते प्रकट कीजिए ।

मैं विश्वास करता हूँ, वाद विवाद के दौरान, हमने यह प्रश्न उठाया और स्विस मंत्री की तरह हमारे मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, "ओह, नहीं उनके यहाँ कानून नहीं है," आप उनके कानून के बारे में चिन्ता करने वाले कौन होते हैं ? आप उन्हें बता दीजिए, "आप प्रकट कर दें और यदि आप प्रकट नहीं करते तो हम कार्यवाही करेंगे । हम इसे अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाएंगें और हम देखेंगें । यही स्वीडन के बारे में कहा जा सकता है रक्षा संबंधी सौदों के बारे में बातें सामने आ रही हैं ।

इस समय आप हमें बताएँ कि हमारा विदेशी गुप्तचर व्यवस्था क्या है, वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वे सक्रिय हैं या नहीं हैं । लेकिन एक बहुत ही अनुकुल सूचना जर्मन दूतावास से, मैं विश्वास करता हूं, फेयरफेक्स मामले के बारे में आई है ।

सभापति महोदय : अब आपको समाप्त करना चाहिए । आप भाषण लम्बा खींच रहे हैं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सूचना किसने दी ? सूचना क्या थी ? इस प्रकार ये सब बातें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं ।

स्विडिश सरकार के बारे में, हम समाचार पत्र में पढ़ चुके हैं कि वे किसी प्रकार की जाँच करवाने जा रहे हैं लेकिन इस सदन में हमने कुछ नहीं सुना । तब आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से बताना होगा कि क्या अपने बोफोर्स के संबंध में स्विडिश सरकार से यह मामला उठाया है या नहीं उठाया है ? लेकिन कुछ बाते अब प्रकट हुई हैं और ये बहुत गम्भीर हैं । इस तरह की बाते कि स्विडन में शास्त्र सामग्री निरीक्षणालय का प्रधान एक अजीब ढंग से भूमिगत रेलगाड़ी दुर्घटना में मारा गया । और लोग संदेह करते हैं कि यह बोफोर्स द्वारा ईरान को शास्त्र आपूर्ति करने के बाद हुआ था ।

इससे पूर्व जब सौदा हो रहा था, इसका पूर्वाधिकारी बीमार पड़ गया और मर गया, और लोग संदेह करते हैं । कि ओलोफ पाल्मे की हत्या में भी बोफर्स का हाथ है इस समय मुद्दा यह है

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

कि समाचार पत्रों में कुछ बाते आ चुकी है कि बम्बई में एक नौसेना कमाण्डर ने आत्महत्या कर ली है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप 25 मिनट ले चुके हैं। आपके दल के लिए आबंटित समय 30 मिनट का था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : 30 मिनट में से, मैंने केवल 25 मिनट लिए हैं।

सभापति महोदय : अब आपको समाप्त करना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्यों ? नहीं। हमारे दल का अन्य कोई वक्ता नहीं है।

सभापति महोदय : 'नहीं' न कहिए। अब आपको समाप्त करना चाहिए। आपको जितना सम्भव हो सके संक्षिप्त होना चाहिए। आप 'नहीं' नहीं कह सकते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे हमारी विदेश नीति के बारे में जो बात अवश्य करनी चाहिए, वह यह है। हमारे परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकता क्या होनी चाहिए ? हमें इन सब बातों को आगे बढ़ाना चाहिए जो वास्तव में हमारे देश के हितों को लाभ पहुंचाएगी। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि दुश्मन कौन हैं, कौन हमारे को तोड़-फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और कौन हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ बाते दबाने से यह आशा नही कर सकते कि निकट भविश्य से बातों में सुधार होता जाएगा। यह नही होगा। यदि हम कुछ बातें समझते हैं, हमें उन्हें स्पष्टतः बताना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि बाहर से भी अनेक प्रयास हो सकते हैं, पूंजीवादी ताकतें हमारे देश को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रही होंगी। लेकिन यदि हमारी सरकार अच्छी है, यदि हमारी सरकार गतिशील है और यदि हम देश को विश्वास में लेते हैं, यदि हम उन्हें जागरूक बनाते हैं, यदि हम उन्हें संगठित करते हैं, तब कोई भी ताकत हमारे देश को भविष्य में किसी भी समय अस्थिर नही बना सकेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : सभापति महोदय, मैं अभी आश्चर्यान्वित था जिस समय हमारे प्रिय मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी बोल रहे थे। जहाँ तक विदेशी मामलों का संबंध है, हमारे और उनके बीच क्या यही अन्तर है ? वह कहते हैं कि उनकी सोवियत संघ से कोई लड़ाई नही है। (व्यवधान)। वह ऐसा नही कहते हैं लेकिन चीन उनका मित्र है। (व्यवधान) हमारा दुश्मन कौन है ? वह चाहते हैं कि हम घोषणा करें कि हमारा मित्र कौन नही है और क्या यह कहना हमारे लिए संभव है कि फलां-फलां हमारा दुश्मन है। क्या यही वह चाहते हैं ? क्या इसी तरह विदेशी मामलो का संचालन किया जाता है ? यहाँ तक कि सोवियत संघ और चीन, सोवियत संघ और अमेरिका भी एक दूसरे को अच्छा नही समझते हैं। वे समय-समय पर एक ही मेज पर आने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, और साथ ही यूरोप के मध्य में और कभी फिनलैंड में और हर बार जनेवा में वे कभी-कभी इक्ट्ठा होने के अवसर का स्वागत करते हैं और फिर भी कभी किसी निर्णय पर नही पहुंचता अतः, मैं नही समझता कि वह ठीक रास्ते पर हैं,। जब वह हमारी सरकार को इसीलिए दोषी ठहराते हैं कि यह बताने में असफल रही है कि फलां-फलां हमारे दुश्मन हैं और अमुक-अमुक विश्व में हमारे विरोधी हैं।यदि वे

हमारे विदेशी मामलों के प्रभारी होते तो क्या इस तरीके से वह सरकार चलाना पसन्द करते। दूसरी बात चीन से किस प्रकार का उपयुक्त समझौता करनें में भारत को क्या अड़चन है ? आज चीन और रूस के बीच क्या अड़चन है ? क्या वे सब एक समान हैं ? वे नही हैं। क्यो ? वह क्या चीज है जो चीन को वियतनाम से अलग करती है ? एक समय में वे अच्छे मित्र थे, पश्चिमी साम्राज्य वाद के खिलाफ घनिष्ट मित्र थे। पाकिस्तान, श्री लंका में सीलोन में अब अंतरिक्ष युद्ध (स्टार वार)' के लिए जो शक्ति कार्य कर रही है यह वही शक्ति है। कुछ लोगों का कहना था कि श्री लंका काफी छोटा था, हमें उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था और अभी भी ऐसा लगता है कि हम काफी समय से एक साथ कार्य करते रहे हैं। 19 अगस्त को हमारे मित्र बिपिन चन्द्र पाल ने अपने उत्कृष्ट भाषण में यह कहा था अभी तक, इसका नतीजा क्यों नहीं निकला ? इसके, खिलाफ वही बल वहां पर है। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि हम उन्हें बतायें कि अमुक-अमुक देश समग्र रूप से विश्व के शत्रु हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब तक वहां पर युद्ध नहीं है, शत्रु जैसी कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान की बात ही कर लीजिये वह क्या है जो उनके और हमारे बीच है। हमारे मित्र श्री बशीर ने अपने अत्यन्त स्पष्ट तथा निष्कपट भाषण में कहा कि पाकिस्तान के लोग हमारे साथ मित्रतापूर्ण हैं। हम इस बारे में निश्चित रूप से जानते हैं हमारा उनके प्रति मित्रतापूर्ण रवैया है लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे बारे में उनकी भावनायें क्या हैं क्योंकि वहां पर तानाशाही। है संयुक्त राष्ट्र अमरीका का अपना लोकतन्त्र है वह इस पर चल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि पाकिस्तान में सिर्फ तानाशाही है या इसके किसी पड़ोसी देश मे ऐसा है क्योंकि उसे एक सुविधाजनक मित्र देश चाहिये। एक लोकतांत्रिक देश उतना अधिक सुविधाजनक नही हो सकता क्योंकि उनमें एक तरह की लड़ाई होगी जैसी कि हमारे लोकतन्त्र में रही है, हां और नही, हां या नही कारण वश और अकारण, वे इस तरह की बातें नही चाहते। वे तानाशाह से निपटने में सुविधा महसूस करते हैं। पाकिस्तान में लियाकत अली खान की हत्या के बाद कितने समय तक और कब वहां लोकतांत्रिक शासन रहा। सारे समय वहाँ पर तानाशाही, सैनिक शासन रहा है ? ऐसा क्यों है ? क्या सेना इसलिए है कि लोग वहाँ पर अपने अधिकारों पर दृढ़ नहीं रह सके हैं ? सैनिक शासन की वजह से उन्हें चुपचाप रखा गया। उन्हें इस स्तर तक नीचे झुका दिया गया कि वहाँ के लोगों को उस भयानक मुसीबत से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। सब लोग जानते हैं ऐसा हो रहा है। भारत सरकार को क्या करना है ?

4.00 म० प०

जहाँ तक चीन का संबंध है हम उसके साथ दोस्ती बनाये रखना चाहते हैं। 1962 के विश्वासघात के बाद हमारे देशवासियों का चीन के प्रति अविश्वास की सामान्य प्रवृत्ति के विरूद्ध जाने का साहस इंदिराजी ने किया था उसके बाद क्या होता रहा-उन्होंने राष्ट्र को यह कहने की हिम्मत की कि समय आ गया है जब हमें चीन को मित्र बनाना चाहिये। बहुत से लोगों ने विरोध प्रकट किया लेकिन हम में से कुछ लोग जो कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे उन्होंने भी इन्दिराजी का समर्थन करने का साहस दिखाया। हम उनके कार्य की सराहना करते हैं। परन्तु पिछले 12 वर्षों से अधिक से अधिक हमारे और चीन के बीच ऐसा क्या आ खड़ा हुआ है ? उसी शक्ति की वजह से। हमें अपने आप को यह कहकर अन्धेरे में रखने की क्या जरूरत है कि चीन स्वतंत्र और पूर्णतया। स्वतन्त्र देश है ? स्वतंत्र चीन किसी भी स्वतंत्र देश की भाँति स्वतंत्र है परन्तु मैं कहूंगा कि स्वतंत्र चीन को उसके अपने कुछ मित्रों की सलाह पर ध्यान देना होगा और सभी लोग जानते हैं कि वह मित्र आज विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति है।

[श्री ...]

अब चीन भारत से क्या चाहता है ? थोड़ा इधर और थोड़ा उधर। लेकिन क्या हमने चीन के क्षेत्र में से एक इंच का भी दावा किया है ? नहीं, लेकिन वह दावा करता है। उसके बारे में भी चीन वार्ता करने के लिए तैयार था लेकिन जैसे ही वह कोई तर्कसंगत बात करने पर तैयार होता है तो कोई मित्र या अन्य उसको बीच में ही घुमा देता है। और चीन इस बात को जानता है।

4.01 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

हाल ही में हमारे साम्मानीय देशभक्त श्री शंकरन नम्बूदरीपाद चीन गये थे—वे मेरे साथ जेल में रहे थे—उन्होंने उस देश का दौरा किया तथा प्रेस वक्तव्य में उन्होंने यह बताया कि चीन सरकार और चीन के नेता सीमा विवाद को सुलझाने में बुद्धिमानी से काम लेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र श्री शंकरन नम्बूदरीपाद को सफलता मिले। लेकिन क्या उन्हें सफलता मिलेगी। हम नहीं जानते। हमारे मित्र उनके मित्र हैं। क्या ऐसा नहीं है ? वे इसमें कोई नुकसान नहीं है। हमें ऐसे मित्र चाहिए जो इस सभा में उपस्थित अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति और ऐसे ही राज्यों में कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को हम मित्र बनाना चाहते हैं ताकि हम चीन के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से समझौता कर सके। हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। भारत सरकार कोई बाधा नहीं खड़ी करेगी। वास्तव में भारत सरकार के राजनीतिज्ञ समय-समय पर वहां जाते रहे हैं लेकिन अकारण ही कुछ न कुछ होता रहा है और ऐसा लगने लगता है कि हम झगड रहे हैं ऐसा हो रहा है।

लेकिन हिन्द महासागर में वास्तविक समस्या क्या है ? जैसा कि मैंने कहा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। हमें श्रीलंका में सम्मेलन करना चाहिये था। तीन या चार वर्ष पहले, आपसे पूर्ववर्ती मंत्री जी हमें बता रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प पारित किया है और वे वहां मिलने के लिए सहमत हो गये हैं लेकिन फिर भी श्रीलंका के नेताओं से बार-बार अनुरोध किया गया कि वहां एक सम्मेलन बुलाया जाए। कोई पीछे से ऊपर नियन्त्रण रखता है। और नियंत्रण नहीं भेजे गये। उन दिनों विदेश मंत्री श्री दिहेश सिंह के जबकि पहला सकल्प पारित किया गया तब किसी व्यक्ति ने कहा "अरे हिन्द महासागर की बड़ी महाशक्ति की प्रतिद्वंदिता से रक्षा की जानी चाहिए।" यह केवल दियागो गार्षिय का हीं क्षेत्र नहीं है दोनों नौ सेनाएं वहां पर हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हे एक दूसरे की निगरानी करनी है हम उन पर नजर रखनी होगी और यहां मैं अपने मित्र श्री विपिन पाल दास की इस दलील से सहमत हूं कि हमें अपनी नौ सेना को मजबूत बनाना चाहिए तथा उसका आगें विकास करना चाहिये। लेकिन उनमें से कुछ मित्र ऐसी बात करते हैं जो इसमें सहायक नहीं हो सकते; क्योंकि यह कहना तो आसान है कि हमें रक्षा उपकरणों के मामलों में रक्षा दलों के प्रशिक्षण और उनकी कार्यकुशलता आदि मामलों में आत्म निर्भर होना चाहिए। लेकिन हम इतने स्वतन्त्र नहीं हो सकते। हमें अन्य देशों से बहुत ही चीजें लेनी होती है और इनमें से अधिकांश देश संयुक्त राज्य अमरीका के नियन्त्रण में आते हैं। स्वीडन थोड़ी दूर हैं; थोड़ी ही दूर जर्मनी है तथा फ्रांस भी है। परन्तु इंग्लैण्ड संयुक्त राज्य अमरीका से बिल्कुल भी दूर नही हैं। अतः हम इंग्लैड नहीं जायेंगे। लेकिन इन अन्य सभी देशों में हम जाते हैं। हम इन देशों में जाते हैं तो उल्लेख करने हेतु उनकी अपनी परिस्थितियां हैं हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना है। हमें अपने इरादों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इन मामलों

में मैं अपने विरोधी पक्ष के मित्रों से सहमत हूं जो कि भारत को इन देशों के साथ सौदा करने के बारे में सावधानी बरतने को कह रहे हैं। निश्चित ही हमें इस बार में सावधानी बरतनी चाहिये। हम किसी भी तरह के संदेह से बचना चाहिए यहां तक कि भ्रष्टाचार के सही सन्देह से भी। परन्तु हमें इनसे शांत और राजनतिक तरीके से सुलझना है। अन्यथा हम इन सब उपकरण को नही प्राप्त कर सकते। मान लीजिए कि हमें यह उपकरण प्राप्त होते हैं तो क्या हमें पर्याप्त सामग्री प्राप्त होगी ?

मेरे मित्र श्री रेड्डी सदन का ध्यान तथा सदन के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि हमें अपनी सुरक्षा तथा रक्षा बलों पर इतना अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है, यह हमारे विदेश संबंधों या विदेशी मामलों की असफलता का सूचक है। ऐसा नहीं हैं। जब तक पाकिस्तान को मेरी निगाह में गलत तरीके से बेईमानी से तथा सम्पूर्ण विश्व के दृष्टिकोण से अमानवीय तरीके से संयुक्त राज्य अमरीका से हथियार मिलते रहेंगे तो हमें भी अपनी रक्षा सेनाओं को मजबूत करना होगा और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करना होगा। हम इससे बच नहीं सकते। जब हम ज्यादा-से-ज्यादा खर्च करते हैं और अधिक से अधिक खरीदते हैं तो हमें इस तरह के काफी लोगों पर निर्भर रहना होगा जो कि संयुक्त राज्य अमरीका के नियंत्रण से मुक्त नहीं हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। हम इन अप्रत्यक्ष नियंत्रणों से मुक्त नहीं हैं क्योंकि ये देश संयुक्त राज्य अमरीका के नियंत्रण में हैं तथा संयुक्त राज्य अमरीका इन पर अपना नियंत्रण बनाये रखने की पूरे विश्व में कोशिश कर रहा है।

हम इस संकट से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मुख्य संकट तो यह है। संयुक्त राज्य अमरीका को सोवियत संघ से डर है। यह एक प्रकार का भ्रान्तिपूर्ण भय है वे बहुत ही समृद्धशाली हैं, सुख-सुविधामय हैं आराम पसन्द और सुख-सुविधा से रहने वाले हैं। इसलिए उन्हें अपने आप को बचाना है। अत: वे अमानवीय हो जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि बाकी दुनिया का क्या होगा लोकतंत्र रहे या न रहे परन्तु उनकी सुरक्षा रहनी चाहिए। सुरक्षित रहने के लिए उन्हें युद्ध करना होगा। परन्तु वे गोरखा तरीके से स्वयं का साहसपूर्ण तरीके से बलिदान कर युद्ध करने से डरते हैं। वे ऐसा नवीनतम तरीकों से करना चाहते हैं ऐसा वे प्रक्षेपास्त्रों की मदद से दूसरे लोगों पर आणविक बम फेंक कर करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। उन्होंने आसमान से हमला करने का भी सोचा है। आसमान से वे बम फेंकना चाहते हैं। और यदि वे ऐसा कर सके तो वे एक, दो—दस बम फेंकना चाहेंगे। वे सोवियत संघ को समाप्त कर स्वयं सुरक्षित रहना चाहेंगे। उन्हें इस तरह के पागलपन का भूत सवार है। हमें इन सब के खिलाफ स्वयं ही सुनिश्चित होना है। ऐसा करने के लिए हमें चीन और सोवियत संघ को मित्र बनाना है। इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन इस समय चीन उनका मित्र है। मेरे माननीय मित्र उनके कानों में अब फुसफसाहट कर सकते हैं कि वे किस सीमा तक जा सकते हैं। उन्हें सलाह देने दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसा हम कैसे कर सकते हैं ?

श्री एन० जी० रंगा : जहां तक सोवियत संघ का संबंध है वह अब खुलकर सामने आ गया है। इसने अंतरिक्ष युद्ध का विरोध किया है। इसने इसमें पहल भी की है। हाल ही में मैंने उन्हें बधाई भी दी थी जब वहां के रेडियो के लोग मेरे पास आये थे। पिछले 50 वर्षों से मैं साम्यवादी विचारों, तानाशाही, श्रम श्रीवी में उनके विश्वास के खिलाफ रहा हूं। लेकिन मैं फिर भी गोर्बाचोव को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होने आगे आकर यह कहने का साहस दिखाया था कि, कुछ भी हो, वे रोक लगाने के पक्ष

[प्रो० एन० जी० रंगा]

में हैं। पहले तीन माह के लिए, उसके बाद 6 माह के लिए और उसके बाद तीन माह के लिए। इसके आगे उन्होंने कहा, "ठीक है, अगर आप बेशर्म होकर तथा विश्व मानवता के प्रति कोई जिम्मेदारी न समझते हुए बार-बार परीक्षण करते जाते हैं तो हम रोक को समाप्त कर रहे हैं। अब अमरीका कुछ अधिक औचित्यपूर्ण होते जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों अपने शुल्ज को भेजा। पहले उन्होंने कहा, कोई समझौता नहीं, लेकिन अब कुछ समझौता होने जा रहा है। समझौते से पहले, वे आमने-सामने बैठकर बातचीत करेंगे। ये सब हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत और भारतीय नेता क्या भूमिका निभा रहे हैं? मेरे माननीय मित्र, श्री बिपिन पाल दास ने प्रधानमंत्री की बहुत प्रशंसा की है। मैं उनसे सहमत हूं। हमारे प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमारी सरकार के प्रमुख है, हमारी संसद और देश के प्रमुख हैं। यह राष्ट्र निरन्तरगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से, बल्कि जवाहर लाल नेहरू के समय से, इस नीति का अनुसरण कर रहा है। जवाहर लाल नेहरू को स्वयं को गुट-निरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध करने से पहले, हममें से अनेक ने जयप्रकाश आज हमारे बीच नहीं हैं, लोहिया आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम सब एकजुट थे—तीसरे मंच, शान्ति मंच के पौधी करना शुरू किया था। और जब जवाहर लाल नेहरू को लगा कि समय उपयुक्त है, वह बाडुंग गये और उनके बाद बेलग्रेड और युगोस्लाविया गये और इस गुट-निरपेक्ष आंदोलन को रूप किया। यह गुट-निरपेक्ष आंदोलन तीसरे विश्व युद्ध के विरुद्ध सबसे बड़ी गारंटी है—अगर इस पागल विश्व में कोई गारंटी है। एक समय अमरीका ने इसकी हंसी उड़ायी थी। सोवियत संघ भी इसके प्रति बहुत उदासीन था। अब सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा समर्थक है। अमरीका यह कहने के लिए तैयार है, हां यह अच्छी है, यह लाभदायक है। यह अच्छी क्यों है? यह अच्छी है क्योंकि यह उन्हें दूर रखती है, एक दूसरे के खिलाफ आकर संपूर्ण विश्व का नाश करने से रोकती है। अभी तक अमरीका को एक प्रभावी (बफर) के तौर पर इस गुट-निरपेक्ष आंदोलन में पर्याप्त रूप से विश्वास नहीं है। इसी कारण ही वह हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करना जारी रखे हुए है।

भारत एक बड़ी शक्ति नहीं बनना चाहता। कुछ लोग, उनकी प्रेस का कुछ वर्ग कहता है, "ओह, भारत एक बड़ी शक्ति बनने जा रहा है।" हम एक बड़ी शक्ति नहीं बनना चाहते। हम अकेला रहना चाहते हैं ताकि हम अपने देश में स्वयं अपना औद्योगिक कृषि और सामाजिक अर्थ व्यवस्था का विकास कर सकें ताकि हमारे देश के गरीब लोग अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकें। ताकि हमारी जनता को उपयुक्त रूप से शिक्षित होने में सहायता मिल सके, भरपेट खाना मिल सके, ऐसा बनाने में सहायता मिल सके जिससे वे अपने आप को मानव कह सकें। हम केवल इतनी सी मेहरबानी चाहते हैं, और यही आग्रह मैंने 'सीनेट' के कुछ सदस्यों तथा अमरीका के जनप्रतिनिधियों की सभा के सदस्यों से किया था। लेकिन मैं नहीं समझता कि आज अमरीका के अधिकतर लोग विवेकी हैं। मैं नहीं कह सकता कि वे पागल है क्योंकि वे अत्यधिक शिक्षित लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, सारे विश्व में पर्यटन के रूप में भ्रमण कर रहे हैं और अपने आकर्षण से हमारी सहायता कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रति वे विवेकी नहीं हैं उनका विश्व के बाकी देश के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं हैं और यही कारण है कि मैं भारत की विदेश नीति का स्वागत करता हूं, जो इन दो बड़ी शक्तियों को काफी दूर, युद्ध करने की विचारधारा से दूर, रखने के लिए है। और इसी कारण मैं सोवियत संघ के नेतृत्व को नैतिक साहस के लिए बधाई देता रहता हूं जो उन्होंने गत एक वर्ष में अमरीका की कई सीधे, खुले रूप से तथा गुप्त रूप से भड़काने वाली बातों के बावजूद प्रदर्शित किया है। मैं भारत सरकार, प्रधान मंत्री और विदेश

मन्त्री को भी बधाई देता हूं जिन्होंने शांति के लिए हमारे देश की सहायता की है, जितनी कि हम इस विपत्ति भरे विश्व में आशा कर सकते हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : सभापति महोदय, में पूरे ध्यान से श्री चौधरी के भाषण को सुन रहा था क्योंकि उनका संबंध एक ऐसे दल से है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है। उनकी नीतियां और विश्लेषण सदैव अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ पर आधारित होता है। महोदय, मैं श्री चौधरी को सुन रहा था। मुझे उनसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि स्थिति ऐसी थी मानो भारत-चीन मैत्री भारत की वजह से संभव नहीं थी। मैं इस बात का स्पष्ट उत्तर देना चाहूंगा। मूल बात क्या थी? क्या मूल बात यह नहीं थी कि चीन ने संयुक्त बलों का विकास किया और सोवियत प्रभुत्व के विरुद्ध लड़ने के लिए वह संयुक्त राज्य अमरीका से मिल गया? क्या यह मूलभूत बात नही है? क्या यह सिद्धान्त नहीं है कि एक को दो से भाग करे तो आधा होता है, परन्तु आधा जमा आधा पूरा नहीं होता? क्या ऐसा है कि जब चीन और अमरीका की मैत्री शुरू हुई तो मूल प्रयोजन सोवियत प्रमुख के खिलाफ लड़ना था? वह भारत के खिलाफ आरोप है। चीन वह आरोप लगा रहा है कि सोवियत संघ वियतनाम, भारत, अफगानिस्तान, मंगोलिया आदि के द्वारा चीन को चारों तरफ से घेर रहा है। अतः भारत की वह गलती है। मुझे खुशी होगी अगर श्री नम्बूदरीपाद; जिन पर चीन में बहुत विश्वास किया जाता है, 1964 में भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन के विभाजन में जिनका हाथ था और अब जबकि वह चीनी नेता से मिलने गये हैं, मैं आशा करता हूं कि वह कोई रचनात्मक संदेश लायेंगे। चीन के साथ दोस्ती करने में हमें खुशी होगी। लेकिन यह एक विदित तथ्य है। (व्यवधान)। कृपया मेरी बात सुनिये। जहां तक चीन का संबंध है, अमरीका से चीन को जो भी परमाणु शस्त्र भेजे गये थे वे अब सभी पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। यह मेरा अनुमान है। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जहां तक परमाणु हथियारों की डिजाइन सूचना का सवाल है मैं कहना चाहूंगा कि इसे चीन से पाकिस्तान के पास भेजा जाता है। अतः स्थिति यह है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर एक को दो शक्तियों में बांटा जा सके, एक उपनिवेशी साम्राज्यवदी हैं और दूसरा समाजवादी, जो वास्तविक शांति और आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के पक्षधर हैं। अगर विश्व को बांटा जा सका तो यह विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन आज यह संभव नहीं है। आपको मालूम है कि जब बच्चा सांप को सीने से लगा लेता है तो हम न तो सांप को मार सकते हैं और न ही हम बच्चे को मार सकते हैं। हम सांप को मारने में अक्षम हैं। यही स्थिति यहां पर है और हमें इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात जानना चाहूंगा। हमें इसके बारे में ठोस रूप से विचार करना चाहिए। हमें स्थिति की वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। मुझे मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी सिद्धांतवादी विदेश नीति के कारण, हमारी शांति के प्रति वचनबद्धता के कारण, गैर-उपनिवेशवाद के प्रति हमारी वचनबद्धता के कारण, राष्ट्रीय मुक्ति के प्रति हमारी वचनबद्धता के कारण भारतीय छवि बहुत अच्छी है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी छवि बहुत अच्छी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर श्री राजीव गांधी तक के हमारे नेताओं ने विश्व के तनाव को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

जहां तक दक्षिण अफ्रीका का संबन्ध है, दक्षिण अफ्रीका को अलग करने की भूमिका के बारे में सारे विश्व को मालूम है। सभी को मालूम है कि इससे भारत तथा प्रधान मंत्री की छवि सुधरी है

[श्री ब्रज मोहन महन्ती]

और आपको मालूम है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने इसका कैसे विरोध किया है। एक खबर थी कि अमरीका के राष्ट्रपति उस देश की महिलाओं को धमकी दे रहे थे कि अगर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया तो उन्हें सारे आभूषणों को छोड़ना पड़ेगा और महिला संगठनों द्वारा इसका प्रतिकार किया गया था।

यह स्थिति है। आपको मालूम हैं कि कुछ शक्तियां हैं, दुर्भाग्य से कुछ समाजवादी देश उनके साथ सम्बद्ध हैं। कुछ शक्तियां भारत के खिलाफ हैं। ये भारत के खिलाफ क्यों हैं? इसका क्या कारण हैं? संयुक्त राज्य अमरीका में भी लोकतंत्र हैं और हमारे यहां भी लोकतंत्र है। आपको मालूम है कि भारत-चीन युद्ध के दौरान— मैं यह नहीं कहता कि आप एक साथ थे क्योंकि यह आपको नाराज कर सकता है; अत: मैं कहता हूं कि भारत-चीन युद्ध के दौरान भी अमरीका ने हमारी सहायता की थी। अत: कतिपय नये परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं। सोवियत संघ ने भी स्वयं को तटस्थ रखा। सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विश्व चीन के खिलाफ है। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री चीन के साथ एक सम्मानीय समझौता करना चाहते है और हमें इसके बारे में विश्वास में लिया था, आप भी उसमें मौजूद थे और मैं भी मौजूद था। लेकिन समस्या यह है, आपको मालूम हैं, एकमुश्त समझौता क्या है? क्या आप इसकी परिभाषा कर सकते हैं? मैंने पता लगाया है। एकमुश्त समझौता इतना ही अस्पष्ट होता है जितना कि··········(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमें नहीं मालूम।

श्री बृजमोहन महन्ती : आपको नहीं मालूम, क्योंकि अगर आप प्रयास करें तो आप पायेंगे कि यह और अधिक अस्पष्ट है। (व्यवधान)। मुझे यह पता है, मैंने इसकी जांच की है। आप भी इसकी जांच पड़ताल करके देखें। क्या चीन ने इस एकमुश्त समझौते को परिभाषित किया है? क्या उन्होंने इन सभी बातचीतों के दौरान इसे परिभाषित किया था? नहीं। अब वे एकमुश्त समझौते के पक्ष में नहीं हैं। वे खून के कतरे के पक्ष में हैं न कि एकमुश्त समझौते के पक्ष में स्थिति यह है, और हम चीन के साथ मैत्री के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री भी हिन्दी-चीन भाई भाई के संबन्धों के लिए पचास के दशक की तरफ मुड़ कर देख रहे हैं। लेकिन तथ्य यही हैं। चीन को बहुत ही औचित्यपूर्ण होना चाहिए। लेकिन चीन को शीघ्र ही साम्राज्यवादी भूमिका अदा करनी थी तथा चीन को साम्राज्यवादी खेल इस क्षेत्र में अमरीका का खेल खेलना था लेकिन हमारे सामने क्या समस्या है? दो या तीन दिन पूर्व हमने अरुणाचल क्षेत्र में चीन और भारत के बीच फौजों की हलचल देखी और आपको मालूम है कि वह पाकिस्तान ही नहीं हैं जो परमाणु बम बना रहा है, बल्कि यह संपूर्ण क्षेत्र आणविक अस्त्रों से लैस हो जायेगा। आपको मालूम है कि इजरायल परमाणू हथियारों से लैस है। पाकिस्तान एक साल में एक परमाणु प्रक्षेपास्त्र बना सकता है। उन्होंने अपनी क्षमता को स्वीकार कर लिया है। और जहां तक चीन का संबन्ध है उनके पास 300 हैं. जहां तक फ्रांस का सवाल है उनके पास 500 हैं, जहां तक बड़ी शक्तियों का प्रश्न हैं, उनमें से प्रत्येक के पास 2700 परमाणु प्रक्षेपास्त्र हैं। स्थिति यह है। हमारे पास क्या विकल्प है? हमें बताइये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार को निर्णय करना है। यह राष्ट्र है जिसे फैसला करना है। हमें कौनसा विकल्प स्वीकार करना है? अगर यह क्षेत्र आणविक अस्त्रों से हो जाता है, तो हमारी स्थिति क्या होगी? यह सब इसलिए है क्योंकि जिन्होंने अभी मेरे सामने भाषण दिया है वे इसके प्रति बहुत चिंतित हैं। हमें इस स्थिति को देखकर इसका उत्तर देना होगा। इसमें शक नहीं कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि हमारी प्रतिक्रिया होगी अगर

पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया है परन्तु हमें अपने विकल्प पर पुनर्विचार करते हुए भी दुःख होता हैं। इसे ध्यान में रखा जाये।

एक और पहलू यह है कि जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में इसके व्यवहार के प्रति, एक बार श्री नटवर सिंह ने यहाँ कहा था कि यह बहुत कठिन हैं, साथ ही कि एक देश को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से हटाना होगा। आपको मालूम है, अब वे राष्ट्रीयमंडल में शामिल होने के लिए प्रचार कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का संबंध है, वास्तव में, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने अपने वायदे पूरे नही किए हैं। स्थिति यह है। एक और पहलू यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, इसे न केवल अमरीका से समर्थन प्राप्त हो रहा है, इसने स्वयं को परमाणुकृत कर लिया है, लेकिन समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति अथवा अमरीकी कूटनीति का खेल खेलने के लिए एक प्रमुख देश समझा जा रहा है।

आपको यह जानना चाहिए कि यह खतरा है। चीन से वार्ता आरम्भ की जा चुकी है और निस्सन्देह भारत-विरोधी प्रचार बन्द किया जा चुका है परन्तु इस क्षेत्र में उनकी नीतियां भारत विरोधी हैं। यह स्थिति है। हम इन बातों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। हमें यह पता चलता है कि विश्व शान्ति के प्रयास और नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के संघर्ष यूरोप और चीन बाधक हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा वे इन पहलुओं पर अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

जहाँ तक विदेशी मामलों का संबंध है उन्हें सुरक्षा समस्या और आर्थिक समस्या की ओर परिवर्तित किया जा सकता है। अतः इन सभी मामलों में हमारे विदेशी नीतियों को आर्थिक तथा सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि जहाँ तक हरारे में हुए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का सम्बन्ध है उसमें पाक अधिकृत कश्मीर के प्रतिनिधि ने किस प्रकार भाग लिया? हमें यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान और साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा कैसे चालबाजी की जा रही है। मैं सरकार से और इस सभा के सभी सदस्यों तथा सम्पूर्ण राष्ट्र से अनुरोध करूंगा कि हमें शान्ति के लिए एकजुट होना चाहिए और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और आर्थिक अन्याय के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए।

श्री डी०पी० जडेजा (जामनगर) : सभापति महोदय मैं विदेश मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। पिछले दो घन्टे से मैं भारत के पड़ोसी देशों से सम्बन्ध के बारे में वाद-विवाद सुन रहा हूं। मैंसदस्यों का ध्यान अन्य क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने का प्रयास करूंगा क्योंकि मैं मुख्यतया सूदूर लैटिन अमरीका के साथ भारत के संबंधों पर ध्यान केन्द्रित करूंगा। निःसन्देह कैरीबियन और लैटिन अमरीका देशों से हमारे सम्बन्ध बढ़ रहे हैं जैसा कि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। और उससे सम्बन्धों में आगे विकास का आधार बना है। यह एक सन्तोषजनक बात है। गत वर्ष के दौरान लैटिन अमरीका के दो युवा नेता निकाशगुआ के राष्ट्रपति, डैनियल ओस्टेगा, और पेरू के राष्ट्रपति भी एलन गार्सिया के दौरों से भारत और इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों को बहुत योगदान मिला है। निरस्त्रीकरण पर छः राष्ट्रों के मैक्सिको सम्मेलन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने मैक्सिको के राष्ट्रपति मिगल डी ला मैडरिड से विचार-विमर्श किया और भारत

[श्री टी० पी० जवेजा]

तथा मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर सहमति दी। ये सभी बातें लैटिन अमरीका के साथ से हमारे बढ़ते हुए सम्बन्धों के ठोस परिणाम हैं।

सभापति महोदय, इन उत्साहवर्धक प्रवृत्तियों के बावजूद मैं समझता हूं कि मंत्रालय को लैटिन अमरीका के देशों से सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1980 के दशक में लैटिन अमरीका के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। राजनैतिक रूप से इसका आशय अधिकांश क्षेत्र में लोकतंत्र की वापसी से है। यह लैटिन अमरीका के लोगों के लोकतान्त्रि मूल्यों मानदण्डों तथा परम्पराओं में विश्वास और वचनबद्धता की अभिव्यक्ति है। परिणाम-स्वरूप लैटिन अमरीका में लगभग 90 प्रतिशत लोगों के लिए उनकी इच्छा के अनुसार सरकार है। यह इस क्षेत्र में हाल ही में देखी गई एक उत्साहजनक प्रवृत्ति है और साथ ही यह भारत के लिए एक अवसर भी है। जोकि लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा मूल्यों को सुदृढ़ बनाने में विश्वास रखता है। इन्हीं कारणों से लैटिन अमरीका के अधिकाधिक देश भारत के साथ अपने सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए और हमारे अनुभव से कुछ सीखने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। जब कभी भी हम लैटिन अमरीका जाते हैं तो वहां के लोग और उनके नेता हमारे देश के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था हमारी उपलब्धियों, हमारी संसदीय प्रक्रियाओं तथा विश्व मामलों आदि के बारे में बहुत कुछ जानने के इच्छुक होते हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि इस संबन्ध में उन्हें जानकारी देने के लिए हमने क्या कार्यवाही की है। और क्या हम उनकी उपेक्षा कर सकते हैं।

वर्तमान राजनैतिक संचार माध्यम और पहले की गई विशिष्ट सन्धियां और समझौते अपर्याप्त हैं क्योंकि अधिकांश मामलों में ऐसे समझौते पूरी तरह से लागू नही हैं। इन समझौतों को कार्य रूप देने के लिए विशेष रूप से कुछ लैटिन अमरीका के देशों से हस्ताक्षरित की गई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सन्धियां तथा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान के समझौतों को कार्य रूप देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अब हमें अन्य लैटिन अमरीका के देशों के साथ नई संधियां तथा समझौतों पर पहल करनी पड़ेगी अथवा इन्हें बढ़ावा देना होगा। मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं क्योंकि मैं यह बात लैटिन अमरीका के कुछ देशों के नेताओं और सांसदों से की गई बातचीत के आधार पर यह कह रहा हूं कि लैटिन अमरीका के कुछ देश अनौपचारिक द्विपक्षीय राजनैतिक परामर्श के लिए कोई व्यस्था करना चाहते हैं। उदाहरणतया ब्राजील जैसा एक महाद्वीपीय आकार का देश इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए इच्छुक हैं। भारत और ब्राजील में बहुत सी समानताएं हैं जिनका मैं अब वर्णन करना नहीं चाहता।

इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि पूर्ववर्ती शासनों की भांति न होकर वास्तव में नए लोकतान्त्रिक शासन और उनके नेता अपनी अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और घरेलू प्राथमिकताओं की पुन: व्यवस्था करने के लिए वास्तव में वचनबद्ध हैं। उनके सामने विभिन्न प्रकार की राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। ये समस्याएं प्रमुख दो भागों में बटी हुई हैं—विदेशी ऋण और दूसरे तेजी से बढ़ती घरेलू मुद्रा स्फीति। इन देशों का राजनैतिक भविष्य मुख्यतया इस बात पर निर्भर करता है कि आगामी वर्षों में इन नाजुक समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाएगा। ये शासन अपने देश में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा रहे हैं, जिससे दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए अधिक सार्थक मार्ग प्रशस्त होगा।

इस संकट के समय यह आवश्यक है कि हम परस्पर आदान-प्रदान करें और इन देशों को अपना सहयोग और समर्थन दें। ये देश ऋण संकट का सामना करने के लिए मुख्यतया विकासशील देशों के साथ विशेष रूप से भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के इच्छुक है। आर्थिक सहयोग केवल व्यापार का आदान प्रदान ही नहीं है। वर्तमान समय में इसमें प्रौद्योगिकी अन्तरण तथा आदान-प्रदान और तकनीकी जानकारी का प्रसार भी शामिल है। मन्त्रालय एक भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम चला रहा है जिसके अन्तर्गत विकासशील देशों को द्विपक्षीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें लैटिन अमरीकी और कैरीबियन क्षेत्र के छोटे और मध्यम आकार के पात्र देशों को तकनीकी सहायता देने पर विचार करना चाहिए। इस समय मुझे इस मुद्दे का अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री को पहले ही एक रिपोर्ट दे चुका हूं जिसमें विशिष्ट परियोजनाएं तथा कार्यक्रम शामिल है जिन पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी विदेश मंत्रालय को इन देशों की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए तथा उनकी निगरानी के लिए सतत आधार पर उपयुक्त भारतीय एजेन्सियों को सौंपने के लिए मार्गोपायों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ताकि अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके और इसे कार्यान्वित किया जा सके।

भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अपने प्रचार कार्य तेज करने चाहिए और आधुनिक वैज्ञानिक ओर प्रौद्योगिकीय के विशिष्ट क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहिए। इससे कुछ सीमा तक बहुत से लैटिन अमरीका के देशों की चिंता कम होगी। इसके साथ ही शैक्षिक आदान-प्रदान विशेष रूप से अध्यापकों और विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना चाहिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के। तत्वावधान में बहुत से लैटिन अमरीकी विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान केन्द्रों में भारतीय अध्ययन से संबंधित शैक्षणिक तथा अनुसंधान कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। घनिष्ठ सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करने के लिए शैक्षणिक आदान-प्रदान बहुत आवश्यक है। साथ ही लैटिन अमरीकी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हमें और अधिक प्रयास करना चाहिए। मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि अपने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में लैटिन अमरीकी अध्ययन के विकास के लिए हमने क्या कार्य किया है। लगभग 15-16 वर्ष पूर्व मंत्रालय ने घोषणा की थी कि हम लैटिन अमरीकी अध्ययन के लिए एक केन्द्र की स्थापना करने जा रहे हैं महोदय, मुझे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित केन्द्र के अलावा किसी अन्य केन्द्र की जानकारी नही है। मैं नही जानता कि इस एकमात्र जारी कार्यक्रम को हमें अतिरिक्त सुविधाएँ और समर्थन क्यों नही देना चाहिए और साथ ही देश में अन्यत्र इस प्रकार की संस्थायें खोलने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

मैं हाल ही में पानामा में था और मुझे वहाँ कुछ स्पेन-भाषी लोगों से 'ला इंडिया' नामक एक उत्कृष्ट पत्रिका के बारे में पता चला जिसे स्पेन भाषा में पानामा में स्थित हमारे दूतावास द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रकाशन से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को बधाई देता हूं और इस प्रकार समस्त जानकारी देने वाले साहित्य का लैटिन अमरीका में और अधिक वितरण किया जाना चाहिए।

महोदय, वार्षिक रिपोर्ट में नीति आयोग तथा अनुसंधान के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर गोष्ठियों और सम्मेलनों को सहायता देने के लिए कम राशि के बजट का उल्लेख है। परन्तु दुर्भाग्य से

[श्री टी० पी० जवेज]

लैटिन अमरीका पर विचार किए जाने के एक ही उदाहरण का उल्लेख है। मुझे आशा है कि लैटिन अमरीका के बारे में ऐसे कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए भविष्य में इसे अधिक गम्भीरता से लिया जाएगा।

सांस्कृतिक संबन्धों के अध्याय में पृष्ठ 92 पर दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशियाई सांस्कृतिक अध्ययन के लिए एक केन्द्र की स्थापना करने का उल्लेख किया गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसमें लैटिन अमरीका को शामिल क्यों नही किया गया है ? हम विश्व के उस भाग में ऐसी भावना उत्पन्न करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि लैटिन-अमरीका विश्व के अन्य क्षेत्रों के बाद अनुसरण करेगा।

विश्व के उस भाग में यह एक महत्वपूर्ण घटना होंने जा रही है कि लैटिन अमरीकी धरती पर भारतीयों के आगमन की 150 वीं वर्षगांठ अगले वर्ष मई में गुयाना, सूरीनाम त्रिनिदाद और अन्य लैटिन अमरीकी तथा अन्य कैरिबियन देशों में मनाई जाएगी। मुझे आशा है कि हम उन्हें प्रोत्साहन देंगे।

महोदय, उन देशों के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि लैटिन अमरीकी संसद ने इस शताब्दी के सातवें दशक के प्रारम्भ में भारत को एक पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया था। उसके बाद हमें वहां कभी नहीं बुलाया गया। केवल वर्ष 1973 और 1974 के दौरान भारत से एक पर्यवेक्षक को भेजा गया। अब लैटिन अमरीकी देशों में लोक तान्त्रिक प्रक्रिया पूरे जोरों पर है। इसलिए अब हमें लैटिन अमरीकी संसद से अपने संबन्ध पुनः स्थापित करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अनिवासो भारतीयों के लिए एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना करने के लिए एक बार फिर सरकार को बधाई देता हूँ। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस परिषद के क्रियाकलापों में लैटिन अमरीकी देशों के अनिवासी भारतीयों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जायेगा तथा सम्बद्ध किया जाएगा।

अपने भाषण को समाप्त करते हुए मैं सरकार को यह याद दिलना चाहूंगा कि ये लैटिन अमरीकी देश आज मित्रता के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं तथा हमारे सभी कार्यक्रमों को अपना समर्थन दे रहे हैं, हमें वहां बहुत से कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं यदि अब हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते तो संभव है कल बहुत देर हो जाए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) : सभापति महोदय, जब मैंने विदेश मन्त्रालय की वर्ष 1986-87 की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि पिछले वर्ष के दौरान हमारी कूटनीति में वैचारिक तत्व बहुत अधिक था और कार्य रूप बहुत कम दिया गया था। इस कूटनीति के पीछे जो विचार धारा है मैंने उसे समझने का प्रयास किया और यह महसूस किया कि जहां तक समय के आयाम का सम्बन्ध है उसमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण तो अपनाया गया है लेकिन लघुकालिक और तात्कालिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है और जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध है हमने दूरस्थ स्थानों की ओर दृष्टि डाली है और अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों की उपेक्षा की है; हमें आकाश की ऊँचाई से उतर कर थोड़ा नीचे आना चाहिए और मैं तो यह दलील दूंगा कि हमें विहंगम दृष्टि के स्थान पर

हमें कीट दृष्टि अपनानी चाहिये । हमें यह समझ लेना चाहिए कि कूटनीति की सफलता इसमें नहीं है कि हमने कितने देशों के साथ विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों का आदान-प्रदान किया और कितने देशों के साथ विशिष्ट व्यक्तियों की शानदार दावतें हुई । कूटनीति राष्ट्रहित का एक कठिन, सतत और बुद्धिमतापूर्ण कार्य है । कूटनीति का कार्य धुएं भरे कमरे में तब तक कार्य करने के समान है जब तक सवेरा न हो जाए । हमारे यहां इसका अभाव है । हम सदैव सतही दृष्टि से काम लेते रहे और अब समय आ गया है जब हमें बहुत आधारभूत सिद्धान्तों को पुनः दोहराना चाहिए ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय हित सर्वोच्च हैं । परन्तु राष्ट्रीय हितों को बहुत प्राथमिकताओं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए । हम जानते हैं कि हम क्षेत्र के भूखे नहीं हैं हम इस भूख से भी अपवाद हैं कि जिस क्षेत्र के हम वैध रूप से अधिकारी हैं उसे प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कोशिश में हमने हिंसा को त्याग दिया है । हम विजय की आकांक्षा नहीं रखते हैं अथवा जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा है, यहां तक कि हम एक बड़ी ताकत का सम्मान पाने की भी अभिलाषा नहीं रखते हैं । हम विस्तारवाद में विश्वास नहीं रखते हैं और न ही हम किसी गुट का नेतृत्व करने की आकांक्षा रखते हैं । परन्तु इस बात से सभी सहमत होंगे कि हमारी स्वतन्त्रता तथा प्रभुसत्ता सर्वोपरि है और उनकी रक्षा करना अति आवश्यक है । इस बात से सभी सहमत होंगे कि हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ शान्ति से रहना चाहिए और जब कभी हित सम्बन्धी मतभेद होता है तो हमें अपने मतभेद मैत्री पूर्ण ढंग से दूर करने के लिए और मतभेद को कम करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करने चाहियें । सभी सहमत होंगे कि हमें बचे हुये द्विपक्षीय प्रश्नों को हल करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए हमें इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया, क्षेत्र को, जिसका हम एक अंग हैं, एक शांति क्षेत्र, एक मैत्री क्षेत्र तथा एक सहयोग के क्षेत्र में बदलने की कोशिश करनी चाहिए । मेरे विचार में हमें यह कहने का वैध अधिकार है कि हम हिन्द-महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाना चाहते हैं, एक स्पर्धा क्षेत्र नहीं । चूंकि हम विश्व का भी एक अंग हैं, हम इसके राजनैतिक तथा आर्थिक आयामों में एक उचित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास में सहयोग देना चाहते हैं । हम ऐसा विश्व चाहते हैं जिसमें युद्ध न हो तथा किसी चीज की कमी न हो, निर्भरता न हो तथा भय न हो । इसलिए, हम उपनिवेशवाद को समाप्त करने के पक्ष में हैं, शांति, निरस्त्रीकरण, विकास तथा मानव अधिकारों के पक्ष में हैं । परन्तु हम विकास संसाधन तथा प्रौद्योगिकी भी समान तथा उचित शर्तों पर चाहते हैं ताकि हम राष्ट्रीयता के अन्तिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और हमारे देश वासी ही नहीं अपितु सभी पिछड़े हुये देशों के लोग सम्मान का जीवन जी सकें ।

परन्तु महोदय इस माप दण्ड के आधार पर हम जब एक वर्ष के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे पास देने के लिए क्या है ? यदि सुरक्षा बजट को एक साधारण सूचक माना जा सकता है—यह अधिक या पूर्ण नहीं है—सुरक्षा बजट में वृद्धि का अर्थ ही कूटनीति का असफल होना है । हम सुरक्षा के सामाजिक मूल्य को जानते हैं । और अभी तक सुरक्षा तथा सुरक्षा तैयारियों, जैसा कि मैंने हाल ही में कहा था, सर्वोपरि हैं । परन्तु जब हम अपने व्यापार का विश्लेषण करते है तो पाते हैं कि शर्तें नकारात्मक हैं और उनका ह्रास हो रहा है । विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा कम होता जा रहा है । हमारा भुगतान शेष बढ़ता जा रहा है । आर्थिक सहायता की जो शर्तें हमारे उन्हें कड़ा बनाया जा रहा है । और जिन शर्तों पर हमें अपने विकास के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उन पर भी अधिकाधिक रोक लगाई जा रही है ।

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

हमारे सुरक्षा वातावरण में, हम देखते हैं कि एक बार फिर चीन और पाकिस्तान हमारे ऊपर घात लगाये बैठे हैं। हम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते हैं और फिर भी मैं यह महसूस करता हूं कि हमें कुछ तटस्थ और भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे निकटस्थ पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्धों को इतिहास के धुंधलेपन में देखा जाता है। कभी भावनात्मक अवरण में क्या मैं इसे जातीय यादाश्त कहूं। यदि हमें अपनी प्राथमिकताओं को प्राप्त करना है, तो सरकार ने रंग भेद के प्रश्न पर जो कुछ किया है उसकी सराहना करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे चीन या पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। इसे श्रीलंका में स्थिति पर वरीयता नहीं दी जा सकती। हम अफगानिस्तान पर एक विदेशी ताकत के कब्जे को अनदेखा नहीं कर सकते। हमारे पड़ौस में ईरान और ईराक के मध्य हो रहे निरन्तर युद्ध को देखते हुये हम शायद शान्ति से नहीं रह सकते। शान्ति के प्रयास को विकास शील देशों के लिए प्रौद्योगिकी या विकास संसाधनों का अन्तरण करने के प्रयास से अधिक वरीयता नहीं दी जा सकती। यूरोप के देशों में आणविक अस्त्रों के टकराव की सम्भावना घटाये जाने को उस समस्या से अधिक प्राथमिकता नही दी जा सकती जो हमारे सामने हिन्द महासागर में आणविक अस्त्रों की बढ़ती हुई होड़ से पैदा हुई है। एक पड़ौसी देश के साथ सीमा वार्ता को विश्व के किसी दूरस्थ हिस्से में विक्षुब्ध सीमा स्थिति को बहाल करने के मामले पर वरीयता नहीं दी जा सकती चाहे वह उद्देश्य कितना ही सराहनीय क्यों न हो।

हास्यास्पद बात यह है कि हम गुटनिरपेक्षता का राग ऐसे अलापते हैं जैसे गुटनिरपेक्षता एक नीति हो। गुटनिरपेक्षता वास्तव में एक सिद्धान्त है, यह एक नीति नहीं है। लेकिन मैं इसकी परिभाषा का स्पष्टीकरण नहीं करूंगा चाहे इसे हम महान शक्तियों के मध्य स्थाई समान दूरी या गतिशील संतुलन का नाम दें। मान लीजिये महान शक्तियां एक साथ मिल जाती हैं तो हमारी गुटनिरपेक्षता का क्या होगा। इसलिए गुटनिरपेक्षता को निर्णय लेने की स्वतन्त्रता, हम क्या हैं हमारी क्षमता क्या है को समझने, हम जैसा महसूस करते हैं वह कार्य करने, राष्ट्रहित में हम जिसे सर्वोपरि समझते हैं उस कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। एक सिद्धान्त के रूप में यह गुटनिरपेक्षता स्थाई रहेगी। प्रधानमन्त्री जी को गुटनिरपेक्षता रूपी ताज विरासत में मिला है। समान्तर में यह एक अन्य देश के पास चला गया है। परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसे पसन्द किया और मैं मानता हूं कि उन्हें पसन्द करना चाहिए। परन्तु, किसी प्रकार, मैं महसूस करता हूं, कभी सुखाभाष के क्षणों में अथवा शायद कोई यह सोचता है कि उसने गुट-निरपेक्षता का आविष्कार किया है। किसी भी मामले में चाहे यह कुछ भी था, केवल गुटनिरपेक्षता का एक मन्त्र की तरह अलाप करना समाधान नहीं है। विशेष समस्याओं, उन राष्ट्रों जिनके साथ हमारे सम्बन्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन क्षेत्रों की ओर जो ध्यान देने योग्य हैं, विश्व की विशिष्ट समस्याओं की ओर तथा हमारे खरीददारों और सप्लायरों की ओर हमें एक स्पष्ट नीति रखनी होगी। एक परिस्थिति विशेष में हम जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे सामने है, उसके बारे में हमारी धारणा स्पष्ट होनी चाहिए। महोदय, दक्षिण एशिया में विशिष्ट परिस्थिति पर आते हुये, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द्वारा आगे उठाये गये कदम पर और एक स्थाई सचिवालय की स्थापना करने पर मैं सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु दक्षिण एशिया को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। दक्षिण एशिया एक भौगोलिक, एक सामरिक तथा एक आर्थिक इकाई है। हमारी विदेश नीति उस मूलभूत सिद्धान्त से अलग नहीं हटानी चाहिए।

हम एक परिपूर्ण राष्ट्र हैं, भगवान आशीर्वाद से हम इस क्षेत्र के मध्य में हैं और इस क्षेत्र के प्रत्येक पडोसी के साथ संबंध सुधारने के लिए हमारे पास जाति, भाषा और धर्म के रूप में साधन हैं। इन संबंधों के बनाने के लिए संबंधों में निकटता लाने के लिए हम कितना कार्य कर रहे हैं।

पाकिस्तान के साथ संपर्क का अभाव रहा है जिसके बारे में हाल ही में माननीय राज्य मंत्री ने बताया था। कुछ महीने पहले हमारी लगभग लड़ने जैसी स्थिति हो गयी थी। हम आणविक हथियारों की होड़ के कगार पर खड़े हैं। सभापति महोदय, मैं आप से अनुरोध करता हूं इसको रोकने के लिए हमारे द्वारा किये जाने वाले सभी उपाय किये जाने चाहिएं। यह अपने आप में एक बुराई है। हथियारों की होड़ पागलपन के सिवाय कुछ भी नहीं है और इससे भी बढ़कर खराब बात हमारे उप-महाद्वीप में आणविक हथियारों की होड़ है। हमें परमाणु शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए अन्यथा जैसे ग्रीक त्रासदी हुई थी उसी प्रकार इस भूमि पर परमाणु युद्ध हो सकता है।

पाकिस्तान के साथ दोस्ती और सहयोग की जो प्रस्तावित संधि थी उस पर क्या प्रगति हुई है? हमने व्यापार के क्षेत्र में अर्थपूर्ण प्रगति क्यों नहीं की? देश के समक्ष इस को स्पष्ट किया जाना चाहिए। यहां तक कि सीधी बातचीत के तरीके में किसी भी बाधा को नहीं आने देना चाहिए—'मैं, आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में एक बार फिर इस महाद्वीप की संयुक्त सुरक्षा और सहयोग के बारे में एक बहुत मूल सुझाव दे रहा हूं। हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय इस महाद्वीप की रक्षा के प्रयास करने चाहियें और हथियारों का उपयोग भ्रातृहत्या के लिए नहीं होना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री को बर्मा और भारत के बीच तटवर्ती सीमा के परिसीमन को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए मुबारक बाद देता हूं। यह कार्य, जब मैं उस क्षेत्र का प्रभारी था तब आरंभ हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसका ठीक समाधान हो गया। फिर भी बर्मा में भारतीय उद्‌भम के लोगों के साथ भेद भाव किया जाता है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, सिर्फ दो तीन मिनट और लगेंगे। श्री लंका में बहुत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह मानव अधिकारों के लगातार उल्लंघन की स्थिति से भी बढ़ गयी है। यह जातिय कत्लेआम की स्थिति पैदा हो गई है इसने गृह युद्ध जैसी स्थिति का रूप धारण कर लिया है। अगर कोलम्बो की हर गली लड़ाई का मैदान बन जाती है तो हम क्या करेंगे? एक आव्यवस्थित और अस्थिर पडोसी के बारे में हमें विचार करना होगा।

जहां तक बंगला देश का संबंध है गंगा जल की समस्या का तो समाधान हुआ नहीं था और अब चकमा समस्या और उभर आयी है। नेपाल में भारतीयों को जो विशेष सुविधायें प्राप्त थी, उनमें एकतरफा ढंग से कटौती की गयी है। मैं इस बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। वहां पर चीन की उपस्थिति के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। चीन के बारे में मैं उसके द्वारा अरूणाचल में की गयी घुस पैठ के बारे में धर्म की आवश्यकता नहीं समझता यद्यपि मैं नहीं चाहता कि यह संबंध सुधारने में अन्तिम रोड़ा बने. मैं फिर भी विश्वास करता हूं कि एक समझौता करने और समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। उनसे बातचीत की जाये और इस बात पर उनको सहमत

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

किया जाये कि बातचीत के दौरान के आगे नहीं बढ़ेंगे । वे यथा स्थिति बनाये रखेंगे । अफगानिस्तान में समस्या अब भी विद्यमान है । आखिरकार, यह प्राथमिकताओं का एक प्रश्न है ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : ठीक है, महोदय । जहाँ तक मध्य-पूर्व का संबंध है हम हिन्द महासागर की तरह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग करते रहे हैं । इसकी कोई भी आशा दिखाई नहीं दे रही है । हमारे पड़ौस में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध सभी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करते हुए रासायनिक हथियारों के उपयोग का उदाहरण हमारे सामने है और हम इस बारे में चुप्पी साधे रहे ।

आर्थिक क्षेत्र में हम जो नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाना चाहते थे, उसका क्या हुआ ? एस० डी० आर० की पुन: पूर्ति नहीं की गयी है । बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक संख्या में हमारे देश में आ रही हैं । प्रौद्योगिकी के अन्तरण की समस्या भी चिन्ता का विषय बन गयी है ।

पिछले गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सभी प्रस्तावों के बावजूद दक्षिण-दक्षिण सहयोग एक पवित्र सूक्ति बनकर रह गया है । 60 देशों के लिए हमने 9 करोड़ रुपये दिए हैं । मैंने तो अंदाजा लगाया है । प्रतिराज्य यह 15 लाख रुपये पड़ता है । जहां तक हमारा संबन्ध है, दक्षिण-दक्षिण सहयोग का यह मापदंड है ।

अन्त में मैं संस्थागत अन्तर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । विदेश सचिव को सार्वजनिक रूप से दंड, दिए जाने पर इसे दूरदर्शन पर भी दिखाया गया था विदेश मंत्रालय कार्यालय का नैतिक पतन हो गया है और यह फीका पड़ गया है समें एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है । दो वर्ष के थोड़े से अरसे के दौरान यहां पर चार विदेश मंत्री पांच राज्य मंत्री और चार विदेश सचिव रह चुके हैं एक संस्था के रूप में आप इस ढंग से विदेश मंत्रालय को कैसे चला सकते हैं ? इसलिय मैं कहता हूं कि कृपया हमारी कूटनीति की निरंतरता को बहाल करें । कृपया इसके साथ गड़बड़ मत करे । विदेश नीति में सरकार के बदलने पर परिवर्तन नहीं होता है । यह इसलिए नहीं बदलती क्योंकि इसका संबन्ध स्थायी हितों से होता है । विदेश नीति राष्ट्रीय सहमति प्रतिनिधित्व करती है और उस नीति को लागू करने के लिए विदेशी कार्यालय की ही आवश्यकता होती है । हमें विदेश कार्यालय का सम्मान करना चाहिए । हमें विदेश कार्यालय के साथ समझ से पेश आना चाहिए । अपनी प्राथमिकताओं की जांच करनी चाहिए । अपनी तुरन्त आवश्यकताओं और संसाधनों का अनुमान लगाना चाहिए । अपने सीमित साधनों का ध्यानपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए । हमें अपने राष्ट्र के हितों को पहचानना होगा और बिना किसी डर के उनके लिए कार्य करना होगा, भले ही इससे बड़ी शक्तियां हमसे नाराज हो जाएं ।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । इससे मुझे अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों और दूसरे संबंधित मामलों के बारे में हमारी नीति पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है ।

महोदय, हमारी विदेश नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है । हमारी विदेश नीति में सततता रही है । विश्व के सभी मामलों पर हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है और विश्व समुदाय उसकी सराहना करता है । वास्तव में भारत की विदेश नीति में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के साथ मजबूत पहचान बनाने पर आणविक शस्त्रों का होड़ का बड़ा विरोध करने पर अन्तरिक्ष का सैन्यकरण का कड़ा विरोध करने

पर और उपनिवेशवाद, सम्राज्यवाद तथा रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के साथ हमारी एकता जताने इत्यादि पर अधिक बल दिया गया है।

पंड़ित जी की बुद्धिमता सिर्फ भारत के लिए ही एक प्रेरणा का स्रोत नहीं है बल्कि सभी देशों और दिशेषकर विकासशील देशों और उन देशों के लिए भी है जो अपनी स्वत्रन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं। पंडित जी ने ही 20 वर्ष पहले आणविक हथियारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठायी थी। उन्होने आणविक परीक्षण को तब तक रोकने का जब तक परीक्षण निरोधक संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते अनुरोध किया था। और अब हम एक आणविक विध्वंस के गंभीर खतरे के अधीन जीवन बसर कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत सीमित समय है। इसलिए में विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि उन मामलों के बारे में अपने सामान्य दृष्टिकोण के बारे में अपने साथियों और विशेषकर श्री बिपिन पालदास ने पहले ही बता दिया है।

5.00 म० प०

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान वर्तमान स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि कई साथियों ने कहा है, एकता हमारे पड़ोसी देशों के साथ, विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ सम्बन्धों के बारे में है। इन देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए हमारे सभी सत्यनिष्ठ प्रयासों के बावजूद भी स्थिति खराब होती जा रही है। चर्चा में भाग लेते हुए प्रत्येक सदस्य ने अपने भाषण में इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं।

महोदय, जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, भारत द्वारा तनाव को कम करने के लिए की गई पहल ने पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्धों की हमारी इच्छा प्रदर्शित की है। परन्तु प्रेस तथा दूसरे स्रोतों से मिली खबरें चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। इन दोनों देशों के राज्याध्यक्षों में बैठकें हुई हैं। सचिव स्तर पर भी विचार विमर्श हुआ है। परन्तु यह मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति बिगड़ती जा रही है। महोदय, वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है।

> "पाकिस्तानी सेनाओं के उत्तेजनात्मक और खतरनाक स्थान पर आ जाने के कारण, जनवरी, 1987 में भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया।"

उसके पश्चात् भी अखबारों में कई बार भारत पाक सीमा पर तनाव की खबरें छपी अतः मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति क्या है? इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

इस संदर्भ में मैं दो या तीन बातों का, जो पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध समान्य बनाने के रास्ते में आती हैं, उल्लेख करना चाहूंगा। पहली बात, पाकिस्तान द्वारा 'अवाक्स' सहित आधुनिक शस्त्रों क बहुत अधिक मात्रा में जमाव करना है। माननीय, पाकिस्तान का आणविक कार्यक्रम हमारे सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करता है। 'टाइम' पत्रिका को हाल ही में दिए गए साक्षात्कार में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास आणबिक शस्त्रों का विकास करने की क्षमता है। इससे पहले, पाकिस्तान के प्रमुख अणु वैज्ञानिक डा० ए० क्यू० खान ने लन्द के 'ओबजर्वर' में प्रकाशित एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि सी० आई० ए० द्वारा पाकिस्तान के पास बम होने के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, वह ठीक है। पाकिस्तान के पास आणविक शस्त्रों

[श्री टी० बशीर]

का होना एक विश्वास की बात है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अतः, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। इसके साथ ही, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आणविक शस्त्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में हमारी नीति पर पुनर्विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है।

महोदय, पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का निर्माण करने में अमेरिका की भूमिका के बारे में हम भी चिन्तित हैं। मैं इस सन्दर्भ में सदन का ध्यान पिछले वर्ष जुलाई में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की वाशिंगटन यात्रा की ओर तथा अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को 4 02 बिलियन डालर की सहायता दिए जाने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। प्रसंगवश, मैं श्री जुनेजो द्वारा दिए गए। एक वक्तव्य को— इंदिरा जी के शासन काल के दौरान भारत की पाकिस्तान पर हमला करने की योजना-जैसे अप्रासंगिक वक्तव्य को याद करता हूं।

अतः महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने ये मामले पाकिस्तान से उठाए हैं, यदि उठाए हैं तो इसका परिणाम क्या निकला? इसके बाद, मैं चीन के साथ हमारे सम्बन्धों को लेता हूं। हमारे चीन के साथ संबन्ध भी दिनों-दिन बिगड़ते जा रहे हैं और विशेषकर उस नए रुख के संदर्भ में जो चीन ने अपनाया है। इस समय, आप प्रत्येक बात जानते है और समय का अभाव होने के कारण मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप भी चीन की नई चाल-बाजियों के बारे में जानते हैं। यहां मेरे मित्र ने चीन और पाकिस्तान, इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच संबंध के बारे में कहा मैं। भी यह अनुभव करता हूं कि चीन, पाकिस्तान तथा अमेरिका के बीच एक सांठ-गांठ है।

महोदय, भारत और चीन के मध्य मुख्य अड़चन चीनी घुसपैठ के प्रश्न को लेकर है। अनेक मित्र इस बारे में पूछ चुके हैं, अब मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इसके बाद मेरे मित्र ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने की चीन की आपत्ति के बारे में कहा। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम अनेक बार इन समस्याओं पर चर्चा कर चुके हैं। पिछले सत्र में, मुझे याद है कि मन्त्री महोदय ने कहा था और हम सबने इसका विरोध किया था। लेकिन सभी विरोधों के बावजूद वे अपनी योजनाओं के अनुसार चलते रहे। महोदय, यही हो रहा है।

इस समय महोदय, मैं बताता हूं कि चीन और पाकिस्तान ने 4620 मीटर ऊंचा खुंजेरब दर्रा, जो पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित कश्मीर में है, तीसरे देश के राष्ट्रिकों के लिए खोल दिया है। महोदय दर्रा पहले केवल इन दो देशों के लिए खोला गया था। तब हमने विरोध प्रकट किया था लेकिन वे भूल गए। उन्होंने यह दर्रा सबके लिए खोल दिया है। महोदय, यह हो रहा है।

महोदय, एक समाचार है। समाचार में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के सर्वेक्षण दल इस क्षेत्र में अधिग्रहित कश्मीर पर प्रभुसत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए प्रमाण के तौर पर पूर्वी क्षेत्र में मैक मोहन रेखा के पार सीमाओं का अंकन कर रहे हैं। यह सूचना मिली है कि वे अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। श्री सैफुद्दीन पाकिस्तान और इसके बाद अमेरिका के बारे में कह चुके है। श्री सैफुद्दीन को अवश्य समझना चाहिए कि इनके साथ एक और जुड़ गया है और यह जुड़ने वाला चीन है। अमेरिका-चीन-पाकिस्तान की सांठ-गांठ है।

मैं मन्त्री महोदय को पड़ोसियों के साथ हमारी नीति के बारे में सुझाव देना चाहूंगा। महोदय, गत अनुभव को देखते हुए सरकार को अपनी पड़ोसी कूटनीति के बारे में विस्तृत पुनरीक्षा करनी चाहिए और नए विचार पेश करने चाहिए।

महोदय, अन्य मामला हिन्द महासागर में बढ़ती हुई सैनिक प्रतिद्वन्दिता का है ।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा को लागू करने की बजाय स्वार्थी ताकतें इस क्षेत्र में अपना सैन्य बल बढ़ाने में आगे निकल गई है।

हम तटवर्तीय राज्यों की बैठक के बारे में कहते रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस दिशा में भारत द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ? इस दिशा में तटवर्तीय राज्यों की बैठक बुलाने हेतु मन्त्री महोदय द्वारा कौन सी नई पहल की जाने वाली है ?

जैसा कि मेरे माननीय मित्र कह चुके हैं कि श्री लंका में भयंकर नरसंहार हो रहा है । कम समय शेष रहने के कारण मैं इसके विस्तार में नहीं जा सकता । लेकिन वास्तव में मैं नहीं जानता कि इस समस्या के बारे में हमारे मंत्री महोदय क्या सोचते हैं। अब कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

5.11 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए अपने आदरणीय मन्त्री पं० नारायण दत्त तिवारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उसी नीति को आगे बढ़ाया है, जिसका आरम्भ भारतीय स्वाधीनता के ऊषा काल में पं० जवाहर लाल नेहरू ने किया था और जिसका शुभारम्भ महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपनी पराधीनता के समय से ही कर दिया था ।

प्रेम, शांति सद्भावना और आपस का सद्भाव, यह हमारे यहां की नीति रही और वह दूरगामी दृष्टि स्वराज्य के पूर्व से लेकर स्वराज्य के स्थापित होने और उसके बाद आज स्वतंत्रता के 40वर्ष हो जाने के बाद भी चली आ रही है। कुछ साथियों का यह कहना कि भारत सरकार की नीति में स्थायित्व नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, मैं समझता हूं कि गलत बात है । भारत की स्थिर नीति है इस संबंध में उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ । मुझे आपकी सेवा में यह निवेदन करना है कि भारत सरकार की उदारता का कुछ लोगों ने अनुचित लाभ अवश्य उठाया है । भारत ने अपने कर्तव्यों का पालन भी ठीक-ठीक किया है, कभी शिथिलता नहीं बरती, लेकिन उसकी उदारता और कर्तव्य -बोध को कभी-कभी लोगों ने दुर्बलता समझ लिया, जिसकी ओर हमारे इन मित्रों ने ध्यान दिलाया है । मैं भी उस की ओर बहुत ही संक्षेप में ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

चीन का नाम लिया गया । पुरानी बात मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो अभी नया-नया मसला सामने आया, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। चीन के साथ सम्बन्धों में एक चिन्ताजनक स्थिति हुई है मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस पर गंभीरता से विचार करे और इसका समाधान करे ।

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

पाकिस्तान का जन्म तो घृणा और द्वेष के आधार पर ही हुआ था और इसीलिए पाकिस्तान के जन्म के बाद वहां पर जिस प्रकार का तन्त्र चला, उससे किसी भी सुपरिणाम की आशा हम नहीं करते। जब भी उनके यहां गड़बड़ी होती है, तब हिन्दुस्तान का हौआ खड़ा करके वह अपने देश की गड़बड़ी से पार पाना चाहते हैं। इसलिए उनसे यह उम्मीद करना कि वह हिन्दुस्तान के साथ बहुत अच्छी नीति बरतेंगे, मैं समझतां हूं कि कल्पना की ही बात हो सकती है। फिर भी भारत सरकार ने बार-बार यह प्रयत्न किया है, और आज ही नहीं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और उनसे पहले स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री और पूज्य पं० जवाहर लाल नेहरू ने जब कोई अवसर आया तो पाकिस्तान से स्नेहपूर्वक सीमा-विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया। आपस में प्रेम से रहने का प्रयत्न किया, लेकिन बार-बार उनकी तरफ से उस का ठीक उत्तर नही मिला। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उनसे फिर प्रयत्न करे और जैसा भाई शहाबुद्दीन जी ने कहा अगर उनको यह सद्बुद्धि आ जाए तो भारत सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है कि संसार में शांति और अमन बना रहे और भारत और पाकिस्तान मिल कर के भी अगर उस के लिए प्रयत्न करें तो हमारे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है ?

अब एक और निवेदन करना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न हमारे सामने बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति में खड़ा है। वहां पर महात्मा गांधी का आश्रम भी जला दिया गया। काले लोगों के साथ जो हुआ दुर्व्यवहार और जो संसार में काले लोगों के साथ अनेक राष्ट्रों में दुर्व्यवहार हो रहा है उस के विरुद्ध भारत ने सदैव आवाज उठाई है। उन बड़ी शक्तियों ने अन्याय और अत्याचार की राजनीति को आज भी नहीं त्यागा हैं। उस का लगातार मुकाबला अगर किसी ने किया है तो वह केवल दुनिया के एक ही देश ने, लोकतांत्रिक अगर कोई बड़ा देश है तो वह भारत ने किया है और भारत उस काम को लगातार अब तक करता चला आ रहा है। इस काम के लिए भारत की सारी दुनिया प्रशंसा करती है और बधाई देती है और इस बात के लिए सदन और यह सदन ही नहीं दुनिया के सभी शांति प्रेमी नागरिक सदैव भारत सरकार को और भारत के नेतृत्त को सहज साधुवाद देते रहे हैं। कार्य को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए ताकि दुनिया की शांति में भारत का यह ऐतिहासिक योगदान सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता रहे।

एक बात की ओर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे प्रवासी भारतीयों की समस्या बहुत ही जटिल है। श्री लंका की स्थिति हमारे सामने है। जो देश आज बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं और जहां इस देश के प्रवासी देश बना कर रह रहे हैं जिनमें सूरिनाम है मारीशस है, फिजी है, गायना है इस प्रकार के देश हैं, इन में हमारा संपर्क कुछ अजीब ढंग से चल रहा है। हमको इनके संपर्क के उस दृष्टिकोण में अन्तर लाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम यूरप के देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं उसी प्रकार से हम इन भारतीय भाईयों के साथ भी रिश्ता निभाने का काम चलाते है। इस तरह से इन के साथ रिश्ता बढ़ेगा नही बल्कि जो बढ़ा हुआ रिश्ता है उस में भी कमी आएगी। मैं समझता हू कि यह काम केवल राजनीतिक धन्धे से नहीं होगा। इस में सबसे बड़ा काम हमारी कला करेगी, साहित्य करेगा, संस्कृति करेगी और जैसे अभी हमारे एक मित्र ने कहा था कि किसी जमाने में इसमें धर्म ने भी काम किया है। आज तक भारत कहीं भी हमलावर के रूप में नहीं पहुँचा। हजारों साल पहले या तो धर्म के कारण पहुंचा या कला के कारण पहुँचा या साहित्य के कारण पहुँचा या संस्कृति के कारण पहुँचा और कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिस में कोई सांस्कृतिक, साहित्यक शांति

और प्रेम का संदेश सम्मिलित न हो। कहीं भी कोई अत्याचार या अन्याय उस में शामिल नहीं था। आज हमारी वही दृष्टि, वह सब चीज मौजूद है लेकिन हमने अपनी संस्कृति को, अपनी कला को, अपने दृष्टिकोण को कुछ कमजोर कर दिया है। उस दृष्टिकोण को अगर हम बल प्रदान करेंगे तो हम उन देशों में जहां हमारे भारतीय प्रवासी रह रहे हैं उन के रिश्ते को मजबूत करेंगे। क्योंकि वे हमारे अपनत्व से बधेंगे। और भी गहरे रूप से उन देशों के साथ हमारा रिश्ता पक्का होगा जब अपने स्तर पर मिलेंगे और मिलने की कोशिश करेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं; जिसके संबंध में मेरा स्वयं का अनुभव भी है। जो भारतीय यात्री जाते हैं, उनके साथ हमारे भारतीय राजदूतावास जो हैं, उनके साथ उनका व्यवहार इतना सुन्दर नही होता और न इतना सहयोगात्मक होता है, जितना कि किसी भी अन्य देश के नागरिकों के साथ उनके दूतावासों का होता है। इस संबंध में क्यों गड़बड़ी होती है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आम भारतीय नागरिकों की शिकायत है कि भारतीय दूतावासों में उनकी भाषा, उनकी संस्कृति उनकी समस्याओं की लगातार सुनवाई करना तो दूर, उनकी उपेक्षा होती है। मुझे यह भी शिकायत सुनने को मिली है कि जो भी विदेश मंत्रालय की ओर से साहित्य वहां जाता है, उसके बंडल के बंडल बधे पड़े रहते हैं और उनको खोला नही जाता है। लाखों रुपयों की जो सामग्री आप भेजते हैं, वह वर्षों तक खुलती भी नहीं है। यह कमी क्यों है? हमारे प्रबुद्ध और विद्वान मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी, के रहते हुए यह कमी रहे तो बहुत आश्चर्य की बात होगी।

मुझे आपसे एक बात और कहनी है। हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी पड़ोसी देशों के साथ समस्याओं को हल करने में लगे हैं और यह अब तक हल हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके रास्ते में कुछ लोगों ने बाधायें पैदा की हैं। जहां तक देश के भीतर गड़बड़ियां पैदा करने का सवाल है, स्वयं प्रधान मंत्री जी ने उन मामलों को हल किया है। देश की सीमाओं के जो प्रदेश हैं, उनमें शांति स्थापित की है और बहुत से स्थान ठीक कर दिए है। लेकिन जो आन्तरिक गड़बड़ियां हैं जो आतंकवादियों के आन्दोलन के साथ देश और विदेश के संबंधों से खराब करने वाली स्थिति पैदा की जा रही है? इसके बारे में भी सावधानी बरती जाए।

मैं श्रीलंका के बारें में भी एक निवेदन करना चाहता हूं। वहां की सरकार से भी कहा जाए कि इस प्रकार के अत्याचार को बन्द करे और जो तमिल उग्रवादी श्रीलंका की सरकार को परेशान करते हैं, उनको भी सावधान किया जाए। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो हरकते हैं, उन पर भी रोक लगाई जाए। इस संबंध में जो भी सख्त कदम उठाने हैं, वे सख्ती से उठाएं।

इन शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

* **श्री पी० सेनवेन्द्रन** (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कषगम की ओर से मैं विदश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करता हूं।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी० सेल वेन्द्रन]

उस समय जब कि साम्राज्यवादी देशों की आक्रामक चालें पराकष्ठा पर पहुंच गयी हों। और विदेशी शक्तियां हमारे देश की एकता, अखडता और स्थिरता के विरुद्ध काम कर रही हों तो ऐसी चुनौतियों के प्रति सरकार को सावधान करना मेरा परमकर्त्तव्य बन जाता है। मैं सभा का ध्यान दिलाता हूं कि हम इस समय अपनी कूट नीति तथा सैनिक नीतियों को नयी दिशा प्रदान करें।

हमारी विदेश नीति की नींव स्व० प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी। इस बारें में दो रायें नही हैं कि हमारी विदेश नीति राष्ट्रों के शान्ति पूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित है।

भारत के दुश्मन पाकिस्तान ने सीमा पर सैनिकों का भारी जमाव कर लिया है और तनाव बढ़ाया है। चीन ने एक कदम और बढ़कर अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है। युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और इस निराशा पूर्ण स्थित में किसी भी समय युद्ध आरम्भ होने की आशा थी। फिर भी हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता से युद्ध टल गया।

चीन ने बहुत पहले ही यह स्वीकार कर लिया है कि अरुणाचल प्रदेश निर्विवाद रूप से भारत का अंग है। फिर भी अरुणाचल प्रदेश पर भारत की प्रभुसत्ता की औपचारिक मान्यता देने के लिए भी भारत से यह कह रहा है कि पश्चिमी क्षेत्र में हम अकसाई चीन को चीन के पक्ष में स्वीकार कर लें। जब हमने अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया तो चीन ने न केवल इस पर आपत्ति की अपितु हमें गम्भीर परिमाणु की चेतावनी भी दी।

पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। सीमा पर सैनिकों का जमाव करने और सीमा पर बढ़ाने के बाद राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने एक क्रिकेट मैच देखने के लिए संभवतः अपनी क्रिकेट कूटनीति के लिए भारत का दौरा किया।

इस समय मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब श्री गार्बाचोव ने हमारे देश का दौरा किया था तो उन्होंने हमें पाकिस्तान से अपने सम्बधों को शान्तिपूर्वक सुधारने की सलाह दी। बंगला देश मुक्ति की लड़ाई के समय जब अमेरिका का सातवां बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में हमारी ओर बढ़ा तो रूस को कहा कि हम भी केवल तमाशा देखते नहीं रहेंगे। भारत-पाक सम्बन्धों की वर्तमान अपील भी उसी सोवियत संघ ने की हैं। एक पाकिस्तानी समाचार पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि श्री गोर्बाचोव की अपील, एक अन्य सोवियत नेता श्री खुश्चेका जिन्होंने वर्ष 1955 में भारत का दौरा किया था, की अपील के बिलकुल विपरीत है। श्री खुश्चेव ने यह घोषणा की थी कि कश्मीर का भारत का विलय अन्तिम है और यह मामला सदा के लिए समाप्त है। हम इसे नहीं भूल सकते कि इस वक्तव्य से हमारे पाकिस्तानी के वासी कितने नाराज हुए थे। श्री गोर्बाचोव के भारत पाक सम्बन्धों तथा अफगानिस्तान पर दिए गए वक्तव्यों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का हमें ध्यान रखना चाहिए।

यह कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध ठीक नहीं है इन दोनों पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ और आयाम के बारे में हमें पूरी जानकारी है।

श्री लंका के मामले में स्थिति भिन्न है। मैंने इस सभा का ध्यान इस वास्तविकता की ओर दिलाया कि श्री लंका, अब हमारा मित्र देश नहीं रहा है। श्री लंका तेजी से हम से दूर जा रहा हैं। हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। श्री लंका भारतीय सद भावना और जातीय समस्या दूर करने के लिए भारतीय प्रयत्नों को समझने में असफल रहा है। इसके विपरीत यह हमारे विरुद्ध दुश्मनी रखता है।

श्री लंका अपने लोगों के विरुद्ध ही लड़ाई कर रहा है। इससे अपने नागरिकों के लिए ही आर्थिक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं और उन्हें भूखा मार रहा है। इस रक्त रंजित नरसंहार से उस द्वीप राष्ट्र का इतिहास लिखा जा रहा है।

जब भी मैं श्री लंका को इस अव्यवस्था के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वीरगाथा काल की श्री लंका का ध्यान आता है। ईलम तमिलों की तुलना व्यथित सीता से की जा सकती है। माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को श्री राम की भूमिका में पाते हुए मुझे गर्व है। ईलम तमिलों को निरन्तर यह आशा है कि जल्दी ही ऐसा समय आयेगा जब उनके कष्टों का अंत हो जायेगा और भारत इसके संरक्षक की भूमिका अदा करेगा मुझे विश्वास है कि भारत सरकार तमिल लोगों के विश्वास को दोष नहीं देगी। सरकार को इस बारे में तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए।

जहां तक श्री लंका की जातीय समस्या की बात है भारत की ओर से तीन पहलुओं पर जोर दिया गया था। पहले, 19 दिसम्बर की बातचीत के आधार पर समझौता जारी रहना चाहिए। दूसरे श्री लंका सरकार को तुरन्त आर्थिक प्रतिबन्ध हटा लेने चाहिए। अन्त में श्री लंका सरकार को निर्दोष तमिलोंकी हत्या बन्द कर देनी चाहिए। श्री लंका सरकार से इन प्रस्तावों को मानने से हमारे आग्रह के बावजूद क्या वे इन सुझावों पर सहमत है। क्या उन्होंने आर्थिक प्रतिबन्ध हटा लिए हैं। क्या उन्होंने निर्दोष तमिलों की हत्या बन्द कर दी है श्री जयवर्द्धने का यह व्यक्तव्य झूठा एवं मजाक है और राजनीतिक झांसा है कि उन्होंने आर्थिक प्रतिबन्ध हटा लिया है।

मैं एक और महत्वपूर्ण भ्रांति की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। श्री लंका सरकार से बातचीत के लिए पहले श्री पार्थसारथी जी फिर श्री भण्डारी और उसके बाद श्री पी० चिदम्बरम और नटवर सिंह को भेजा है गया। और अब आपने श्री दिनेश सिंह को भेजा है। मुझे खुशी है कि आपने बातचीत के लिए दूतों को भेजा है। परन्तु दूतों को अक्सर बदलते क्यों हैं। क्या उन्हें बदलने से कोई लाभ होता है ? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख करेंगे।

जब कोई समाधान सामने आता है तो दुर्भाग्य से कोई न कोई घटना हो जाती है। और बात दलदल में फस जाती है। यह उसी प्रकार की बात है कि जब मक्खन को तत्परता से बिलोया जाता है तो अचानक ही बर्तन टूट जाता है।

सुबह ही समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि कोलम्बो में एक बम विस्फोट में 150 व्यक्ति मर गए और 200 घायल हो गए। हम इस अपराध में दोषी लोगों की निन्दा करते हैं। हम सदा हिंसा की निन्दा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसे तीव्रता से मिटा दिया जाए।

हिंसा एक दुधारी तलवार की तरह है। जो लोग तलवार के सहारे जिन्दा रहते हैं उनका अन्त भी तलवार से ही होता है। श्री लंका में ऐसा ही हो रहा है।

सिगरेट और दियासलाई की तिल्ली के जले हुए अवशेष अन्ततः एशट्रे में ही जाते हैं। इसी प्रकार हिंसा को भड़काने वाले हिंसा के अपराधी अन्ततः कब्र में जाते हैं।

[श्री पी० सैलवेन्द्रन]

कल कोलम्बो में जो कुछ हुआ है उसके लिए हम सीधे ही तमिल लोगों को दोष नहीं दे सकते। प्रति दिन श्री लंका में तमिल लोगों का खून बह रहा है। पिछले चार वर्षों से उनकी अग्नि-परिक्षा ली जा रही है। उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जाती है। उनके जान-माल सुरक्षित नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि यह नरसंहार विश्व में तमिलों के प्रति बढ़ रही सहानुभूति को हटाने के सिवाय कुछ नहीं है। हो सकता है कि यह कार्य श्री जयवर्द्धने के राजनैतिक विरोधी लोगों का हो।

हाल ही में श्री लंका में 100 बस यात्रिओं की हत्या कर दी गई। हत्या के परिणाम स्वरूप श्री लंका के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वह 5000 सिंहली नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए बन्दूकें प्रदान करेंगे। श्री लंका में लोगों की जान-माल की सुरक्षा का दायित्व वहाँ की सरकार का है और इस प्रकार की आत्म-रक्षा इसका समाधान नहीं है। इससे स्थिति और भी खराब होगी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि श्री लंका सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला जाना चाहिए कि वह इस बारे में कोई खतरनाक कदम नहीं उठाये।

हम दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद बरतने वाली सरकार की निन्दा करते हैं। हमने इस रंगभेद शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और उस पर आर्थिक प्रतिबन्ध का सुझाव दिया प्रीटोरिया सरकार के विरुद्ध हमने कड़ा रुख अपनाया है। परन्तु जब श्री लंका में जातीय समस्या के समाधान की बात आई तो हमारा दृढ निश्चय उस प्रकार का नहीं रहा जैसा कि प्रीटोरिया सरकार के मामले में रहा है। यह बहुत दुःख की बात है।

जब हम दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग करते हैं तो हम श्री लंका के विरुद्ध भी आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की मांग क्यों नहीं करते जिन्होंने हमारे अपने भाइयों पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाया है।

श्री लंका गुट निरपेक्ष राष्ट्र समुदाय का यह सदस्य है। यह आन्दोलन उन राष्ट्रों का है जो सभी प्रकार की हिंसा त्याग करते हैं और मानव अधिकारों के घन की निन्दा करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करके श्री लंका को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से बाहर करने के लिए अवश्यक कार्यवाही की जाये। श्री लंका सरका इस आन्दोलन का सदस्य होने के नाते अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और अपने लोगों का ही नर संहार कर रही है।

दक्षिणी अफ्रिका का प्रश्न भारत माता के पंख में कांटे के समान है। परन्तु श्री लंका में तमिलों समस्या भारत माता की आंखों से घाव के समान है। इन दोनों समस्याओं में बहुत अन्तर है। तमिल समस्या को सुलझाना बहुत आवश्यक है।

महोदय मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि श्री लंका को एक मित्र राष्ट्र न समझाया जाए। मित्रतापूर्वक हाथ मिलाकर यदि इसे अवसर मिले तो यह हमारी उंगलियाँ ही दूर कर सकती हैं।

इस समय मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि इस समय श्री लंका साम्राज्यवादी शक्तियों का एक अड्डा बनता जा रहा है। यदि हिन्द महासागर में कहीं से खतरा पैदा होता है तो वह श्री लंका से ही होगा।

मुझे अब राजकवि कन्नडसन की लाइनें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि दुश्मन ऐसे कांटों के समान है जो दिखाई देते हैं परन्तु मित्र, छिपे हुए कांटे होते हैं। इसलिए वह भगवान से

प्रार्थना करता है कि भगवान उन्हें मित्रों से बचाये ताकि वे अपने दुश्मनों की चुनौती का सामना कर सके। श्री लंका के साथ हमारे संबंधों के बारे में ये बातें सच हैं।

कृपया यह आशा मत कीजिए कि श्री जयवर्द्धने हमारे तमिल भाइयों के प्रति अपना लगाव और सहानुभूति जाहिर करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। मुझे विश्वास है वे ऐसा नहीं करेंगे। शेरनी कभी भी हिरण के बच्चे को दूध नहीं पिलाती। इस लिए हमें उस देश के प्रति अपनी नीति और रवैये को बदलना चाहिए।

अन्त में मैं प्रसिद्ध तमिल कवि श्री वैरामुथु को उद्धृत करता हूं :

"ओ मान चित्रकार; आप एक पैगाम्बर हैं क्योंकि भारत के मानचित्र पर आपने श्री लंका को भी दर्शाया है"।

मैं नहीं समझता कि कवि यह संकेत करता है कि श्री लंका हमारे भूखंड का एक भाग है। परन्तु मुझे आशा है कि श्री लंका के लोग हमें इस हद तक नहीं ले जायेंगे कि हमें इस प्रकार कार्यवाही करनी पड़े कि कवि के ये अहानिकारक और पैगम्बरी शब्द सच सिद्ध हों।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले बहुत से विषयों पर बोलना चाहूंगा परन्तु सौभाग्य से कहिए अथवा दुर्भाग्य से समय-सीमा के कारण मैं अपनी टिप्पणों कुछ मुद्दों तक ही सीमित रखने के लिए मजबूर हूँ।

आरम्भ में ही मैं यह कह सकता हूं कि देश की विदेश नीति के ढांचे में यह इस देश की परम्परागत नीति रही है जिसका पालन अनेक वर्षों से हो रहा है और जिसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। हमारी विदेश नीति में कतिपय मामलों में हम पहल नहीं करते। इस नति को अधिक गतिशील बनाने और वर्तमान स्थिति में कुछ मामलों में पहल करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

सबसे पहले मुझे दक्षिण अफ्रीका के बारे में उल्लेख करना चाहिए कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की इस वर्ष 75 वीं वर्षगांठ है जिसे समूचा विश्व मना रहा है। मेरा सुझाव यह है कि इस अवसर पर भारत सरकार को उसे राजनयिक दर्जा राजनयिक प्रतिनिधित्व देकर वहां के लोगों का सम्मान करना चाहिए। इस बारे में देरी नहीं करनी चाहिए। हमने नामिबिया की 'स्वापो' को मान्यता प्रदान की है जो बहुत सराहनीय कार्य था। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से हमारे बहुत निकट सम्बन्ध हैं। इस समय विश्व जनमत प्रीटोरीयस सरकार के विरुद्ध है। साथ ही दक्षिणी अफ्रीका के लोगों में स्वतन्त्रता की लहर पहले की अपेक्षा बहुत ऊँचे शिखर पर पहुंच गई हैं ऐसे समय इन स्वतन्त्रता सेनानियों का हौसला बढ़ाने के लिए हमें नेल्सन मंडेला और वाल्टर सिजुलू और अन्य लोगों, जो रंगभेदी सरकार की जेलों में पड़े हैं की ओर अपना हाथ बढ़ाना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि सरकार को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनयिक दर्जा देने के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यदि सरकार ऐसा करेगी तो दक्षिण अफ्रीका के संघर्षरत लोगों को भारत जो समर्थन दे रहा है उसे बढ़ावा मिलेगा। यह मेरा एक सुझाव है।

दूसरा सुझाव हिन्द महासागर के बारे में है। पिछले 14 वर्षों, 16 दिसम्बर, 1971 से 16 दिसम्बर 1985 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

विचार करने के लिए 16 संकल्प पास किए हैं। और यह सिफारिश की है कि यह सम्मेलन कोलम्बो में हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए किया जाये। अब इसके लिए अन्तिम तिथि 1986 को पूर्वाई में निधारित की गई। अब हम 1987 के पूर्वार्द्ध में है परन्तु कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। हर बार अमरीकी सरकार द्वारा इसमें व्यवधान डाला जा रहा है। वह ऐसे सम्मेलन में भाग लेने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर देता है यद्यपि यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा का है जिसे 14 वर्षों में 16 बार दोहराया जा चुका है।

इसलिए मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। हम इस स्थिति से बचकर कहां जाएं। हम निष्क्रियता से इन्तजार करने की अपनी इस नीति का अनुसरण कर सकते हैं। हम भली प्रकार यह जानते हैं कि अमरीका की वर्तमान नीति के कारण यह सम्मेलन कभी भी नहीं होगा। हिन्द महासागर सुरक्षा की दृष्टि से न केवल हमारे देश के लिए अपितु इस पूरे क्षेत्र के लिए अधिक खतरनाक होता जा रहा है महोदय, पिछले वर्ष 13 अक्टूबर को इंडोनेशिया में जकार्त्ता में किसी समारोह में बोलते हुए, प्रधान मंत्रीजी ने कहा, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :

> "इस क्षेत्र में सेना के संगठित होने तथा नौसेनिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए तटवर्ती देशों को पहल करनी चाहिए।"

श्री राजीव गांधी ने जकार्त्ता में ऐसा कहा। उन्होंने तटीय देशों द्वारा पहल किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

किसे पहल करनी चाहिए? सभी तटवर्ती राज्य एक साथ कार्यवाही शुरू नही कर सकते। किसी न किसी को पहल करनी होगी। इसलिए मेरा प्रस्ताव है, मैंने पहले भी ऐसा प्रस्ताव कई मौकों पर रखा है, कि भारत सरकार को एक सम्मेलन बुलाने हेतु पहल करनी चाहिए और मार्गोपाय ढूंढ़ने चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संकल्प के बिलकुल भी अनुरूप नहीं होगा। मुझे उसकी पूरी जानकारी है। यह यहीं हो सकता, क्योंकि इसे निरूत्साहित किया जा रहा रहा है। ये सभी तटवर्ती देशों, यानि हिंद महासागर के तटवर्ती देशो की उन सरकारों, जो आपस में मिल बैठने के लिए तैयार हैं, का एक सम्मेलन औपचारिक अथवा गैर-सरकारी रूप में हो सकता है। उसमें इसे शांति का क्षेत्र बनाने की दिशा में विस्तार से विचार किया जा सकता है। इसका निश्चित रूप में अर्थ क्या है? आवश्यक उपाय कौन-कौन से हैं? ऐसे कौन से उपाय किए जाने हैं जिनसे इस तनावपूर्ण और युद्ध के लिए तैयार क्षेत्र को शांति के क्षेत्र में बदला जा सके। मैं जानता हूं कि यदि अमरीका संयुक्त राष्ट्र के सरकारी तौर पर बुलाए गए सम्मेलन का बहिष्कार करता है तो वह निश्चय ही इस सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। परन्तु किसी भी प्रकार से उसे हिंद महासागर का तटवर्ती देश नहीं माना जा सकता। यद्यपि डिएगो गार्शिया सहित इस सारे समुद्र में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। किंतु कई अन्य देश यह चाहेंगे कि सोवियत संघ इस सम्मेलन में भाग न लें। सोवियत संघ भी भौगोलिक दृष्टि से सही अर्थों में तटवर्ती देश नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि इस समय यदि ये दोनों महाशक्तियां भाग न भी लें तो भी तटवर्ती देशों का सम्मेलन बुलाया जाए और भारत उन सरकारों को, जिनके साथ हमारे अच्छे और निकट के सम्बन्ध हैं, को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करे और हम वहां उन्हें बताएं कि शांति

के क्षेत्र के बारे में हमारे विचार क्या हैं ? क्या हम वर्षों तक ऐसी बात के लिए असहाय होकर प्रतीक्षा करेंगे जो कमी पूरी नहीं हो सकती । मैं अधिक विस्तार में नहीं जा सकता। किंतु मेरे विचार से सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा ।

महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब कि हमारे विदेश मंत्रालय को कुछ पुराने भ्रम छोड़ देने चाहिए। इसके लिए भी कुछ पहल करने की जरूरत है। लगता है हम कुछ भ्रम पाले हुए हैं। यद्यपि हमारे आदरणीय पुराने सहयोगी प्रो० रंगा के विचार इतने स्पष्ट थे किंतु विदेश मंत्रालय के विभाग में जो उलझनें हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। कुछ कटु वास्तविकताएं हैं, और वह हैं अमरीका की विश्व भर में सामरिक सहमति। और इसमें पाकिस्तान एक अभिन्न अंग बन गया है। श्री कैस्पर वेनबर्गर के एशिया के दौरे के परिणाम हम सब के सामने हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमारी सरकार ने श्री वेनबर्गर को इस देश में क्यों आमंत्रित किया। पिछले कुछ दिनों में हमने अस्थिरता के खतरे के बारे में बहुत चर्चा की है और कहा है कि सभा में इस ओर बैठने वाले हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हम अस्थिरता के षडयंत्र में फंसते जा रहे हैं। अस्थिरता पैदा करने वालों में सर्वाधिक कुख्यात अमरीका के रक्षा सचिव श्री कैस्पर वेनबर्गर को जो कि वाशिंगटन में 'हॉक' (युद्धप्रिय) माने जाते हैं, यहाँ बुलाया गया और उनका हार्दिक स्वागत किया गया ऐसा किस लिए किया गया हमें क्या भ्रम है, क्या हम अभी भी समझते हैं कि हम अमरीका 'वासियों को आश्वस्त कर सकते हैं और उन्हें पाकिस्तानियों के साथ सम्बन्ध तोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्या ऐसा सोचना भावुकता नही हैं। यह भावनात्मक संबंध नहीं है। इस समूचे क्षेत्र के बारे में अमरीका की सामरिक नीति बिलकुल स्पष्ट है कि वह विशेष रूप से ईरान के हाथ से निकल जाने पर यहां क्या रवैया अपनाना चाहते हैं। अब मैं ईरान के बारे में क्या कहूं। एक ईरान तो वह ईरान था जो शाह के अधीन था। उसके बाद एक ईरान शाह का तख्ता पलटने के बाद का था। और अब वह ईरान है जिसकी भविष्य की नीति के बारे में मुझे स्पष्ट पता नहीं है। लेकिन जिसके साथ अमरीकी, जो हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्वव्यापी आंतकवाद के बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं और वैसे अमरीका आंतकवाद के विरूद्ध लड़ाई में आगे रहेगा, यह भी उन्होंने कहा और इसी के लिए उन्होंने जब जरूरी समझा तो लीबिया पर बमबारी की। बाद में पता चला कि यही अमरीका ऐसा अभियान ईरान के लोगों को गुप्त रूप से हथियार देने के रूप में चला रहा था जिन्हें वह समझता था कि वह वहां की सरकार का तख्ता उलट देंगे, वह आंतकवादी गतिविधियों के लिए वहां के लोगों को हथियार दे रहा था और उन हथियारों की खरीद से प्राप्त राशि को निकारागुआ में कान्ट्रास को दिया जा रहा था। राष्ट्रपति रीगन की सरकार का यह चेहरा है और अब जो हमने निरर्थक प्रयास किए हैं उसके बावजूद मुझे पता नहीं कि वेनबर्गर के साथ हमारी क्या बातचीत हुई है लेकिन वह यहां से सीधे इस्लामाबाद पहुँच गए। (**व्यवधान**) उन्होंने घोषणा की कि वे पाकिस्तान को अवाक्स प्रणाली तथा अन्य अनेक अत्याधुनिक हथियार देने वाले हैं। अभी भी मैंने आज और कल के समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वाशिंगटन में श्री नटवर सिंह श्री वेनबर्गर के साथ बातचीत करके उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं और जो घातक और अत्याधुनिक हथियार आप दे रहे हैं वे भारत के विरुद्ध हैं और इन हथियारों का प्रयोग हमारे विरुद्ध किया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि वे अमरीका को कैसे प्रेरित कर रहे हैं। यत तो अमरीकी प्रशासन की पुरानी सोची समझी हुई नीति है। वे यदि संभव हो, हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध में उलझाना चाहते हैं। इससे अधिक कोई बात

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हमारे देश में अस्थिरता पैदा नहीं कर सकती। यदि हमारी पाकिस्तान के साथ परमाणु शास्त्रों की दौड़ शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन हमारा क्या होगा ? अत: मैं समझता हूं कि हम इस भ्रम में पड़े हुए हैं। अब समय आ गया है जब कि हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जो जैसा है हमें उसे वैसा ही बताना चाहिए। और हमें क्या करना है। यह सोचना चाहिए।

इस क्षेत्र में पाकिस्तान अमरीकी हितों की रक्षा करने के लिए क्षेत्रीय सिपाही का काम कर रहा है। यदि आप यह बात समझ लें तो हम एक विशेष दिशा की ओर चल सकते हैं।

अत: मैं इस बारे में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। हमें अधिक गतिशील कूटनीतिक कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे विचार से हम इस मामले में सिद्धहस्त नहीं हैं। विश्वास पैदा करने के लिए हमें कुछ उपायों का पता लगाना चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही है। ये दोनों देश पड़ौसी हैं और न हम कहीं और जा सकते हैं न वे। हमें भारत की साख पैदा करनी होगी। और यह तथ्य है कि अनेक भारतीय और विदेशी प्रचार माध्यम पाकिस्तान की ओर झुकाव दर्शाते हैं और कई बार यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि जनरल जिया-उल-हक कहीं अधिक स्पष्टवक्ता है और वह हमारी अपेक्षा भारत तथा पाकिस्तान के बीच परस्पर संबंध बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बात का भंडाफोड़ किया जाना चाहिए। हमें कभी एकदम एक तरफ और कभी एकदम दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए।

एक दिन तो हम फूल कर कुप्पा हो जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे हो रहे हैं। दूसरे ही दिन हमें धक्का लगता है, क्योंकि हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। हमें संतुलित नीति अपनानी चाहिए। पाकिस्तान के तथाकथित शांति समझौते के प्रस्ताव, मैत्री-संधि, स्पष्ट रूप से कपट-पूर्ण है। इस कपटता का भंडा फोड़ किया जाना चाहिए। हमें अपनी यह मांग दोहरानी चाहिए कि हम ऐसी कोई भी संधि करने को तैयार हैं जिसके अन्तर्गत हमारे दोनों देशों में कोई भी विदेशी अड्डा न बनाया जा सके। यदि पाकिस्तान को यह पंसद नहीं है तो उसे ऐसा कहने दीजिए। लेकिन हमें विश्व को यह बताते रहना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण यह है। हम शांति और मित्रता की कोई भी संधि करने को तैयार हैं लेकिन उसके पूर्व शर्त यह होगी कि न तो पाकिस्तान में और न भारत में कोई विदेशी अड्डा बनाया जाएगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में भी काफी लोग ऐसा चाहते हैं। पाकिस्तान केवल जिया-उल-हक नही हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों की यह भावना हैं कि पाकिस्तान की प्रभुसत्ता को अमरीका के पास गिरवी नही रखना चाहिए। यदि आप पाकिस्तानी समाचार पत्र पढ़ें तो आप यह बात देख सकते हैं। यह तो जिया-उल-हक की अफगान नीति के विरुद्ध हैं। अधिक से अधिक लोग अब पाकिस्तान में यह बात कह रहे हैं। हमारी नीति यह होनी चाहिए कि शांति और स्वतंत्र विदेश नीति के संबंध में पाकिस्तान के लोगों की इच्छा को मजबूत किया जाए।

महोदय, साथ ही मैं एक और प्रस्ताव का सुझाव दूंगा जो हमने संभवत: दिसम्बर 1985 में रखा था। लेकिन लगता है अब हमने उसे छोड़ दिया है। हमें इस प्रस्ताव को दोहरना चाहिए कि हम ऐसा समझौता या संधि करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला न करें। हमें यह बात दोहराते रहना चाहिए। हम रोज यह कहते हैं कि हर रोज वे कहते हैं कि हम काहुटा पर

बम गिराएंगे। एक समझौता होना चाहिए कि कोई भी देश एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं करेगा। कोई भी देश दूसरे देश के परमाणु क्षमता पर प्रहार नहीं करेगा।

कुछ सप्ताह पूर्व सीमा पर जो कुछ हुआ उसे देखते हुए मैं कहूंगा कि भविष्य में हम यह प्रस्ताव क्यों नहीं रखते कि दोनों देशों में से जब कोई सैनिक अभ्यास करता है तो दूसरे देश के पर्यवेक्षकों को वहां आने की अनुमति दी जाए? सैनिक अभ्यास के दौरान पर्यवेक्षकों को उपस्थित रहने दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पर्यवेक्षक यहां आएं और भारतीय पर्यवेक्षक वहां जैसा कि आप जानते हैं वारसा संधि और नाटो संधि शक्तियों के बीच भी यह समझौता हुआ था कि यदि वे इन अभ्यासों में अधिक सैनिकों को लगाते हैं तो दोनों देश एक दूसरे देश के पर्यवेक्षकों को उपस्थित रहने की अनुमति देंगे। यह अचानक हमलों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को इन सब बातों के बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए।

मैं अंतिम बात पाकिस्तान के बारे में कहना चाहता हूँ। निश्चय ही हम नहीं जानते कि पाकिस्तान बम बनाने के अपने लक्ष्य से कितना दूर है थोडा दूर है या अधिक दूर, यह मैं कह सकता। लेकिन किसी भी स्थिति में इसे इस्लामी बम नहीं कहा जा सकता। मुझे यह पसंद नहीं है। यह गलती की गई। इससे उन सभी अरब देशों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो गयी हैं, जो हमारे अच्छे मित्र हैं। यह सुझाव देना कि यह इस्लामी बम है, जिसके बनाने में अरब देशों ने योगदान दिया है, मैं नहीं समझता कि हमारे पास इसका कोई प्रमाण है। कोई हिन्दू बम चाहेगा और कोई अन्य बम, लेकिन हर तरह के बम नुकसानदेह हैं।

अंततः मैं श्रीलंका के बारे में कुछ कहूंगा। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तावना के पृ० 6 में यह स्वीकार किया गया है कि श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने "खराब हो चुकी है" शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह बड़ा गंभीर मामला है। मैं कोई विशेष सुझाव नहीं दे सकता कि क्या करना चाहिए, किंतु मैं कह सकता हूं कि श्रीलंका में बहुत से दूत जाते रहते हैं। पहले श्री जी० पार्थसारथी गए, फिर श्री रमेश भंडारी, उनके बाद श्री नटवर सिंह, फिर श्री चिदम्बर तथा उसके बाद अचानक श्री दिनेश सिंह का नाम आया और इस प्रकार यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि दु:खद समस्या को समाधान किया जा रहा है। किंतु हमें अपने आपको धोखा नहीं देना चाहिए। जाफना की घेराबन्दी, समूचे उत्तर क्षेत्र की नाकेबंदी पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में नृशंस सैनिक कार्यवाही तथा वहां किया गया हवाई हमला, सब धोखे से किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि भारत द्वारा कोई ठोस नीति न अपनायी गयी तो राष्ट्रपति जयवर्द्धने उग्रता और नरमी का रूख अपनाते रहेंगे। वह संधि वार्ता करेंगे और दूसरी तरफ सैनिक कार्यवाही करेंगे।

दुर्भाग्यवश, अभी तक विश्व जनमत मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। हम विश्व में जरा भी जनमत तैयार नही कर पाए हैं। मेरे विचार से यह कूटनीति की दूसरी असफलता है।

मेरे ख्याल से तमिल सैनिकों को कई बार अधिक संयम दिखाना चाहिए पर यहाँ भी श्रीलंका में विदेशी शक्तियों के हित अन्तर्ग्रस्त हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्वतंत्र सरकार स्वयं निर्णय ले रही है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

विदेशी शक्तियां भी शामिल हैं जो चाहती हैं कि कोई शांतिपूर्ण हल न निकले। वे श्रीलंका में अड्डे बनाना चाहती हैं। इस शेर में हमें कोई भ्रम नही होना चाहिए। इसलिए हमें इस भ्रम में नही रहना चाहिए कि आज किसी को और कल किसी और को वहां वार्ता के लिए भेज देने से मामला हल हो जाएगा। मैं इस बात की वकालत नही कर रहा कि श्रीलंका में भारतीय सशस्त्र सेनाएं भेजी जाएं। स्पष्ट है कि ऐसा नही किया जा सकता। लेकिन हमें कुछ सख्त कदम उठाना होगा। हमें अपनी कूटनीति गतिविधियां बढ़ानी होगी और श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना होगा सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह पुरानी विचारधारा को छोड़ दें और कुछ और प्रतिशील कदम उठाए, कुछ पहल करे और जिस संकटपूर्ण स्थिति का हम सामना कर रहे हैं उस स्थिति में देश के हित में विदेश नीति को और अर्थपूर्ण बनाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब करीब छह बज गए हैं। क्या हम समय एक घंटा और बढ़ा सकते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : क्या हम एक घंटा और बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक घंटा बढ़ाएंगें। कल माननीय मंत्री उत्तर देगें।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम विभागों के अन्तर्गत और मांगों पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर इस तरह चलता रहा तो हमें गिलोटीन का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए एक घंटें में हम चर्चा कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आज हमने भोजन अवकाश नही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो। उदाहरण के लिए गुप्त जी ने कहा था कि वह 3 मिनट लेंगे लेकिन उन्होंने 25 मिनट लिए। कुछ बातों पर मैं रोक नहीं लगा सकता।

श्री दिनेश गोस्वामी : आप हर दूसरे दिन 'गिलोटीन' का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इन सबसे बचने के लिए मैं कुछ और समय लेना चाहता हूं।

6.00 म० प०

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या कल गिलोटीन का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कल नहीं किया जाएगा।

श्रीमती शीला दीक्षित : शायद, 28 को किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल 28 को ही। अगर हम एक घंटे और निकाल सकें तो हम और विभागों को ले सकते हैं। अब गोस्वामी जी, आप जारी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से हम आज सदन का समय एक घंटा और बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हम चर्चा को कल जारी रख सकते हैं। कल हम मध्याह्न भोजन नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य बहुत से विभाग हैं जिन पर चर्चा की जानी हैं। मंत्री जी को उत्तर देना है और इसके लिए उन्हें एक या दो घंटे चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : हम मध्याह्न भोजन को पहले ही छोड़ चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : बेहतर रहेगा हम कल जारी रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : कल हम चर्चा समाप्त कर देंगें। केवल कुछ सदस्य हैं। कल मंत्री जी उत्तर देगें। मेरे ख्याल से हम समय को एक घंटे और बढ़ा सकते हैं।

श्री बासुदेव आचार्या : कल हम मध्याह्न भोजन को छोड़ सकते हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज भी आपने मध्याह्न अवकाश नहीं किया है।

कुछ माननीय सदस्य : हम कल बोल सकते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : हम समय को एक घंटा और बढ़ा सकते हैं। यही अधिकतम सीमा है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य इसे स्वीकार कर लेगें।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : दिनेश गोस्वामी जी, आप जारी रख सकते हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्य सदस्यों को कुछ अवसर देना चाहता हूं। अन्यथा मैं इसे आधे घंटे में समाप्त कर सकता हूं। कल मंत्री जीं उत्तर दे सकते है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय दिन के अंतिम पहर में विदेशी मामलों पर बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब तक उत्साह मंद हो चुका होता है। फिर भी, आपने मुझे बोलने के लिए कहा इसलिए मैं संक्षेप में अपने कुछ विचार अभिव्यक्त करूंगा।

महोदय, जहां तक हमारी विदेश नीति के सैद्धान्तिक आधार का संबध है, इस बारे में व्यापक सहमति है। चाहे सरकार बदल गई परन्तु नीति समय की कसोटी पर खरी उतरी है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे विदेशी प्रतिनिधि मंडल जब बाहर जाते हैं तो विदेशी नीति पर चर्चा करते समय सभी आन्तरिक मतभेदों के वावजूद हमेशा एक मत से अर्थात् सत्तारूढ़ दल के मत की अभिव्यत्रित करते हैं।

एक समय गुट निरपेक्षता को अनैतिक कहा जाता था। वही शक्तियां अपने मित्र देशों को गुट-निपेरक्ष आन्दोलन में शामिल कराने की कोशिश कर रही हैं···(व्यवधान)

गुट निरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ी हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि पुनर्विचार करने का यही समय है क्योकि गुट निरपेक्ष देशो पर बोझ बढ़ने से अन्दोलन अपनी कुछ प्रहार शक्ति खो बैठा

[श्री दिनेश गोस्वामी]

है। एक समय था जब हम प्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से आज से कम शक्तिशाली थे और हमारी संख्या भी कम थी पर भारत की और गुटनिरपेक्ष अन्दोलन का नेतृत्व करने वालो की आवाज अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में आप की तुलना में कहीं अधिक महत्त्व रखती थी। गुटनिरपेक्ष देशों को जिस सबसे बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि दूसरों को तो हम कह रहे हैं कि झगड़ों को शांतिपूर्ण ढ़ंग से सुलझाइए पर स्वयं साम्राज्यवादी ताकतों के शिकार बनते जा रहे हैं। ईरान-ईराक युद्ध जारी है। यहां तक की उपमहाद्वीप में हम नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में घटी एक घटना जोकि इस क्षेत्र में एक सकारात्मक घटना है, 'दक्षेस' (सार्क) की स्थापना है। मुझे उस समय वाद विवाद शुरू करने का अवर मिला था जब मंत्री जी ने सदन में वक्तव्य दिया था और मैंने उसी समय कहा था कि "दक्षेस" को सफल बनाने की राह में ऐसी कठिनाईयां हैं जिनके बारे में सोचा नही जा सकता। सातों देशों के भोगौलिक आकार प्रौद्योगिकी विकास सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय विचार धारा में अंतर की कठिनाई। लेकिन एक ऐसी बात है जो आम है और वह है हजारों वर्ष पुराना इतिहास और संस्कृति और गरीबी के कारण उत्पन्न मित्रता का बंधन "दक्षेस" के सात वेशों के पास विश्व में उपलब्ध कुल भूमि का 3% है और उस पर 20% विश्व आबादी रहती है। अक्सर हम कहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं पर आंकड़े बताते हैं कि भारत सहित 'दक्षेस' के देशों के पास विश्व में उपलब्ध कुल संसाधनों का केवल एक प्रतिशत है। इसलिए पड़ोसी देशों की अल्प विकास की स्थिति, संस्कृति और इतिहास की लम्बी परम्परा और मित्रता ने "दक्षेस" की सफलता की राह खोली है। लेकिन दक्षेस की सफलता के लिए भारत और पाकिस्तान का परस्पर पास आना बहुत जरूरी है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी जारी रही तो 'दक्षेस' कभी सफल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अमरीका की भूमिका के संदर्भ में हम बेहतर भारत पाक संबंधों की जरूरत को समझ सकते हैं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से पूरी तरह सहमत हूं कि परमाणु हथियारों की पागल दौड़ में अगर हम कूदेगें तो ऐसा करके हम अस्थिरता को बढ़ावा देगें। मैं श्री मोरारजी देसाई की तरह नहीं कह रहा कि भारत को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहिएं। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि बहुत से पक्षों द्वारा यह मांग की जाती है कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम हैं इसलिए भारत के पास भी होना चाहिए, मैं कहूंगा कि इस विकल्प को अपनाते समय हमें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। वैसे भी, देश को बाहरी स्रोतों से ही खतरा नहीं है अन्तरिक स्रोतों से भी खतरा है और भारत जैसे देश को सबसे बड़ा खतरा अल्प विकास से है। देश में लाखों बेरोजगार युग हैं जो अवसर प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर हमने उनकी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं की तो वे पाकिस्तान के अणु बम से कहीं अधिक खतरनाक सिद्ध होगें।

हम रक्षा के लिए 1200 करोड़ रुपए पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। मैं नहीं जानता कि मध्यवर्ती समीक्षा या अंतिम बजट के समय साल के अंत तक यह धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। लेकिन मेरा विश्वास है कि इस समय हमें पकिस्तान के साथ दोनो देशों की जनता के स्तर पर संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। मैं वहां जाना चाहता हूं। पर पाकिस्तान से प्राप्त सूचनाओं से हमें पता लगता है कि पाकिस्तान के प्रति हमारे रवैये से वहां की जनता को भी डर लगता है। ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास का आभाव है यहां तक कि परस्पर लोगों के मध्य भी। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है भारत का भूमि हथियाने का कोई इरादा नहीं है और न ही महत्वकांक्षा है और लेकिन इस बात पर जोर डालने के लिए हमने उतने कारगर ढंग से काम नहीं किया है जितने से किया जाना चाहिए। हमने दक्षिण अफ्रीका में पहल

की है। इससे मुझे खुशी हुई। अक्सर आलोचना की जाती है कि भारत जैसे देश को जिसकी अपनी इतनी समस्याएं हैं दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं में पहल नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत ने जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया था तो हमने यह मुद्दा बना लिया था कि स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष साम्राज्यवाद और दमन के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष है। गांधी जी ने अहिंसा के लिए पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। मैं सोचता हूं कि हमारी स्वतंत्रता तब तक पूरी नहीं होती जब तक दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल जाता। दक्षिण अफ्रीका की क्या समस्याएं हैं? अफ्रीका की समस्या काले और गोरे के बीच रंग भेद की समस्या नहीं है बल्कि एक ही रंग में भेदभाव करने की समस्या है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे-कालों के बीच ही भेद नहीं किया जाता बल्कि कालों में उनके रंग के अनुसार भेद किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि पता चले कि दक्षिण अफ्रीका में समस्या कितनी व्यापक है। दक्षिण अफ्रीका में एक लड़की थी जिसका नाम शुंद्रा लूइंग था। उसके दो श्वेत भाई थे पर दुर्भाग्य से उसका रंग काला था और बाल घुंघराले थे। उसके माता-पिता श्वेत थे। लेकिन लड़की का रंग काला और बाल घुंघराले थे इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके अभिभावक अदालत में गए लेकिन अदालत ने असमर्थकता जाहिर की। इससे पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में भी, श्वेत बच्चों को सजा दी जाती है अगर उनका रंग काला हो। बहरहाल अंत में, अंतर्राष्ट्रीय मत के कारण दक्षिण अफ्रीका में कानून को बदलना पड़ा कि अगर माता-पिता दोनों श्वेत हैं तो स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न बच्चे उसे वर्गीकरण के अन्तर्गत स्वयं आ जाएंगे। मेरा विचार है कि प्रतिबंध के बारे में हमने जो कदम उठाया है उसे और बढ़ाया जाए। लेकिन, मुझे एक बात की चिंता है। वह यह कि फिलीस्तीन की समस्या, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय कार्यसूची में इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, पृष्ठ भूमि में चली गई है। आज लोग महज सामान्यीकरण की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि फिलीस्तीन लोगों ने निरन्तर आन्दनोलन चला रखा है ताकि जो अधिकार उन्हें नहीं मिले हैं वे मिलें। मेरे ख्याल से उस हद तक अरब विश्व की जनता को भी दोषी ठहराया जा सकता है। अरब देशों में से, जिन देशों में तेल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है उन्होंने अपना पैसा अमरीका में लगाया है और प्रभावशाली होने पर उन्होंने भी अपनी भूमिका अदा की है। पर मेरे विचार में भारत को दक्षिण अफ्रीका की समस्या को फिलीस्तीन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू करना चाहिए क्योंकि फिलीस्तीन समस्या अगर हल नहीं हुई तो ये ज्वालामुखी जब फूटेंगे तो मानवता का पूरा विनाश हो जाएगा।

महोदय, समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि हम हमेशा निरस्त्रीकरण और विकास की बात करते रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दशक के दौरान विकासशील देशों में उन शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण 114 महायुद्ध हुए हैं जो राजनैतिक स्तर पर हम पर आधिपत्य जमाना चाहती हैं।

हमारे पड़ोस के छोटे, विकासशील देश भी प्रति व्यक्ति अमेरिका से भी अधिक खर्च कर रहे हैं। हमारे कुछ पड़ोसी देशों का प्रति व्यक्ति व्यय अमेरिका जैसे देशों की अपेक्षा अधिक है। मेरे विचार में इन देशों को एक दूसरे के निकट लाने और सामान्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए हमें अधिक पहल करने की आवश्यकता है। मेरे विचार में जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक गुट-निरपेक्ष आन्दोलन

[श्री बिनेश गोस्वामी]

एक परिणाम रहित आन्दोलन बन जाएगा और न बात ही बन कर रह जाएगी अतः मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार नए सिरे से पहल करेगी विशेषकर पड़ौसी देशों में और "सार्क" को वास्तविक रूप में सफल बनाए जीं। धन्यवाद।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुक्त विदेश मन्त्रालय की मांगों पर कुछ समय दिया। मैं मांग का समर्थन करता हूं। हमारे देश की विदेश नीति की आधार.भूत ढ़ांचे की नींव स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखी हैं जिसका पालन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है और इसी नीति का पालन हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री कर रहे हैं। सभी ने हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की है। यदि आप विश्व के किसी भी देश की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके दो पहलू हैं। महाशक्तियों भी न केदल अपनी शक्ति को बढ़ाकर किन्तु अन्य देश की शक्ति को कम करके और अस्थिर बनाकर महाशक्तियां ही बनी रहना चाहती हैं। और इस पहलू के संबंध में, प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह संसद सदस्य हो अथवा विश्व के सभी विकासशील देशों कीजनता हो, चाहे वह सत्तारुढ़ दल का हो विपक्ष का उन्हें इस बाद को समझना है और उन्हें इस संबंध में सतर्क रहना है।

महाशक्तियां इधर-उधर समय टालती हैं और महा-शक्तियां बनी रहना चाहती हैं। यदि हम ध्यान से देखें कि जब अमेरिका ने कहा कि वह अन्तरिक्ष-युद्ध परियोजना आरम्भ कर रहा है संभवतः रूस के लोग इतने तैयार नही थे और उन्होंने कुछ समय लगाया और अब वह बराबर हैं। बड़ी महा शक्तियां बनना चाहती हैं और हमारे विकासशील देश के लिए क्या विकल्प है मुझे इंग्लैंड का इतिहस याद है जब एलिजाबे था। इंग्लैंड की महारानी थी, वह कभी फ्रांस के और कभी कभी स्पेन के ड्यूक से विवाह करने के लिए कहती थी। इसी दौरान उसने अपने देश को एक अत्यन्त शक्तिशाली देश बना दिया। मैं समझता हूं कि विकासशील देशों द्वारा यही रवैया अपनाना चाहिए। अपने पडौसियों के साथ संबंधों की बात करते हुए चाणक्य ने बहुत समय पहले कहा था कि हमारा साथ वाला पड़ौसी हमारा शत्रु होगा और हमारे पड़ौसी का पड़ौसी हमारा मित्र होगा। इसका अर्थ केवल शत्रु नही है, हमारे पड़ौसियों के बीच सदा किसी प्रकार की लड़ाई होगी। अतः हमें सतर्क रहना है।

भारत एक विशाल देश है हमारे अधिकांश पड़ोसी देश बड़ी शक्तियों से आतंकित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में अथवा हाल ही के महीनों में घटनाओं से पता चला है कि यह अमेरिका की रक्षा नीति का पथ बन गया है। हम जितना भी शोर मचाएं कि पाकिस्तान को परमाणु शास्त्र नही बनाने चाहिए, कनाडा और अमेरिका को इसकी मदद नही करनी चाहिए परन्तु यह सब व्यर्थ है। हमें अपने प्रधानमन्त्री के इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि हम किसी परमाणु दौड़ के विरुद्ध है। किन्तु हमें अपनी सामरिक नीति की ओर फिर से ध्यान देना होगा। ईरान को ही लीजिए। ईरान अफगानिस्तान के मामले से सम्बद्ध नही है। अब वह कहता है कि अफगानिस्तान की समस्या के बारे में उनसे भी सलाह ली जानी चाहिए। यही बात भारत पर भी लागू होती है। पाकिस्तान मुख्यतः अमरीकी नीति के ढ़ांचे के अधीन है।

हाल ही में एक और महत्त्वपूर्ण घटना घटी है। चीन के एक मन्त्री ने रेडियो प्रसारण में कहा है कि रूस और चीन के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है। यदि रूस और चीन के संबंधों में सुधार हो

जाएगा तो अगले 10 या 20 वर्षों में अमेरिका की स्वतः निर्मित नीति का क्या होगा ? वह आगे के बीस वर्षों के लिए योजना बनाता है। अमरीका और रूस इन दोनों में अन्तर यही है कि अमरीका अब टर्की से लेकर, साउदी अरब, पाकिस्तान तथा अन्य देशों के बारे मे सोचें कि क्या वह देश, वह महा-शक्ति भारत का नेतृत्व करता है अथवा नही। वह चाहे जो कि भारत को अपने प्रभाव के अंतर्गत रखें, ताकि वह टर्की से कलकत्ता तक अथवा इसी प्रकार का रक्षा कवच बना सकें।

भारत को विभिन्न देशों की नीतियों और बदलती हुई रक्षा नीतियों के संबंध में अत्यन्त सतर्क रहना है। हम पाकिस्तान के बारे में सदा कहते हैं कि उनके पास ऐसे बम हैं। उसकी कहुटा में एक परमाणु उत्पादन इकाई है और कोई कह रहा है कि दो हैं और इसी प्रकार अलग अलग बातें कहते रहते हैं। अब परमाणु वास्तव में एक दौड़ नहीं हैं। परमाणु दौड़ के अनेक पहलू हैं जैसे औद्योगिक पहलू, प्रौद्योगिकी पहलू तथा अनेक दूसरे पहलू। इस प्रकार भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में एक शक्ति के रूप में प्रकट होना है। यदि इसे चीन जैसे देशों के प्रमुख दबाव के साथ संतुलित करना है, तो इसे परमाणु शास्त्र बनाने हैं।

जैसे दिनकर ने एक बार कहा :

[हिन्दी]

क्षमा शोभती उस भुजंग को
जिसके पास गरल हो।

[अनुवाद]

यदि भारत यह कहता रहे कि हम अपने परमाणु विकल्पों पर कोई रोक नहीं रखेंगे तो मेरे विचार में इसमें बहुत बिलम्ब हो गया।

हम प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में हैं। प्रत्येक प्रौद्योगिकी दो या तीन वर्ष में पुरानी हो जाती है। हमें भी इस दौड़ में कूदना है, क्योंकि यह हर थोपी गई है। यदि हम अमरीकी नीति की पुनरीक्षा करेंगे तो हम पायेंगे कि यह हम पर थोपी गई है।

समाचार मिले हैं कि चीन के सभी प्रक्षेपास्त्र भारत की ओर भेजे जाते हैं। भारत क्या कर सकता है ? भारत को बचाव करना है और इसके बचाव के लिए परमाणु अस्त्र बनाने हैं।

चीन के संबन्ध में भी यदि आप चीनी घटनाओं को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चीन जो कुछ कर रहा है— चाहे भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ, अथवा आपत्तियां, आदि— हर काम ठीक समय पर किया गया है और प्रत्येक प्रयास सोच-समझ कर किए गए हैं। जब भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का आयोजन कर रहा था और विदेश मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, उसके शीघ्र पश्चात् घुस-पैठ हुई। जब भारत ने अश्वेत लोगों की सहायता करने को निश्चय किया तो एक विमान का (अपहरण) करके पाकिस्तान ले जाया गया जिसमें भारतीय लोग थे। अतः भारत को ऐसी स्थिति में पुनर्विचार करना है।

[श्री सी० पी० ठाकुर]

हमारे विदेशी दूतावासों द्वारा अधिक कार्य किया जाना है। उन्हें न केवल हमारे आर्थिक तथा राजनीतिक हितों का प्रचार और इनकी ओर ध्यान ही देना है, अपितु अन्य देशों के षड्यन्त्रों के विरुद्ध सचेत भी करना है। यदि हम इस समय सावधान नहीं हैं तो हम संकट में पड़ जाएंगे। भारत कठिन स्थिति से गुजर रहा है और इसे बहुत सतर्क रहना है। यद्यपि पंडित जी द्वारा प्रतिपादित गुट-निरपेक्ष नीति अच्छी है किंतु फिर भी इसकी पुनरीक्षा करने और इसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती उषा ठक्कर (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हमारी विदेश नीति जो हमारे आदरणीय नेहरू जी ने बनाई थी, उसी नीति पर हमारे सब प्रधान मंत्री चल रहे हैं, सिर्फ दो-अढ़ाई साल को छोड़ कर। हमारे एक आदरणीय सांसद ने कहा कि हमारे प्रधान मन्त्री जी दो साल में उभर कर आए हैं। हमारे गुजरात में एक कहावत है— "मोरना इदा चितरवा न पड़े"—मोर पक्षी के अंडे होते हैं और उसमें रंग पोरना नहीं पड़ता। भारत की जनता बहुत समझदार है और समझती है कि कुछ साल हमने हमें अंडों में रंग लगाने की मेहनत करके कितना समय गंवाया। मुझे याद है, जब अमरीका ने अपना सातवां बेड़ा हिंदमहासागर में भेजा था, तब प्रजा के मन में शंका थी कि क्या होगा। मगर हमारी स्वर्गस्थान आदरणीय जुझारू महिला श्रीमती इंदिरा गांधी हिम्मत बंधाई, दिल्ली में मीटिंग बुलाई और भारत की जनता ने जो सहयोग दिया, वह अभूतपूर्व था। पांच लाख लोग इकट्ठे हुए और आदरणीय इंदिरा जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास व्यक्त किया और हम सफल हुए। परमाणु शस्त्र के लिए जो महाशक्तियों को समझा रहे हैं और चिन्तित हैं, वे महा-शक्तियां भी जानती हैं कि परमाणु शस्त्र से कुछ फायदा नहीं है,। उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। मैं समझती हूं कि हम भी किसी चुनौती में पीछे नहीं हैं। परमाणु शस्त्र से क्या हो सकता है, यह रामायण और महाभारत के दृष्टान्त से हमको मालूम है और इसके लिए भारत ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है। एक माननीय सांसद ने यह बात ठीक कही है कि भारत और पाकिस्तान की जनता का संबंध है। एटम बम की बात खत्म करके पड़ोसी से प्यार रखने के लिए दोनों सरकारों को समझाना चाहिए। आदरणीय इंदिरा जी ने 1971 में जीत कर भी अपने पड़ोसियों से प्यार का रास्ता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। शिमला करार के जरिए मरहुम भुट्टो और हमारी आदरणीय इंदिरा जी ने दोनों देशों की आवाज को समझकार बड़प्पन दिखाया। मगर बड़ी शक्तियों के खेल में आकर परमाणु शस्त्र की बात करना ठीक नहीं है। भारत सरकार पूरी सक्षम है। हम तो पुराण से परमाणु शस्त्र क्या है, यह जानते हैं। हमारा देश किसी भी बात में कम नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने मुगलसराय को सात वक्त माफ किया, लेकिन मुगलसराय ने एक वक्त तो छोड़ना दूर पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दीं और अन्धा बना दिया। पड़ोसी देश की सरकारों को समझना चाहिए कि हमारा भारत सब बातों में सक्षम है, मगर हम ऐसी कोई भी भूल नहीं करना चाहते कि हमारे भारत की सुरक्षा में बाधा आये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पाकिस्तान और भारत की जनता की आवाज और भावना को इस महान सदन में व्यक्त करना चाहती हूं। कोई कह सकता है कि पाकिस्तान की जनता की आवाज में कैसे व्यक्त कर रही हूं। मेरा क्षेत्र पाकिस्तान से बिल्कुल लगा हुआ है। मेरे जन्म स्थान का नाम टुना गांव है। वहां मुस्लिम की बहुमती है। इस गांव की मैं 25 साल से सरपंच हूं। जब भारत का विभाजन

हुआ, तब इस गांव के कई लोग पाकिस्तान चले गए। घर-घर का विभाजन हो गया और ये लोग आते-जाते रहते हैं और मुझे तो अपनी बहन समझते हैं। दिल खोल कर बात करते हैं। एक कहावत है— "पहलो सगो पड़ोसी"— रिस्तेदार तो दूर रहते हैं और जरूरत पड़ने पर पड़ोसी काम आता है। इसलिए रिस्ते अच्छे बनाने के लिए पड़ोसी सरकारों के साथ ठोस काम करना बहुत जरूरी है। मेरे क्षेत्र की एक विशिष्टता है कि कई साल पहले सिन्धु नदी कच्छ में बहती थी।

मैं चाहूंगी कि हमारे दोनों देशों का रास्ता अच्छा बन जाए और कच्छ में जो पेयजल के लिए कठिनाई होती है, यह सिंधु नदी के पानी से नन्दन वन बन जाए। मैं अपने देश के लोगों से, चाहे वे कोई भी पक्ष के हों अपील करूंगी कि इस नाजुक टाइम में रामायण में जैसे धोबी वे सीता जी पर बिना सुबूत कलंक लगा कर महाकाव्य रामायण में सीता जी पर जो अन्याय किया और प्रणाली को कलंकित किया गया, ऐसा पार्ट न लें मगर एक होकर हमारे स्वच्छ और निखालिस युवा प्रधान मंत्री जा साथ दें।

कच्छ में रेगिस्तान है और वहां वाइल्ड एस हैं। तो वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास धाम बनाना चाहिए। महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि यह एस सारी दुनिया में सिर्फ कच्छ में ही है। मैं यह चाहूंगी कि कांडला को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना चाहिए। इस से गुजरात के उन लोगों को, जो विदेशों में रहते हैं, सुविधा मिलेगी। कांडला में कस्टम आफिस भी है और जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस से उस का विकास भी हो पायेगा। कांडला फ्री जोन की परिस्थिति ठीक नहीं है। विदेशों से आर्डर ठीक से नहीं मिलते। कामर्स मिनिस्ट्री से मश्विरा ले कर के, कांडला जोन में जो यूनिट ठीक से नहीं चलती है उसको ठीक से चलाया जाए। उसके लिए काल कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, यह समस्या उस से संबंधित है। इसलिए कामर्स मिनिस्ट्री और विदेश मन्त्रालय साथ में मिल कर कांडला फ्री जोन का विकास हो पाए, ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा मैं आप के माध्यम से अनुरोध करती हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार): महोदय, मैं अपने निकट पड़ोसियों तक सीमित रहूंगा। पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। हमने क्या गलत किया है? शायद किसी भी निकट पड़ोसी देश से हमारे अच्छे संबंध नहीं है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान नेपाल, भूटान, श्री लंका और बंगलादेश के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। चकमा मुसलमान हिन्दू, आदि बंगलादेश से लोग आते ही रहते हैं। कुछ शरणार्थियों को हमने भारत के नागरिकताहीन व्यक्ति माना है। मुसलमान भी धर्म आदि पर विचार किए बिना आते हैं। यहां हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं? चकमा के मामले में सरकार उन्हें वापस भेजने के प्रति एकदम गंभीर है भले ही वे वापस जाना नहीं चाहते। बंगलादेश की सरकार समाचारों में यह प्रचार कर रही है कि भारत सरकार उन्हें जबरदस्ती रोके हुए हैं। वे वापस जाना चाहते हैं पर सरकार उन्हें जाने से रोक रही है। क्या इस किस्म के समाचार सही हैं? अगर हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है?

अगर सरकार भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के मामले में इतनी गम्भीर है तो विदेश मन्त्री सांसदों से क्यों नहीं कहते कि वे इस पर विचार करें? इस सन्दर्भ में भारत उन लोगों का क्या विचार है?

[श्री पीयूषी तिरकी]

बंगलादेश में क्या हो रहा है ? तिब्बत से भी बहुत से लोग आए हैं ? नेपाल से भी बहुत से व्यक्ति आ रहे हैं और इस कारण उस देश के साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण हैं। नेपालियों की अपनी राष्ट्रीयता है। उनके नेपाल के साथ संबंध हैं। इसलिए भारत सरकार को सोचना चाहिए कि अगर भारत में लोग आते रहे तो दोनों देशों की सरकारों को मिलकर बैठना चाहिए और समस्या का हल निकालना चाहिए तो आपको इन सब बातों के बारे में सोचना चाहिए। विदेश मन्त्री संसार भर में घूमते रहते हैं और पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों के बारे में नहीं सोचते जोकि वह से बदतर होते जा रहे हैं।

भूटान समीप में है पर उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। आपको भूटान को शिक्षित करने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहां मुर्गी पालन आदि है। वे जड़ी बूटी द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। आप उन्हें बुलाते क्यों नहीं और अपने समान समझ कर उनसे कारगर ढंग से वार्ता क्यों नही करते ? जो भी भूटान जाता है मालिकों की तरह जाता है। इस तरह के व्यवहार को ठीक करना होगा। हम अपने सभी पडोसियों के साथ समानता की समान व्यवहार की बात करते हैं पर व्यवहार में हमेशा यह प्रदर्शित करते हैं कि हम उनसे बड़े हैं। उन्हें कुछ नहीं आता और उन्हें हर तरह से शिक्षित करने की जरूरत है। अगर इस रवैये को सही नहीं किया गया तो पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कभी भा मित्रतापूर्ण नहीं होंगे।

जहां तक श्रीलंका का संबंध है, बहुत समस्या है और उस बारे में बहुत से माननीय सदस्योंने बोला है। श्रीलंका में ही नहीं बल्कि विश्व भर में जहां कहीं भारतीय रह रहे हैं उनके प्रति हमारी कुछ कर्तव्य है। दूसरे देशों में भारतीयों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता पर हम विश्व भर में मित्र बना रहे हैं। ऐसा करके हम स्वप्नों के संसार में रह रहे हैं। वस्तुतः हमारा कोई मित्र नहीं है। सोवियत संघ वास्तव में हमारा मित्र है। सोवियत संघ वापस में हमारा मित्र है। मैं नहीं समझता कि पड़ोस में हमारा कोई मित्र है।

दार्जिलिंग में हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं। उस बारे में किसी भी पड़ोसी देश ने जैसे भूटान और नेपाल और अन्य देशों ने एक शब्द नहीं कहा है। अगर वे लोग हमारे मित्र हैं तो कहते क्यों नहीं कि हर एक को भारत में राज्य चाहिए तो भारत कहाँ बचेगा।

जैसा कि मैंने कहा सभी पड़ोसी देशों से हमारे संबंध समानता के आधार पर होने चाहिए। अगर हम सम्मान चाहते हैं तो हमें भी उनका सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। अफ्रीका, अमरीका या लैटिन अमरीका जाने की बजाय हमें पड़ोसी देशों की जनता के साथ ठीक से बातचीत करनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि अगर हमारे किसी पड़ोसी देश को जैसे भूटान या नेपाल को वित्तीय तकनीकी या शिक्षा के क्षेत्र में सहायता चाहिए तो जिस तरह हम सहायता कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। हमें बाहर से ऋण मिल रहा है। हमें शेखी नहीं बघारनी चाहिए कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमारी बहुत सी समस्याएं हैं इसलिए हमें अपनी स्थिति ठीक ले समझ लेनी चाहिए।

हम देखते हैं कि बहुत से विदेशी नागरिक भारत में आ रहे हैं। वास्तव में भारत सबके लिए खुला है। यह एक तरह से धर्मशाला है। इस धर्मशाला को बन्द करना चाहिए। अगर बंगलादेश अपनी सारी जनता को वहां नहीं खपा सकता तो आप उनसे मुआवजा क्यों नहीं मांगते ? अगर वह अपनी जनता को नहीं बसा सकता तो आपको मुआवजा मांगना चाहिए। हजारों की संख्या में लोग भारत आ रहे हैं। आप इस बोझ को कैसे सह सकते हैं ? जब भी कोई राज्य आर्थिक सहायता चाहता है, आप

हमेशा कह देते हैं पैसे की कमी है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। जब ये लोग आए तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र अलीपुर द्वार को सबसे पहले परेशानी उठानी पड़ी। स्थिति यह है।

विपक्षी नेताओं को कहीं जाने की अनुमति नहीं है। अपने दस साल के कार्यकाल के दौरान मैं भूटान तक नहीं जा सका, विश्व के अन्य भागों की बात छोड़िए। लेकिन आप लोग हमेशा विश्व भर में घूमते रहते हैं।

अनेक विदेशी, पयर्टकों के रूप में भारत में आ रहे हैं। लेकिन उन्हें हमारी संस्कृति के प्रति न्यूनतम सम्मान तो व्यक्त करना चाहिए। हम भारत में क्या देखते हैं ? अमरीका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड आदि स्थानों से काफी संख्या में हिप्पी आ रहे हैं। आप उनसे क्यों नहीं कहते कि वे हमारी संस्कृति में विघ्न न डालें। हमारी संस्कृति के प्रति थोड़ा बहुत सम्मान तो होना चाहिए। हम देखते हैं कि ये लोग आधे नंगे घूमते रहते हैं। हम इन सब बातों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? इस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं ? क्या आप इन लोगों से इतना नही कह सकते कि वे हमारी संस्कृति के प्रति कुछ सम्मान व्यक्त करें ? इन लोगों के कारण हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम भारतीय तो केवल यह जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से नकल की जा सकती है। वे तो केवल यही कहते हैं कि "नकल करो" और इससे हमारी संस्कृति का और पतन होता है। इसलिए इन बातों के प्रति कृपया सतर्क रहें।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्व के महान नेता बनने से पूर्व पड़ोसी देशों अर्थात् भूटान, नेपाल, बंगला देश और पाकिस्तान इन चार देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करिए। इस क्षेत्र में सभी मतभेदों को दूर करिए। उसके बाद आप गुट निरपेक्ष आंदोलन और उसके बड़े नेता बनने आदि के बारे में सोच सकते हैं। कुछ सदस्य सोचते हैं कि भारत तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितने शक्ति शाली हैं। विश्व नेता बनने की कोशिश मत करिए। इसकी बजाय मौजूदा समस्याओं को सुलझाने में ध्यान लगाइए और विनम्रबनिए।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम (गया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से सुझाव कुछ विदेश मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सन् 1986 का वर्ष हमारे लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है। भारत की विदेश नीति पंचशील के सिद्धांत "जियो और जीने दो" के आधार पर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे यहां की विदेश नीति का निरूपण किया और आज प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारी यह नीति आगे बढ़ रही हैं।

भारत वर्ष के लिए वर्ष 1986 गतिविधियों से भरा हुआ रहा है। विशेषतौर पर अफ्रीकी देशों के अधिकारों की रक्षा और विश्व में शांति तथा निरस्त्रीकरण के कार्य को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। हम अपने विदेश मंत्री जी को इस पहल के लिए बधाई देना

[श्री राम स्वरूप राम]

चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है और इसके बारे में अभी तक आत्म-चिंतन नहीं किया गया है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वे हमसे क्यों अलग-अलग रहते हैं। उनकी नीतियां हमारी नीतियों से मेल क्यों नही खाती । 40 वर्षों से हम निर्गुट, निरपेक्ष आंदोलन चला रहे हैं, हम अपने को थर्ड वर्ल्ड का नेता मानते हैं लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, इनका व्यवहार भारत के साथ खट्टा-मीठा क्यों बनता रहा है । यह स्वयं अपने आप में एक आत्म-चिंतन का विषय भारतवासियों के लिए और हम लोगों के लिए बना हुआ है ।

1950 में चीन के साथ पंचशील के सिद्धान्त पर समझौता हुआ था । चीन में हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे लगे थे । 1954 में जब चाऊ-एन-लाइ आए थे तो हिन्दुस्तान के सभी लोगों ने उनका हार्दिक अभिनन्दन किया था । 1962 में उसी पंचशील के सिद्धान्त को तोड़कर चीन ने हम पर आक्रमण किया । पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कटु हैं, लेकिन एक साल के अन्दर 1986 में जो कुछ पहल हुई है, उससे संबंध सुधरे हैं । बंगलादेश और नेपाल के साथ संबंधी काफी सुधरे हैं । राष्ट्रपति स्वयं नेपाल गए थे । हमारी और नेपाल की संस्कृति करीब-करीब मिलती-जुलती है, इससे हमारी स्थिति काफी सुधरी है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति से संबंधों में कुछ कमी आई है ।

हिन्दुस्तान जो एक डवलपिंग कन्ट्री है, एक फोरम बनाकर के गरीब मुल्कों की आवाज बनता है, जिस मुल्क की आवाज नहीं है, उसकी ताकत भारत बनता है । भारत को कैसे डिस्टर्ब करें, भारत की समस्याओं में कैसे पड़ोसी देशों के साथ उलझाकर रखें, यह साम्राज्यवादी शक्तियों का एक बहुत बड़ा षडयंत्र है । हम शांति के पुजारी है । अशोक से लेकर आज तक का इतिहास देखते हैं तो हम कभी एग्रेसिव नहीं हुए हैं किसी का हक मारने के लिए । साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिका जो अपने को सुपर पावर कहता है, वह चाहता है कि हम भारत के साथ पाकिस्तान को उलझाकर रखें, बंगलादेश को उलझाकर रखें और अपना एक उपनिवेशवाद बनाए । मैं इस सम्मानीय सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की अपनी शक्ति है और वह अपने पैरों पर खड़े होकर बड़ी-बड़ी शक्तियों का जवाब देना जानता है । हम साम्राज्यवादी शक्तियों को नहीं पनपने देंगे । आज हम देखते हैं कि जैसे ही साऊथ अफ्रीका की बात आई तो गोरी सरकार वहां के लोगों की आवाज बंद करती रही। गांधी जी ने साऊथ अफ्रीका के लोगों में जनतांत्रिक मूल्यों के लिए, डेमोक्रेटिक फाइट के लिए रोशनी दी थी । हमने आगे बढ़कर वहां के लोगों की मदद की है। चीन के समर्थक भाई कभी-कभी यहां खड़े हो जाते हैं । हिन्दुस्तान की अपनी नीति है और उसी नीति से हिन्दुस्तान चलता है । लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे सी० पी० एम० के लोग बहुत जोर से हमारी नीतियों की आलोचना करके चीन की समर्थक नीतियां बताकर अपने को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनना चाहते हैं। मैं अपने विदेश मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारी गुट-निरपेक्ष नीति में कुछ सुधार हुआ है सिर्फ यही कहते रहे हैं कि हम अणु बम नहीं बनायेंगे ।

यह हमारे ऊपर खतरा होगा । जब तक हम अपने आप में मजबूत रहेंगे तो कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो वह हम पर अंगुली नहीं उठा सकती है । जिस दिन आप कमजोर होंगे उस दिन वही शक्ति आपको दबोच लेगी । इसलिए मैं इस आगस्ट हाउस के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप अणु बम के निर्माण के लिए तैयार हो जायें । हम इसका प्रयोग विनाश के लिए नहीं करेंगे, बल्कि शान्ति और विकास के लिए करेंगे । हमारा अणु बम किसी दूसरे देश की स्वतन्त्रता

नहीं छीनेगा, किसी देश की आजादी को नहीं छीनेगा, इसका साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ उपयोग नहीं किया जायेगा, किसी देश की आर्थिक आजादी को नहीं छीनेगा । जो हमारा अणु बम होगा वह विकास के लिए होगा । इसके निर्माण में हम लोगों को हिचकिचाना नहीं चाहिए और भारत को इसका निर्माण करना चाहिए अपने एक्जीस्टेंस के लिए । हम तीसरी दुनिया की शक्ति हैं वह हम बने रहेंगे और राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : महोदय, विश्व पर आणविक युद्ध का खतरा छाया हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियां न केवल यूरोप में अपने आणविक हथियारों के अभ्यास में लगी हैं अपितु श्रीलंका में त्रिकोमाली तथा साथ ही पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी ऐसे अभ्यास कर रही हैं । अन्तरिक्ष युद्ध और आणविक युद्ध के खतरे के बारे में बात करने की बजाय हमें बेधड़क कहना चाहिए कि हम शांति चाहते हैं और विश्व शान्ति के इच्छुक हैं । हम गुट निरपेक्ष नीति के प्रति समर्पित हैं । हम अन्य देशों के संग दोस्ताना संबंध चाहते हैं ।

इससे पहले कि मैं अपने निकटतम पड़ोसी के बारे में कहूं, मैं स्वापो सरकार को मान्यता प्रदान करने के लिए अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से इस बात पर पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हम दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के संग संबंध बनाने चाहिए या दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी 75वीं वर्ष गांठ चल रही है, को मान्यता देनी चाहिए । हम पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल भूटान तथा बर्मा के संग मैत्री पूर्ण संबंध बनाना चाहेंगे ।

मेरा सरकारी पक्ष के अन्य सदस्यों से निश्चित रूप से मतभेद है । हम चीन से जोकि हमारा पड़ोसी है निश्चित रूप से दोस्ताना संबंध विकसित करना चाहेंगे परन्तु यह संबंध केवल अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं बनाना चाहेंगे बल्कि सार्वभौमिक विकास और विश्व शान्ति के लिए भी कायम रखना चाहेंगे । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्धों के मामले में हमारी एक तुष्टीकरण नीति है ।

हमें अपने साथ वाले पड़ोसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, उदाहरण के लिए पाकिस्तान को लें । पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार प्राप्त कर रहा है—एक 16 और आणविक हथियार भी प्राप्त कर रहा है जहां तक जयपुर में क्रिकेट मैच देखने के लिए जनरल जिया के हाल के दौरे की बात है मैं समझता हूं कि हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए । यह केवल एक खेल है अर्थात जनरल जिया की एक एल० बी० डब्ल्यू चाल है जिसके परिणाम स्वरूप वह जयपुर आये थे ।

महोदय, जहाँ तक श्री लंका की बात है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं । श्रीलंका के साथ हम एक के बाद एक सम्मेलन किये जा रहे हैं साथ ही बातचीतें भी कर रहे हैं । परन्तु वहां आज वास्तव में क्या हो रहा है ? यह एक बहुत दुख की बात है कि श्रीलंका सरकार ने एक बूचड़खाना खोला हुआ है जहां तमिल उग्रवादियों और निर्दोष तमिलों का कत्ल किया जा रहा है यह एक कटु सत्य है ।

जहाँ तक नेपाल की बात है इसके संग हमारे संबन्ध बहुत काम चलाऊ है । वे गंगा नदी विवाद में बंगलादेश के साथ भागीदार होना चाहेंगे । यह उनका रवैया है ।

[श्री अमर राय प्रधान]

समाचार पत्र में यह बताया गया है कि वे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के आन्दोलन के लिए हथियार सप्लाई कर रहे है। क्या यह नेपाल के संग अच्छे संबन्धों का संकेत है ?

बंगलादेश हमारे लिए पश्चिम-बंगाल की ओर सबसे नजदीक है। हम बंगलादेश के साथ इतनी अधिक बातचीतें कर रहे हैं और इतने सम्मेलन कर रहे हैं। एक और सम्मेलन अगले महीने की 7 या 8 तारीख को होगा। सम्मेलन में क्या होता है ? सम्मेलन में पुनः कुछ अन्य बाधा उत्पन्न हो जाती है और वे उसके कुछ कारण बताते हैं।

जहाँ तक गंगा जल की साझेदारी की बात है आप जानते हैं कि केवल कलकत्ता पत्तन को ही बचाने के लिए फरक्का बराज (बांध) से गंगा नदी में कम से कम 40,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता है, कलकत्ता पत्तन कलकत्ता शहर का दिल है और कलकत्ता पूरे पूर्वी क्षेत्र का दिल है। लेकिन जहाँ तक संयुक्त नदी आयोग की बैठक की बात है आपने हमें पानी की कमी वाले दिनों में केवल 16000 क्यूसेक पानी दिया है।

चकमा शरणार्थी भारत आ रहे हैं और उन्हें यहां वहां बसाया जा रहा है। आपके आकड़ों के अनुसार ये लगभग 56000 हैं। मैं नहीं जानता हूं। आपकी बंगलादेश के संग बात चीत हुई है। वे कहते हैं कि वे उन्हें वापस लेंगे लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह केवल त्रिपुरा की ही चिन्ता का विषय है बल्कि यह असम मणीपुर, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल के लिए भी चिन्ता की बात है। यह आपकी नीति है।

जहां तक न्यूमूरद्वीप। दक्षिण तलपट्टी द्वीप की बात है अन्तिम बातचीत जनवरी, 1982 में हुई थी। उसके पश्चात क्या न्यूमूर द्वीप के संबंध में क्या कोई बातचीत हुई है। यह भारत का अभिन्न अंग है परन्तु कुछ भी नही किया गया है।

जहां तक 1974 में भूमि सीमा समझौते का संबंध है इन्दिरा-मुजीब समझौते के अनुसार इस बात का उल्लेख किया गया था कि आप तीन बीघा बंगला देश को देना चाहते हैं। यह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। परन्तु इन्दिरा-मुजीब समझौते के अनुसार आपने इसे बंगला देश को 999 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया है और इस समझौते के तरह यदि आप बंगला देश को भूमि का यह छोटा टुकड़ा दे देंगे तो क्या होगा ? भारतीय क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा अर्थात एक पूरी ग्राम पंचायत, भारतीय नागरिकों की 35,000 जनसंख्या वाले लगभग 16 वर्ग मील क्षेत्र के नागरिक असल में बंगला देश के नागरिक बन जायेंगे। अब बंगला देश के विदेशी अन्तः क्षेत्र के अंगार पोटा और डाहाग्राम को बंगलादेश क्षेत्र से जोड़ने की समस्या है। यदि आप तीन बीघा बंगलादेश को देने का प्रस्ताव रखते हैं तो 35000 जनसंख्या वाले कुचलीबाड़ी ग्राम पंचायत के साथ भी ऐसी ही समस्या उठ खड़ी होगी और यह क्षेत्र एक अन्य भारतीय विदेशी अन्तः क्षेत्र में बदला जायेगा।

1974 के इन्दिरा-मुजीब समझौते में इस बात के लिए सहमति हुई थी कि बंगलादेश विदेशी अतः क्षेत्र कुल— 95—25000 जनसंख्या वाला 18 वर्ग मील क्षेत्र भारतीय विदेशी अन्तः क्षेत्र के कुल 135 इकाईयों तथा 1.50 लाख जनसंख्या के 29 वर्ग मील क्षेत्र के संग बदला जायेगा। क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन हैं ? वे भारतीय नागरिक है तथा उनकी जनसंख्या 1.50 लाख है। क्या वे

मतदान में भाग ले रहे है ? क्या उनके नाम मतदान सूचियों में शामिल किए जायेंगे ? नहीं निश्चित रूप से नहीं। आप जानते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है ? भारतीय क्षेत्र के अन्दर एक जंगल-राज चल रहा है—आगजनी, लूटपाट, बलात्कार आदि— इस 29 वर्ग मील क्षेत्र में चल रहे हैं। क्या आपने बंगला देश के लोगों से बात करने की कोशिश की है ? आप डाहा गाम विदेशी अन्त: क्षेत्र के लिए बरास्ता भारतीय क्षेत्र एक रास्ता देने के काफी इच्छुक हैं। बंगला देश के राष्ट्रपति श्री इरशाद को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले वह मूलतः मेरे कूच बिहार जिले के निवासी थे। आज भारतीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक अफवाह है कि भारतीय क्षेत्र में एक जंगल-राज चल रहा है—आगजनी लूट पाट, बलात्कार और लोगों की जीवन हानि हो रही है, क्या आपने इस मामले पर बंगला देश के राष्ट्रपति से बात चीत की है ? क्या आपने कभी उनसे यह कहा है कि वे आपको उन भारतीय विदेशी अन्तः क्षेत्रों का कम से कम एक बार एक दिन या एक घंटे के लिए दौरा करने हेतु अनुमति दें ?

नहीं आप लगभग एक लाख पचास हजार भारतीय नागरिकों के बारे में जोकि इन विदेशी अन्तः क्षेत्रों में रह रहे हैं, चिन्तित नहीं हैं। आप केवल इस बात से चिन्तित हैं तथा इस बात के इच्छुक हैं कि बंगलादेश के लोग अपने विदेशी अन्तः क्षेत्रों में जा सकें।

आप बंगला देश के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं परन्तु यह उन भारतीय विदेशी अन्त: क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की उपेक्षा करके नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से यह तुष्टीकरण की नीति है।

तीन बीघा, हमारी भूमि है तथा यह भारत का अभिन्न अंग है जैसे कि काश्मीर से कन्या-कुमारी और कच्छ से कोहिमा तक सारा भारत है और यह भारत माता के हिस्से हैं, फिर यदि एक छोटा सा भाग भले ही यह तीन बीघा हो या कोई अन्य हिस्सा हो उसे छोड़ दिया जाता है तो आप इस तरह भारत माँ की हत्या करेंगे। क्या आप इसे उस भावना से भी देखते हैं ? हमें यह पसंद नहीं है। कम से कम मुझे यह पसंद नहीं है। इसलिए इस संबंध में एक नया दृष्टिकोण और कुछ नया विचार होना चाहिए।

हमें निसंदेह बंगला देश जैसे अपने पड़ोसी के साथ अपने संबंध सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए लेकिन इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति से नहीं; हमारी राष्ट्रीय अखण्डता और संप्रभुता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी कल उत्तर देंगे।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : एक स्पष्टीकरण। केवल एक वाक्य।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मंत्री कल उत्तर दें तो आप पूछ सकते हैं। अब किसी बात का स्पष्टी-करण चाहिए ?

श्री सैयद मसूदल हुसैन : भारतीय खाद्य निगम ने यह किताब फूडकोर्प निकाली है और इस पुस्तक के खण्ड 17 में यह बताया गया है कि "भारतीय खाद्य निगम ने कांडला पतन से 57000

[श्री सैयद मसुदल हुसैन]

मीट्रिक टन गेहूं का लदान करना आरम्भ किया है" और यह "दक्षिण अफ्रीका को प्रधान मंत्री की भेंट है।" यह सामाचार है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने राजनयिक संबंधों को बदलने जा रहे हैं या फिर यह क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : यह 'दक्षिणी अफ्रीका' है 'दक्षिण अफ्रीका' नहीं है। यह अवश्य छपाई की गलती है। मैं इसकी जांच करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी कल उत्तर देंगे।

———

6.58 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 23 अप्रैल, 1987/ 3 वैशाख, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2